सोमवार, 15 मार्च 1982

24 फाल्गुन 1903, (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवाँ सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण
सोमवार, 15 मार्च, 1982/24 फाल्गुन, 1903 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 11, ऊपर से पंक्ति 6 में "275" के स्थान पर "295" पढ़िये।

पृष्ठ 179/ नीचे से पंक्ति 4 में "राम के स्थान पर "रहस" पढ़िये ।

विषय-सूची

अंक 17, सोमवार, 15 मार्च, 1982/24 फाल्गुन, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
युगोस्लाविया के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 289 से 291, 295, 296, 298, 299 और 301	2—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 292, 293, 297 और 303 से 308	22—29
अतारांकित प्रश्न संख्या 3244 से 3265, 3267 से 3302, 3304 से 3318, 3320 से 3408, 3410 से 3417, 3419 से 3452, 3454 से 3468 और 3470 से 3474	29—190
सभा पटल पर रखे गए पत्र	193—194
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	195
नई दिल्ली में दो डाकघरों के लूटे जाने का समाचार	195
श्री जी० एम० बनातवाला	195
श्री पी० वेंकटसुब्बय्या	195
श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक	203
श्री हरीश रावत	204
औसत सूचकांक 320 तक स्वीकृत महंगाई भत्ते का वेतन के साथ विलय करने और महंगाई भत्ते की चार किश्तें देने, आदि के बारे में वक्तव्य	
श्री प्रणव मुखर्जी	206

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) नई दिल्ली में श्री राजदा को आबंटित बंगले के परिसर पर मैसर्स प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड द्वारा कथित अतिक्रमण श्री रतनसिंह राजदा	208
(दो) स्वर्गीय चौधरी छोटूराम के सम्मान में एक डाक टिकट जारी करने की मांग श्री मनीराम बागड़ी	210
(तीन) उड़ीसा में जोदा, आनन्दपुर, चम्पुआ, स्वमपतना में उप-डाकघर और क्योंझरगढ़ में मुख्य डाकघर का निर्माण शीघ्र करने की आवश्यकता श्री हरिहर सोरन	211
(चार) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आन्दोलन श्री कृष्ण कुमार गोयल	211
(पांच) बिहार में भोजपुर में गंगा नदी के समूचे प्रवाह मार्ग पर भूक्षरण रोक उपाय शुरू करने की आवश्यकता प्रो० के० के० तिवारी	213
(छः) राज्य सरकार द्वारा असम में विदेशी नागरिकों के कथित पता लगाए जाने के आधार के बारे में सरकार द्वारा वक्तव्य दिए जाने की आवश्यकता श्री जी० एम० बनातवाला	213
बजट (सामान्य) 1982-83—सामान्य चर्चा (जारी)	
श्री गिरधारी लाल व्यास	214
श्री महेन्द्र प्रसाद	218
श्री जार्ज फर्नान्डीस	222
श्री मगन भाई बरोट	237
श्री सतीश अग्रवाल	248
श्री के० लकप्पा	261
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	266
श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार	271
श्री सी० टी० दंडपाणि	276
श्री नित्यानन्द मिश्र	283
श्री एम० अरुणाचलम	286
श्री अजीत सिंह दाभी	286
श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी	294
श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियन	297
श्री राम नगीना मिश्र	298
श्री के० टी० कोसलराम	301
श्री रामनाथ दुबे	304

लोक सभा

सोमवार, 15 मार्च, 1982/24 फाल्गुन, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे हमारे पुराने मित्रों में से एक श्री नवल किशोर सिन्हा के दुःखद निधन की सभा को सूचना देनी है। वह बिहार के मुजफ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र से 1971-77 के दौरान पांचवी लोक सभा के सदस्य थे। पहले वह 1952-60 के दौरान बिहार विधान सभा के सदस्य रहे और 1961-67 के दौरान बिहार सरकार में मन्त्री भी रहे।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों में हाई स्कूल और कालिज स्थापित किए और वह विशेषकर किसानों और दस्करों के बीच काम करते हुए ग्रामीण कल्याण कार्य में रत रहे और उन्होंने भूदान आन्दोलन में भी भाग लिया था।

सहकारिता आन्दोलन के विकास में उन्होंने विशेष दिलचस्पी ली थी।

वह भारत सेवक समाज सहित अनेक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठनों से सम्बद्ध थे।

उनका 60 वर्ष की आयु में 11 मार्च, 1982 को निधन हुआ।

हम सभी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और उनके दुःखी परिवार को संवेदना प्रकट करते हैं।

सभा अपना दुःख प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़ी हो।

(तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े हुए)

युगोस्लाविया के संसदीय शिष्ट मंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से यूगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य की फैडरल असैम्बली के प्रैसीडेन्ट महामहीम श्री ड्रेगशोव मार्कोविक तथा यूगोस्लाव संसदीय शिष्ट मण्डल का, जो हमारे सम्मानीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं, स्वागत करने में मुझे अपार हर्ष हो रहा है। शिष्ट मण्डल के अन्य सम्मानीय सदस्य हैं :—

1. श्री प्रेड्रेग गली गोंरिक, एम० पी०
2. श्री लुका नेजेविक, एम० पी०
3. श्री मोरिक रोमेनो, एम० पी०
4. श्री ड्रेग्युटिन सेबरेक, एम० पी०।

यह शिष्ट मण्डल आज प्रातःकाल यहां पहुंचा और वह लगभग एक सप्ताह तक भारत में रहेगा। इस समय वे विशेष कक्ष में विराजमान हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल निवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम यूगोस्वालिया की फैडरल असैम्बली, सरकार और मित्र जनता को अपनी बधाई तथा शुभकामनायें भेजते हैं।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नगर तथा ग्राम आयोजन संगठन की पुनर्रचना

*289. **डॉ० ए० यू० आजमी :**

श्री पीयूष तिरकी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अपने मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, नगर तथा ग्राम आयोजन संगठन की पुनर्रचना करने के बारे में संसद् सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो जूनियर और मध्य स्तर के ऐसे कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; जिन्हें पदोन्नति में गतिरोध छंटनी का सामना करना पड़ रहा है अथवा जिन्हें फालतू कर्मचारी के रूप में दर्शाया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) जी, हां।

(ख) संगठन के पुनर्गठन करने के भाग के रूप में, तकनीकी पदों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने की दृष्टि से एक अध्ययन किया गया है। यह मूल्यांकन किया गया है कि कतिपय वर्गों में संगठन की आवश्यकताओं से कुछ पद फालतू हो सकते हैं। इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

डॉ० ए० यू० आजमी : यह जो स्टडी कंडक्ट की गयी है, इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं, उसका हवाला आपने नहीं दिया। जो पोस्ट्स सरप्लस हो गयी हैं उन पर काम कर रहे लोगों को आप रख लेंगे या उनका कहीं और इन्तजाम करेंगे ?

श्री बृजमोहन महन्ती : प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है इस मामले में स्टाफ एसोसिएशन से भी परामर्श किया जाएगा और उसे विश्वास में लिया जाएगा।

डॉ० ए० यू० आजमी : वह कब तक करेंगे और कब तक बतायेंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : हम लोगों की चेष्टा होगी कि इस पर निर्णय शीघ्रातिशीघ्र हो जाए। एक बात मैं आप को बताना चाहूंगा कि जो छंटनीग्रस्त हैं, उन सब को हम एबजोर्ब कर लेंगे, कर लेना चाहेंगे। यह डिटेल्स का मेटर है, इस में थोड़ा वक्त लगता है।

डॉ० ए० यू० आजमी : यह जो स्टेगनेशन है, जो कि हर डिपार्टमेंट में चेचक की तरह फैल गया है, उसको दूर करने के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। मेहरबानी कर के यह बताइये कि सरकार इस विषय में क्या करने जा रही है?

श्री बृज मोहन महन्ती : स्टाफ को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने का प्रश्न भी विचाराधीन हैं। इसके लिए विभिन्न पदों के भर्ती नियमों में संशोधन करना होगा। इस मामले में एसोसिएशन से बातचीत की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री उत्तम राठौर।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम

*290. **श्री उत्तम राठौर** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए पूरे देश में अधिगृहीत की गई भूमि के मालिकों में कम मुआवजा दिए जाने के कारण भारी असंतोष है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य अपने भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में पहले ही संशोधन कर चुके हैं और वे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए वर्षों से पड़े हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि भूमि मालिकों के साथ न्याय करने हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का सदन को आश्वासन दिया गया था; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) (क) देशव्यापी असंतोष के बारे में कोई संकेत नहीं मिला है यद्यपि, सामान्य तौर पर, कथित अपर्याप्त मुआवजा मिलने के कारण स्थानीय असंतोष के कुछ उदाहरण मिले हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) एक विधेयक तैयार किया जा रहा है।

श्री उत्तम राठौर : प्रथम प्रश्न का उत्तर बहुत टेढा है। उन्होंने उत्तर दिया है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि देश में असन्तोष है। वास्तव में बहुत से राज्यों के विधेयक केन्द्रीय सरकार के पास राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं। एक ऐसा मामला महाराष्ट्र राज्य का है। महाराष्ट्र सरकार से केन्द्रीय सरकार की ओर से अपना विधेयक वापस लेने का अनुरोध किया गया था क्योंकि स्वयं केन्द्र सरकार एक व्यापक विधेयक लाने जा रही थी।

क्या माननीय मंत्री महोदय, सभा को यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार ने राज्यों को कितने विधेयक लौटाए हैं और उन्हें यह आश्वासन देकर उन विधेयकों को वापस लेने के लिए कहा है कि वह जल्दी एक नया विधेयक यहां प्रस्तुत करेगा।

श्री बालेश्वर राम : केवल एक ओर वह भी महाराष्ट्र का। राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली है।

श्री उत्तम राठौर : मैं पिछले दो वर्षों से माननीय मंत्री महोदय के पीछे हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें अब तक आपकी उपस्थिति का आभास नहीं हुआ है ?

श्री उत्तम राठौर। क्योंकि मैं एकदम उनके पीछे बैठता हूं।

मैंने दो वर्ष पूर्व भूमि अधिग्रहण विधेयक के सम्बन्ध में एक गैर-सरकारी विधेयक पुर:स्थापित किया था और मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि वह एक विधेयक लाने जा रहे हैं। पिछले वर्ष मेरे मित्र सज्जन कुमार द्वारा जब बादली का मामला उठाया गया था तब उन्हें भी यही आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही मंत्री महोदय एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे। उस समय मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि क्या यह विधेयक पिछली तारीख से लागू होगा। इस पर माननीय आवास मंत्री ने कहा था कि वह कुछ नहीं कह सकते। जब आपने भी अनुरोध किया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या वह इस सत्र में विधेयक लाने जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या वह इसे 1975 से लागू करेंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है विधेयक अभी बनाया जा रहा है। जब तक हमें विधि मंत्रालय से वापस प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मेरे लिए यह कहना बड़ा कठिन है कि हम इसे इस सत्र में पुर:स्थापित कर पाएंगे या नहीं। निस्सन्देह, संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद है और वह सदस्यों की भावनाओं पर ध्यान दे रहे है। सदस्यों सहित मैं उनसे भी इस ओर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि यदि हमारा विधेयक इस सत्र के दौरान सभा में पेश किया जाता है तो वह समय देने का प्रयत्न करें।

अध्यक्ष महोदय : हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह पिछली तारीख से लागू किया जाएगा ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता। इस बात की जांच करने की जिम्मेदारी विधि मंत्रालय की है।

अध्यक्ष महोदय : सम्पूर्ण सभा की इच्छा ऐसी ही प्रतीत होती है। मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : कानूनी कठिनाईयों को देखना होगा। इस प्रकार के कानून के बारे में किसी प्रकार का वचन देना असम्भव है।

अध्यक्ष महोदय : आप श्री उत्तम राठौर के उदाहरण का अनुसरण कीजिए जो कि आपके पीछे हैं। बेहतर होगा आप विधि मंत्री के पीछे लग जाइए।

श्री सज्जन कुमार : क्य यह सच है कि पिछले साल जब बादली का विवाद उठा था जिस के कारण दिल्ली के देहाती क्षेत्रों के लोगों में बहुत असन्तोष है और उन्होंने बार-बार आप से आग्रह किया है और संसद् के सदस्यों ने भी आप से आग्रह किया है कि इस बिल को आप संसद्

में लाएं तो मैं जानना चाहता हूं कि कब आप इस बिल को लाने की बात सोच रहे हैं और जिस तरह से अभी कहा गया है कि पिछले जो केसिस हैं क्या इनको भी इसमें सम्मिलित आप करने जा रहे हैं ?

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा था कि इसी सत्र में हम लाने जा रहे हैं। क्या इसी सत्र में आप इस बिल को लेकर आएंगे ताकि वहां लोगों में जो असन्तोष है वह दूर हो सके ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं सारी चीजों का जवाब तो दे चुका हूं, कोशिश यही कर रहे हैं कि इस सेशन तक बिल आ जाये।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं कृषि मंत्री से वह जानना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान पिछले वर्ष की लोक-लेखा समिति की उस रिपोर्ट की तरफ गया है जिसमें यह आबजर्वेशन किया गया है कि यह किसानों की सरासर लूट है कि उनसे सस्ती जमीन लेकर इतनी मंहगी बेची जाती है ? एक तरह से यह किसानों के जीवन की कीमत पर व्यापार हो रहा है। उदाहरण के लिए सवा तीन रुपये प्रति गज जमीन ली गई और साढ़े 29 रुपये प्रतिगज जमीन यमुना-पार बेची गई, और एक जगह 1 रुपये 75 पैसे प्रति गज ली गई और साढ़े 12 हजार रुपये प्रतिगज के रेट से बेची गई।

इस तरह की लूट किसानों की जो खुले आम हो रही है, न केवल दिल्ली में बल्कि सारे देश के किसानों की स्थिति इसी प्रकार की है, जो बिल है पता नहीं उसमें क्या है, किसी तरीके से क्या रेट तय किया गया है, कोई आधार है या नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने भी कहा, इस सदन की ओर किसानों की पूरी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय किसानों की इस लूट को बन्द करेंगे ?

क्या कृषि मंत्री जी सारे देश के मंत्रियों की बैठक बुलाकर एक नियम बनायेंगे कि जो किसानों को कीमत दी जा रही है, उसके बाद अगर ज्यादा मंहगी जमीन बिकेगी, तो उसमें से किसानों का हिस्सा उसी अनुपात से उनको दिया जाएगा ?

यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए लम्बा प्रश्न कर रहा हूं, वरना लम्बा प्रश्न करने का का मैं आदि नहीं हूं।

क्या मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्री इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि जिन किसानों की सारी की सारी जमीन ले ली जाती है, उनके बच्चों को नौकरियों में, मकान एलाटमेंट में, दुकान एलाटमेंट में जहां वह अपना जीविका का साधन चला सकें, क्या वह इस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा कि—क्या मैं जानना चाहता हूं—अब आप बताइए कि जानना वाहते हैं या नहीं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस भावना को ध्यान में रखते हुए क्या यह लूट बन्द होगी ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो मैं समझ गया। आपने यह कहा था कि क्या मैं यह जानना चाहता हूं, इसलिए मैंने प्रश्न किया है कि क्या आप जानना चाहते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो भावना माननीय सदस्य की है, और जो भावना आम किसानों की है, वही भावना मेरी भी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल में सारे हाउस की यूनैनिमिटी है। मैंने असहमति का कोई स्वर नहीं सुना।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब की भावना का भी खासतौर पर हमें एहतराम है।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, इस प्रकार वह आप को नरम बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे मुद्दों पर नरम नहीं पड़ता, जैसा कि आपने अब तक देखा होगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : किसानों की कुछ जमीनें इसलिए ली जाती हैं कि सरकारी काम के लिए उसकी जरूरत होती है, कहीं रेल के लिए, कहीं सड़क, नहरें और पुल बनाने के लिए। सरकारी काम के लिए जो जमीन ली जाती है, उसमें फायदा उठाने का कोई सवाल नहीं होता, यह काम तो जनता के फायदे के लिए ही किए जाते हैं।

कुछ जमीनें ऐसी ली जाती हैं, जिनकी तरफ माननीय सदस्य ने इशारा किया कि जमीन लेकर कालोनियां बनाई जाती हैं। उसमें कितना सरकार को मुनाफा होता है, इसका इस चीज से अन्दाजा लगता है कि डैवलपमैंट पर आज के दिन क्या खर्चा आता है। उसमें से एक-तिहाई जमीन तो छोड़ दी जाती है। उसके बाद डैवलपमेंट का खर्चा जो होता है, उसके हिसाब से शामिल करके प्लाट दिये जाते हैं। मुझे ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन कई बार हमारे साथी माननीय श्री भीष्म नारायण सिंह यहां वजाहत कर चुके हैं और यह भी बता चुके हैं कि जिन लोगों की जमीनें ली जाती हैं, उनको क्या सुविधाएं दी जाती हैं प्लाट के लिए, सर्विस के लिए या दूसरे कामों के लिए। पीछे भी हाउस में यह सवाल उठा था, उन्होंने काफी विश्वास मैम्बरों को दिलाया था कि इस बात का आम तौर पर ख्याल रखा जाता है।

आइन्दा किस शक्ल में बिल आयेगा, यह तो जब हाउस में इन्ट्रोडूस होगा तभी पता लगेगा, लेकिन हमारी कोशिश यह है कि किसानों की जमीन आम तौर पर ऐसे कामों के लिए न ली जाए जो बहुत जरूरी न हों और जो जमीन ली जाए वह घटिया किस्म की जमीन हो, बहुत अच्छी जमीन न ली जाए। प्राईवेट फैक्टरीज के लिए और दूसरी चीजों के लिए जो जमीनें लेकर दूसरों को दे दी जाती हैं, उसके बारे में हमें ख्याल है कि इसमें हमें इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, कुछ सख्ती से काम लेना चाहिए। इस आधार पर हम उस बिल को बनाएंगे।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, इस प्रश्न के संदर्भ में, मैं शेष देश के किसानों के बारे में नहीं जानता हूं परन्तु पिछली बार दिल्ली के किसानों, विशेष रूप से बादली से आए किसानों ने भूख हड़ताल की थी और वहां धरने पर बैठे थे। उस समय एक प्रतिनिधि मण्डल मंत्री महोदय

को मिलने गया था और माननीय मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिय ।था कि उन्हें समुचित क्षतिपूर्ति दी जाएगी । न केवल इतना ही । पिछली बार जब इन किसानों के सम्बन्ध में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया था तो माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया था कि किसानों को बेहतर मुआवजा मिलेगा ।

राव बीरेन्द्र सिंह : किस मंत्री महोदय ने ?

(व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : आवास मंत्री ने न केवल इतना, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि किसानों के बच्चों को वाणिज्यिक प्लाट दिए जाएंगे । उन्होंने रोजगार दिया जाएगा और इनके अतिरिक्त किसानों की इन तत्वों से रक्षा की जाएगी जो भूमि खरीद कर ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं । यह आश्वासन दिया गया था । अब मैं अपना प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप किस मंत्री से अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : संयुक्त उत्तरदायित्व है ।

(व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : मैं आपको सम्बोधित करके कहता हूं । उन्हें स्वयं निर्णय करने दीजिए ।

श्री सतीश अग्रवाल : प्रश्न का उत्तर देने के लिए मंत्री की आवश्यकता आपको है ।

श्री जगदीश टाईटलर : मेरा प्रश्न इस प्रकार है : (क) क्या 1959 और 1961 में अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि के लिए किसानों या भूमि के मालिकों को अधिसूचना के लगभग 20 वर्षों के बाद भी सही मुआवजा नहीं दिया गया है; और (ख) सरकार उन किसानों और ग्रामिणों को पर्याप्त और समय पर मुआवजे की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, मेरे मित्र श्री भीष्म नारायण सिंह द्वारा यदि कोई आश्वासन दिया गया है तो मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं । इस मुद्दे पर सूचना प्राप्त करने के लिए वह एक पृथक प्रश्न की सूचना दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है, वह आपको सूचना दें । अथवा क्या आप स्वत: ही उत्तर दे सकेंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : क्या उत्तर ? महोदय, उत्तर बहुत ही स्पष्ट है आप देखेंगे कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक पुराना अधिनियम है । यह 1894 का है । आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : पुराना है ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : आप देखेंगे कि इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की जाती है और चूंकि अधिसूचना जारी की जाती है इसलिए मुआवजा देने के लिए उस समय प्रचलित बाजार कीमत की गणना कर ली जाती है। इस त्रुटि के कारण ही हम संशोधन पेश करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल इतना कह रहे हैं कि आप एक संशोधन पेश करने जा रहे हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : निस्सन्देह मेरे मित्र राव बीरेन्द्र सिंह यह संशोधन पेश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : पिछली बार आपने यही कहा था। आप अपने आश्वासन पर अड़े रहिए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने सभा में जो कुछ कहा है उस पर टिका रहूंगा।

श्री एम० राम गोपल रेड्डी : महोदय, क्या हमें इस अधिनियम की शताब्दी नहीं माननी चाहिए ?

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, वस्तुतः यह खेद की बात है कि इस सरकार द्वारा सरकारी, औद्योगिक तथा गृह निर्माण आदि सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए निर्धन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। राव बीरेन्द्र सिंह ने अभी रेलवे के कार्यों हेतु किसानों की भूमि के अधिग्रहण का उल्लेख किया है। यह रिकार्ड में है कि लगभग 1,75,000 एकड़ रेलवे भूमि किसानों को छोड़कर अन्य लोगों के गैर-कानूनी कब्जे में है। एक ओर तो आप रेलवे हेतु उनकी सम्पत्ति का अधिग्रहण करते हैं और दूसरी ओर, सरकार के रिकार्ड के अनुसार 1,75,000 एकड़ भूमि अप्राधिकृत कब्जे में है। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसी प्रकार उन्हें रकम भी नहीं दी जाती है। (एक) क्या सरकार इस सभा को यह आश्वासन देगी कि सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे के निर्धारण के एक वर्ष के भीतर मुआवजे की रकम का भुगतान कर देगी ? (दो) यदि किसान मुआवजे की रकम से सन्तुष्ट न हुआ तो क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि समुचित मुआवजे के भुगतान के लिए मामले को बड़ी अदालत में ले जाने के लिए किसान को कानूनी सहायता प्रदान की जाए ?

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा। हम नए कानून में यह उपबन्ध करने की आवश्यकता के प्रति पूर्ण जागरूक हैं कि किसानों को समय पर मुआवजा दिया जाए। मुआवजे की दर भी पर्याप्त होनी चाहिए।

स्वयं प्रधान मंत्री ने कई अवसरों पर घोषणा की है कि किसानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और उनकी भूमि का अन्धाधुन्ध अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, और उन्हें मुआवजे में उचित रकम मिलनी चाहिए। जब हम सभा के समक्ष कानून पेश करेंगे तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा।

फसल सांख्यिकी योजना

**291. श्री अजित कुमार साहा :* क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फसल सांख्यिकी योजना में सुधार, कृषि मंत्रालय के तकनीकी मार्ग निर्देशन के अधीन राज्यों में चल रही समय पर रिपोर्ट करने की योजना नमूने के तौर पर की गई एक जांच है;

(ख) क्या इसका कार्य दो मंत्रालयों यथा, कृषि मंत्रालय और योजना मंत्रालय में विभक्त होने के कारण राष्ट्रीय महत्व के इस महत्वपूर्ण काम में ऐसा दोहरा काम और विलम्ब होता है जिसे दूर किया जा सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका औचित्य क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही समय से रिपोर्ट करने की योजना इस ढंग से बनाई गई है जिससे 20 प्रतिशत गांवों (लगभग एक लाख गांव)के नमूने के आधार पर प्राथमिक परिगणना और सारणीकरण के माध्यम से फसलों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के अग्रिम अनुमान प्राप्त किए जा सकें। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और राज्य सांख्यिकी प्राधिकरणों द्वारा चलाई जा रही फसल सांख्यिकी सुधार योजना को उद्देश्य समय से रिपोर्ट करने की योजना के तहत आने वाले गांवों के उप-नमूने में फसल कटाई के प्रयोगों और पटवारियों द्वारा की जाने वाली फसल परिगणना की देख-रेख करके फसल सांख्यिकी से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्य की खामियों का पता लगता है। यह काम क्षेत्र और उपज सम्बन्धी सांख्यिकी की परिशुद्धता में सुधार लाने की दृष्टि से किया जाता है। दोनों योजनाओं के उद्देश्य बिल्कुल भिन्न है, अतः दोहरा कार्य होने का प्रश्न ही नहीं होता।

श्री अजित कुमार साहा : कृषक होने के नाते आप जानते ही हैं कि राष्ट्रीय आय का आधा भाग कृषि से ही आता है। यह 70 प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार देता है। इसलिए, सर्वेक्षण का बहुत महत्व है। लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के कार्यकरण में गंभीर त्रुटियां हैं।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य प्रो० मिन्हास के इस सुझाव पर विचार करेंगे, कि ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवकों की, जो गांवों को अच्छी तरह जानते हैं, सेवाओं का उचित उपयोग किया जाना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह सुझाव है।

श्री अजित कुमार साहा : आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हमने इसे नोट कर लिया है। इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अजित कुमार साहा : क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था तथा राज्य सांख्यिकी प्राधिकरण के अधीन चल रही समय पर रिपोर्ट करने की योजना में क्या खामियां हैं। आप उनमें सुधार किस तरह करेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : आंकड़े एकत्र करने की अपनी प्रणाली में सुधार करने का हम निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं। यह कार्य योजना मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय में किया जा रहा है। लेकिन हम इस प्रयोजनार्थ ही अपना क्षेत्र संगठन नहीं बना सकते। हमें इस कार्य के लिए राज्यों के सांख्यिकी संगठनों पर निर्भर करना पड़ता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप पिछले तीन-चार वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण को देखते तो आपको मालूम हो जाता कि फसलों के आंकड़ों में बार-बार तथा काफी परिवर्तन किये जाते हैं। कारण यह है कि दोनों सरकारी विभाग—जिनका उल्लेख मंत्री महोदय ने किया है—एक तो उनका अपना विभाग है जो कि पटवारी के निर्णय पर निर्भर है तथा दूसरा विभाग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था—अनुमान के विपरीत उत्पादन कर रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उनके मंत्रालय द्वारा फसलों के बारे में जो आंकड़े तैयार किये जाते हैं वे खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा तैयार किये जाने वाले अनुमानों से भिन्न होते हैं।

उन्होंने निरन्तर सुधार का उल्लेख किया है। क्या वह जानते हैं कि बहुत से विकसित देश अब फसलों की उपज के बारे में अनुमान लगाने के लिए उपग्रह का प्रयोग कर रहे हैं ? क्या उनके दिमाग में कभी यह विचार आया है कि उन्हें भी अब बैलगाड़ी युग में जीने की बजाए ऐसे आधुनिकीकरण पर विचार करना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : मेरे दिमाग में कई बार यह विचार उठा है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं हम समय पर रिपोर्ट देने के लिए शुरू में हीं आंकड़े एकत्र करते हैं। हम केवल 20 प्रतिशत गांवों के बारे में आंकड़े एकत्र करना चाहते हैं। जैसा कि मैं हहले कह चुका हूं, हमें राज्य सांख्यिकी संगठनों द्वारा दिए गए आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें सर्वेक्षण कार्य पर होने वाला 50 प्रतिशत व्यय ही पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है, जिसके पास अपने पर्यवेक्षण हैं और वे एकाध जांच से ठीक नमूने प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं। लेकिन आंकड़ों में जो अन्तर आ जाता है वह अधिकतर गलत रिपोर्ट के कारण नहीं बल्कि मौसम की अनिश्चितया के कारण होता है। उदाहरण के लिए शुरू में हमारा अनुमान बहुत अधिक हो सकता है लेकिन बाद में यदि मौसम अनुकूल नहीं होता है जैसे आंधी-तूफान, अत्यधिक बारिश, अथवा सूखा होता है तो हमें अपने पूर्व अनुमान को कम करना पड़ता है। यह इन कारणों से ही कभी-कभी राज्यों के मूल अनुमान को जो बहुत आशाजनक होते हैं, कम करना पड़ता है और इसी से अकसर डॉ० स्वामी जैसे सदस्य को कष्ट होता है।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उपग्रह के बारे में क्या विचार है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : बहुत से विकसित देश इसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उपग्रह भी भारत के बारे में सूचना देता है। हम अन्य देशों से प्राप्त सूचना का उपयोग करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप भी अन्तरिक्ष में जाना चाहते हैं। आइये।

श्री दलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री जी ने बताया है कि गांवों में क्रापकटिंग का सर्वे करवाते हैं और यह काम पटवारी को सौंपा जाता है। पटवारी मुखिया के यहां बैठ कर काम करता है और उसकी रिपोर्ट तैयार करता है। बहुत सारी राज्य सरकारें पैसा लेने के लिए गलत रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजती हैं। उससे सारे के सारे आंकड़े गलत बनते हैं और देश की इकानामी पर उसका फर्क पड़ता है। इस लिए मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस चीज को चैक करने के लिए आपके यहां कोई समिति है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हमने सोचा है कि किस तरीके से इसको चैक करें। स्टेट ने अगर अन्दाजा कम किया है या घटाया है, उसकी सही हालत मालूम करें। स्टेट्स को इसके मुताल्लिक लिखा है और हमने दूसरी स्टैटिसटिकल आर्गेनिजेशन्स से भी मदद माँगी है।

उर्वरकों की खपत

295 *275. श्री ए० के० रॉय : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों की खपत लक्ष्य से काफी कम रही है;

(ख) यदि हां, तो खाद्य उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं। वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान उर्वरकों की खपत निर्धारित लक्ष्य से 90 प्रतिशत अधिक हुई। 1981-82 में भी लगभग इतनी ही खपत होने की सम्भावना है।

(ख) खाद्यानों का उत्पादन उर्वरक, बीज, कीटनाशी औषधियों जैसे आदानों के प्रयोग के अलावा, कई घटकों अर्थात् मौसम, सकल सस्य क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्र, आदि के संयोजन पर निर्भर करता है। खाद्यान्नों के उत्पादन पर एक घटक अर्थात् उर्वरकों की खपत के प्रभाव की अलग से तथा ठीक-ठीक मात्रा में बताना सम्भव नहीं है।

(ग) सरकार ने उर्वरकों की खपत को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) घरेलू उत्पादन तथा आयात के जरिए उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर उनकी उपलब्धि सुनिश्चित करना।

(2) उर्वरकों के मूल्यों में हुई वृद्धि पर विचार करते हुए फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाकर उपयुक्त लागत-लाभ को सुनिश्चित करना।

(3) सारे देश में ब्लाक मुख्यालयों तक सरकारी खर्चे पर उर्वरकों की सुपुर्दगी।

(4) गहनता से अध्ययन किए जाने तक तदर्थ आधार पर 15-8-1981 से वितरण मार्जिन में करीब 22 प्रतिशत की वृद्धि करना।

(5) चुनिंदा जिलों में जहां खपत हो सकती है तथा इस समय खपत कम है, उर्वरकों की खपत बढ़ाने का अभियान तेज करना।

(6) आदानों, जिसमें उर्वरक भी शामिल हैं, का खरीद तथा वितरण के लिए राज्यों को दिए जाने वाले अल्पावधि ऋण को 1979-80 में 136 करोड़ रुपए से 1980-81 में 200 करोड़ रुपए तथा 1981-82 में भी 200 करोड़ रुपए करना।

(7) समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के तहत छोटे तथा सीमान्त किसानों को फास्फेटिक तथा पोटाशीय उर्वरकों पर 25 प्रतिशत तथा 33-1/3 प्रतिशत की दर से राज सहायता देना।

श्री ए० के० रॉय : इतने लम्बे उत्तर में जब आप इसके अन्त तक पहुंचेगे । इसे भूल जायेंगे । उर्वरक की खपत के तरीके से पेट के लिए भोजन के अतिरिक्त सोचने के लिए भी काफी मिसाला मिलता है ।

भारत में उर्वरक का सबसे कम उपयोग होता हैं । यदि मुझे ठीक से याद है तो इसकी खपत प्रति हेक्टयर केवल 17 किलोग्राम है जबकि चीन में यह पांच गुना से भी अधिक है । मन्त्री महोदय को इस बात पर प्रसन्नता है कि देश में उर्वरक की खपत संतोषजनक है । पिछले 25 वर्षों के दौरान, उर्वरक की खपत 43 गुना बढ़ गई है । हाल ही में इसमें मन्दी आई है तथा यह 25 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गई है । और इस वर्ष, मैं समझता हूं, यह पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

इसे ध्यान में रखते हुए, मैं अपना पहला पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो कि तीन भागों में विभाजित है । सर्वप्रथम 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 में उर्वरक की खपत का लक्ष्य कितना था और यह उर्वरक की वास्तविक खपत कितनी रही ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनकी तुलना लम्बे प्रश्न के साथ कर रहे हैं ?

श्री ए० के० रॉय : पूरक प्रश्न उत्तर के समानुपात में ही होना चाहिए ।

दूसरे वह बहुत महत्वपूर्ण है तथा यह आपके लिए भी मजेदार बात होगी कि कम उर्वरक के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इसकी तुलना में खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूँ की उत्पादन लागत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, क्योंकि आजकल यह मांग की जा रही है कि उन्हें अधिक मूल्य दिया जाना चाहिए और तीसरे जब कि हम कुछ बड़े मध्यम तथा छोटे उद्योगों को रियायते और अधिक सहायता दे रहे हैं , क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए उनका श्रेणीकरण किया जायेगा कि क्या वह बड़े, मध्यम श्रेणी के अथवा छोटे किसान हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब बड़े किसान कहा है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि इस समय देश में उर्वरक की खपत की राष्ट्रीय औसत 30-32 प्रति हैक्टेयर किलोग्राम से अधिक है, न कि 17 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर ।

श्री ए० के० रॉय : 1500 लाख हैक्टयर भूमि में खेती होती है किन्तु उर्वरक केवल 21 लाख मिलियन टन तैयार किये जाते हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य की ठीक सूचना नहीं मिली है । देश में पिछले 25-30 वर्षों में उर्वरक की खपत 70 गुना से भी अधिक बढ़ गयी है न कि 43 गुना, जैसा कि उनका अनुमान है । विकाशशील देश के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है ।

1978-79 के दौरान हमारा लक्ष्य 50 लाख टन का था और उपलब्धी हुई है 51.17 लाख टन जो निश्चित लक्ष्य का 102.3 प्रतिशत है । 1979-80 में हमारा लक्ष्य 58 लाखटन का था और वास्तविक खपत 52.55 लाख टन हुई जो कि लक्ष्य का 10.6 प्रतिशत था ।

1980-81 में 61 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और खपत 55.16 लाख टन की हुई जो निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 90 प्रतिशत से अधिक है।

1981-82 में 66 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और अनुमानित खपत 61.30 लाख टन रही जो निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 92 प्रतिशत है।

निस्संदेह मूल्यों में वृद्धि हुई है। जून में पहली बार लगभग 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

उर्वरकों के मूल्यों में पुनः लगभग 17.5 प्रतिशत वृद्धि हुई।

हम जानते हैं कि उर्वरक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है और उर्वरकों की खपत में कमी कुछ खुद हद तक मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई है।

उत्पादन लागत में वृद्धि के लिए हम किसानों को आर्थिक सहायता देने और उन्हें पूरा मुआवजा देने का प्रयत्न कर रहे है। मैं पहले भी कई बार इस बात को सदन में स्पष्ट कर चुका हूं।

जब भी ऊर्वरकों के मूल्य में वृद्धि होती है हम किसानों की क्षतिपूर्ति करने के लिए तदनुसार कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करना चाहते हैं।

खाद-अनाज का अनुपात 1 : 8 है अर्थात् यदि हम 1 किलोग्राम उर्वरक डालते हैं तो हमें 8 किलोग्राम अधिक खाद्यान्न प्राप्त होता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया।

श्री ए० के० रॉय : एक प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक ही प्रश्न में तीन प्रश्न पूछ लिए हैं। नहीं, नहीं। आपको दो पूरक प्रश्न पूछने थे लेकिन आप पहले ही तीन पूरक प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री ए० के० रॉय : आपको हमारा अधिकार नहीं छीनना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको अन्य लोगों का अधिकार नहीं छीनना चाहिए।

श्री ए० के० रॉय : सिर्फ एक प्रश्न पूछने दीजिए।

कृषि विकास पर दो दिवसीय राष्ट्रीय वर्कशाप का आयोजन किया गया था और उसने यह मत व्यक्त किया है कि पूर्वी क्षेत्र के बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा जैसे राज्यों की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र में उर्वरक की खपत अधिक है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि उन पूर्वी क्षेत्रों को, जहां कि उर्वरक की खपत कम है, विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा कम-से-कम उन क्षेत्रों को पश्चिम क्षेत्र के स्तर तक लाने का हर संभव प्रयत्न किया जायेगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने अपने मुख्य उत्तर में पहले ही बताया है कि उन राज्यों में उर्वरक संवर्धन कार्यक्रम चलाया गया है जहां इसकी खपत कम है।

श्री माधव राव सिन्धिया : उर्वरकों के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण किसानों पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु सीधी आर्थिक सहायता देने के अलावा हमें उर्वरकों का अधिक प्रभावी उपयोग द्वारा इसका उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

दि फार्टेलाइजर एसोसिएसन ऑफ इंडिया ने अनुमान लगाया है कि उर्वरकों का प्रयोग लगभग 50 प्रतिशत कम हो जाएगा।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार उर्वरकों का अधिक प्रभावी उपयोग करने में किसानों को शिक्षित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है।

क्या इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई गहन अभियान की योजनाएं हैं। जैसा कि मन्त्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि ऐसे चुने हुए जिलों में गहन उर्वरक संवर्धन अभियान चलाया जायेगा जहां उर्वरकों के उपयोग की संभावना है और साथ जहां उसकी खपत कम है।

मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगा कि गहन उर्वरक संवर्धन अभियान उन स्थानों पर चलाया जाना चाहिए जहां न केवल उर्वरक की खपत कम है अपितु जहां इसकी खपत अधिक है ताकि उर्वरकों को अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सके।

क्या गहन उर्वरक अभियान के अन्तर्गत केवल चुने हुए जिले लाये जायेंगे या समूचे देश को जहां कभी भी उर्वरक की खपत कम है इसके अन्तर्गत लाया जायेगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को शिक्षित करने की ओर हमने विशेष ध्यान दिया हुआ है और हम दौरा पद्धति का भी अनुसरण कर रहे हैं।

हमारे यहां कृषि विधान केन्द्र हैं।

हम किसानों को प्रशिक्षण देते हैं।

हम देश में कृषि मेला का भी आयोजन कराते हैं।

हम अपने फील्ड स्टाफ, ग्राम सेवकों और अन्य के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन करते हैं। वे गांवों में जाकर किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं।

मैं माननीय सदस्य के इस कथन से सहमत हूं कि किसानों को इस बात की शिक्षा देनी चाहिए कि उर्वरकों को प्रभावी उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसके लिए भी काम करते हैं आप हमें धन्यवाद क्यों नहीं देती हैं।

श्री मेरावदन के० गधावी : हम सबका जो कृषि से सम्बन्धित हैं, अनुभव यह रहा है कि मिट्टी के उचित रूप को बनाए रखने के लिए न केवल अजैविक खाद अपितु जैविक खाद की भी आवश्यकता है। अजैविक खाद के अधिक प्रयोग से कभी-कभी मिट्टी की किस्म में गिरावट आती है। जहां तक जैविक खाद का सम्बन्ध है हमारी यह चिन्ता है कि हम गोबर आदि गला रहे हैं। बड़े नगरों में कूड़ा करकट से कंपोस्ट खाद और अन्य किस्म के खाद तैयार किए जाते हैं और पहले बड़े नगरों से कंपोस्ट खाद की ढुलाई में किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती थी परन्तु पिछले तीन या चार वर्षों से यह आर्थिक सहायता बन्द कर दी गई है। मैं

जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों को यह कहने का है और खुद भी करने का है कि यदि किसान जमीन में प्रयोग हेतु जैविक खाद को बड़े नगरों से गांवों में ले जाते हैं तो उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए।

श्री बीरेन्द्र सिंह : यह कार्यवाही करने के लिए एक और सुझाव है जिसे हमने नोट कर लिया है।

जलपाईगुड़ी में बांध-परियोजना

*296. **श्री सुबोध सेन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलपाईगुड़ी में द्वितीय बांध परियोजना सम्बन्धी पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार ने अभी तक अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो उस असाधारण विलम्ब के क्या कारण है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख)

"बांध परियोजना" को 1973-74 में 9 बांध आरक्षित स्थलों से आरम्भ किया गया था। 1978-79 में इसमें 2 और आरक्षित स्थलों को शामिल किया गया था। छठी योजना में बांध आरक्षित स्थलों के तहत और अधिक क्षेत्र को लाने के प्रस्ताव को सरकार ने नवम्बर, 1981 में अन्तिम रूप से स्वीकृति दी थी। जलपाईगुड़ी जिले में द्वितीय बांध आरक्षित स्थल की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव सहित राज्यों से इस प्रयोजन के लिए प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर इसके बाद ही विचार किया जा सकता था। पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह बांध आरक्षित स्थल की स्थापना के लिए भेजे गए अपने प्रस्ताव को स्वीकृत मानदण्डों के अनुरूप फिर से तैयार करें। अत: देरी होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता।

श्री सुबोध सेन : मंत्री महोदय, ने बताया है कि छठी योजना में बांध आरक्षित स्थल में और क्षेत्र लाने के बारे में अन्तिम तौर पर अनुमोदन सरकार द्वारा नवम्बर, 1981 में दिया गया है और इसके बाद इस प्रयोजन हेतु राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। क्या वह यह बताएंगे कि क्या राज्यों को अपने प्रस्ताव छठी योजना को अन्तिम स्वीकृति देने से पूर्व देने के लिए कहा जाएगा, और क्या ऐसे प्रस्ताव भेजने के लिए कोई निर्धारित तिथि नियत की गई है, और किन राज्यों ने निर्धारित तिथि से पूर्व अपने प्रस्ताव भेजे थे।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : जैसा कि मैंने पहले ही सूचित किया है कि इस प्रस्ताव को केवल नवम्बर, 1981 में स्वीकृति दी गई थी और इसे 1982-83 में छठी योजना में लिया जाएगा। परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार अभी भी हमारे प्रस्ताव पर विचार कर रही है हमने उन्हें 300 वर्ग किलोमीटर का आन्तिरिक क्षेत्र देने को कहा है जो बांध परियोजना के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। उन्होंने पहले केवल 194 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दिया और फिर बाद में 234 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दिया। आन्तरिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। माननीय सदस्यों को इसे जानने में रुचि होगी। आन्तरिक क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि शिकार भक्षी जानवर, अन्य

जीवों के लिए 300 वर्ग किलोमीटर की आवश्यकता होती है जहां शाकाहारी जानवरों को पैदा किया जायेगा क्योंकि घास आदि खाने वाले शाकाहारी जानवर बांधों के लिए भोजन का काम देते हैं। इसलिए 300 वर्ग किलो मीटर का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। 7 या 8 राज्य सरकारों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं परन्तु एक या दो को छोड़कर किसी ने 300 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र देने की पेशकश की है। इसलिए विलम्ब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से है न कि केन्द्रीय सरकार की ओर से।

श्री सुबोध सेन : मैं जान सकता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस परियोजना को लागू करने के लिए 16 लाख रुपये की मांग की है ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : जी नहीं, उन्होंने इसके लिए मांग नहीं की है फिर भी यह धन दिया जाएगा। इस समय इसका प्रश्न नहीं है।

श्री सुबोध सेन : यदि इसे केन्द्रीय सरकार की अनुमति मिल जाती है तो क्या वह इस धन को देने के लिए तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह काल्पनिक प्रश्न है। अगला प्रश्न।

पौधों का संरक्षण-विज्ञान कांग्रेस की सिफारिशें

*298. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी में वाराणसी में विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो पौधों के संरक्षण के लिए विज्ञान कांग्रेस की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों के आधार पर उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्तिमंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह): (क) भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 68वां अधिवेशन जनवरी, 1981 में वाराणसी में हुआ था।

(ख) तथा (ग)

एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने जनवरी, 1981 में वाराणसी में आयोजित अपने 68वें अधिवेशन में पौधों के रक्षण के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की थी :—

(1) जहां तक व्यवहार्य हो, कीटों के जैविक नियंत्रण से कीट-नाशियों, कृमिनाशियों तथा कवकनाशियों के व्यापक उपयोग को बदला जाना चाहिए। कृमिनाशी अवशिष्टों के सम्बन्ध में विभिन्न एजेंसियों से उपलब्ध आंकड़ों को उपयोग में लाया जाना चाहिए।

(2) किसानों को अपनी फसलों तथा फलोद्यानों में कीटनाशियों के विवेकपूर्ण उपयोग का आवश्यकता के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।

(3) क्लोरिनेटिड हाइड्रोकार्बन्स जैसे तीखे कीटनाशियों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।

(ग) भारत सरकार ने किसानों को अच्छी क्वालिटी के कृमिनाशियों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशियों के प्रतिस्थान तथा किसानों को कृमिनाशियों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) कीटों एवं कृमियों के जैव-नियंत्रण से सम्बन्धित एक योजना चौथी पंचवर्षीय योजना से क्रियान्वित की जा रही है। कीटों एवं कृमियों के जैव-नियंत्रण के लिए पांच केन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा चालू योजना में छह और केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। जैव नियंत्रण तरीकों से गन्ने, धान, कपास तथा फलों के कुछ रोगों की रोकथाम करना सम्भव हो सका है।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् 1977 से 14 केन्द्रों में फसल के कीटों तथा खरपतवारों के जैव नियंत्रण से सम्बन्धित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना क्रियान्वित कर रही है। रोग एवं कीटरोधी फसलों की किस्मों के संबंध में अनुसंधान तथा विकास कार्य, परिषद के फसल अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्व-विद्यालयों तथा बहु-स्थानीय अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं का एक अभिन्न अंग रहा है।

(3) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत बिना पंजीयन के किसी भी कीटनाशी के विनिर्माण, आयात अथवा विपणन की अनुमति नहीं है। पंजीकरण किए जाने से पूर्व कीटनाशियों के जैविक प्रभाव तथा सुरक्षा से सम्बन्धित घटकों की कड़ी जांच की जाती है। क्लोरिनेटिड हाइड्रोकार्बन ग्रुप के कुछ तीखे कीटनाशियों का चयन किया गया है तथा ऐसे कीटनाशियों के उपयोग पर कड़े प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं।

(4) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में चावल तथा कपास के कीटों और ज्वार फार्मिंग पद्धति में लगने वाले "हवाईट ग्रब" के समेकित नियंत्रण के लिए विशेष प्रचालनात्मक अनुसंधान परियोजनाएं क्रियान्वित की हैं।

(5) कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत वनस्पति-रक्षा, संगरोध एवं संचयन निदेशालय ने किसानों में समेकित कीट प्रबन्ध की प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनों का आयोजन किया है। यह प्रौद्योगिकी कीटनाशियों के विवेकपूर्ण, न्यूनतम तथा समय पर उपयोग करने पर बल देती है।

श्री सन्तोष मोहन देव : वाराणसी में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन में तीन महत्वपूर्ण बातों की सिफारिश की गई थी यथा (एक) कीटों का जैविक नियंत्रण, (दो) किसानों को कीटनाशी औषधियों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए, और (तीन) तीखे कीटनाशियों के प्रयोग पर रोक लगाने हेतु एक कानून बनाया जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि जैविक नियंत्रण हेतु छह और केन्द्र चालू योजना में स्थापित किए जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि

यह छह नए स्टेशन कहां स्थापित किए जाएंगे ? जहां तक उन्होंने जो नया कानून बनाने की सिफारिश की है । मंत्री महोदय ने 1968 के एक कानून यथा 1968 का कीटनाशी अधिनियम का उल्लेख किया है । विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन 1981 में हुआ था । कांग्रेस ने 1968 के कानून पर विचार करके कहा कि हानिकारक कीटनाशियों के उत्पादन को रोकने के लिए यह पर्याप्त नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विज्ञान कांग्रेस की सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए सरकार क्या कानून बनाने जा रही है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने विवरण में जो जानकारी दे सकता हूं वह दे दी है। यह एक लंबा विवरण है । बहुत बड़ी संख्या में स्टेशन है । यदि माननीय सदस्य उन सबके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उनके नाम पढ़ सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे स्वयं क्यों नहीं पढ़ लेते ।

राव बीरेन्द्र सिंह : अनेक केन्द्र हैं—बंगलौर, फरीदाबाद, गोरखपुर, हैदराबाद, श्रीनगर, सोलन, बर्दवान·····

अध्यक्ष महोदय : आप यह उन्हें दे दें ।

श्री संतोष मोहन देव : मेरा दूसरा प्रश्न यह है सूची में जो आप पढ़ रहे हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी केन्द्र का नाम है ? यदि हां, तो उसका नाम बताएं·····पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक भी केन्द्र नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बताएं कि आपकी किस केन्द्र में रुचि है । आप उसका नाम बताएं ।

श्री सन्तोष मोहन देव : क्या मंत्री महोदय केन्द्र का चयन करते समय कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को भी ध्यान में रखेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं निश्चय ही उनके सुझावों पर विचार करूंगा ।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा बिहार में शीतागारों का निर्माण

299. **श्री रामविलास पासवान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा अगले पांच वर्षों में बिहार में 35 सहकारी शीतागार बनाने की कोई योजना है और क्या इन शीतागारों का निर्माण बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, पटना (बिसकोमान) के माध्यम से किया जाएगा;

(ख) क्या अन्य राज्यों में स्थानीय सहकारी समितियों को सहकारी शीतागारों के निर्माण के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से सीधी वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ग) क्या बिहार में सहकारी शीतगारों के निर्माण के लिए सैकड़ों समितियां पंजीकृत हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार निगम को निदेश देगी कि वह सहकारी बैंकों के माध्यम से समितियों को सीधे ऋण दिए जाने की व्यवस्था करे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्तिमंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विश्व बैंक ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को उस योजना के क्रियान्वयन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ऋण मंजूर किया है, जिसके तहत छः राज्यों में 127 शीतागारों के निर्माण के लिए सहकारी समितियों की सहायता दी जा रही है। इसमें 1981-82 से लेकर 1983-84 तक की अवधि के दौरान बिहार में बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा स्थापित किए जाने वाले 17 शीतागार भी शामिल हैं।

(ख) बिहार में शीतागारों के निर्माण के लिए बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ को सीधी ऋण सहायता दी जा रही है, जबकि विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत आने वाले अन्य पांच राज्यों के मामले में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम शीतागारों का निर्माण करने वाली सहकारी समितियों को सीधी सहायता न देकर सहकारी बैंकों के माध्यम से सहायता दे रहा है।

(ग) सहकारी समितियों का पंजीयन बिहार के राज्य सहकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। शीतागारों की स्थापना के लिए पंजीकृत सहकारी समितियों की संख्या के बारे में नवीनतम सूचना राज्य सरकार से अभी प्राप्त होनी है।

(घ) विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत वर्तमान योजना के अन्तर्गत, बिहार के लिए सभी 17 शीतागारों की स्थापना बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा ही की जानी है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ को सीधी सहायता दी जा रही है, क्योंकि राज्य सहकारी बैंक अपेक्षित पात्रता का मानदण्ड पूरा नहीं करता है। तथापि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अपनी सामान्य योजना के अन्तर्गत शीतागारों की स्थापना के लिए राज्य सरकार के माध्यम से प्रारम्भिक स्तर की सहकारी समितियों को उनकी तकनीकी सम्भाव्यता और आर्थिक क्षमता के अनुसार सहायता देने पर विचार कर सकता है।

अतः राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को निर्देश जारी करने का प्रश्न नहीं होता।

श्री रामविलास पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब के भाग 'ख' में बताया है, कि बिहार में शीतागारों के निर्माण के लिए बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ को सीधी ऋण सहायता दी जा रही है, जबकि विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत आने वाले अन्य पांच राज्यों के मामले में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम शीतागारों का निर्माण करने वाली सहकारी समितियों को सीधी सहायता न देकर सहकारी बैंकों के माध्यम से सहायता दे रहा है।

आगे उन्होंने कारण में बताया है कि "क्योंकि राज्य सहकारी बैंक अपेक्षित पात्रता का मानदण्ड पूरा नहीं करता है।" बिहार में पूरा नहीं करता है, यह बात इन्होंने अपने जवाब में बताई है।

तो मैं माननीय मंत्री मसोदय से जानना चाहता हूं कि बिहार कोआपरेटिव बैंक आपके कथनानुसार ठीक काम नहीं कर रहा है और दूसरे राज्यों में ठीक काम कर रहा है, यही अर्थ है

न। बिहार कोआपरेटिव बैंक ठीक काम नहीं कर रहा है तो आपको अभी इस बात का पता लगाने की कोशिश की है कि बिहार कोआपरेटिव बैंक क्यों ठीक काम नहीं कर रहा है और दूसरी तरफ जिन संस्थाओं की तरफ से आप दे रहे हैं "बिस्कोमान" वह अच्छा काम कर रहा है, यह आपको कैसे पता चल गया ?

राव बीरेन्द्र सिंह : आनरेबल मेंबर को इस बात से इत्तफाक नहीं है। जैसे उन्होंने यह पता लगाया है कि वह ठीक काम कर रहा है, वैसे ही मुझ को भी पता लगा है कि वह ठीक काम कर रहा है। "बिस्कोमान" वही काम कर रहा है जो स्टेट कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से हो सकता है। बिस्कोमान को सीधा कर्जा देने से, असिस्टैंस देने से एक फायदा यह होता है कि एक इन्टरमिडियरी घट जाता है और इस तरह से दूरी नहीं होती है।

श्री रामविलास पासवान : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि बिस्कोमान बड़े-बड़े लैंडलार्डज का संगठन है, छोटे किसानों का नहीं है ? क्या मंत्री महोदय को यह भी मालूम है कि बिस्कोमान ज्यूट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया का एजेंट है ? क्या यह भी सच है कि ज्यूट छोटे किसानों से सीधे नहीं खरीदा जाता है और खरीदा जाता है तो मीडिएटर के माध्यम से, मिडलमैन से और बाद में जाकर अधिक दाम की मुहर लगाकर मार्किट में इसको बेचता है ? आपने सीधे ही रूल आउट कर दिया है और उसी तरह से कर दिया है कि जैसे मैंने हां कहा और आपने न कह दिया था मैंने हां कहा और आपने न कह दिया। यह तो कोई तर्क न हुआ···

अध्यक्ष महोदय : अगर इस रोल के बारे में समझौता हो जाए आप में तो कोई और जरूरत रह जाएगी ?

श्री रामविलास पासवान : यह जो एलीगेशन मैंने लगाया है कि कम दामों पर मिडलमैन खरीदता है और बिस्कोमान अधिक दामों पर बेचता है, क्या इसकी जांच आप करवाएंगे ?

छोटे-छोटे किसान जिनके लिए कोल्ड स्टोरेज बनने वाले हैं और इनके लिए पैसा मिलने वाला है—सतरह कोल्ड स्टोरेज के लिए बिहार के वास्ते वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलने वाला है—अगर छोटे-छोटे किसान कोओप्रेटिव बनाकर डायरेक्ट बैनिफिट लेना चाहे तो क्या आप उनको भी यह बैनिफिट देने के बारे में कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : बिस्कोमान के जरिए से जो कोल्ड स्टोरेज कायम किए जा रहे हैं ये वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत हैं, उसकी एप्रूवल से है। इसी वास्ते बिस्कोमान को बीच में लाया गया है। अगर किसान लोग भी सीधे कोओपरेटिव बनाकर के स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से आना चाहें और शर्तें जितनी हैं उनको पूरा करे तो कोई आपत्ति नहीं है उसे मदद करने में।

श्री रामविलास पासवान : जैसी आई वाला जो मैंने चार्ज लगाया है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : चार्जिज तो आप लगाते ही रहते हैं। हर एक के जवाब की जरूरत नहीं। आदत आप की है।

वनस्पति के मूल्य में वृद्धि

*301. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति के मूल्य में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी ओर उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस वृद्धि के बाद (राज्य वार) प्रति पैकेज कितना मूल्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आदानों, विशेषकर राज्य व्यापार निगम द्वारा वनस्पति उत्पादकों को दिए जाने वाले खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि होने तथा वनस्पति के उत्पादन के लिए आयातित तेलों के अनुपात में कमी करने के कारण वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि की गई है। वनस्पति उत्पादकों की दो एसोसियेशनों ने मूल्य नियंत्रण बरतने की घोषणा की है, जिसके अनुसार वे 16-5 किलो-ग्राम के टीन का, उत्पादन शुल्क सहित, अधिकतम कारखाना मूल्य, अप्रैल, 1981 में घोषित 192 रु० के पहले मूल्य की तुलना में 217 रु० पर रखने को राजी हो गए हैं। छोटे पैकों के मूल्य भी इस मूल्य के अनुरूप नियत किये जाने हैं। यह व्यवस्था देश भर में लागू है।

श्री नवीन रवाणी : मैंने मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर को देखा है। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि आदानों विशेषकर राज्य व्यापार निगम द्वारा वनस्पति निर्माताओं को सप्लाई किए जाने वाले आयातित खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि होने और वनस्पति के निर्माण में आयातित तेल के अनुपात में कमी के कारण वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि कितनी मात्रा में आयातित खाद्य तेल की मात्रा में कमी की गई है ? क्या यह सत्य है कि लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर पैक में वनस्पति नहीं मिल रहा है ? क्या सरकार ने निर्माताओं अथवा उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही की है जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर वनस्पति के पैक नहीं बेच रहे हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कहां पर कौन से किस्म के वनस्पति की कीमतें ज्यादा चार्ज हुई हैं, जब तक यह पता नहीं हो और यह न बताया जाए मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल है और यह बताना मुश्किल है कि किस के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। दर्जनों वनस्पति मिलें हैं। हर एक का अलग-अलग मार्किट में बिकता है। दर्जनों वनस्पति मिलें हैं, हरेक का अलग-अलग मार्क का वनस्पति है, मुख्तलिफ जगह उनके एजेन्ट हैं, कहीं गड़बड़ी हो सकती है, कहीं कीमत ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। यह मैं इन्कार नहीं करता कि बिल्कुल फिक्स प्राइस पर सब जगह मिल रहा है लेकिन जहां से कोई शिकायत आए, हम उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। वनस्पति

मिलों की इम्पोर्ट की आयल सप्लाई बन्द कर देंगे, दूसरी कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी शिकायत कोई है तो आनरेबल मेम्बर लिखकर भेजें।

वनस्पति की इम्पोर्ट में कितनी कमी हुई है, कितना साल भर में आयेगा, यह मैं इस वक्त नहीं बता सकता और न ही बताना उचित समझता हूं क्योंकि यह बताने से कि कितना वनस्पति इस साल मंगायेंगे, किस कीमत पर कहां से मंगायेंगे, इसमें एस० टी० सी० को दिक्कतें पड़ जाती हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केरल में पेय जल परियोजनाएं

*292. श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पीने के पानी की सप्लाई से सम्बन्धित ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं, जो भारत सरकार अथवा इसकी किसी एजेन्सी द्वारा वित्तपोषित है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो कार्यान्वयन में हुई प्रगति के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और इस प्रयोजन के लिए निधियां राज्य योजनाओं में दी जाती हैं। तथापि समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए स्वच्छ पेय जल की पूर्ति के लिए राज्य सरकारों के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में दिए गए संसाधनों की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति के कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जलपूर्ति परियोजनाओं का वास्तविक तथा वित्तीय मूल्यांकन

केरल-राज्य (राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना पर आधारित)

वर्ष	त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम				न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम			
	वास्तविक प्रगति		वित्तीय प्रगति		वास्तविक प्रगति		वित्तीय प्रगति	
	पेय जल मुहैया कराए गए समस्याग्रस्त गांवों की संख्या	जन संख्या (लाखों में)	कार्यों के लिए दी गई विधियां (लाख रुपयों में)	उपयोग में लाई गई विधियां	पेय जल मुहैया कराए गए समस्याग्रस्त गांवों की संख्या	जन संख्या (लाखों में)	नियतन की गई विधियां (लाख रुपयों में)	उपयोग में लाई गई विधियां
1977-78	6*	0.26	100.00	पूर्ण उपयोग	14*	1.52	106.67	पूर्ण उपयोग
1978-79	12*	0.78	275.00	226.88	3*	0.43	215.05	—वही—
1979-80	13*	1.06	282.35	265.82	6*	0.85	350.20	259.03
1980-81	25*	1.30	328.40	323.38	53*	1.18	694.00	411.74
1981-82	22* (दिसम्बर, 1981 तक)	1.47 (दिसम्बर, 1981 तक)	526.25	222.499 (दिसम्बर, 1981 तक)	48* (दिसम्बर, 1981 तक)	उपलब्ध नहीं है	676.00	202.24 (दिसम्बर, 1981 तक)

*आंशिक रूप से पेय जल मुहैया कराया गया।

प्रसाद नगर में डी० डी० ए० के फ्लैटों में प्रयोग की गई सामग्री

*293 श्री बापूसाहिब परूलेकर :

श्री जगपाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनका ध्यान 31 जनवरी, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सबस्टेन्डर्ड मैटीरियल यूज्ड इन प्रसाद नगर डी० डी० ए० फ्लैट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गहन जांच के बाद केन्द्रीय सतर्कता आयोग इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि प्रसाद नगर में डी० डी० ए० के फ्लैटों के निर्माण के लिए प्रयोग में लाई गई भवन सामग्री घटिया है और निर्धारित मानदण्डों से निम्न स्तर की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस कार्यकारी अभियन्ता को, जिसने उपरोक्त फ्लैटों का निर्माण कराया था "क्वालिटी कट्रोल एक्जीक्यूटिव इंजीनियर" के रूप में नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ठेकेदार का नाम काली सूची में शामिल करने तथा इस मामले से सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारियों को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा भविष्य में ऐसे मामले न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी निरीक्षक संगठन ने दीवार पलस्तर से सीमेंट मसाले के कुछ नमूने; कुर्सी सुरक्षा से सीमेंट कंक्रीट के, तथा मध्यम आय वर्ग के दो फ्लैटों से फ्लसडोर सटरों के नमूने लिए । ये नमूने विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाए गए थे ।

(ग) वर्तमान कार्यपालक इंजीनियर (कोटि नियन्त्रण की कार्यकाल के दौरान प्रसाद नगर के 352 मध्यम आय वर्ग मकानों की योजना के बारे में निर्माण कार्य का केवल एक भाग निष्पादित किया गया था ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, ठेके की शर्तों पर ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर कमियों को सुधारने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तकनीकी परीक्षक की रिपोर्ट भी जो जांच की है तथा वह मुख्य तकनीकी परीक्षक के साथ आगे परामर्श की प्रक्रिया में है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि फ्लैट अनुमोदित नक्शों तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार बनाए जाते हैं तथा फ्लैटों की आबंटियो को सुपुर्दगी के समय पर उनके द्वारा बताई गई त्रुटियां, यदि कोई हो तो बिना आबंटी पर अतिरिक्त मूल्य डाले सुधारी जाती हैं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि इसके कोटि नियन्त्रण स्कंध द्वारा निर्मित मकानों की कोटि सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच की जाती है ।

आंध्र प्रदेश को चीनी का आवंटन

*297. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार राशनिंग क्षेत्र में चीनी की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी कठिनाइयों के बारे में केन्द्र पर जोर देती रही हैं, क्योंकि चीनी की सप्लाई आवश्यकता से बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मांग कितनी है और सप्लाई में कितनी कमी है;

(ग) इस सप्लाई के आवंटन का आधार क्या है और इसका निर्धारण कब किया गया था ; और

(घ) क्या सरकार ने उसके बाद जनसंख्या में हुई वृद्धि का ध्यान रखी है और क्या बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए आवंटन में वृद्धि की जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : जून, 1981 में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने लेवी चीनी की अपनी आवश्यकता 27,000 मीटरी टन प्रति मांस बतायी थी। तथापि, राज्यों के लिए लेवी कोटे अखिल भारत मानदण्ड के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और न कि राज्य के मूल्यांकन के संदर्भ में निर्धारित किए जाते हैं। इस आधार पर, आन्ध्र प्रदेश को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए 20,882 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा आवंटित किया जा रहा हैं।

आन्ध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के लेवी चीनी के वर्तमान मासिक कोटे 1-4-1978 को परियोजित जनसंख्या के लिए 425 ग्राम की प्रति व्यक्ति उपलब्धता पर आधारित है। ये कोटे दिसम्बर, 1977 से निर्धारित किए गए थे। पिछले 3-1/2 अथवा अधिक वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति उपलब्धता गिरकर तद्नुरूपी सीमा तक पहुंच गई है लेकिन लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता होने के कारण, जनसंख्या के अद्यतन आंकड़ों के संदर्भ में सभी राज्यों के कोटों में वृद्धि करता सम्भव नहीं हुआ है।

(घ) समान मानदण्डों के आधार पर राज्य वार लेवी चीनी के कोटों को बढ़ाने विषयक प्रश्न की वर्तमान चीनी वर्ष 1981-82 में चीनी के उत्पादन और उपलब्धता स्थिति की दृष्टि में जांच की जाएगी।

वनों की कटाई संबंधी नीति

*303. श्री अमर राय प्रधान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वनों की कटाई तथा लघु वन उत्पादकों के बारे में कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार को इस नीगि के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) भारत सरकार की नीति यह है कि वनों में वन उत्पादों की ठेके पर कटाई करने वाली एजेंसियों को समाप्त किया जाए ताकि इस कार्य में सीधे सम्बन्धित व्यक्तियों को लाभ पहुंच सके। भारत सरकार ने राज्य सरकारों से, जो कि वनों का प्रबन्ध करती हैं, अनुरोध किया है कि वनों की कटाई का कार्य जनजाति (मजदूर) सहकारी संस्थाओं, सहकारी समितियों या वन विकास निगमों के माध्यम से करवायें और किसी भी मामले में निजी व्यक्तियों को पट्टे पर न दें।

(ग) सरकार को इस नीति के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में नदियों के रास्तों को नियंत्रित करना

*304. श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करें कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में ऐसी कितनी नदियां हैं, जिन्होंने राज्य की लाखों एकड़ भूमि का क्षरण किया है और क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो कब;

(ख) नदियों के रास्तों को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है, और इससे संबन्धित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इस कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस बारे में भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डे) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश में सतलुज, व्यास, रावी, घग्गर, चेनाब और यमुना तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा कटाव का खतरा होता है जिससे तट लाइनें, कृषि योग्य क्षेत्र और निवास स्थान प्रभावित होते हैं। क्षेत्रों को कटाव से सुरक्षित करने के लिए ठोकरों (स्पर्स), पुश्तों (रिवेटमेन्ट्स), रोक बांधों आदि जैसे उपाय किए गए हैं। राज्य सरकार ने, अपने द्वारा निर्धारित की गई प्राथमिकताओं के अनुसार लगभग 250 कटाव-रोधी स्की में प्रारम्भ की हैं।

गत पांच वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण और कटाव-रोधी निर्माण-कार्यों (अधिकांशत कटाव-रोधी निर्माण-कार्यों) पर वर्ष-वार वास्तविक व्यय निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	लाख रुपये
1976-77	9.00
1677-78	67.00
1978-79	
1979-80	149.00
1980-81	58.65

और सुरक्षित किया गया क्षेत्र 7000 हैक्टेयर है।

चंदन के वनों को गैर-वनिकी प्रयोजनों के लिए दिया जाना

*305. **श्री ई० बालानन्दन :**

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंदन की वन भूमि को गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए अन्धाधुन्ध तरीके से दिए जाने के कारण देश में चंदन उद्योग खतरे पड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण से हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस स्थिति में सुधार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो किस तरीके से ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) चंदन काष्ठ की वनभूमि को गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए अन्धाधुन्ध तरीके से नहीं दिया गया है। इसलिए देश में चंदन काष्ठ उद्योग के खतरे में पड़ने का प्रश्न ही नहीं होता,

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) और (घ) चंदन के प्राकृतिक क्षेत्र के अन्दर तथा उसके बाहर चंदन वृक्षों का रोपण करने के प्रयास किए जा रहे हैं और जिन रोगों से चंदन के वृक्ष शीघ्र प्रभावित होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए अनुसंधान किए जा रहे हैं।

गन्ने की देर से पेराई करने के कारण उत्पादन शुल्क में राहत

*306. **श्री मगनभाई बरोट :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गन्ने की देर से पेराई करने वाली चीनी मिलों को उत्पादन शुल्क में राहत देगी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने से सरकार को कितना अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होने की आशा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) गन्ने की भरपूर फसल की दृष्टि में, सरकार को आशा है कि गन्ने का पेराई कार्य गर्मी के महीनों तक चलता रहेगा ताकि यथा सम्भव अधिक से अधिक गन्ने की पेराई की जा सके। देर तक गन्ने की पेराई करने के लिए चीनी उद्योग को उत्पादन शुल्क में रिबेट देने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) चीनी के उत्पादन की मात्रा, रिकवरी, अवधि आदि जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती है और केवल उत्पादन शुल्क में रिबेट के कारण अतिरिक्त उत्पादन की मात्रा को अलग बनाना सम्भव नहीं है।

नई चीनी मिलें

*307. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1981 को उनकी राज्य-वार संख्या कितनी हैं; और

(ग) वर्ष 1981 के दौरान नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए जारी किए गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी हां। छठीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान, नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए 61 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। विवरण-1 सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें प्राप्त आवेदन-पत्रों राज्यवार संख्या बताई गई है।

(ग) विवरण-2 सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें वर्ष 1981 के दौरान नयी चीनी मिलें स्थापित करने के लिए जारी किए गए लाइसेंसों/आशय पत्रों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण-1

31 दिसम्बर, 1981 को नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए राज्यवार प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	12
2.	महाराष्ट्र	24
3.	पंजाब	9
4.	हरियाणा	3
5.	तमिलनाडु	2
6.	असम	1
8.	मध्य प्रदेश	3
8.	मणिपुर	1
9.	कर्नाटक	2
10.	गुजरात	1
11.	उड़ीसा	2
12.	दादर तथा नगर हवेली	1
	जोड़ अखिल भारत	61

विवरण-2

वर्ष 1981 के दौरान राज्यवार और क्षेत्रवार जारी किए गए लाईसेंस आशय पत्र को बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	प्राइवेट	सरकारी क्षेत्र/राज्य की अपनी	सहकारी	जोड़
1.	उत्तर प्रदेश	—	—	3	3
2.	पंजाब	—	—	1	1
3.	हरियाणा	—	—	3	3
4.	मध्य प्रदेश	—	—	1	1
5.	उडीसा	—	2	—	2
6.	महाराष्ट्र	—	—	9	9
7.	मणिपुर	—	1	—	1
जोड़	अखिल भारत	—	3	17	20

दिल्ली में मदर डेयरी द्वारा दूध के मूल्यों में वृद्धि

*308. **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदर डेयरी का दिल्ली में अपने दूध का मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके मूल्य में वृद्धि करने के क्या कारण है और कितना मूल्य बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) राज्य एजेंसियों को अदा किये जाने वाले दूध के अधिप्राप्ति मूल्य तथा स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण और बटर आयल के निर्गम मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण मदर डेरी मूल्य में संशोधन करने से सम्बन्धित ब्यौरे तैयार कर रही है। मदर डेरी की प्रबन्ध समिति ने, जो ऐसे मामलों पर निर्णय लेती है, अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। मदर डेरी के दूध के बिक्री मूल्यों में वृद्धि करने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आस्ट्रेलिया से आयातित गेहूं में कीटनाशक दवा मिला होना

3244. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री सत्य नारायण जटिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया से आयातित 7,50,000 टन गेहूं मनुष्यों के खाने के काबिल नहीं है और इसमें 'फेनिट्रोथिन" नामक जहरीली कीटनाशक दवा मिली हुई है;

(ख) क्या प्रयोगशाला की जांच से यह पता चला है कि एक किलोग्राम गेहूं में पांच से आठ किलोग्राम तक की मात्रा में कीटनाशक दवा मिली हुई है;

(ग) क्या एक किलोग्राम गेहूँ में 0.2 मिलीग्राम तक की मात्रा में कीटनाशक दवा के मिले होने से यह भारत में मनुष्यों की खपत के काबिल नहीं रखता;

(घ) क्या आस्ट्रेलिया के गेहूं बोर्ड ने खाद्य सचिव की अध्यक्षता वाले भारतीय अधिकारियों के दल को उक्त गेहूं में कीटनाशक दवा मिले होने के बारे में सूचित कर दिया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(च) किन अधिकारियों की सहमति से यह खरीदा गया; और

(छ) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (छ) जी नहीं। विभिन्न देश विभिन्न प्रकार की अनाज सुरक्षक दवाइयों का उक्त देशों में प्रचलित कीटाणुओं के दबाव के विरुद्ध उनकी प्रभावकारिता पर निर्भर करते हुए इस्तेमाल करते हैं। आस्ट्रेलिया अपने गोदामों में अनाज की सुरक्षा करने के प्रयोजन के लिए फेनीट्रोथियन का इस्तेमाल कर रहा है। इस सुरक्षक कीटनाशक के अवशेष के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा सहन सीमा 10 भाग प्रति दस लाख निर्धारित की गई है। आस्ट्रेलिया से इस समय आयात किए जा रहे गेहूं का लदान और भारतीय बन्दरगाहों पर पहुंचने के समय सामान्य कार्य-विधि के अनुसार अनाज सुरक्षक कीटनाशक के अवशेष की दृष्टि से विश्लेषण किया जाता है। पहुंचने के समय यह केवल एक और तीन भाग प्रति दस लाख के बीच होता है और यह भी सामान्य भण्डारण के दौरान नष्ट हो जाता है। जिस समय गेहूं खपत के लिए जारी किया जाता है, तब यह अवशेष स्तर गिरकर अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित सीमा जोकि 0.02 मिलीग्राम प्रति किलो है, के अन्दर रह जाएगा। आस्ट्रेलिया से आयात किए जा रहे गेहूं को बारीकी से जांच करने के बाद ही खपत के लिए जारी किया जाएगा।

दिल्ली की जहांगीरपुरी में सफाई की स्थिति

3245. श्री भीखा भाई : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे; कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की जहांगीरपुरी कालोनी के 'ए' ब्लाक में सड़कों, प्रकाश और सफाई की स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है;

(ख) क्या इन पुनर्वास कालोनियों में ये सुविधाए प्रदान करने की सरकार की नीति नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन मूल सुविधाओं को प्रदान न करने के लिए शीघ्र कोई उपाय करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जहांगीरपुरी पुनर्वास कालोनी में ब्लाक 'ए' में सड़कों का रख रखाव तथा अन्य स्वच्छता की स्थितियां संतोषजनक हैं। दिल्ली विद्युत प्रदाय

संस्थान ने सूचित किया है कि इस ब्लाक का पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा भावी उपभोगताओं द्वारा सामान्य वाणिज्य औपचारिकताओं को पूरा करने पर बिजली के कनेक्शन दिये जा रहे हैं। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने यह भी बताया है कि इस ब्लाक में स्ट्रीट लाइट की सुविधा पहले ही विद्यमान है और अनुरक्षण सन्तोषजनक ढंग से किया जा रहा है।

वनरोपण के लिए आवंटित धनराशि

3246. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी योजना के दौरान वनरोपण के लिए राज्यवार अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी स्वामीनाथन) : वनरोपण की योजनाओं के लिए छठी योजना के दौरान आवंटित राज्यवार धनराशि को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वनरोपण के लिए छठी योजना के दौरान आवंटित राज्यवार धनराशि का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(लाख रुपये) आवंटित धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	1030.38
2.	असम	790.19
3.	बिहार	1190.84
4.	गुजरात	7367.02
5.	हरियाणा	1273.92
6.	हिमाचल प्रदेश	1690.19
7.	जम्मू व कश्मीर	890.19
8.	कर्नाटक	1413.59
9.	केरल	797.69
10.	मध्य प्रदेश	3722.30
11.	महाराष्ट्र	3952.11
12.	मणिपुर	384.73
13.	मेघालय	296.73
14.	नागालैण्ड	319.66
15.	उड़ीसा	886.92
16.	पंजाब	1015.19
17.	राजस्थान	1551.84
18.	सिक्किम	286.73

19.	तमिलनाडु	5302.92
20.	त्रिपुरा	546.63
21.	उत्तर प्रदेश	7282.30
22.	पश्चिम बंगाल	1474.92
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	250.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	564.38
3.	चंड़ीगढ़	5.50
4.	दादरा तथा नगर हवेली	47.80
5.	दिल्ली	153.35
6.	गोवा, दमन तथा दीव	218.00
7.	मिजोरम	503.32
8.	पांडिचेरी	10.00
	कुल :	45219.59

कृषि पंडित और उद्यान पंडित के चयन का मानदण्ड

3247. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "कृषि पंडित" और "उद्यान पंडित" उपाधियों के लिए योग्य व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दो उपाधि विजेताओं के नाम पते क्या हैं, साथ ही उनमें से प्रत्येक ने उस वर्ष अथवा अवधि, जिसके लिए उसे उपाधि दी गई, के दौरान क्या योगदान दिया;

(ग) क्या उपाधि प्राप्त करने वालों को, कृषि और बागवानी में उन्नति हेतु अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए भविष्य में कोई प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार के; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में इस प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाएंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) (1) "कृषि पण्डित" पुरस्कार देने की प्रक्रिया अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिता के नियमों के अन्तर्गत, सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा धान, गेहूं, ज्वार और चने की फसलों के लिए आयोजित की जाने वाली राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम छः विजेताओं को भारत सरकार के विस्तार निदेशालय के पास भेजा जाता है । इन विजेताओं के अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त फसल की राज्यस्तर की फसल प्रतियोगिताओं में कम-से-कम एक हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी भी केवल 100 रुपये का सीधा-प्रवेश शुल्क देकर उक्त फसल की अखिल भारतीय फसल में अगले

वर्ष भाग ले सकते हैं। फसल विशेष के अखिल भारतीय विजेता को कृषि पण्डित की उपाधि दी जाती है। केवल तिलहनों और दलहनों को शामिल करने के लिए मौजूदा योजना में 1979-80 से संशोधन किया गया है। कुछ प्रशासनिक कारणों से संशोधित योजना का कार्यान्वयन शुरू नहीं किया जा सका है। 1979-80 से धान्य फसलों की अखिल भारतीय फसल प्रतियोगिताएं बन्द कर दी गयी हैं।

(2) "उद्यान पण्डित" पुरस्कार देने की प्रक्रिया :

भारत सरकार द्वारा 11 फलों के लिए आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय "उद्यान पण्डित" प्रतियोगिताओं के नियमों और प्रक्रिया के अन्तर्गत, सेव को छोड़कर; जिसके लिए दो राज्य काफी हैं, किसी फल के लिए कम-से-कम तीन राज्यों द्वारा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना आवश्यक है। फल विशेष की राज्य स्तर की प्रतियोगिता के प्रथम दो विजेता अखिल भारतीय स्तर पर विचार किए जाने के पात्र होते हैं। अखिल भारतीय स्तर के विजेता को उद्यान पण्डित का प्रमाण-पत्र दिया जाता है। वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान इन प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया गया था। 1978-79 के पुरस्कार विजेता और उनकी पैदावार इस प्रकार है :—

(ख) (1)	श्री चदा सत्यनारायण राव, गांव मोय्यूरू, तालुक तनुकू, जि० पश्चिम गोदवरी (आन्ध्र प्रदेश)	1978-79 के दौरान 18,239.065 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की सर्वाधिक धान की पैदावार करने में सफलता प्राप्त की।
	श्री हरजी भाई पटेल, गांव और डाकखाना रेल्लिआ, तालुक नखातराना, जिला कच्छ (गुजरात)	1978-79 के दौरान 7,983.90 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर गेहूं की सर्वाधिक पैदावार करने में सफलता प्राप्त की।
(2)	श्री हीरा भाई राजमजीभाई पटेल, गांव शोधावादार, डाकखाना बारतेज जिला-भावनगर (गुजरात)	ये नर्म काली मिट्टी वाले 3 एकड़ के अमरूद के एक बाग में परम्परागत ढंग की खेती व पम्प और कुओं व पानी की सिंचाई द्वारा अच्छे ढंग से रख-रखाव कर रहे थे। इन्हें वर्ष 1979-80 के लिए उद्यान-पण्डित का पुरस्कार दिया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

किसानों को सिंचाई हेतु दिए गए ऋण

*3248. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने, सूख की संभावना वाले क्षेत्रों में नए सिंचाई कुओं के लिए

छोटे किसानों को दिए गए भूमि विकास बैंकों के ऋणों के आर्थिक लाभों का अध्ययन करने के लिए राज्यवार कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इस प्रकार का सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) उनके मंत्रालय की दी गई रिपोर्ट के अनुसार राज्यवार मूल्यांकन के बारे में ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं। सिंचाई मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई अध्ययन नहीं किए गए थे।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोंकण, महाराष्ट्र में सहकारी चीनी फैक्ट्री

3249. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र के सिन्धुवदुर्ग जिले के सावंतवाडी तालुका में सहकारी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सहकारी चीनी फैक्ट्री का नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस फैक्ट्री के लिए अनुमति दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो अनुमति कब तक दे दी जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कावेरी बेसिन राज्यों के बीच वार्ता

*3250. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कावेरी बेसिन राज्यों की वार्ता के लिए आमंत्रित किया था।

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : जी, हां।

नहरों के नवीनीकरण के लिए बिहार की योजना

3251. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने राज्य की नहरों के नवीनीकरण की कोई योजना उनके पास भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रमान अंसारी) : (क) और (ख) बिहार से प्राप्त हुई स्कीमों, जिनमें नहर प्रणालियों के पुनर्रूपण/आधुनिकीकरण का प्रस्ताव किया गया है, के ब्यौरे को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) इन स्कीमों की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई है । केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा संशोधित परियोजना रिपोर्टें भेजी जानी हैं ।

विवरण

बिहार सरकार से प्राप्त पुनर्रूपण/आधुनिकीकरण की स्कीमों की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	लाभ हजार हेक्टेयर
(क) बृहद्			
1.	दुर्गावती नहर प्रणाली (रोहतास) का पुनर्रूपण तथा आधुनिकीकरण	1246.00	17.57
2.	करमनासा नहर पुनर्रूपण स्कीम (रोहतास)	704.00	उपलब्ध नहीं
3.	सोन नहर का आधुनिकीकरण (शाहबाद, पटना तथा रोहतास)	25244.00	443.00
4.	कांची सिंचाई स्कीम (रांची) का पुनर्रूपण	375.37	16.19

गेहूं आटा मिलों को पिसाई लाइसेंस जारी किया जाना

3252. श्री अनन्त रामुलु मल्लु :

श्री के० मालन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार गेहूं की रोलर फ्लोर मिलों को पिसाई लाइसेंस जारी करने के अधिकार राज्यों से लेकर अपने पास रखने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) रोलर फ्लोर मिल (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश, 1957 में 6-2-1982 को एक संशोधन जारी करके केन्द्रीय सरकार ने देश में गेहूं रोलर फ्लोर मिलों को पिसाई लाइसेंस जारी करने का अधिकार ले लिया है । केन्द्रीय सरकार ने पिसाई लाइसेंस स्थगित करने अथवा रद्द करने का अधिकार भी ले लिया है । तथापि, प्रतिवर्ष पिसाई लाइसेंसों के नवीकरण के अधिकार राज्य सरकारों के पास बने रहेंगे ।

नागालैंड में वनों का काटना

3253. **श्री चिंगवांग कोनयक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े पैमाने पर वनों के काटे जाने से नागालैंड के प्रसिद्ध वन समाप्त हो रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण लोग जलाने की लकड़ी के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काट रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो वनरोपण और अधिक पेड़ उगाने के लिए नागालैंड में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) नागालैंड में वनों का अधिकांश भाग निजी स्वामित्व में है जहां कम खेती की जाती है । इसके फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से वनों की कटाई की जाती है ।

(ख) ग्रामवासियों द्वारा जलाने की लकड़ी के लिए बड़ पैमाने पर पेड़ों के काटे जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) नागालैंड में छठी योजना अवधि के दौरान, विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं के तहत कुल 20,150 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का प्रस्ताव है ।

राजस्थान से प्राप्त सिंचाई योजनाओं का अनुमोदन

3254. **श्री कुम्भा राम आर्य :** क्या सिंचाई मंत्री अनुमोदन के लिए विचाराधीन राजस्थान की सिंचाई योजनाओं के बारे में 7-12-1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2447 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में क्रमांक 1 से 15 तक सूची में दी गई केन्द्रीय सरकार के पास अनुमोदन के लिए विचाराधीन योजनाओं में राजस्थान की किन सिंचाई योजनाओं को इस बीच अनुमोदित कर दिया गया है और इनका अनुमोदन किन तारीखों को दिया गया था; और

(ख) अनुमोदन के लिए अभी तक विचाराधीन पड़ी योजनाओं का ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) 7-12-81 के अतारांकित प्रश्न सं० 2447 के उत्तर में क्रम संख्या 1 से 15 में उल्लिखित स्कीमों में से कोई भी स्कीम अभी तक अनुमोदित नहीं हुई है । इन स्कीमों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	लाभ (हजार हेक्टेयर में)	केन्द्रीय जल आयोग में जांच की वर्तमान स्थिति/अनुमोदित न होने के कारण
1.	2	3	4	5
एक, नई स्कीमें				
क	बृहद् स्कीमें			
1.	लिफ्ट सिंचाई स्कीम, चम्बल परियोजना चरण-एक	1136.00	52.911	मध्य प्रदेश के साथ अन्तर्राज्यीय पहलू हल किए जाने हैं।
2.	बूंदी शाखा विस्तार चम्बल परियोजना चरण-एक	1600.00	38.171	
3.	मनोहर थाना, सिंचाई परियोजना	4540.82	37.967	
4.	नोहर सिंचाई	959.34	26.030	पंजाब और हरियाणा के साथ अन्तर्राज्यीय पहलू हल किए जाने हैं।
5.	सिद्धमुख सिंचाई	2595.15	55.357	
6.	मालवा सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	258.54	7.885 (जोड़)*	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के स्पष्टीकरण/ उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।
7.	गुधा सिंचाई परियोजना	225.50	10.697 (जोड़)*	
8.	मोरेल सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	1000.00	23.153 (जोड़)*	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के स्पष्टीकरण/ उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।
9.	जयसमन्द ताल का आधुनिकीकरण	625.00	11.398	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के स्पष्टीकरण/ उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।
10.	हरीश चन्द्र सागर	290.99	14.742	
11.	राजस्थान फीडर-गंग नहर	1247.00	—	
12.	गागरिन सिंचाई परियोजना	1160.74	10.926	
13.	नोहर सिंचाई परियोजना (राजस्थान फीडर से लिफ्ट)	990.15	22.326	
14.	गंग नहर का आधुनिकीकरण	675.00	59.00	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार आशोधित रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।
15.	भाखड़ा नहर का आधुनिकीकरण	3405.00	72.372	

*इनमें लाभों में मूल लाभ तथा आधुनिकीकरण के कारण होने वाले अतिरिक्त लाभ भी शामिल हैं।

जोतों का टुकड़ों में बंटने की घटनाओं में वृद्धि

3255. **श्री के० माल्लन्ना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में जोतों का टुकड़ों में बटने की घटनाओं में वृद्धि होने के कारण कृषि उत्पादकता गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लघु और सीमान्त तथा एक हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों की संख्या मालूम करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार है कि इससे कृषि उत्पादकता कम हो रही है और इससे ग्रामीणों के बीच में तीव्र आर्थिक और सामाजिक असामानता उत्पन्न हो रही है तथा आश्रित परिवारों के लिए अपनी आजीविका कमाना असंभव हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने, ऐसे परिवारों की सहायता करने के लिए जो आर्थिक दबाव में हैं और इस प्रकार उन्हें गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के लिए, कोई समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० गी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) सरकार ने 1970-71 तथा 1976-77 में कृषि संगणना की हैं, जिनसे लघु एवं सीमान्त (एक हैक्टयर से कम) प्रचालनात्मक जोतों की संख्या का पता चला है। 1976-77 के नवीनतम संगणना के अनन्तिम परिणामों से पता चलता है कि ऐसी जोतों की संख्या में 1970-71 की तुलना में वृद्धि हुई है।

हांलाकि लघु तथा सीमान्त जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है, परन्तु देश में कृषि की समग्र उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि हुई है। तथापि, प्राकृतिक परिस्थितियों तथा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में विभिन्नता होने के कारण भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता के स्तर भिन्न-भिन्न हैं, जिसके फलस्वरूप आय में अन्तर होता है।

सामान्य रूप से नई कृषि प्रौद्योगिकी को उत्पादन में आंका नहीं जा सकता है। उत्पादकता के स्तर भूमि एवं अवसंरचना में निवेश, आदानों के उपयोग तथा उपयुक्त पैकेज पद्धति को अपनाने पर निर्भर करते है। अतः उत्पादकता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कृषकों, विशेष रूप से लघु एवं सीमान्त किसानों को सहायता देने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें अनुसंधान एवं विस्तार सहायता, सिंचाई में विस्तार आदानों का वितरण तथा अधिक ऋण एवं राज सहायता के जरिए पूंजी निवेश में वृद्धि करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश के सभी ब्लाकों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि सबसे गरीब समुदाय को गरीबों की रेखा से ऊपर उठने के लिए सहायता दी जा सके। लाभानुभोगियों को अधिक आय देने वाले व्यवसायों को शुरू करने के लिए राज सहायता तथा ऋण देकर सहायता प्रदान की जाती है।

सिंचाई की कोटि और जल प्रबन्ध पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्य मंत्रियों का सम्मेलन

3256. **श्री एन० ई० होरो :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई की कोटि और जल प्रबन्ध के मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए सिंचाई राज्य मंत्रियों का कोई सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों के सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास से सम्बन्धित मंत्रियों का सम्मेलन 30 सितम्बर, 1981 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री ने की थी। इस सम्मेलन में बृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण, कमान क्षेत्र विकास और कार्यक्षम जल प्रबन्ध से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन में 12 संकल्प पारित किए गए, जिनमें पांचवें सम्मेलन में पारित किए गए संकल्पों पर की गई कार्रवाई की पुनरीक्षा, तथा 1980-81 और 1981-82 के कार्यक्रमों और प्रगति की पुनरीक्षा एवं 1982-83 के लिए कार्यक्षम, कार्यक्षम जलप्रबन्ध, राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण के कार्य में राज्यों के सहयोग, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों, इंजीनियरों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, आंकड़ों का आधार तैयार करने, सिंचाई कमान क्षेत्रों के जलनिकास, जल प्रबन्ध में आधुनिक तकनीकों को लागू करने, दुर्लभ सामग्रियों, व्यवहार्य अन्वेषणात्मक नलकूपों के अधिग्रहण और वन-भूमि को रिलीज करने की कार्यविधियों को जल्दी पूरा करने का उल्लेख किया गया था। इन संकल्पों में यह व्यवस्था की गई है कि जल के अधिक कार्यक्षम उपयोग और सिंचाई प्रणालियों के आयोयन, क्रियान्वयन और प्रचालन में आधुनिक तकनीकों को लागू करने की ओर और अधिक ध्यान दिया जाएगा। उनमें यह भी व्यवस्था है कि जलनिकास और बाढ़-नियंत्रण पर भी और अधिक ध्यान दिया जाएगा तथा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों को तेजी से क्रियान्वित किया जाएगा।

सान्झे स्थानों के लिए सामान्य सेवाओं का रख-रखाव

3257. **श्री धर्म दास शास्त्री :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (मकान सम्पदा की व्यवस्था और बिक्री) विनियम, 1968 के अन्तर्गत गठित रजिस्टर्ड एजेन्सियों से अपेक्षा की जाती हैं कि वे "सान्झे स्थानों के लिए सामान्य सेवाएं" प्रदान करेंगे;

(ख) क्या ये एजेंसियां अपना कर्तव्य पालन करने में असमर्थ हो गई है क्योंकि कुछ सदस्य अपनी-अपनी सम्बद्ध एजेंसी और डी० डी० ए० द्वारा अनेक अनुस्मारक देने के बावजूद मासिक सेवा प्रभारों का भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि डी० डी० ए० ने एजेंसी को मासिक सेवा मूल्यों का भुगतान करने के लिए एक भी दोषी आबंटिती को दंडित नहीं किया है; और

(घ) डी० डी० ए० दोषी व्यक्तियों से मासिक सेवा मूल्यों की बकाया धनराशि वसूल करके ग्रुप हाउसिंग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यद्यपि कुछ आबंटी अपनी बकाया राशि नियमित रूप से अभिकरणों को अदा नहीं कर रहे हैं फिर भी इसे किसी भी अभिकरण से निधियों की कमी के कारण कार्य न कर सकने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि भुगतान न करने के मामले में यह इस अनुरोध के साथ भुगतान न करने वालों को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिसों के अतिरिक्त पत्र जारी कर रहा है कि वे बकाया राशि का भुगतान करें।

(घ) भुगतान न करने वालों को पत्र जारी करने तथा सार्वजनिक नोटिसों के अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण भू-राजस्व की बकाया राशि की वसूली तथा भुगतान न करने के मामले में आबंटन निरस्त करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

उड़ीसा में सूखे के कारण धान की फसल को नुकसान

3258. **श्री के० प्रधानी :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को मालूम है कि उड़ीसा में इस साल खरीफ के मौसम में सूखे के कारण धान की फसल को बहुत क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित नुकसान कितना है;

(ग) उनके मंत्रालय ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्या राहत उपाय किये हैं;

(घ) राज्य सरकार और केन्द्र ने नुकसान पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) जी हां। उड़ीसा सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, वर्षा की प्रतिकूल प्रवृत्ति के कारण राज्य में अक्तूबर, 1981 के प्रथम सप्ताह के बाद की अवधि में सूखे का दौर जारी रहा जिससे राज्य के कुछ क्षेत्रों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। तथापि, राज्य सरकार ने सूचना दी है कि राज्य के लगभग सभी जिलों में अगेती और मध्यवर्ती धान की पैदावार की दर सामान्य अथवा सामान्य से थोड़ी कम रहने की आशा है, किन्तु धान की फसल की पछेती किस्मों को लगातार आर्द्रता के दबाव के कारण नुकसान पहुंचने की जानकारी मिली है। फसल कटाई के परीक्षण पूरे हो गये हैं और खरीफ फसलों को पहुंचे नुकसान की मात्रा के सम्बन्ध में आकड़े एकत्र किये जा रहे हैं।

(ग) उड़ीसा सरकार के पास 871 लाख रुपये की वार्षिक मार्जिन मनी है। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि सरकार फिलहाल इस मार्जिन धन राशि से राहत सम्बन्धी उपाय कर रही है और यदि आवश्यकता हुई तो उपयुक्त समय पर भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया जाएगा।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 के दौरान 14,000 मीटरी टन खाद्यान्न के आबंटन सहित 820.00 लाख रुपये की नकद सहायता का आबंटन किया है। इसके अतिरिक्त, किसानों के लिए कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए उड़ीसा सरकार को अल्पावधि ऋण के रूप में 500.00 लाख रुपये (300.00 लाख रुपये खरीफ के लिए और 200 लाख रुपये रबी के लिए) मंजूर किये गये।

(घ) से (ङ) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि उसने निम्नलिखित उपाय किये :—

(1) प्रभावित क्षेत्रों में धान के खेतों में पानी की सप्लाई करने के अधिक संख्या से उठाऊ सिंचाई केन्द्र मुहैय्या किए गए।

(2) किसानों को फसल बताने के लिए महत्वपूर्ण सिंचाई हेतु डीजल पम्पों की सप्लाई की गई और आवश्यकतानुसार क्रास बान्धों का निर्माण किया गया।

(3) जल की दरों पर 50 प्रतिशत तथा डीजल पम्पों के इस्तेमाल के लिए बढ़ी हुई वर्तमान दरों पर 75 प्रतिशत तक राज सहायता सुलभ कराकर सिंचाई दरों में रियायत दी गई।

(4) सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को रोजगार दिलाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निधि से श्रम-प्रधान निर्माण कार्य प्रारम्भ किए गए।

(5) उपकारों को निलम्बित करने की छूट और उनकी उगाही माफ करने की अनुमति दी गई है। सूखा प्रभावित गांवों को ऋणों के पुनः निर्धारण और अल्पावधि ऋणों को मध्यमावधि ऋणों में परिवर्तित करने का लाभ भी दिया जा रहा है, और

(6) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, जहां जल में कमी होने की सम्भावना है, पेय जल की सुविधा मुहैय्या की जा रही है।

जहां तक भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का सम्बन्ध है उसके लिए कृपया उपरोक्त भाग (ग) देखें। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता सुलभ कराई जाती है और हुई हानि की क्षतिपूर्ति इसमें शामिल नहीं होती है।

लम्बे रेशे के कपास के मूल्यों में गिरावट

3259. **श्री एच० एन० नान्जे गौड़ा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लम्बे रेशे के कपास के मूल्यों में गिरावट आई है और हाल में यह पिछले साल की इसी अवधि के मूल्यों से काफी कम है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थिति और खराब हुई है क्योंकि सरकार ने कृषि मूल्य आयोग द्वारा समर्थन मूल्यों की घोषणा नहीं की है;

(ग) क्या भारतीय कपास निगम ने बाजार में प्रवेश कर लिया है और अब तक कितनी वसूली हुई है; और

(घ) सरकार कपास के मूल्यों के गिरावट को रोकने और उत्पादकों को उनके उत्पादों के लाभप्रद मूल्यों के भुगतान को सुनिश्चित के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। पिछले वर्ष के दौरान विद्यमान मूल्यों की तुलना में चालू मौसम में लम्बे रेशे वाली कपास के मूल्य कम हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। निगम महाराष्ट्र के सिवाय कपास उगाने वाले सभी राज्यों के 171 केन्द्रों में खरीद शुरू कर चुका है। विभिन्न राज्यों से भारतीय कपास निगम द्वारा बनाई गई सभी किस्मों और लम्बे रेशे वाली कपास की खरीद को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) कपास के मूल्य गिरने शुरू हो गए हैं, अतः सरकार ने भारतीय कपास निगम को मण्डी में प्रवेश करने और बाजार समर्थन प्रदान करने के लिए खरीद शुरू करने की सलाह दी है। गुजरात राज्य सहकारी कपास विपणन संघ के अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक से संघ को कपास की खरीद बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था। उपलब्ध नवीनतम जानकारी से पता चलता है कि भारतीय कपास निगम ने 11 मार्च, 1982 तक कपास की लगभग 6,71 लाख गांठ कपास की खरीद कर ली थी। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ ने भी 2 मार्च, 1982 तक कपास की 11.33 लाख गांठों की खरीद कर ली थी। मण्डी से लम्बे रेशे वाली कपास की खरीद में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

कपास के 1981-82 के मौसम के दौरान भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद

(गांठें)

राज्य	लम्बे रेशे की कपास	सभी किस्में (लम्बे रेशे वाली कपास सहित)
पंजाब	—	1,73,905
हरियाणा	—	67,102
राजस्थान	—	1,18,927
गुजरात	62,000	74,644
मध्य प्रदेश	20,000	1,39,497
आन्ध्र प्रदेश	72,000	80,773
तमिलनाडु	4,850	5,103
कर्नाटक	8,900	10,006
उत्तर प्रदेश	—	247
	1,67,750	6,71,304

दिल्ली में धार्मिक और सामाजिक संगठनों को भूमि का आबंटन

3260. **श्री निहाल सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री धार्मिक और सामाजिक संगठनों को भूमि और भवनों के आवंटन के बारे में 14 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3598 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में धार्मिक और सामाजिक संगठनों को भूमि का आबंटन करने से सम्बन्धित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) इस विस्तृत सूचना के संकलन में कुछ और अधिक समय लगेगा ।

नन्दादेवी और गढ़वाल क्षेत्रों का राष्ट्रीय उद्यान के बतौर विकास

3261. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नन्दादेवी और गढ़वाल के फूलों की घाटी के क्षेत्र का राष्ट्रीय वनस्पति और जीव जनतुओं के प्रेक्षपण के लिए राष्ट्रीय उद्यान के बतौर विकास करने का एक प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंलालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार नन्दा देवी और फूलों की घाटी के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करने पर विचार कर रही है ।

आम के बागानों के लिए उड़ीसा को सहायता

3262. **श्री हरिहर सोरन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-82 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत उड़ीसा के पोडु से प्रभावित क्षेत्रों में आम के बागानों द्वारा कितने एकड़ भूमि शामिल किए जाने का विचार है;

(ख) उपरोक्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्रबन्ध के अन्तर्गत उड़ीसा को कितनी सहायता दी गई है;

(ग) आम बागानों के वृक्षों में अब तक लक्ष्य पूर्ति के लिए जिलावार उड़ीसा के पोड़ से प्रभावित क्षेत्रों में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 1981-82 के दौरान उड़ीसा में पोडु से प्रभावित क्षेत्रों में आम के पेड़ लगाने के लिए कोई विशेष केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है ।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के बारे में सर्वेक्षण

3263. श्री चिंतामणि जेना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान ग्रामीण ऋणग्रस्तता के बारे में, राज्यवार कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋणग्रस्तता दर्शाते हुए इन आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) ग्रामीण ऋणग्रस्तता सम्बन्धी सर्वेक्षणों का आयोजन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से प्रत्येक दस वर्ष पश्चात् अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण 1971-72 के दौरान किया गया था। इस समय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1982 तक 37 वें चक्र के भाग के रूप में चौथा सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के परिणाम कुछ वर्षों के बाद उपलब्ध होंगे।

(ख) सरकार ने ऋण-प्रवाह को उत्तरोत्तर संस्थागत करने के लिए गैर अनेक कदम उठाए हैं, ताकि ग्रामीण-निर्धन वर्ग की ऋण के लिए गैर संस्थागत साधनों पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम किया जा सके। संस्थागत साधनों के विशेष उत्पादक कार्यों के लिए ऋण सुलभ कराए जाते हैं और इनके अतिरिक्त आय का सृजन होता है।

आयातित तेल का विपणन

3264. श्री बी० वी० देसाई : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान आयातित तेल का पहली बार विपणन किया जाएगा और इसे व्यावसायिक दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना, वनस्पति उद्योग पर से दबाव को कम करने के प्रयास के रूप में शुरू की जा रही है;

(ग) क्या यह योजना चार महानगरों में प्रयोगात्मक आधार पर शुरू की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के कब तक शुरू होने की सम्भावना है; और

(ङ) क्या इस योजना के सफल होने पर सरकार इसे जारी रखने और अन्य राज्यों में शुरू करने के बारे में विचार करेगी;

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) चार महानगरों दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित खाद्य तेलों की सप्लाई, इनकी कुछ मात्रा को छोटे उपभोक्ता पैकों में बेचकर

बढ़ाने का प्रस्ताव है । यह योजना मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, जो सरकारी प्रबंध में कार्य कर रही एक कम्पनी है, द्वारा चलाई जा रही है । दिल्ली में ये उपभोक्ता पैक सुपर बाजार और सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बेचे जा रहे हैं । उम्मीद है कि इन पैकों की बिक्री से अन्य बातों के साथ-साथ, वनस्पति पर से दबाव कम हो जाएगा ।

(ग) व (घ) जी हां । यह योजना दिल्ली में प्रयोगात्मक रूप से शुरू की जा चुकी है और मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड इसे शीघ्र ही बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में भी लागू करने के लिए कदम उठा रही है ।

(ङ) इस योजना के कार्यकरण की समीक्षा शीघ्र ही करने का प्रस्ताव है ।

बिहार को पशुपालन विकास के लिए सहायता

3265. **श्री योगेन्द्र झा : क्या ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा बिहार में कुक्कुट पालन, सूअर पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि के लिए दी गई कुल अनुदान और सहायता राशि कितनी है और किस अनुपात में, तथा पिछले तीन साल के दौरान जिलावार उपयोग का ब्योरा क्या है; और

(ख) दरभंगा और मधुबनी के जिलों में उपर्युक्त कामों में कुल कितने लोगों ने प्रशिक्षण लिया है या ले रहे हैं और उनमें से कितने लोगों ने अपने रोजगार के लिए अपना फार्म शुरू कर दिया है ।

कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राज्य सरकार को मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, मछली पालन आदि के विकास हेतु इस प्रकार की सहायता देने के लिए कोई योजना नहीं है । तथापि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित वर्ग को सक्षम आर्थिक गतिविधियां जिनमें मुर्गी पालन आदि जैसे विभिन्न पशुपालन कार्यक्रम शामिल हैं, शुरू करने के लिए उपदान सुलभ किया जाता है । इन मदों पर व्यय की गई धनराशि के बारे में जिलावार सूचना एकत्र की जाएगी और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) बिहार सरकार से सूचना मांगी गई है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

3267. **श्री अर्जुन सेठी : क्या ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से इस प्रकार की कोई रिपोर्टें प्राप्त हुई थी कि "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम में लगे हुए मजदूरों का शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 के दौरान प्राप्त हुई इस प्रकार की रिपोर्टों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के शोषण को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या नए निर्देश जारी किए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राज्यीय बस अड्डे की वर्तमान दुर्दशा

3268. श्री भीकू राम जैन :

श्री विजय कुमार यादव : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर गन्दगी, धूल, टिकट खिड़कियों तथा वाटर कूलरों के असन्तोषजनक रख-रखाव और वहां फैली अव्यवस्था के बारे में जानकारी है; और

(ख) स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) सरकार को पता है कि दिल्ली में अन्तर्राजीय बस अड्डे (आई० एस० बी० टी०) में दी गई सुविधाओं तथा सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अपेक्षाकृत अच्छी सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए, करने का प्रस्ताव है:—

(1) वर्तमान पानी की लाइन के स्थान पर अपेक्षाकृत अधिक मोटी लाइन बिछाने का प्रस्ताव है और यह कार्य मार्च, 1982 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(2) दो अतिरिक्त नलकूप, जिसमें से एक पर काम आरम्भ हो चुका है, के निर्माण का प्रस्ताव है ताकि पानी की सप्लाई को 60,000 गैलन प्रति दिन बढ़ाया जा सके।

(3) वर्तमान तारकोल की सड़कों को सीमेंट रोड़ी की सड़कों में बदलने का प्रस्ताव है।

(4) अन्तर्राजीय बस अड्डे के काम्प्लेक्स से बाढ़ का पानी/बरसाती पानी को बाहर निकालने के लिए उसके द्वार पर बरसाती पानी के लिए स्थायी पम्प हाउस स्थापित किया गया है।

(5) अस्थाई पम्प हाउस के स्थान पर निगर्त कुआं सहित दो सीवर पम्प बनाए गए हैं और दो सीवर पम्प स्थापित तथा चालू किए गए हैं।

(6) अपेक्षाकृत अधिक रोशनी की व्यवस्था करने के लिए काम्प्लेक्स के प्रवेश द्वार तथा बाहर निकालने के स्थानों पर सोडियम वापर के लैम्प लगाए गए हैं

(7) काम्प्लेक्स के चारों ओर 10 अतिरिक्त मूत्रालयों का निर्माण किया गया है।

(8) आगमन ब्लाक में अब 8 बजे प्रातः से 8 बजे रात्रि तक डाक की सुविधा उपलब्ध है।

(9) आम जनता की सुविधा के लिए प्रवेश हाल में बड़ा सूचना केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में पदों को भरा जाना

3269. श्री लहना सिंह तुर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पदों को भरने में अनावश्यक विलम्ब कर रहा है;

(ख) एक वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के भीतर और इससे ऊपर और कलैण्डर वर्ष 1975—80 के दौरान भरे गए पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड पर सारे देश की संस्थाओं के लिए प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती और भार आ गया है जिसके कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए इसका गठन नहीं हुआ था; और

(घ) क्या सरकार सारी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है जिसकी कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति और प्राक्कलन समिति ने हाल में सिफारिश की है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पदों के चयन में जिन्हें उसने विज्ञापित किया है अनावश्यक रूप से लम्बा समय नहीं ले रहा है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल का अधिशेष कृषि अनुसंधान सेवा के पदों तथा ऐसे ही अन्य पदों तथा सेवाओं से सम्बन्धित पदों को जैसा कि परिषद् के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो, को भरना है । इसलिए अध्यक्ष के अनुमोदन से बोर्ड को सौंपे गए कुछ प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती भी वर्तमान नियमों के अनुसार हैं ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् । सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पदों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग को स्थानान्तरित करने पर विचार नहीं कर रही है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति तथा प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर उच्च स्तर पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान भर्ती अभिकरण के माध्यम से यानी कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा भर्ती के कार्य को जारी रखा जाए । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति की सिफारिशों पर लिए गए निर्णय को दिनांक 25 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 4747 के उत्तर में लोक सभा के समक्ष रखा गया था । प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर लिए गए निर्णय को भी सितम्बर, 1980 में लोक सभा के पटल पर रखा गया था ।

विवरण

कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा किया गया चयन

वर्ष	कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा विज्ञापित कुल पदों की संख्या	पदों की संख्या जिसके लिए चयन किया गया					
		1 वर्ष के अन्दर	2 वर्ष के अन्दर	3 वर्ष के अन्दर	4 वर्ष के अन्दर	5 वर्ष के अन्दर	
1	2	3	4	5	6	7	
1975	72	3	57	—	—	—	
1976	274	62	95	50	10	—	बाकी पद या तो वापस
1977	57	32	18	2	—	—	ले लिए गए या बाद
1978	138	45	55	—	—	—	के वर्षों में इन्हें दुबारा
1979	65	39	1	—	—	—	विज्ञापित किया गया।
1980	169	142	7	—	—	—	

राजकोट, गुजरात में भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास सम्बन्धी परियोजनाएं

3270. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्त, आकाशवाणी के स्टेशन निदेशक, डाक और तार निदेशक तथा जिला-प्रबन्धक, दूर-संचार ने राजकोट (गुजरात) में भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास सम्बन्धी परियोजनाओं का निर्माण करने हेतु सरकारी बंजर भूमि के लिए आवेदन किया है; और

(ख) क्या सम्बन्धित सरकारी विभागों को भूमि का आबंटन कर दिया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय गुजरात सरकार ने लेना है, जिसके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

कल्याणवास, दिल्ली में टाइप-दो के क्वार्टरों के लिए लाइसेंस शुल्क

3271. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने कल्याणवास के टाइम-दो क्वार्टरों (जिन्हें अब टाइप-एक क्वार्टरों में परिवर्तित कर दिया गया है) का पूल-लाइसेंस-शुल्क निर्धारित किया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने तिमारपुर और गुलाबीबाग में टाइप-दो के क्वार्टरों का निर्माण किया है, यदि हां तो कितने;

(ग) दिल्ली प्रशासन कल्याणवास के टाइप-दो क्वार्टरों (जिन्हें अब टाईप-एक क्वार्टरों में परिवर्तित कर दिया गया है) के आबंटियों को दिल्ली प्रशाशन की अन्य कर्मचारी-कालोनियों में बदलने में क्वार्टर उपलब्ध कराने में कब तक समर्थ हो सकेगा;

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन ने टाइप-दो क्वार्टरों (जिन्हें अब टाइप-एक क्वार्टरों में परिवर्तित कर दिया गया है) के कुछ आबंटियों को दिल्ली प्रशासन की कुछ अन्य कर्मचारी कालोनियों में बदले में क्वार्टर आबन्टित कर दिए हैं; यदि हां तो किन-किन कालोनियों से; और

(ङ) अन्य कर्मचारी कालोनियों में बदले में क्वार्टर आबन्टित करने के सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई जाती है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि कल्याणवास में टाइप-II के क्वार्टरों की पुल लाइसेंस फीस निर्धारित की गई थी परन्तु ये दरें उन क्वार्टरों पर लागू नहीं हैं जो कि अब टाइप-I में बदल दिए गए हैं।

(ख) जैसाकि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है गुलाबी बाग (सिधोरी कला) में टाइप-II के 136 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं। तिमारपुर में टाइप-II के कोई क्वार्टर निर्माणाधीन नहीं है।

(ग) से (ङ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि कल्याणवास में टाइप-II के आवास के पहले ही कल्याणवास के टाइप-I के उन 236 आबंटियों को पेशकश की गई हैं जिन्हें पहले टाइप-II वर्गीकृत किया गया था। जब कभी आबंटन के लिए अधिक फ्लैट उपलब्ध होंगे तब अन्य आबंटियों को भी टाइप-II के वास की पेशकश की जाएगी। कर्मचारियों को आवास की बदली की स्वीकृति बदली के लिए आवेदन करने वालों में से वरिष्ठता के आधार पर दी जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष आवास योजना के अन्तर्गत त्रिलोकपुरी में मकानों का आबंटन

3272. **श्री वी० डी० सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विशेष आवास योजना के अन्तर्गत वास्तविक आवेदकों को त्रिलोकपुरी, दिल्ली में मकान आबंटित किए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें मकान आबंटित करने के बाद उन्हें सूचित किया गया था कि आबंटित किए गए मकान अनधिकृत कब्जे में हैं और उन्हें पर्ची निकाल कर वैकल्पिक मकान दूर-दराज क्षेत्रों में देने का विचार है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की जानकारी में है कि आबंटित किए गए मकान अनधिकृत कब्जे में है;

(घ) यदि हां, तो वास्तविक आवेदकों को इन मकानों का आबंटन किस प्रकार किया गया था; और

(ङ) क्या बिना पर्ची निकाले ही त्रिलोकपुरी के निकट के क्षेत्रों में वास्तविक आवेदकों को मकान आबंटित किए जाएंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी,हां।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1978 में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण त्रिलोकपुरी में कुछ टेनामेंटों पर बाढ़ पीड़ितों ने कब्जा कर लिया था उन्होंने यह भी सूचित किया है कि लाटरी निकालने के समय यह आशा की गई थी कि जिन बाढ़ पीड़ितों ने इन टेनामेन्टों पर कब्ज़ा कर लिया था वे इन्हें शीघ्र ही खाली कर देंगे।

(ङ) जी, नहीं।

उर्वरकों की तुलना से गेहूं के समर्थन मूल्य

3273. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 से 1982 तक सरकार द्वारा घोषित वर्षावार गेहूं के समर्थन मूल्य क्या हैं; और

(ख) विभिन्न किस्म के उर्वरकों के वर्ष 1972 से 1982 तक वर्षवार मूल्य क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) वर्ष 1972 से 1982 तक गेहूं के साहाय्य मूल्यों तथा विभिन्न किस्मों के उर्वरकों की दरों को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

फसल वर्ष	सरकार द्वारा घोषित अधिप्राप्ति मूल्य (रु० प्रति क्विन्टल)	किस तारीख से	केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा किसानों को किन मूल्यों पर उर्वरकों की आपूर्ति की गई		
			यूरिया (46 एन)	डायअमोनियम फास्फेट	म्यूरेट आफ पोटाश (100 कि० ग्राम का पैक)
1971-72	71.00 से 76.00	17-3-73	959	1246	543
1972-73	71.00 से 76.00	*10-10-73	1050	1335	670
1973-74	105.00	1-6-74	2000	3005	1220
1974-75	105.00	18-7-75	1850	2805	1170
1975-76	105 00	1-12-75	1850	2600	1085
1976-77	110.00	16-3-76	1750	2600	900
1977-78	112.50	20-4-76	1750	2210	900
1978-79	115.00	8-2-77	1650	2210	795
1979-80	117.00	12-10-77	1550	2210	795
1980-81	130.00	10-3-79	1450	2200	795
		8-6-80	2000	3050	1090
		11-7-81	2350	3600	1290

*इसमें बढ़िया किस्म का गेहूं शामिल नहीं हैं, जिसका मूल्य 82 रुपए प्रति क्विन्टल निश्चित किया गया था।

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन किया जाना

3274. **श्री सूरज भान :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह संशोधन विधेयक कब प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है;

(ग) संशोधन विधेयक की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो तत्सम्बन्धी विशेष कारण क्या हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। तगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 को संशोधित करने का प्रस्ताव अभी भी प्रक्रियाधीन है तथा जैसे ही अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण हो जायेंगी वैसे ही संशोधन विधेयक पेश कर दिया जाएगा।

फालतू पड़ी भूमि का लाभ प्राप्त करने वाले

3275. **श्री मुकुन्द मंडल :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूरे देश में 1 दिसम्बर, 1981 तक कितने व्यक्तियों को फालतू पड़ी भूमि प्राप्त हुई और उनमें से, राज्यवार, कितने व्यक्ति, अलग-अलग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के हैं?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटी लाभभोगियों की संख्या

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	लाभभोगियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के लाभभोगियों की संख्या	अनुसूचित जनजति के लाभभोगियों की संख्या
1.	2.	3.	4.
आन्ध्र प्रदेश	2,10,187	1,04,191	30,712
असम	2,56,670	23,515	19,202
बिहार	1,52,725	84,614	16,744
गुजरात	1,458	1,202	106
हरियाणा	5,163	2.,545	—
हिमाचल प्रदेश	4,825	3,376	270

2	3	4	5
जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—
कर्नाटक	12,688	7,218	212
केरल	84,692	34,175	4,972
मध्य प्रदेश	31,849	9,073	13,393
महाराष्ट्र	76,892	24,418	15675
मणिपुर	—	—	—
उड़ीसा	77,788	25,944	30,610
पंजाब	2,939	1,342	—
राजस्थान	26,152	10,593	3,971
तमिलनाडु	33,360	17,224	15
त्रिपुरा	891	202	201
उत्तर प्रदेश	1,89,110	1,39,587*	—
पश्चिम बंगाल	1,66,255	67,743	31,230
दादरा तथा नगर हवेली	1,512	13	1,499
दिल्ली	—	—	—
पाड़िचेरी	1,010	736	—
योग :	13,41,166	5,57,711	1,68,812

खराब हो रहे कुओं के लिए राज सहायता

3276. **श्री बाबूलाल सोलंकी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने ब्लाक हैं जिन्हें खराब हो रहे कुओं के लिए राज सहायता दी गई और पिछले तीन सालों में हर साल कितनी राज सहायता दी गई ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य दरों पर उपदान सुलभ करने का प्रावधान है ताकि असफल कुओं के मामले में 1000 रुपए तक जांच बोरिंग की लागत को वहन किया जा सके। प्रत्येक खण्ड में इस मद अन्तर्गत दी गई धनराशि के बारे में मंत्रालय द्वारा सूचना एकत्र नहीं की जा रही है।

आवास आबंटन करने वाले सम्पदा निदेशालय में कर्मचारियों की पर्याप्तता

3277. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति भी शामिल हैं।

(क) 1 जनवरी, 1973 और 1 जनवरी, 1982 को सम्पदा निदेशालय के रजिस्टरों में कितनी यूनिटे (आवासीय और वाणिज्यिका) रजिस्टर्ड थी;

(ख) क्या आबंटन करने वाले और रख-रखाव का हिसाब रखने वाले कर्मचारियों की संख्या में भी तदनुरूप वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो काम की दक्षता और विशुद्धता से समझौता किए बिना अतिरिक्त काम के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह):

(क) की स्थिति के अनुसार	एककों की संख्या		
	आवासीय	वाणिज्यिक	कार्यालय वास
1-1-73	49,318	34,25	95.74 लाख वर्ग फीट
1-1-82	63,176	29,99	117.36 लाख वर्ग फीट

(इसमें होस्टल वास शामिल नहीं है।)

(ख) जी नहीं।

(ग) यह कार्य विद्यमान स्टाफ द्वारा अतिरिक्त प्रयत्नों से किया रहा है।

पश्चिम बंगाल के तूफान पीड़ित लोगों के लिए आवास योजना

3278. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हुडको ने राजस्थान के तूफान पीड़ित लोगों ने राजस्थान के तूफान पीड़ित लोगों के लिए दो योजनाएं मंजूर की हैं जबकि हुडको ने पश्चिम बंगाल के तूफान पीड़ित लोगों के लिए कोई योजना मंजूर नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए आवासीय योजना मंजूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) राजस्थान के बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के लिए हुडको ने अभी तक 321.92 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत की दो योजनाओं को अपनी 277.59 लाख रुपये की ऋण वचनबद्धता सहित स्वीकृत किया है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, राज्य के तूफान से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अभी तक हुडको को कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि हुडको ने राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर आवास योजनाओं को बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है।

मिलावट उर्वरकों की बिक्री

3279. श्री वी० किशोर चन्द एस० देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बाजार में मिलावटी उर्वकों के बेचे जाने सम्बन्धी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां । मिलावटी उर्वरकों की तथाकथित बिक्री के कुछ मामलों की सूचना मिली है ।

(ख) शिकायतकर्ताओं ने सूचित किया है कि उनको सप्लाई किए गए उर्वरकों में कुछ बाहरी सामग्री मिली हुई है ।

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के तहत राज्यों को यह शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वे उर्वरकों की गुणवता पर जोर दें तथा कदाचार में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करें । जहां कहीं से भी मिलावटी उर्वरकों के बेचे जाने के मामलों की सूचना मिली थी, सम्बन्धित राज्य सरकारों से मामले की जांच करने तथा अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए कहा था ।

कीटनाशकों और कृमि-नाशकों का वितरण और नियंत्रण

3280. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीटनाशकों और कृमि-नाशकों के मूल्यों और वितरण में कोई नियंत्रण नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मामले में राज्य कुछ नहीं कर सकते और किसानों के दृष्टिकोण से इस बहुत जरूरी सामग्री के वितरण और नियंत्रण का प्रबन्ध करने के लिए वे केन्द्र की ओर अभिमुख हैं; और

(ग) यदि हां, तो किसानों को सही समय पर इन चीजों को उचित मूल्यों में दिलाकर पूरा लाभ दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) कीटनाशी औषधियों के मूल्यों और वितरण पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है । तथापि, देश में तैयार की जाने वाली कुछ कीटनाशी औषधियों की 50 प्रतिशत तकनीकी की ग्रेड सामग्री, जिसका कि आम उपयोग किया जाता है, को राज्य सरकारों के वितरण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए फारमुलेशन के निर्माण हेतु उनके पास रखा जाता है ।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपाय नीचे दे दिए गए हैं :—

1. कीटनाशी औषधियों को आवश्यक जिस अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत लाया गया है ।

2. कीटनाशी औषधियों के देशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

3. कीटनाशी औषधियों के सही उपयोग के सम्बन्ध में किसानों को शिक्षित करने के लिए विस्तार सम्बन्धी प्रयास किए जा रहे हैं।

4. कीटनाशी औषधि वितरण पद्धति को एकल माध्यम पद्धति से बहु-माध्यम वितरण प्रणाली में परिवर्तित किया गया है।

5. अभिज्ञात फसलों के सम्बन्ध में कीटनाशी औषधियों की लागत सहित पौध रक्षण उपायों के लिए राज-सहायता दी जा रही है।

अवारा कुत्तों के सम्बन्ध में मार्गदर्शी निर्देश

3281. **डॉ० बसन्त कुमार पण्डित :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पशु कल्याण बोर्ड ने स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अमानवी ढंग से अवारा कुत्तों को पकड़ने तथा मारने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई मार्गदर्शी निर्देश जारी किए थे;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि बम्बई नगर निगम द्वारा इन मार्गदर्शी निर्देशों का ठीक ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि हाल में सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह बम्बई नगर निगम को उक्त मार्गदर्शी निर्देशों का सख्ती के से पालन करने हेतु निदेश दे; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से कोई रिपोर्ट मिली है कि बम्बई नगर निगम, ने इन मार्गदर्शी निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। पशु कल्याण बोर्ड मद्रास ने सभी राज्य सरकारों व संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को दिनांक 19 अक्तूबर, 1976 को एक परिपत्र जारी किया था, जिसके साथ अवारा और पालतू कुत्तों की समस्याओं के बारे में 15 मार्च, 1976 को मद्रास में हुई पशु कल्याण बोर्ड की कार्यकारी समिति द्वारा अपनी 40वीं बैठक में की गई सिफारिशें क्रियान्वयन के लिए भेजी गई थीं।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्नों की ढुलाई

3282. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वर्तमान नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों की एक जिले से दूसरे जिले तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध ढुलाई पर कोई रोक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि खाद्यान्नों से लदे सैकड़ों वैगन जनवरी, 1982 में और फरवरी, 1982 के आरम्भ में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से अन्य राज्यों को भेजे गए थे;

(ग) ऐसा कैसे हो सका कि उक्त खाद्यान्न जिले और राज्य के बाहर भेजा जा सका; और

(घ) क्या सरकार का विचार उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्नों की ढुलाई से रोक हटाने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) देश में खाद्यान्नों के निर्बाध संचलन पर कोई रोक नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने अपने राज्यों से बाहर धान के संचलन पर रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अधिक से अधिक वसूली की जा सके।

(ख) और (ग) क्योंकि चावल के संचालन पर कोई रोक नहीं है इसलिए उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों को लेवी मुक्त चावल भेजा जा सकता है। यह सम्भावना है कि मिल मालिकों-व्यापारियों ने राज्य के बाहर ऐसी मात्रा भेजी होगी।

(घ) वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमैंट कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, पूसा, नई दिल्ली को पर्यटन मंत्रालय को हस्तांतरित करना

3283. **श्री जैनुल बशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमैंट कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, पूसा, नई दिल्ली को पर्यटन मंत्रालय को हस्तांतरित किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक हस्तांतरित कर दिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) हाल ही में इंस्टिट्यूट के विद्यार्थियों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमैंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, नई दिल्ली, को पर्यटन तथा नगर विमानन मंत्रालय को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है। अतीत में, ऐसे हस्तांतरण के सुझावों पर विचार किया गया है लेकिन हस्तांतरण को आवश्यक नहीं समझा गया था।

आयातित खाद्य तेल

3284. **श्री दौलत राम सारण :**
श्री के० लकप्पा :
श्री डी० एम० पूत्ते गौड़ा :
श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितना खाद्य तेल आयात किया गया और उन देशों के नाम क्या हैं जहां से यह तेल आयात किया गया है तथा किन एजेंसियों के माध्यम से इस तेल का आयात किया गया है और उसकी दर क्या है;

(ख) खाद्य तेलों के प्रति टन ढुलाई आदि पर कितना भाड़ा लगा है; और

(ग) मिल स्वामियों और थोक व्यापारियों को खाद तेलों की कितनी मात्रा किस दर पर सप्लाई की गई तथा सामान्य जनता के वितरण के लिए कितना खाद तेल सप्लाई किया गया तथा उसकी दर क्या है और उसे कैसे वितरित किया जाएगा ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) 2 दिसम्बर, 1978 से खाद्य तेलों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया गया है। तेल वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान, राज्य व्यापार निगम ने सोयाबीन का तेल, कच्चा ताड़ का तेल, निर्विषीकृत ताड़ का तेल, रेपसीड तेल, आर० बी० डी० ताड़ का तेल, आर० बी० डी० पामोलीन आयात किया। सोयाबीन के तेल तथा रेपसीड तेल का आयात आमतौर पर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और ब्राजील से किया जाता है। कच्चा ताड़ का तेल, निर्विषीकृत ताड़ का तेल, आर० बी० डी० ताड़ का तेल तथा आर० बी० डी० पामोलीन, आमतौर पर मलेशिया व इंडोनेशिया से आयात किए जाते हैं। पिछले दो तेल वर्षों (नवम्बर से अक्तूबर) के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किए गए खाद्य तेलों की मात्रा व उनके मूल्य इस प्रकार हैं—

वर्ष	मात्रा लाख मीटरी टनों में	मूल्य करोड़ रुपये में
1979-80	11.49	617.18
1980-81	10.74	516.00

(ख) यह समझा जाता है कि मांगी गई सूचना माल लदान वाले पत्तन से माल उतारने वाले पत्तन तक खाद्य तेल की ढुलाई के लिए दिए जाने वाले नौ परिवहन भाड़े के सम्बन्ध में है। पिछले दो वर्षों के दौरान नौ परिवहन की दरें इस प्रकार रही हैं—

वर्ष	ब्राजील संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्तनों से	(दर प्रति मीटरी टन) मलेशिया के पत्तन से
1980	60/70 डालर	35 डालर या उसके आस-पास
1981	45/50 डालर	30/32 डालर
वर्तमान	33/34 डालर	26/28 डालर

(ग) आयातित खाद्य तेल का प्रयोग दो कार्यों के लिए किया जाता है (i) वनस्पति घी तैयार करने के लिए, और (ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए। पिछले दो तेल वर्षों के दौरान वनस्पति उद्योग तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आयातित खाद्य तेलों की निम्नांकित

पात्रा सप्लाई की गई :

वर्ष	वनस्पति उद्योग के सप्लाई की गई	सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सप्लाई की गई
1979-80	6,04,000 मी० टन	3,54,000 मी० टन
1980-81	6,00,000 मी० टन	4,25,000 मी० टन

उपर्युक्त मात्रा, निम्नलिखित निर्गम मूल्यों पर सप्लाई की गई—

तेल	वर्तमान निर्गम मूल्य (रु० प्रति मीटरी टन)	टैंकों से
	16.2.82 तक	17.2.82 से
वनस्पति		
सोयाबीन का तेल (एस० बी० डी०)	7210	8500
निर्विषीकृत ताड़ का तेल (एन० पी० ओ०)	7210	8500
रेपसीड तेल (आर० एस० ओ०)	7210	8500
सार्वजनिक वितरण प्रणाली		
परिष्कृत रेपसीड तेल (टीनों में)	8000	8500
आर० बी० डी० ताड़ का तेल (टीनों में)	7750	8500
आर० बी० डी० पामोलीन तथा आर० बी० डी० ताड़ का तेल (थोक में)	6400	7000
आर० बी० डी० पामोलीन (टीनों में)	7750	8500

यद्यपि वनस्पति घी खुले बाजार में मुक्त रूप से बेचा जाता है, तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दिए गए खाद्य तेल, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उचित दर की दुकानों सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं।

एशियाई खेलों के लिए फ्लैट

3285. **श्री जेवियर अराकल :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में एशियाई खेलों के लिए कितने फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) ऐसे फ्लैट किस तरह के हैं और उनकी लागत क्या है; और

(ग) सरकार का खेलों की समाप्ति के बाद इन फ्लैटों का क्या करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) ऐशियाई खेल, 1982 में भाग लेने वालों को वासस्थान देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐशियाई खेल ग्राम, नई दिल्ली में 21.56 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न श्रेणियों के 853 फ्लैट निर्मित किए जा रहे हैं । उनके विक्रय के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

गांवों में गोदामों का राष्ट्रीय ग्रिड

3286. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गांवों में गोदामों का राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना करने की योजना की व्यय तथा कार्य निष्पादन और निर्माण, किराए पर देने तथा उपयोगिता की प्रतिशतता की दृष्टि से प्रगति कितनी हुई है; और

(ख) योजना की प्रगति के मार्ग में क्या रुकावटें हैं और उनको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना करने की योजना को 1979-80 के मध्य में ही अन्तिम रूप दिया गया था। 1979-80 के दौरान 200 लाख रुपए के बजट प्रावधान के मुकाबले में केन्द्रीय उपदान की प्रथम किस्त के रूप में 15,995 लाख रुपए की धनराशि से 47,000 मीटरी टन की भंडारण क्षमता वाले 136 गोदामों के निर्माण हेतु प्रस्ताव संस्वीकृत किए गए थे । वर्ष 1980-81 के दौरान, 200 लाख रुपए के बजट प्रावधान के मुकाबले में केन्द्रीय सहायता की प्रथम किस्त के रुप में 222.203 लाख रुपए की धनराशि से 5,149,85 मीटरी टन की भंडारण क्षमता वाले 1,308 गोदामों के निर्माण हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे । वर्ष 1981-82 के दौरान, 300 लाख रुपए का बजट प्रावधान है । अब तक 131.20 लाख रुपए की केन्द्रीय उपदान की प्रथम किस्त से 2,45,000 मीटरी टन की भण्डारण क्षमता वाले 245 गोदामों के निर्माण हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं । इस योजना में भण्डारण के स्थान को किराए पर देने की व्यवस्था नहीं है । मध्य प्रदेश सरकार की सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1981 के अन्त तक 6 गोदामों का निर्माण पूरा किया जा चुका है । 31-12-1981 को समाप्त हुई तिमाही में इन गोदामों की भण्डारण क्षमता के उपयोग का प्रतिशत 66.25 सूचित किया गया था।

(ख) योजना के अन्तर्गत गोदामों की निर्माण लागत का 25 प्रतिशत सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा उपदान के रूप में दिया जाना है । बहुत सी राज्य सरकारों ने इस स्कीम के लिए वार्षिक योजनाओं में निधियों का आबंटन नहीं किया है । बहुत सी राज्य सरकारों ने कार्यान्वयन एजेंसियों को उपदान का केन्द्रीय अंश सौंपने के लिए भी अपने बजटों में निधियों का प्रावधान नहीं किया है । सम्बन्धित राज्य सरकारों को इस स्कीम के लिए अपनी वार्षिक योजनाओं तथा बजट में निधियों का प्रावधान करने के लिए कहा जा रहा है । राज्य सरकारों ने किन्हीं अन्य अड़चनों की सूचना नहीं दी है ।

ग्रामीण क्षेत्रों को चीनी की सप्लाई

3287. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि यह सच है कि शहरों की तुलना में गांवों में चीनी सप्लाई करने में विषमया है;

(ख) यदि हां; तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह भेदभाव दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) अधिकांश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लेवी चीनी की सप्लाई करने में गांवों और शहरों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लेवी चीनी के वितरण की मात्रा एक समान है। तथापि, कुछेक राज्यों में दो क्षेत्रों के लिए इसके वितरण की मात्रा भिन्न-भिन्न है। सम्बन्धित राज्य सरकारें स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य में लेवी चीनी के वितरण के बारे में निश्चय करती हैं।

रामकृष्णपुरम सेक्टर चार में भूमि के अनधिकृत कब्जे के विरुद्ध बेदखली कार्यवाही

3288. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या निर्माण और आवास मंत्री दिनांक 23 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 226-जो रामकृष्णपुरम में सड़कों की व्यवस्था के बारे में था, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतायेंगे कि रामकृष्णपुरम, सेक्टर चार में भूमि के अनधिकृत कब्जे के विरुद्ध आरम्भ की गई बेदखल की कार्यवाही में क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : सम्पदा अधिकारी ने श्री महानन्द खोखा और सभी व्यक्तियों को जो परिसर या उसके किसी भाग के दखल में हैं, को बेदखल करने के लिए लोक परिसर (अधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा 1 के अन्तर्गत 15-1-1982 को बेदखली के आदेश पारित किए थे। अब ये आदेश निष्पादन की प्रक्रिया में हैं।

ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, हुडको और रोहिणी के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति

3289. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, हुडको तथा रोहिणी के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को उनका पंजीकरण एक योजना से दूसरी योजना में अन्तरित करने की सुविधा दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किय है कि सहकारी समितियों के लिए ग्रुप आवास योजना के अन्तर्गत ऐसा कोई अन्तरण अनुज्ञेय नहीं हैं। रोहिणी योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को अपने पंजीकरण को अन्य योजनाओं में अन्तरित करने की अनुमति नहीं है। दिल्ली

विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को अपने पंजीकरण को रोहिणी योजना में अन्तरित करने की अनुमति दी गई थी।

मालवीय नगर दिल्ली में जनोपयोगी सेवा के लिए आरक्षित भूमि में दुकानें

3290. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :**
श्री सूरजभान :
श्री अटल विहारी वाजपेयी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मालवीय नगर, दिल्ली में शहीद भगतसिंह मार्केट के पास जन उपयोग के लिए आरक्षित भूमि में डी० डी० ए० ने 41 पक्की दुकानों का निर्माण करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) इसके लिए डी० डी० ए० के कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और लाभार्वितों के नाम क्या हैं; और

(ग) जन उपयोग के लिए सुरक्षित भूमि से साफ करने और अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जल विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

3291. **डॉ० वसन्त कुमार पंडित :**
श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य नाम से केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत इस बीच राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के लिए कोई पृथक एजेंसी स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उस एजेंसी ने क्या कार्य शुरू किए हैं और क्या परिणाम रहे तथा उन पर क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या उपर्युक्त एजेंसी ने मध्य प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण और जांच कराई है तथा राज्यों ने जल विकास के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के अधिकतम विकास हेतु कोई योजनाएं तैयार की हैं;

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश राज्य में किए गए इस तरह के प्रत्येक अध्ययन का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) क्या मध्य प्रदेश राज्य की चालू अन्तर्राज्यीय जल विकास योजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के लिए एजेंसी द्वारा प्रभावित होगी अथवा संशोधित की जाएगी, यदि हां, तो किस सीमा तक ?

सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियारहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय विकास अभिकरण के गठन के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कालीबाड़ी मार्ग, नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों के पिछले भाग को ढ़कना

3292. श्री हरिकेश बहादुर : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीबाड़ी मार्ग, नई दिल्ली के 'एच' और 'जे' ब्लाक के भूमि तल क्वार्टरों (बी० टाइप) के कितने आबंटितियों ने अपने क्वार्टरों के पिछले भाग ढक लिए हैं;

(ख) क्या सम्पदा कार्यालय ने कोई अनुमति दी थी; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी जिन्होंने आबंटन के नियमों का उल्लघन करके कालोनी को कुरूप बनाया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संसद् सदस्यों की सिफारिशों पर डी० डी० ए० फ्लैट

3293. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास नंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवेदनकर्ताओं के नामों सहित उन संसद् सदस्यों की संख्या कितनी है जिन्होंने वर्ष 1980-81 के दौरान डी० डी० ए० के फ्लैटों को प्राथमिकता के आधार पर आबंटन करने के लिए आवेदन पत्रों की सिफारिश की थी;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं, जहां ऐसी सिफारिश मानी गई और आबंटन किया गया; और

(ग) और ऐसे कितने संसद् सदस्य हैं जिनकी सिफारिशों को डी० डी० ए० ने खेद प्रकट करते हुए नामंजूर कर दिया और इस बारे में पूरा ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि संसद् सदस्यों द्वारा भेजे गए उन मामलों के बारे में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है जिनमें बिना बारी के फ्लैट आबंटन करने की सिफारिश की गई थी।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गंगा से कटे गांव

3294. श्रीमती कृष्णा साही : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोकामोह और भागलपुर (बिहार) के बीच गंगा के तटों पर कटाव के कारण कितने गांव कट गए हैं;

(ख) उन गांवों के नाम क्या हैं और इस प्राकृतिक कोप से कितने लोग प्रभावित हुए हैं; और

(ग) प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) बिहार राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है ।

वैज्ञानिकों द्वारा विदेशों में कार्य स्वीकार किए जाने का सरणीकरण

3295. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध वैज्ञानिकों द्वारा या तो कृषि मंत्रालय के माध्यम से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के माध्यम से विदेशों में कार्य स्वीकार किए जाने का सरणीकरण करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा और प्रयोजन क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) वर्तमान कार्य प्रणाली के अनुसार, भारतीय विशेषज्ञों की (उन विज्ञानियों सहित जो कि कृषि विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित हैं) अन्य देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में विदेशी नियुक्तियों को भारत सरकार के विभिन्न सम्बद्ध विभागों/मंत्रालयों के माध्यम से सरणीबद्ध करने की आवश्यकता है । यह कार्य प्रणाली पहले से ही प्रचलित है तथा कृषि विश्वविद्यालयों को अपने विज्ञानियों द्वारा विदेशी नियुक्ति की स्वीकृति के निपटान के लिए भारत सरकार से सिफारिश करनी होगी, जब कभी भी उनके द्वारा कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है । इन्हें और इनसे सम्बन्धित दूसरे अनुदेशों को सुदृढ़ करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों को भी जारी करना होगा ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

3296. **श्री चित्त महाटा** :

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में दिन प्रतिदिन वृद्धि के क्या कारण है; और

(ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिर करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही गई है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) चालू वर्ष के दौरान सामान्य मूल्य स्थिति में काफी नरमी आई है । 20-2-82 को समाप्त हुए सप्ताह में मुद्रा स्फीति की दर 2.6 प्रतिशत थी, जबकि एक वर्ष पूर्व इसी सप्ताह में यह दर 15.3 प्रतिशत थी । गत एक वर्ष की तुलना में कुछ आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में गिरावट आई है, कुछ में वृद्धि हुई है और कुछ अन्य स्थिर रहे हैं ।

कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि मुख्य रूप से इन कारणों से हुई कही जा सकती है—सामान्य स्फीतिकारी दबाबों का बना रहना, यद्यपि ये हल्के पड़ गए हैं, मौसम जन्य कारण तथा कुछ वस्तुओं के निर्देशित तथा अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि करना ।

(ख) सरकारी नीति का मुख्य जोर उत्पादन बढ़ाने पर है। कम मात्रा में उपलब्ध आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आयात करके बढ़ाई जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है तथा उसमें सुधार लाया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित खाद्य तेलों की सप्लाई जारी रखी जा रही है। ऋण नीति प्रतिबंधात्मक बनी हुई है। राज्य सरकारें जमाखोरों, कालाबाजारियों तथा अन्य असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा ऐसे ही अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई कर रही हैं।

विकास कार्यों और कर्मचारियों के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त

3297. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और सिंचाई मंत्रालय के एक अध्ययन दल ने कहा है कि विकास कार्यों और कर्मचारियों पर होने वाले खर्च की किस्म के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं हैं;

(ख) क्या सभी परियोजनाओं के कर्मचारियों पर परियोजनाओं से बहुत अधिक खर्च हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कृषि मंत्रालय के किसी अध्ययन दल ने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) विकासात्मक कार्यों और स्थापनाओं पर किए जाने वाले खर्च के लिए एक समान प्रक्रिया निर्धारित करना सम्भव नहीं है। तथापि, योजनाओं के कार्यान्वयन से पहले प्रत्येक प्लान स्कीम के विभिन्न घटनों की सूक्ष्मता से जांच की जाती है और स्थापना सम्बन्धी खर्चों में कमी करने के लिए प्रत्येक प्लान स्कीम के स्टाफ सम्बन्धी घटक की अधिक कड़ाई से जांच की जाती है।

नारियल के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना

3298. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नारियल के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

डी० डी० ए० में माली

3299. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के उद्यान विभाग के डिवीजन संख्या 3 और 8 में वर्ष 1976 से 1979 तक स्थायी पदों के स्थान पर मालियों इत्यादि की नियुक्ति की गई थी परन्तु उन्हें स्थायी आधार पर वर्ष 1980 से नियुक्त किया गया; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस आधार पर वेतन मिल रहा है और तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करना

3300. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री बी० बी० देसाई :
श्रीमती कृष्ण साही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) छठी योजनावधि में तिलहन के उत्पादन के लिए, राज्यवार, कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) चालू योजनावधि में अब तक, वर्षवार, तिलहन का कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(ङ) तिलहन के उत्पादन के, राज्यवार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) अनेक राज्यों में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं नीचे दी गई हैं—

1. सघन तिलहन विकास कार्यक्रम	—गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तथा हरियाणा।
2. नए सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों का विस्तार	—आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान।
3. सोयाबीन का विकास	—बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान।

4. सूरजमुखी का विकास —आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा।

5. विशेष परियोजना—

(क) मूंगफली की सघन परियोजना —गुजरात

(ख) सोयाबीन परियोजना —मध्य प्रदेश

(ग) 130 लाख मीटरी टन

(घ) 1980-81 —94.18 लाख मीटरी टन

1981-82 —अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं

(ङ) तिलहनों के उत्पादन का राज्यवार तक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं—

1. केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत तिलहनों के विकास के लिए सघन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। योजना का उद्देश्य किसानों के खेतों में प्रदर्शन करना, बीज उत्पादन तथा वितरण प्रबन्धों को सुदृढ़ करना, वनस्पति रक्षण उपायों का विस्तार करना तथा किसानों और विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

2 गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली तथा मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन की विशेष परियोजनाएं आरम्भ करना।

3. तिलहनों के विकास के लिए छठी योजना के दौरान पांचवीं योजना के 14 करोड़ रुपयों की तुलना में आबंटन बढ़ाकर 65 करोड़ रुपए करना।

4. तिलहन की फसलों के तहत सिंचित क्षेत्र को 1979-80 के 8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की तुलना में बढ़ाकर 1984-85 तक 14 लाख हैक्टेयर करना।

5. गैर-परम्परागत तिलहन फसलों अर्थात् सोयाबीन तथा सूरजमुखी के तहत और अधिक क्षेत्र लाना।

6. अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

7. न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करना ताकि किसानों को उनके उत्पादों का पर्याप्त मूल्य मिल सके।

राज्यों को खाद्यान्नों की कम सप्लाई

3301. **श्री नीरेन घोष** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को पूर्व निर्धारित कोटे के अनुसार खाद्यान्नों की सप्लाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो सालों में राज्यवार कितना खाद्यान्न सप्लाई हुआ;

(ग) क्या किसी राज्य ने सप्लाई में कमी के लिए अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) इन राज्यों के नाम क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों का आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मास के आधार पर किया जाता है। इससे पूर्व राज्यों/संघ शासित प्रदेशों आदि द्वारा मांगे गए आबंटन और भुगतान द्वारा वास्तविक मांग में बहुत अधिक अन्तर हुआ करता था। खाद्यान्नों के आबंटन के मामले में इस स्थिति को सुधारने के लिए और केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों के स्टाक को सुरक्षित रखने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के आबंटन का युक्तियुक्तकरण कर दिया गया है ताकि उसे उठान की वास्तविक प्रवृत्तियों के अनुरूप किया जा सके।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। विभिन्न राज्य सरकारों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और दिसम्बर, 1981 से मार्च, 1982 की अवधि के दौरान बिहार हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पश्चिमी बंगाल, अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के लिए खाद्यान्नों के मासिक आबंटनों में अब वृद्धि कर दी गई है।

"फ्रूट्स ए सोल्यूशन ऑफ मैलन्यूट्रिशन" शीर्षक समाचार

3302. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में "फ्रूट्स ए सोल्यूशन ऑफ मैलन्यूट्रिशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशाल संभावनाएं होने के बावजूद भारत प्रति व्यक्ति 85 ग्राम की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता की तुलना में, केवल 55 से 60 ग्राम फलों का उत्पादन ही कर पाता है;

(ग) क्या यह सच है कि अमीर लोगों की फलों की 250 ग्राम प्रति व्यक्ति तक दैनिक खपत होती है और सामान्य नागरिक, यदि वह फल खरीदने के लिए समर्थ भी हो, के लिए कुछ बचा ही नहीं रह जाता;

(घ) क्या अधिकांश जनसंख्या में व्याप्त कुपोषण का मुकाबला करने के लिए सरकार फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने और उन्हें सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में फलों और सब्जियों का इनकी आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा इनके अनुरक्षण के लिए पर्याप्त और उचित प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए है अथवा किए जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। इस समय फलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धित प्रतिदिन की न्यूनतम आवश्यकताओं से कम है।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई सही जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन यह ठीक है कि धनवान फलों की अधिक खपत करते हैं।

(घ) जी, हां। ऐसा अनुमान है कि छठी योजना (1984-85) के अन्त तक फलों का उत्पादन 244 लाख मीटरी टन तथा सब्जियों का उत्पादन 356.7 लाख मीटरी टन तक बढ़ जायेगा। इससे फलों तथा सब्जियों की उपलब्धी आसान हो जायेगी। यह संभावना है कि फल तथा सब्जियां उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगी।

(ङ) फलों तथा सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से इस मंत्रालय ने ये दो स्कीमें तैयार की है—

(1) उत्कृष्ट मूल फलोद्यानों की स्थापना, तथा (2) आन्तरिक खपत तथा निर्यात के लिये बड़े शहरों के आस-पास सब्जियों के उत्पादन में तेजी लाना। इन दोनों स्कीमों को छठी योजना के दौरान क्रियान्वित किया जाना है। इन स्कीमों में फलों को तोड़ने के पश्चात् बागवानी उत्पादों के रख-रखाव की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, नाशवान वस्तुओं के परिरक्षण के लिये सहकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में शीतागारों का विकास किया जा रहा है।

राज्य सरकारें भी फलों तथा सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिये विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित कर रही हैं।

मानीखेड़ा-मोहिनीसागर योजना को स्वीकृति

3304. श्री माधवराव सिंधिया : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर-चम्बल डिवीजन के एक तिहाई भाग को योजना के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से बनाई गई मानीखेड़ा-मोहिनीसागर योजना को केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो योजना की स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) संभवतः सिंध नदी परियोजना, चरण-दो का जिक्र किया जा रहा है जो एक बहुप्रयोजनी परियोजना है, जिसमें मोहिनीसागर जलाशय बनाने के लिए मणिखेरा गांव के निकट सिंध नदी पर एक बांध का निर्माण परिकल्पित है। यह परियोजना अभी तक केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) परियोजना के सिविल पहलू के बारे में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर अभी हाल में प्राप्त हुए हैं और आयोग में उनकी जांच की जा रही है। परियोजना के विद्युत पहलू के बारे में टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस परियोजना

की स्वीकृति के लिए कार्यवाही बकाया मुद्दों के हल हो जाने, इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने और लागत/लाभों के स्थिर हो जाने के बाद ही की जा सकती है।

भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण

3305. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम में वसूली कार्यों के दौरान वरिष्ठ प्रबन्ध के स्तर पर कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भ्रष्टाचार को दूर करने और वसूली कार्य में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वसूली कार्य के सम्बन्ध में प्राप्त किसी भी शिकायत पर भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध द्वारा तुरन्त जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, क्षेत्रीय/जोनल/मुख्यालय स्तर पर निगम के स्क्वाड हैं जोकि इस सम्बन्ध में निरीक्षण करने के लिए वसूली केन्द्रों पर जाते रहते हैं।

नारियल बोर्ड का विकास कार्य

3306. **श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष के दौरान धन आबंटित किए जाने के कारण नारियल विकास बोर्ड द्वारा कोई विकासात्मक कार्य नहीं किया गया;

(ख) नारियल विकास बोर्ड की नई रोपण और पुनःरोपण योजनाओं को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं, कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए और नये कृषकों को धन में रियायत देने के लिए बोर्ड द्वारा दीर्घाकालीन अवधि के लिए कम ब्याज पर ऋण न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या नारियल बोर्ड की विकास योजनाओं को चालू करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) नारियल विकास बोर्ड द्वारा हाल ही में सात परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें नारियल पाम का नया रोपण तथा पुनःरोपण करना और किसानों द्वारा पाम के रुग्ण वृक्षों को

काटने के लिए राज सहायता की मंजूरी देना भी शामिल है। उत्पादकों को अनुकूल शर्तों पर संस्थागत ऋण देने की भी व्यवस्था की गई है। इन परियोजनाओं की जनवरी, 1982 में समीक्षा की गई थी और इस पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जी हां।

भू-क्षरण भू-वैज्ञानिकों के लिए एक समस्या

3307. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री बहु बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भू-क्षरण देश में भू-वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी समस्या बन रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार किस प्रकार इस समस्या को समाधान करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) भू-क्षरण की समस्या देश के मृदा वैज्ञानिकों सहित सभी की चिन्ता का विषय है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

व्यापक भूक्षरण एवं भू-अवकर्षण की समस्या को देखते हुए सरकार ने प्रथम पंच वर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों के माध्यम से मृदा संरक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रम आरम्भ किए थे। इसके साथ-साथ समस्या से सम्बन्धित सूचना एवं आकड़े एकत्र करने, उनसे निपटने के लिए उपचारात्मक उपाय करने तथा प्रदर्शन आयोजित करने और विभिन्न स्तरों के कार्मिकों को सेवान्तर्गत प्रशिक्षण देने हेतु विभिन्न आंचलों में 9 अनुसंधान, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई थी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के गठन से चतरा (नेपाल) स्थित एक केन्द्र को छोड़कर इन केन्द्रों को परिषद् को हस्तांतरित कर दिया गया है और देहरादून स्थित केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में इनका पुनर्गठन किया गया है। उपलब्ध सीमित स्रोतों से मृदा संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु सर्वेक्षण करने तथा प्राथमिकता/अनुक्रिया वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए द्वितीय योजना के दौरान अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई थी। तृतीय योजना के दौरान बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं आरम्भ की गई थीं। इनका कार्य राज्यों को कृष्य परती भूमि तथा ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों का सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण करना भी था। चौथी योजनावधि के दौरान मार्गदर्शी परियोजनाएं आरम्भ की गई थीं ताकि उत्पादक पठारी भूमि को ऊबड़-खाबड़ होने से रोकने, कृषि/बागवानी के लिए छिछले ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों में सुधार तथा मध्यम एवं बड़े ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों को ईंधन एवं चारा क्षेत्रों के रूप में आरक्षित करने की समान्यताओं का पता लगाया जा सके। चौथी योजनावधि के दौरान, नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों तथा ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों के कार्यक्रमों को जारी रखने के अतिरिक्त, झूम-खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को

नियंत्रित करने तथा राज्यों में मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मार्गदर्शी परियोजनाएं भी आरम्भ की गई थीं। इसके अलावा हिमाचल-क्षेत्र में मृदा, जल तथा वृक्षों के संरक्षण तथा सूखा-प्रवण एवं मरूक्षेत्रों के सुधार के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना भी आरम्भ की गई थी। 1979-80 तक कुल 234 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया जा चका है। छठी योजना के दौरान राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत के कार्यक्रम विभिन्न रूप से समस्याग्रस्त भूमि का उपचार करने से सम्बन्धित कार्य करते रहे और योजनाओं के माध्यम से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से विशेष सहायता प्रदान की जा रही है :—

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

(2) हिमाचल-क्षेत्र में मृदा, एवं वृक्ष संरक्षण।

(3) संघ राज्य क्षेत्रों में मृदा संरक्षण संगठनों का सुदृढ़ीकरण।

(4) संघ राज्य क्षेत्रों में झूम खेती का नियंत्रण।

इसके अतिरिक्त, सिन्ध-गंगा के बेसिन के 8 स्रवण क्षेत्रों में बाढ़-स्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध से सम्बन्धित केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना आरम्भ की गई है ताकि वर्षा के पानी को रोकने के लिए ऊपरी स्रवण क्षेत्रों की क्षमता को बढ़ाया जा सके और इससे निचले भाग में बाढ़ें आने तथा अवसाधन के जोखिम कम किए जा सकें।

इसी प्रकार, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन में स्थायित्व लाने एवं उसे बढ़ाने के लिए 14 राज्यों में जल संरक्षण जलोपयोग प्रौद्योगिकी के प्रसार की एक केन्द्रीय योजना का प्रस्ताव है। मृदा-सुधार की व्यवस्था तथा विभिन्न विभागों के मृदा संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों के समन्वय के मामलों में नीति सम्बन्धी मार्गदर्शन देने के लिए केन्द्रीय भूमि संसाधन संरक्षण एवं विकास आयोग की स्थापना की जा रही है। यह आयोग 26 राज्य भूमि उपयोग बोर्डों के कार्यकलापों की देख-रेख एवं उनका समन्वय भी करेगा। छठी योजना के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत 65 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के उपचार किए जाने का प्रस्ताव है।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त, वनरोपण के व्यापक कार्यक्रम के क्रियान्वयन जिसमें राज्यों की सामाजिक वानिकी योजना भी शामिल है, जैसे—सूखाप्रवण एवं मरूक्षेत्र विकास के लिए राज्यों में अन्य कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए जाएंगे।

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को स्थायी किया जाना

3308. **श्री राम लाल राही** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सिंचाई विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कृष्णा नदी से तमिलनाडु को जल

3309. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा नदी से तामिलनाडु को जल का टी० एम० सी० देना स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन से; और

(ग) क्या मद्रास को पानी ले जाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, हां। कृष्णा नदी के 15 टी० एम० सी० जल को, जिसमें से 5 टी० एम० सी० जल आंध्र प्रदेश से होगा, मद्रास नगर में जल आपूर्ति के लिए तमिलनाडु तक ले जाने के सम्बन्ध में तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच अक्तूबर, 1977 में एक करार हुआ था।

(ग) जी नहीं। तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश की सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दोनों राज्यों की परियोजना रिपोर्टें तमिलनाडु सरकार के विचाराधीन हैं।

प्रीतमपुरा आवासीय योजना में मल-व्ययन सुविधायें

3310. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीतमपुरा आवासीय योजना में सीवर लाइन को अभी तक मुख्य सीवर लाइन से सम्बन्ध नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और पीतमपुरा आवासीय योजना की 10,000 से अधिक की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यहां की सीवर लाइन को कब तक मुख्य सीवर लाइन से जोड़े जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रखा दी जाएगी।

काजू बोर्ड की स्थापना

3311. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काजू बोर्ड की स्थापना पर विचार कर रही है जिससे कि काजू बागवानी और उद्योग के उन विभिन्न कार्यों को एक संगठन के अन्तर्गत लाया जा सके जिन्हें कि अब विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत कार्य कर रहे विभिन्न संगठनों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सर्वोच्चय निकाय कब कार्य करना शुरु कर देगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

नारियल बोर्ड द्वारा नारियल उत्पादन के विकास की योजना

3312. श्री के० कुन्हम्ब : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल बोर्ड ने नारियल उत्पादन के विकास और जड़ों तथा पत्तियों में होने वाले रोगों के निदान हेतु जिनका नारियल के पेड़ों पर कुप्रभाव पड़ता है, किसी नई योजना का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) जी हां। नारियल बोर्ड ने देश में नारियल के समेकित विकास के लिए जनवरी, 1982 में सात परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है। इनमें से एक परियोजना विशेष रूप से केरल राज्य में "रूट-विल्ट" से प्रभावित नारियल पाम के वृक्षों की कटाई करने के लिए नारियल उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। तथापि, योजना में "लीफ राट" रोगों की रोकथाम करने की व्यवस्था नहीं की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक रोग-ग्रस्त पाम वृक्ष की कटाई करने और किसान द्वारा उसे हटाने के लिए 75 रुपए की दर से राज-सहायता देने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए)

क्रम सं०	परियोजनाएं	छटी योजना का परिव्यय	वित्तीय सोत		
			मंडल का भाग	संस्थागत	राज्यों का भाग
1	2	3	4	5	6
1.	नारियल के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करना	800,750	200,750	600,00	—
2.	उड़ीसा राज्य में नहरों के किनारों पर नारियल का पौधरोपण करना	141,047	70,523	—	70,523
3.	अच्छी किस्म के नारियल के पौधों का उत्पादन करना	222,680	145,130	—	77,550
4.	तमिलनाडु में संकर बीज बागान और मार्गदर्शी संकर परीक्षण केन्द्रों की स्थापना करना	24,615	12,307	—	12,307

1	2	3	4	5	6
5.	एक नारियल प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र की स्थापना करना	23,780	23,780	—	—
6.	प्राथमिक परिसंस्करण और विपणन क्रियाओं का संवर्धन करने के लिए नारियल उत्पादक सहकारी समितियों/संगठनों की स्थापना करना	19,050	19,050	—	—
7.	केरल राज्य में "रूट विल्ट" रोग से प्रभावित नारियल पाम के वृक्षों की कटाई हेतु नारियल उत्पादकों को वित्तीय सहायता देना	49,500	24,750	—	24,750
	योग	1281,420	496,290	600,000	185,130

दिल्ली की बस्तियों में पानी का कम दबाव

3313. श्री त्रिलोक चन्द्र ; क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तेलीवाड़ा, सदर बाजार, अन्धामुगल, किशनगंज, सराय रोहिल्ला, रेलवे कालोनियों आदि में पानी का दबाव कम रहता है और यदि हां, तो दवाव बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहें हैं;

(ख) क्या इन क्षेत्रों को हैदरपुर संयंत्र से पानी की सप्लाई करने की कोई योजना है और यदि हां, तो यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ क्षेत्रों में पानी चौबीसों घंटे सप्लाई किया जाता है जबकि उपरोक्त क्षेत्रों में पानी केवल चार घण्टे सप्लाई किया जाता है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल प्रदाय एवं मल निर्यास संस्थान ने सूचित किया है कि अन्धामुगल, किशनगंज, सराय रोहिल्ला तथा रेलवे कालोनियों में जल सप्लाई सन्तोषजनक है । तेलीवाड़े तथा सदर बाजार में भूमि का लेविल ऊंचा-नीचा है । इस क्षेत्र की कुछ पाकिटों में प्रथम तल तथा इससे ऊपर के तलों में पानी कमी है । जल सप्लाई में सुधार लाने की जांच प्रगति पर है ।

(ख) इस संस्थानों ने सूचित किया है कि सराय रोहिल्ला तथा रेलवे कालोनियों के भागों में हैदरपुर जल शोधन संयंत्र से जल की सप्लाई की एक योजना निष्पादनाधीन है तथा इस निर्माण कार्य को पूरा करने में लगभग 3 महीने लगेंगे ।

(ग) इस संस्थान ने कहा है कि कुछ क्षेत्रों जिन्हें सीधे ही पम्पिंग पाइप लाईनों से जोड़ दिया गया है उनमें जल की सप्लाई दिन रात रहती है। तथापि प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित कालोनियों में प्रतिदिन रुक-रुक कर लगभग कुल 10 घंटे की जल सप्लाई होती है।

केरल को चावल की सप्लाई

3314. **श्री पी० जे० कुरियन :**

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केरल राज्य को चावल का मासिक आवंटन 1.35 लाख टन से घटाकर 90,000 टन और गेहूं का मासिक आवंटन 10,000 टन से घटाकर 4,000 टन कर दिया है ?

(ख) क्या केरल सरकार ने मूल आवंटन को पुनः बहाल करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो ब्यौरा और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के आवंटन की मात्रा को अक्तूबर, 1980 से 4,000 मीटरी टन प्रति मास के स्तर पर बनाए रखा जा रहा है। तथापि, चावल के मामले में, दिसम्बर, 1981 से मासिक आवंटन को 1.35 लाख मीटरी टन से घटाकर 90,000 मीटरी टन कर दिया गया है ताकि उसे और वास्तविक बनाया जा सके तथा उसे जनवरी से नवम्बर, 1981 के दौरान लगभग 88.3 हजार मीटरी टन के औसत मासिक उठान के निकट लाया जा सके।

(ख) जी हां।

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष जरूरतों, बाजार में उपलब्धता और अन्य संलग्न बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मास के आधार पर किया जाता है। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए, आवंटन के वर्तमान स्तर को उपयुक्त समझा जाता है।

पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि

3315. **श्री गदाधर साहा :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ राज्य सरकारों ने पंचायतों तथा इसके अंगों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए कारगर कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जो पंचायत राज प्रणाली के लिए आवश्यक कार्य करते रहे हैं; और

(ग) उन उपायों का क्या ब्यौरा है जो राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए जाने चाहिए थे ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) इस मंत्रालय ने हाल ही में राज्य सरकारों को भेजे गए पत्र में यह उल्लेख किया था कि राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इस पत्र में राज्यों को इस बारे में उनके द्वारा उठाए गए कारगर कदमों के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया था।

(ग) पंचायती राज राज्य का विषय है तथा राज्य के कानूनों में पंचायती राज निकायों द्वारा संसाधन जुटाने हेतु, प्रावधान है। इन कानूनों में गृह सम्पति, वाहनों, रोशनी, जल सप्लाई, बाजारों तथा मेलों आदि जैसी अनेक मदों पर कर लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा राज्य सरकारें इन निकायों को विभिन्न ढंग से संसाधन हस्तांतरित करती हैं। चूंकि राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदम उनके राज्यों में व्याप्त परिस्थितियों (उनके अपने संसाधनों की स्थिति सहित) से सम्बद्ध हैं, अतः यथार्थरूप में उनके प्रयासों में अन्तराल को पूरा करना कठिन है। अतः संदर्भाधीन पत्र में राज्य सरकारों से "पंचायती राज संस्थाओं में वर्तमान संसाधनों की पर्याप्त" की पुनरीक्षा करने तथा "उनकी वित्तीय सक्षमता में सुधार करने" के लिए उपयुक्त उपायों का पता लगाने का आग्रह किया गया है।

काजीरंगा अभयारण्य में गैंडे

3316. **श्री आर० आर० भोले** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काजीरंगा वन्य जीवन अभयारण्य में गैंडों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अभयारण्य उन्हें रखे जाने का पर्याप्त स्थान है;

(ग) इस समय इस अभयारण्य में गैंडों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या कुछ गैंडों को काजीरंगा अभयारण्य से अन्य राज्यों में स्थिति उनके नए प्राकृतिक निवासों को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत दो वर्षों के दौरान देश में संरक्षित किस्मों को वन्य पशुओं का शिकार करने और उनको फंसाने के लिए कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में इस समय करीब 950 गैंडे हैं।

(घ) तथा (ङ) कुछ गैंडों को उनके पहले के वितरण के अनुसार उपयुक्त वैकल्पिक प्राकृतिक वास स्थलों में पुनः भेजने का प्रस्ताव है। शुरू में उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क

तथा पश्चिम बंगाल में जाल्दापाड़ा और गोरूमारा अभयारण्यों को इस उद्देश्य के लिए चुना गया। प्रजाति को बचाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी समझा गया है।

(च) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी एकत्र की जा रही है।

भूमि कटाव रोकने की योजना

3317. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में भूमि कटाव को रोकने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह योजना शुरू की गई है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा में हर साल भूमि कटाव से बहुत अधिक भूमि का नुकसान हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस राज्य में भूमि कटाव को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है, अथवा करने का विचार है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी, हां। सरकार भू-क्षरण तथा भूमि खराब होने की व्यापक समस्या की ओर प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही ध्यान दे रही है। अगली योजनाओं के दौरान कार्यक्रम का विविधीकरण किया गया तथा राज्यों में और अधिक योजनाएं शुरू की गई। राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत की योजनाओं में कृषि भूमि को सुधारने तथा सरकारी भूमि सर वनरोपण करने पर सामान्यतः अत्यधिक ध्यान दिया गया। केन्द्रीय योजनाएं बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों के स्थिरीकरण, मृदा संरक्षण संगठनों के सुदृढ़ीकरण सृजन तथा झूम खेती के नियंत्रण हेतु विशेष क्षेत्रों में शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक वानिकी नामक योजना के अन्तर्गत विस्तृत क्षेत्रों में वनरोपण का एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। विभिन्न योजनाओं के संचालन-क्षेत्र विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार उड़ीसा सहित अनेक राज्यों में भूमि संसाधनों को व्यापक स्तर पर होने वाली क्षति से पूरी तरह अवगत है और इसीलिए वह इस समस्या से निपटने के कार्यक्रमों का सदैव समर्थन करती रही है।

(घ) झूम खेती, निर्वनीकरण, अधिक चराई, रक्षण विहीन ढलान वाली भूमि पर खेती जलाशयों में गाद भरने आदि के कारण उड़ीसा राज्य में कटाव की प्रमुख समस्या को देखते हुए केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं के जरिए कटाव नियंत्रण हेतु, कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(ङ) छठी योजना में राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत उड़ीसा में इन कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए 600 लाख रु० का परिव्यय है, नदी तटों पर कृषि भूमि के कटाव का नियंत्रण करना; रक्षा पट्टियों तथा वायुरोध पट्टियां बनाना, रेशा, काजू आदि के बागान लगा कर बेकार भूमि का

सुधार करना, मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण करना तथा कार्यन्वयन करने वाले विभागों के विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना। उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता 940 लाख रुपए परिव्यय की, नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण तथा सामाजिक वानिकी नामक, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत दी जा रही है।

विवरण

विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा वे राज्य जिनमें ये चल रही हैं, को दर्शाने वाला विवरण

	योजना का नाम केन्द्रीय प्रायोजित	राज्यों के नाम
1.	नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल, प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़।
2.	सिंध-गंगा के बेसिन की बाढ़-प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा व्यवथा	बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली।
3.	हिमालय क्षेत्रों में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा अरूणाचल प्रदेश व मिजोरम के संघ शासित क्षेत्र।
4.	ग्रामीण ईंधन की लकड़ी वाले वृक्षों के रोपण सहित सामाजिक वानिकी	सभी 22 राज्य तथा अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा दिल्ली संघ शासित क्षेत्र।

क्षेत्रीय स्टेशनरी केन्द्र का खोलना

3318. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, मद्रास और बम्बई में क्षेत्रीय स्टेशनरी केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिससे कि इन वस्तुओं के मांगकर्ताओं और सप्लाई करने वाली एजेंसी के मध्य बेहतर सम्बन्ध बनाने के अलावा स्थानीय मांगकर्ताओं को स्टेशनरी के सामान की सप्लाई को सुधारा जा सके और स्थानीय प्रयोजनों की मात्रा को घटाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन सभी राज्यों की अन्य राजधानी नगरों में जहां केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का एक स्थान पर होना कार्यों में और आगे सुधार के लिए आवश्यक है, इस तरह के क्षेत्रीय डिपो खोले जाएंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) कलकत्ता में मुख्य कार्यालय डिपो सहित, दिल्ली मद्रास तथा बम्बई के तीन क्षेत्रीय लेखन सामग्री डिपुओं की भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय की एक शृंखला है।

(ख) जी, नहीं।

पेय जल सप्लाई योजना

3320. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस बात का आश्वासन दिया था कि पेयजल सप्लाई योजनाओं के लिए वित्तीय दबावों को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को समूची जनसंख्या को पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत लाने का भी आश्वाशन दिया है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कौन-कौन सी योजनाओं के पूरे हो जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है राज्य योजनाओं में दी गई निधियों से राज्य सरकारों द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं तथा कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार सहायता देती है। छठी योजना के दौरान पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को पूरे वर्ष भर पानी उपलब्ध रहने वाले कम से कम एक स्रोत के साथ स्वच्छ पेय जल मुहैया करने का प्रयास किया जाएगा।

(ख) नई दिल्ली में राज्य प्रतिनिधियों के साथ फरवरी, 1982 में हुए सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक के दौरान अर्थात् मार्च, 1981 तक सम्पूर्ण शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या को जलपूर्ति मुहैया कराई जानी चाहिए।

(ग) चूंकि योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं इसलिए यह कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाना है।

कृषि विकास दर

3321. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कृषि विकास बहुत धीमा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत में कृषि विकास की धीमी दर के कारणों की जांच की है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1949-50 से 1980-81 के दौरान कृषि उत्पादन की मिश्रित वृद्धि दर 2.59 प्रतिशत वर्ष है। यह जनसंख्या की वृद्धि दर, जो कि 2.15 प्रतिशत प्रति वर्ष है, से अधिक है। हाल ही की 1968 से 1979 तक की अवधि के कृषि उत्पादन के सूचकांक के आंकड़ों, जैसा कि खाद्य एवं कृषि संगठन की वार्षिक पुस्तिका 1979 में दिया गया है, से पता चलता है कि हमारी वृद्धि की दर (2.44 प्रतिशत प्रति वर्ष) विश्व की औसत वृद्धि दर (2.42 प्रतिशत प्रति वर्ष) से बेहतर थी।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

"धनाभाव से उत्तर प्रदेश में पेयजल कार्यक्रमों में बाधाएं" शीर्षक से समाचार

3322. श्री जेनुअल बशर : क्या निर्माण और विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बनारस से प्रकाशित 10 फरवरी, 1982 के "आज" में "धनाभाव से उत्तर प्रदेश में पेय जल कार्यक्रम में बाधाएं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और राज्य सरकारें राज्य योजनाओं में प्रदत्त निधियों से योजनाएं तैयार करती हैं, और उनका कार्यान्वयन करती हैं। तदनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी होती है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, समस्याग्रस्त गांवों में स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने में राज्य सरकार को उनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है।

"टेपकों" में कार्य अध्ययन

3323. प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, नगर और देश आयोजन संगठन (टाउन एण्ड कंट्रीज प्लानिंग आरगेनाइजेशन) में कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्य की अधिकता का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और नगर तथा देश आयोजना संगठन में कम या अतिरिक्त पद श्रेणीवार (राजपत्रित और अराजपत्रित) कितने हैं;

(ग) अध्ययन दल के मूल्यांकन से कर्मचारियों की संख्या बढ़ने-घटने पर कितना प्रभाव पड़ेगा;

(घ) कितने कर्मचारी 10 वर्षों के अधिक समय से उन्हीं पदों पर कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) निम्न एवं मध्यम स्तरों पर कार्य कर रहे सामाजिक वैज्ञानिकों और फिजीकल स्टाफ की पदोन्नति अवसरों को कारगर बनाने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या उपाय किए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन के पुनर्गठन के सम्बन्ध में एक अध्ययन किया गया है । अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी स्टाफ का कार्य भार भी सम्मिलित है । अध्ययन दल ने कुछ पदों के सृजन तथा कुछ पदों को समाप्त करने की सिफारिश की है । यद्यपि पुनर्गठन और अध्ययन मुख्यत: इस संगठन द्वारा और अपने कार्यों तथा उत्तरदायित्व को निभाने की इसकी क्षमता से सम्बन्धित है फिर भी द्रुत विकास तथा उत्पादन के अवसरों के प्रश्नों को भी इसमें ध्यान में रखा गया है चूंकि यह मामला विचाराधीन है इसलिए कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है

चन्दन के वनों का समाप्त होना

3324. **श्री एम० एम० लारेंस** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्दन के छोटे-छोटे वृक्षों के प्रति, जिन्हें 'माइकोप्लास्टिक' जीवाणु से उत्पन्न एक रोग के कारण काफी नुकसान पहुंचा है, सरकार की उदासीनता के कारण चन्दन के वन समाप्त होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विशेष किस्म को समाप्ति से बचाने के लिए कोई द्रुत योजना शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं । चन्दन के वृक्ष, जो अन्य पौधों के साथ प्राकृतिक रूप से उगते हैं, कभी-कभी 'स्पाईक' रोग से प्रभावित हो जाते हैं । यह रोग माईकोप्लाज्म अथवा वाइरस की वजह से हो सकता है । इसकी जांच की जा रही है ।

(ख) तथा (ग) चन्दन के वृक्षों पर लगने वाले स्पाईक रोग से सम्बन्धित अनुसन्धान बंगलौर स्थित क्षेत्रीय वन अनुसंधान प्रयोगशाला में काफी समय से किया जा रहा है । अनुसंधान कार्य तेज करने के लिए पांचवी योजना के दौरान 14.00 लाख रुपए के परिव्यय से बंगलौर में एक पृथक् क्षेत्रोन्मुखी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई थी । 1978 का 83 की अवधि के दौरान, इस केन्द्र के लिए 12.25 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी । छठी योजनावधि के लिए 24.48 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है । इस अनुसंधान केन्द्र के अध्यक्ष वनपाल हैं और उन्हें वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आनुवांशिकी), अनुसंधान अधिकारी (एक्सटेमालोजी) तथा अन्य स्टाफ की सहायता प्राप्त है ।

केरल वन अनुसंधान संस्थान में भी इस समस्या पर अनुसंधान किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

आवासीय योजनाओं के लिए वित्तपोषण प्रणाली

3325. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण स्थलों और सेवाओं आवास, गन्दी बस्तियों में सुधार और शहरी आवास की विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तपोषण प्रणाली में संशोधन करने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या नियमों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, ब्याज की दरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों पर "हुडको" की अधिक उधार लेने की लागत न पड़े, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ग) हुडको की विद्यमान वित्तीय पद्धति की जांच करने तथा उसमें परिवर्तन सुझाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इसकी सिफारिशों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

ग्रामीण विकास की योजनाएं

3326. **श्री हरीश रावत** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण विकास हेतु योजनाओं के बारे में राज्यों से प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो योजनाएं कौन-कौन सी हैं और किन-किन राज्यों ने ये योजनाएं भेजी हैं;

(ग) उन पर क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(घ) इन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इस समय कार्यान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत देश के सभी विकास खण्डों को लिया गया है। ये पहले से चल रही योजनाएं हैं तथा ये सम्पूर्ण छठी पंचवर्षीय योजना में जारी रहेंगी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धन ग्रामीणों के एक लक्षित वर्ग को सहायता उपलब्ध की जाती है ताकि उनके आय स्तर को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके। किसी भी सक्षम तथा बैंकग्राह्य आर्थिक गतिविधि को, जिससे लक्षित वर्ग के परिवारों की आय बढ़ने की संभावना हो, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी जा सकती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना तथा टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में समाजार्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा। राज्यों को निधियां उद्देश्यपूर्ण मानदण्डों के आधार पर आवंटित की जाती हैं तथा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वित किए जा रहे हैं। राज्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार को विशिष्ट प्रस्ताव/योजनाएं भेजना आवश्यक नहीं है।

समुद्रतटीय प्राकृतिक उद्यानों की स्थापना

3327. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री दिग्विजय सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्रतटीय प्राकृतिक उद्यान स्थापित किए जाने हेतु विचार किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने उन स्थानों के लिए पूर्व-अपेक्षाओं की व्यवस्था कर दी है; और

(ग) क्या वन में स्थित लाजों, पैट्रल नावों और शीशे की पेंदी वाली नावों के लिए आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा किए जाने की आवश्यकता है और क्या इस तरह के बजट प्रावधान कर लिए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) समुद्र तटीय प्राकृतिक उद्यान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हाल ही में दो समुद्र तटीय राष्ट्रीय पार्क स्थापित किए गए है। एक पार्क तमिलनाडु सरकार द्वारा मनार की खाड़ी में और दूसरा गुजरात सरकार द्वारा कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया है। राज्य सरकारें वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत गठित राष्ट्रीय पार्कों को स्थापित करने तथा उनका प्रबन्ध करने के लिए सक्षम है।

पंचायती राज निकायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना

3328. **डॉ० सरदीश राय :**

श्री जायनाल अबेदिन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से पंचायती राज निकायों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकारें पंचायती राज के कार्यकर्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण सुलभ करती है।

विदेश में वैज्ञानिक

3329. **श्री तारिक अनवर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 40 कृषि वैज्ञाननिक विदेशों में हैं जो इस देश में लौटने के लिए तैयार नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है;

(ग) सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार ने उन योजनाओं के कार्य को जारी रखने के लिए क्या कार्यवाही की है जो उपर्युक्त वैज्ञानिकों के मार्गनिर्देशन में चल रही थीं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान को खाद्यान्न और चीनी की सप्लाई

3330. **श्री नवल किशोर शर्मा** :

श्री मूल चन्द्र डागा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने हेतु गेहूं, चावल और चीनी की अलग-अलग प्रतिमास आवश्यकता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान को गेहूं, चावल और चीनी के कोटे का आवंटन इनकी मांग की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान व 28 फरवरी, 1982 तक, राजस्थान को गेहूं, चावल और चीनी प्रत्येक वस्तु की, कितनी मात्रा आवंटित की गई और वस्तुतः कितनी मात्रा प्रतिमास सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने हेतु दी गई; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान के लिए इस कोटे में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण संख्या 1 में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए—संख्या एल० टी० 3536/82]

(ख) अतीत में 1979 और 1980 (जुलाई, 1980 तक) के वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के बारे में राज्य सरकार की समस्त मांग को पूरा किया गया था। यह देखा गया था कि राज्य सरकार को किए गए आवंटन और उनकी भुगतान पर वास्तविक आवश्यकता के बीच बहुत

अधिक अन्तर था। इससे आवंटन के मामले में विकार पैदा हो गया था। इस विकार को दूर करने तथा केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों के स्टाक को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से खाद्यानों के आवंटन का युक्तियुक्तकरण करने का निर्माण किया गया था ताकि इसे उठान की वास्तविक प्रवृत्तियों के अनुरूप लाया जा सके। जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, वर्ष 1979 के दौरान 16-12-79 तक चीनी पर कोई नियंत्रण नहीं था। चीनी पर आंशिक नियंत्रण 17-12-1979 से लागू किया गया था। 1980, 1981 और 1982 (फरवरी, 1982 तक) के दौरान 1-4-1978 को परियोजित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति 425 ग्राम उपलब्धता के आधार पर चीनी का कोटा आवंटित किया गया था।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण संख्या II और III में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए—संख्या एल० टी० 3536/82]

(घ) जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, खाद्यान्नों की समुची उपलब्धता स्थिति, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्नों का आवंटन प्रत्येक मास के आधार पर किया जाता है।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता होने के कारण राजस्थान समेत राज्यों के कोटों में वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 के दौरान विकास खण्डों को सुविधाएं

3331. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 के दौरान विकास खण्डों को सुविधाएं प्रदान करने के मामले में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार गांवों के विकास सम्बन्धी योजना से किस हद तक संतुष्ट है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) भारत सरकार खण्ड प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए 50 प्रतिशत सहायता देती है ताकि पिछले योजनाबद्ध बजट के अधीन स्तर तक ग्राम सेवकों की संख्या को बनाए रखा जा सके। यह योजना 27-2-79 को आरम्भ की गई थी। इसीलिए 1980-81 के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

(ख) यद्यपि सभी राज्यों में एक जैसा प्रस्ताव नहीं है फिर भी, सरकार प्रगति से संतुष्ट है।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रों का पुनरीक्षण

3332. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को एक प्रस्ताव भेजा था।

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है, या करने का विचार है;

(घ) प्राथमिकता के आधार पर सूखाग्रस्त क्षेत्र के रूप में चुने गए अथवा चुने जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कर्मी दल ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों का पुनरीक्षण कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) जी हां। राज्य सरकार का प्रस्ताव विवरण-1 में दिया गया है। कार्य दल की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) से (च) कार्य दल ने किसी ऐसे क्षेत्र का चयन नहीं किया है जिसे कार्यक्रम में अग्रता के आधार पर शामिल किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का पुनरीक्षण करने के बाद कार्यदल ने 31 राज्यों के 511 खण्डों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन का सुझाव दिया है। इस सम्बन्ध में इसकी सिफारिशों का सार विवरण-2 में दिया गया है। कार्यदल की अन्य मुख्य सिफारिशें विवरण-3 में दी गई हैं।

विवरण-1

जिला	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम से हटाए जाने के लिए प्रस्तावित विद्यमान खण्डों की संख्या	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने के लिए सिफारिश किए गए नए खण्डों की संख्या
1	2	3
1. नासिक	1	3
2. सांगली	—	3
3. सतारा	1	1
4. शोलापुर	2	—
5. अहमदनगर	5	—
6. पुणे	5	1
7. उस्मानाबाद	—	6
8. धुले	—	4
9. औरंगाबाद	—	7
10. जलगांव	—	4
11. बीड़	—	5
योग :	14	35

विवरण-2

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने के लिए कार्य दल द्वारा सिफारिश किए गए खण्डों की राज्यवार संख्या।

	राज्य	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने के लिए सिफारिश किए गए खण्डों की संख्या
	1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश	66
2.	बिहार	31
3.	गुजरात	42
4.	हरियाणा	91
5.	जम्मू तथा काश्मीर	13
6.	कर्नाटक	70
7.	मध्य प्रदेश	48
8.	महाराष्ट्र	53
9.	उड़ीसा	39
10.	राजस्थान	18
11.	तमिलनाडु	30
12.	उत्तर प्रदेश	63
13.	पश्चिम बंगाल	29
	योग :	511

विवरण-3

कार्य दल की मुख्य सिफारिशें

1. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम, जिनके व्यापक रूप में एक जैसे उद्देश्य हैं, के बीच वर्तमान परस्पर व्यापन को समाप्त किया जाए। मरूभूमि विकास कार्यक्रम को ऐसे मामलों में (कच्छ को छोड़कर, जहां सूखाग्रस्त कार्यक्रम को कार्यान्भित किया जाए) एक-मात्र कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जाए।

2. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न प्रकार होने चाहिए :—

(क) क्षेत्र के नमी-जल-जलवायु स्रोत के आधार पर अधिक उत्पादी शुष्क भूमि खेती को विकसित करना;

(ख) क्षेत्र के जल संसाधनों का विकास और उनका उत्पादी उपयोगी;

(ग) भूमि तथा नमी संरक्षण जिसमें भूमि के उपयुक्त उपयोग की पद्धतियों का विकास शामिल है;

(घ) वनरोपण जिसमें फार्म वानिकी शामिल है; और

(ङ) पशुधन विकास जिसमें चरागाह विकास और चारे के स्रोत शामिल हैं।

3. प्रत्येक क्षेत्र के लिए जल का बजट सुनिश्चित करने हेतु नियमित अन्तक्षेत्रीय अध्ययन किए जाने चाहिए तथा अधिक उत्पादी फसल पद्धति के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। ऐसे प्रत्येक कार्य में अनुसंधान और विस्तार प्रयत्नों का आपस में समन्वय किया जाना चाहिए।

4. चरागाह क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने तथा चरागाह के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी को रोकने पर अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है।

5. सार्वजनिक भूमि पर वनरोपण के अलावा, लोगों की सीमान्त तथा उप-सीमान्त भूमि पर वनरोपण के विकास पर अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है। ठण्डे रेगिस्तानों में वानिकी अनुसन्धान तेज किए जाने चाहिएं।

6. रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेत के टीलों की जमाने की आवश्यकता है। जहां रेतीले क्षेत्र निजी स्वामित्व के अधीन हैं, वहां भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहीत ली जानी चाहिए।

7. डेरी विकास के लिए सहायता अधिमानतः निम्न स्तर की गतिविधियों से सम्बन्धित होनी चाहिए तथा विधायन, परिवहन तथा विपणन के लिए सहायता कम की जानी चाहिए।

8. वर्षा के जल का संचयन करने तथा उसका अधिकतम लाभकारी उपयोग करने के कार्य को अग्रता दी जानी चाहिए। खुदे कुओं के लिए दिया जाने वाला उपदान जारी रहना चाहिए।

9. सिंचाई संभाव्यता का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए।

10. भूमि संरक्षण एक अग्रता वाला कार्यक्रम ही रहे परन्तु परियोजना निधियों का प्रयोग ऋण देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भूमि के उपयोग हेतु एक उपयुक्त नीति तैयार की जानी चाहिए।

11. ग्रामीण क्षत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों में निकट का सम्पर्क होना चाहिए।

12. विभिन्न जिलों में सूखाग्रस्त क्षत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि बिकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अलग से प्रबन्ध होने चाहिएं।

13. राज्य सरकारों द्वारा (क) विभिन्न परियोजनाओं में विशिष्ट कार्यक्रम गतिविधियों, और (ख) एक परियोजना में सम्पूर्ण कार्यक्रम का नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। राज्य स्तर पर, कार्यक्रम का नियमित प्रवोधन किया जाना चाहिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों का निर्धारण करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिएं। राज्य सरकारों को विभिन्न परियोजना क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वयन के ब्यौरे निश्चित करने के लिए सम्बन्धित क्षेत्रों में अनुभवी व्यक्तियों के दल गठित करने चाहिए।

14. मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होने चाहिए। तथापि, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन प्रति खण्ड 15 लाख रुपए की दर से दिए जाते रहने चाहिए। व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच बराबर-बराबर आधार पर बांटा जाता रहना चाहिए।

दालों तथा खाने के तेलों का उत्पादन और विपणन

3333. **श्री के० टी० कोंसलराम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी खण्डों में दालों और तिलहनों के उत्पादन की योजना जैसा कि नए 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रम संख्या दो पर दिया गया है, लागू कर दी गई है; और

(ख) तिलहनों और वनस्पति के तेलों की विपणन व्यवस्था को नया रूप देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) प्रधान मंत्री के नए 20-सूत्री कार्यक्रम और उत्पादकता वर्ष 1982 के संदर्भ में कृषि विकास की राष्ट्रीय कार्यशाला में नए 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रम संख्या 2 पर दिए गए दलहनों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की नीति पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इस कार्यशाला में सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे बारानी क्षेत्रों और सिचाई परियोजनाओं के समान क्षेत्र में जहां इन फसलों की सम्भावना है, उपयुक्त स्थानीय-विशिष्ट प्रोद्योगिकी का उपयोग करके समस्त उपलब्ध भूमि और सम्भाव्य क्षमता वाली भूमि में तिलहनों और दलहनों की खेती करें। नए 20-सूत्री कार्य क्रम को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन देने के लिए तिलहनों और दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाई जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को भी नया रूप दिया गया है।

(ख) सरकार मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा कर रही है। जब कभी तिलहनों के दाम समर्थन मूल्य से नीचे गिरें, नाफेट को इन तिलहनों की खरीद करने के निर्देश दे दिए गए है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, खाद्य तेलों और तिलहनों के उत्पादन और विपणन को नया रूप देने की एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य तिलहनों का उत्पादन बढ़ाना और सहकारी सिद्धान्तों पर आधारित अच्छे ढंग से संसाधन और विपणन आदि के माध्यम से किसानों को अधिक लाभ पहुंचाना है। इसके अलावा, आयातित वनस्पति तेल (1)उचित दर की दुकानों/सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के लिए राज्यों संघ शासित क्षेत्रों (2), वनस्पति घी के उत्पादन में उपयोग में लाने के लिए वनस्पति विनिर्माताओं को आवंटित किया जा रहा है।

खाद्यान्न के उत्पादन में आत्म निर्भरता

3334. **डॉ० कृपा सिन्धु भोई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि को लाभ-प्रद और आत्म-निर्भर बताने के लिए क्या कदम उठाए गए है या उठाने का विचार हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : उत्पादन संसाधनों की प्रति यूनिट उत्पादकता और उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना और कृषि उपज के लिए लाभकारी और मूल्यों को सुनिश्चित करना सरकार की मुख्य नीति रही है ताकि कृषि को स्वत: लाभकारी और स्वावलम्बी बनाया जा सके। कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों में अनुसंधान, विस्तार और सिंचाई सहित अवसंरचना का विस्तार करना, बीजों की उन्नत, अधिक उपज देने वाली और रोग/सूखा प्रतिरोधी किस्मों का उत्पादन और वितरण करना, भूमि संरक्षण, बहु-फसल, उर्वरक और ऋण जैसे आदानों की अधिक मात्रा में आपूर्ति करना शामिल है। कमजोर वर्ग के कृषकों को राज सहायता दी जा रही है ताकि वे अपने उत्पादन-को बढ़ा सके और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें।

निर्माण बिहार में बाढ़ के पानी के नाले की योजनाएं

3335. श्री कमल नाथ : क्या निर्माण और आवास मंत्री दिल्ली में यमुना पार आवासीय कालोनियों में बाढ़ के पानी के नाले को जोनल प्लान के बारे में 24 अगस्त, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पार क्षेत्र में निर्माण बिहार वाले लोगों के लिए बाढ़ के पानी के नाले की योजनाओं को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो योजनाओं को पूरा करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विलम्ब मुख्यतया क्षेत्र में अनियमित अनधिकृत तथा अव्यवस्थित निर्माण के कारण है।

दिल्ली में गैर-लाइसेंस शुदा उद्योग

3336. श्री रशीद मसूद :
श्री बी० डी० सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी के आवासीय तथा असंगत क्षेत्रों में बढ़ते गैर लाइसेंस शुदा उद्योगों के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो यह अध्ययन कब किया गया था और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या प्राधिकारियों की बहुलता के कारण बढ़ते हुए गैर-लाइसेंस शुदा और अवैध उद्योगों को रोकने की अन्तिम जिम्मेदारी न तो दिल्ली विकास प्राधिकरण की है और न ही दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस त्रुटि को दूर करने तथा राजधानी में उद्योग स्थापित करने सम्बन्धी नीति बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) उद्योग निदेशक, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्होंने राजधानी के आवासीय तथा असंगत क्षेत्रों में उद्योगों का सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के अन्तर्गत उन असंगत उपयोगों के लिए जो वृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना के उल्लंघन में होते हैं मुकदमे की कार्रवाई की जाती है तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर बिना लाइसेंस के उद्योगों के विरुद्ध मुकदमें की कार्रवाई की जाती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

"अपसेटिंग ऑफ लोकल बोडीज" शीर्षक से समाचार

3337. **श्री मंगल राम प्रेमी :**
श्री भीकू राम जैन :
श्री शिव शरण वर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1982 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "अपसेटिंग ऑफ लोकल बोडीज डिकराइड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें स्थानीय निकायों को बार-बार भंग करने और उन्हें लम्बे-लम्बे अर्से तक बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों के चलाने और इस प्रकार जनता को सार्वजनिक निकायों में अपने जन प्रतिनिधि न भेजने देने के लिए निंदा की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है, और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कितने ऐसे निकाय हैं जिन्हें भंग किया हुआ है और वे कब से भंग है और उनका कार्य कब से आरम्भ करने की संभावना है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सरकार इस तथ्य से परिचित है कि कई स्थानीय निकाय में निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं। भंग स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के प्रश्न पर नई दिल्ली में दिसम्बर, 1980 में हुई स्थानीय शासन तथा नगर विकास की केन्द्रीय परिषद् की 18वीं बैठक तथा मई, 1981 में हुए नगर निगमों के सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था। इन बैठकों में भंग स्थानीय निकायों के चुनाव शीघ्र ही कराने के संकल्प पारित किए गए थे तथा इन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया गया था। विगत कुछ महीनों में एकत्र की गई सूचना

के अनुसार लगभग 2499 स्थानीय निकाय ऐसे हैं जो पिछले कुछ महिनों से लेकर 10 वर्ष से अधिक की अवधि तक बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों के हैं स्थानीय शासन राज्य का विषय होने के कारण अंग स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की कार्यवाही राज्य सरकारों द्वारा की जानी है।

दुर्गापुरी कालोनी, शाहदरा को नियमित करना

3338. **श्री केशवराव पारधी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में लोनी रोड, शाहदरा पर स्थित दुर्गापुरी एक्सटेंशन सहित अनेक अनधिकृत कालोनियों को जुलाई, 1981 में या इसके आस-पास नियमित किया गया था;

(ख) दुर्गापुरी एक्सटेंशन के साथ लगे हुए मुख्य दुर्गापुरी कालोनी को नियमित न करने के क्या कारण हैं जबकि यह कालोनी दुर्गापुरी एक्सटेंशन से पहले की बसी हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि मुख्य दुर्गापुरी का नियोजन दुर्गापुरी एक्सटेंशन से बेहतर है और मुख्य दुर्गापुरी में लगभग सभी प्लाट दो तरफ से खुले हैं;

(घ) क्या मुख्य दुर्गापुरी को भी इस वर्ष निमियत किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या नालियां बनाने, सड़क बनाने और ईटें बिछाने का कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस कालोनी के "ए" तथा "बी" ब्लाक सरकारी भूमि पर हैं तथा सरकारी भूमि पर स्थित कालोनियों के नियमितीकरण पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लाल डोरे के प्रमाण-पत्र जारी करना

3339. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है दिल्ली प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों को लाल डोरे के प्रमाण-पत्र जारी करने पर पाबंदी लगा दी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप लघु उद्योग नहीं स्थापित किए जा सकेंगे, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान जालोर-सिरोही जिलों के लिए प्रस्तावित बांध

3340. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जालौर-सिरोही जिलों के लिए प्रस्तावित बांधों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने बांध चालू वर्ष में बनाने का विचार है; और

(ग) उन पर कितनी धनराशि खर्च होगी और उनसे कितनी भूमि की सिंचाई की जा सकेगी और इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राजस्थान के जालोर-सिरोही जिले के लिए एक वृहद तथा दो मध्यम सिंचाई स्कीमों की परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार से केन्द्रीय जल उद्योग में प्राप्त हुई हैं ।

(ख) उनमें से किसी परियोजन को भी राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष के दौरान निर्माण के लिए हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत और लाभ नीचे दिए गए है—

स्कीमों के नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	अन्ततः सृजनीय सिंचाई कर (लाख हैक्टेयर)
बृहद्		
1. माउंट आबू हाइडल सिंचाई स्कीम	534.10	1.20
मध्यम		
2. सुकली सिंचाई स्कीम	548.75	3.84
3. बांदी सेन्द्रा सिंचाई स्कीम	260-00	1.85

उपर्युक्त परियोजाओं को अभी योजना आयोग द्वारा अनुमोदित दिया जाना है । तथापि, इन्हें राज्य सरकार द्वारा अपनी छठी योजना में सम्मिलित कर दिया गया है ।

देश में मकानों की आवश्यकता

3341. **श्री ओस्कार फर्नांडिस** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू योजना अवधि में विभिन्न ग्राम समूहों के लिए मकानों की मांग कितनी है; और

(ख) प्रत्येक समूह के लिए अनुमानता कितने मकान बनाने की योजना है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) चालू योजना अवधि के दौरान विभिन्न आय वर्गों की आवास आवश्यकताओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1971 की जनगणना तथा भारत के महापंजीकार द्वारा 1981 के लिए किए गए जनसंख्या प्रक्षेपणों के आधार पर आवास की कमी का अनुमान जैसा कि राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा हिसाब लगाया गया है, निम्न प्रकार से है—

ग्रामीण	165 लाख
शहरी	48 लाख
योग :	213 लाख

(ख) छठी पंच वर्षीय योजना (1980—85) का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में शेष 68 लाख पात्र भूमिहीन परिवारों को आवास-स्थल तथा 36 लाख परिवारों को निर्माण सहायता देना है इसके अतिरिक्त छठी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न आय वर्गों के लिए रिहायशी एककों तथा स्थलों के लिए ध्यान में रखे गए लक्ष्य निम्न प्रकार हैं—

क्रम संख्या	योजना	लक्ष्य (रिहायशी एकक तथा स्थल लाखों में)
1.	समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवास योजना (350 रु० प्रतिमाह तक)	16.19
2.	निम्न आय वर्ग आवास योजना (351 से 600 रु० प्रतिमाह तक)	0.64
3.	मध्यम आय वर्ग आवास योजना (601 से 1500 रु० प्रतिमाह तक)	0.20
4.	उच्च आय वर्ग आवास योजना (1500 रु० प्रतिमाह से अधिक)	0.03

दक्षिण में हुडको के क्षेत्रीय कार्यालय

3342. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में "हुडको" (आवास और नगर विकास निगम) के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु में मत्स्य पालन किसान विकास एजेंसी

3343. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम् : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में वर्ष 1951 में मत्स्य पालन किसान विकास एजेंसी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) क्या स्वीकृति सशर्त दी गई है और यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने दक्षिणी आर्काट, चिंगेलपुट्टू और तीरूनेलवेली जिलों में वर्ष 1981-82 के दौरान तीन नयी मछुवा विकास एजेंसियां स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है।

(ग) और (घ) 1981-82 के दौरान एक मछुवा विकास एजेंसी की स्थापना करने की स्वीकृति के बारे में विचार किया जा सकता है। सामान्य शर्तें जोकि देश में अन्य मछुवा विकास एजेंसियों पर लागू होती है, तमिलनाडु के मामले में भी लागू होती है। कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित हैं—

(1) एजेंसी पर होने वाला व्यय भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 50:50 की साझेदारी के आधार पर वहन किया जाएगा।

(2) एजेंसी के लिए कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा तैनात किए जाएंगे।

(3) सरकार पंचायत स्थानीय निकायों के स्वामित्व के तालाब तथा झीलें किसानों को लम्बी अवधि के पट्टे पर दी जाएंगी।

दिल्ली में सहकारी बाजार

3344. श्री आर० पन० राकेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सहकारी संगठनों की संख्या तथा उनके नाम क्या है;

(ख) इन संगठनों के कर्मचारियों की श्रेणी-वार और पद-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी में संख्या कितनी है और क्या इन संगठनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पिछला कोटा पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) दिल्ली में करीब 4,500 सहकारी समितियां हैं। मांगी गई विस्तृत सूचना दिल्ली प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, सहकारी समितियों के कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धित समितियों द्वारा की जाती है।

प्रशासन से सूचना एकत्र करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए हिदायत दी जा रही है कि सहकारी संगठनों में कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित मामलों में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को उचित स्थान दिया जाए।

केन्द्रीय जल आयोग में हिन्दी अधिकारियों के पदों के लिए भर्ती

3345 **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 1981 के अन्त में परिचालित किए गए हिन्दी अधिकारियों के पदों के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को परीक्षा और साक्षात्कार के लिए कब बुलाया गया और कितने व्यक्तियों को छोड़ दिया गया ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) पंद्रह।

(ख) इनमें से आठ व्यक्तियों को, जो पात्रता की शर्तें पूरी करते थे, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए क्रमशः दिनांक 5 अक्तूबर, 1981 तथा 12 नवम्बर, 1981 को बुलाया गया था।

महाराष्ट्र को चावल, गेहूं, चीनी और खाने के तेलों का आवंटन

3346. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की चावल, गेहूं, चीनी और खाने के तेलों की कुल मांग कितनी है।

(ख) क्या यह सच है कि इन चारों चीजों के लिए किया जाने वाला आवंटन कुल मांग से बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें नवम्बर, 1981 से फरवरी, 1982 तक चावल, गेहूं, चीनी और खाने के तेलों की मासिक मांग और आवंटन का ब्यौरा दिया गया है । जहां तक चावल का संबंध है, राज्य सरकार की समस्त मांग को पूरा किया जा रहा है । शेष जिन्सों के बारे में स्थिति इस प्रकार है—

गेहूं : विभिन्न राज्यों संघ शासित प्रदेशों को गेहूं का आवंटन केन्द्रीय भण्डार में गेहूं की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, मण्डी में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है । अतीत में राज्यों द्वारा मांगे गए आवंटन और भुगतान पर वास्तविक मांग के बीच बहुत अधिक अन्तर हुआ करता था । गेहूं के आवंटन में इस विकार को दूर करने और केन्द्रीय भण्डार में गेहूं के स्टाक को सुरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर फ्लोर मिलों को जारी करने के लिए गेहूं के आवंटन का अगस्त, 1980 से युक्तियुक्तकरण कर दिया गया था ताकि इसे अतीत की उठान की प्रवृत्तियों के अनुरूप लाया जा सके । वर्तमान कमी के समय को देखते हुए महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के आवंटन को मार्च, 1982 के महीने के लिए 40,000 मीटरी टन से बढ़ाकर 45,000 मीटरी टन कर दिया गया है ।

चीनी : 17 दिसम्बर, 1979 से चीनी पर आंशिक नियंत्रण की नीति को लागू करने से राज्यवार कोटों के आवंटन की प्रणाली को 16 8-1978 को चीनी से नियंत्रण हटाने की तारीख से तुरन्त पूर्व की अवधि को लागू आंशिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न राज्यों को आवंटित किए जा रहे कोटों के आधार पर बहाल कर दिया गया है । तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए 24,743 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा प्राप्त हो रहा है । ये कोटे 1-4-1978 को परियोजित जनसंख्या के लिए उपलब्ध प्रतिमास प्रति व्यक्ति 425 ग्राम की मात्रा के आधार पर निर्धारित किए गए थे । लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता होने के कारण, अब तक विभिन्न राज्यों के कोटों में वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है ।

खाने के तेल : राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाने के आयातित तेलों का आवंटन मांग, देशी तेलों की उपलब्धता, उपभोक्ताओं की तरजीह आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है । महाराष्ट्र एक तेल उत्पादक राज्य है और इसलिए आशा है कि उनकी आवश्यकता के पर्याप्त भाग को राज्य में उपलब्ध देशी तेल से पूरा किया जा सकेगा । इसको दृष्टि में रखते हुए, खाने के आयातित तेलों के वर्तमान आवंटन को उचित समझा जाता है ।

विवरण

नवम्बर, 1981 से फरवरी, 1982 तक महाराष्ट्र की चावल, गेहूं, चीनी और खाने के तेल की मांग और उनके किए गए आवंटन को बताने वाला विवरण

मास	चावल		गेहूं		रोलर फ्लोर मिलें		चीनी		खाने का तेल	
	मांग	आवंटन	सार्वजनिक वितरण प्रणाली				मांग	आवंटन	मांग	आवंटन
			मांग		आवंटन					
नवम्बर, 81	75.0	75.0	60.0	40.0	40.0	30.0	सू० न०	24.743	13.0	4.5
दिसम्बर, 81	75.0	75.0	60.0	40.0	40.0	30.0	सू० न०	24.743	13.0	3.6
जनवरी, 82	75.0	75.0	60.0	40.0	40.0	30.0	सू० न०	24.743	13.0	3.2
फरवरी, 82	75.0	75.0	60.0	40.0	40.0	30.0	सू० न०	24.743	13.0	3.2

(सू० न०=सूचित नहीं किया।

पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई परियोजनाओं के लिए परिव्यय

3347. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी पंचवर्षीय योजनाओं में बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) प्रत्येक योजना में इन सिंचाई शीर्षों के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ग) प्रत्येक योजना में कितनी धनराशि खर्च की गई और प्रत्येक योजना में राज्य-वार वस्तुतः कितना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किया गया ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउररहमान अंसारी) : (क) सभी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए बृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के वास्ते कुल परिव्यय 20,282 करोड़ रुपये हैं ।

(ख) प्रत्येक योजना में बृहद तथा मध्यम सिंचाई के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :—

योजना	(हजार हैक्टेयर) लक्ष्य
पहली योजना (1951—56)	3468
दूसरी योजना (1956—61)	4854
तीसरी योजना (1961—66)	4481
वार्षिक योजना (1966—69)	2543
चौथी योजना (1969—74)	4766
पांचवीं योजना (1974—78)	4300
वार्षिक योजना (1978—80)	2480
छठी योजना (1980—85)	5741

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

3348. **श्री के० राममूर्ति** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितनी अनधिकृत कालोनियां हैं और उनमें लगभग कितने लोग रहते हैं;

(ख) दिल्ली में कितने शहरीकृत गांव हैं और उनकी जनसंख्या कितनी है; और

(ग) दिल्ली की बृहद योजना का उल्लंघन करते हुए पिछले दस सालों के दौरान कितनी अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया गया ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गैर-सरकारी भूमि पर विद्यमान अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सरकारी आदेशों के अनुसरण में क्रमशः 30-6-77 तथा 16-2-77 तक निर्मित रिहायशी तथा वाणिज्यिक संरचाओं को शामिल करके कुल 612 अनधिकृत कालोनियों की एक सूची संकलित की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इन कालोनियों की जनसंख्या लगभग 10 लाख है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली वृहद योजना की नगरीकरण योग्य सीमा के भीतर 111 ग्राम हैं तथा 1971 की जनगणनानुसार इन ग्रामों की जनसंख्या लगभग 2,47,840 है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसने उन 17 कालोनियों को नियमित किया है जोकि दिल्ली की वृहद योजना के अनुसार, भू-उपयोग में परिवर्तन की शर्त पर, रिहायशी भू-उपयोग की बजाय अन्य भू-उपयोग पर अवस्थित है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सरकारी नीति के अनुसार 50 कालोनियां नियमित की गई हैं जो कि वृहद योजना के अनुसार पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से अनुरूप न होने वाले भू-उपयोग पर स्थित हैं।

बड़े शहरों की पर्यावरणीय दशा में सुधार

3349. **श्री एन० के० शेजवलकर :**

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की बड़े शहरों जैसे दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में पर्यावरणीय दशाओं को सुधारने के लिए क्या योजना है; और

(ख) सरकार द्वारा पर्यावरण में सुधार के लिए कौन से कदम उठाने की योजना है जिससे भारत के "बी" श्रेणी के शहरों विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य में पर्यावरण की स्थिति बिगड़ने से रोकी जा सके ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) गन्दी बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार की योजना राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में चलाई जा रही है। गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिए मध्य प्रदेश योजना में छठी योजना अवधि के लिए 800 लाख रुपये का परिव्यय किया गया है। यह कार्यक्रम विभिन्न शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार चलाया जाता है।

उर्वरकों की खपत

3350. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरकों की राज्य वार खपत का निर्धारण कर लिया गया है

और राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि कार्यक्रम में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाये;

(ख) क्या गत तीन वर्षों से सम्बन्धित उर्वरकों की खपत सम्बन्धी विश्लेषण यह दर्शाता है कि वृद्धि दर 5 प्रतिशत से भी कम रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिक उत्पादन का क्षेत्र 1.9 मिलियन हैक्टयर से उत्तरोत्तर बढ़कर वर्ष 1981 में 14 मिलियन हैक्टयर हो गया है, जो निश्चय ही एक विचलनकारी बात है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) 1979-80 में उर्वरक खपत में वृद्धि की दर 2.7 प्रतिशत थी । 1980-81 में यह बढ़कर 4.9 प्रतिशत हो गयी और 1981-82 में इसके बढ़कर 11.1 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

दिल्ली में पानी की सप्लाई में वृद्धि

3351. श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री रशीद मसूद : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 1975 से पहले मंत्रालय द्वारा गठित 'दिल्ली वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज' समिति ने अपनी रिपोर्ट में राजधानी में जनसंख्या में वृद्धि और शहर में कालोनियों के वृहद निर्माण के साथ बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए राजधानी में पानी की सप्लाई में वृद्धि के लिए कुछ सुझाव दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो यह बताते हुए कि क्या सरकार ने समिति द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार किया है उन सुझावों की विशेषताएं क्या हैं और उनके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा गठित दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन (बृहत योजना के लिए मार्ग निर्देशन) समिति ने 1975 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में दिल्ली की वर्ष 1981 के लिए पानी की आवश्यकता का निम्न प्रकार से अनुपान लगाया था—

	कि० लीटर प्रतिदिन
(1) घरेलू उपयोग	13,69,000
(2) औद्योगिक वाणिज्यिक उपयोग	157900

	कि० लीटर प्रतिदिन
(3) सामुहिक सुविधायें	140800
	1667700
	या
	1670000
(4) आस-पास के पार्कों, जिला पार्कों, क्षेत्रीय पार्कों तथा अर्द्ध सार्वजनिक पार्कों के लिए पानी की आवश्यकता	220000
	1890000
	या
	1900000
	या
	418 एल०जी०डी

दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान इस समय 303 एम०जी०डी० पानी देता है। 148 एम०जी०डी० के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य आरम्भ किये गये हैं :—

(1) शाहदरा में 30.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 100 एम०जी०डी० का एक जल शोधन यन्त्र स्थापित किया जा रहा है।

(2) 1.91 करोड रुपये की अनुमानित लागत से 15 एम०जी०डी० पानी प्राप्त करने के लिए 6 रैनी कुएं खोदे जा रहे हैं।

अतिथि नियंत्रण आदेश के बारे में कानून

3352. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्यमान अतिथि नियंत्रण आदेश को सख्त बनाने के लिए कोई विस्तृत कानून बनाने का विचार है ताकि विवाह व्यय की सीमा निर्धारित की जा सके और विवाहों पर विशाल तथा अनावश्यक व्यय की प्रवृत्ति रोकी जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) फिलहाल, सरकार का ऐसा कोई विस्तृत कानून बनाने का विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश की ग्रामीण विकास एजेंसियां

3353. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की स्थापना की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन एजेंसियों में जनता और ग्रामीण प्रतिनिधि शामिल करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) ये पूर्णतः संगठित एजेंसियां अपना कार्य कब तक शुरू कर देंगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां। मध्य प्रदेश के सभी 45 जिलों में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की स्थापना हो गई है।

(ख) भारत सरकार द्वारा जारी किए गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों में कलैक्टर/उपायुक्त जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष होंगे। परियोजना अधिकारी/परियोजना निदेशक की सहायता के लिए एक आयोजना दल होगा जिसमें ऋण आयोजना अधिकारी, ग्रामीण उद्योग अधिकारी, अर्थशास्त्री/सांख्यिकीविद्, 3-4 सहायक परियोजना अधिकारी तथा अन्य सहायक कर्मचारी शामिल होंगे।

(ग) जी हां। एजेंसियों की शासी निकाय के राज्यों में जिले के संसद् सदस्य/विधान सभा सदस्य कमजोर वर्गों के दो प्रतिनिधि जिनमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होगा तथा एक ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधि होगा, रखे जाते हैं।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि जनता तथा ग्रामीण प्रतिनिधियों को नामित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ङ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ये पूर्णतः गठित एजेंसियां शीघ्र ही कार्य करना आरम्भ कर देंगी।

सब्जियों की सघन खेती की योजना का कार्यान्वयन

3354. **श्री एस० ए० दौराई सैबस्तियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा हाल में घोषित किये जाने के अनुसार देश के बड़े शहरों में सब्जियों की सघन खेती की योजना का ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) कितने शहरों में इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी मात्रा में सब्जियां उगाई जायेंगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) छठी योजना के दौरान अन्तरिक खपत तथा निर्यात के लिए 6 करोड़ रु० के परिव्यय से सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने की एक योजना पर विचार किया गया है ताकि क्षेत्र तथा प्रति इकाई उत्पादकता में वृद्धि करके सब्जियों का उत्पान बढ़ाया जा सके। इसमें फसल की कटाई के बाद उसकी संभाल,

पैकिंग का मानकीकरण, सब्जियों की नियंत्रित आपूर्ति, आदानों तथा तकनीकी जानकारी की आपूर्ति के लक्ष्य भी सम्मिलित हैं।

निर्यात हेतु उत्तम सब्जियों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। विदेशी मंडियों में स्वीकार की जाने वाली सब्जियों की मानक श्रेणियों का उत्पादन किया जायेगा। बड़े शहरों के आस-पास सब्जियों का उत्पादन किया जायेगा। एकत्रीकरण केन्द्रों, वर्गीकरण तथा पैकिंग सदनों तथा गैर-वित्तीय आदानों की आपूर्ति की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत शाक/पोषक वाटिकायें लगाने पर भी ध्यान दिया जायेगा।

(ख) इस योजना का देश के 15 शहरों में क्रियान्वयन किया जाना है। इसके अन्तर्गत लगभग 25,000 हैक्टयार क्षेत्र लाया जायेगा, जिसके फलस्वरूप 7.5 लाख मीटरी टन सब्जियों का अतिरिक्त उत्पादन होगा।

नई दिल्ली में साधनगर कालोनी के क्षेत्र का सीमांकन

3355. **श्री शिवु सोरन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की पालाम कालोनों में साधनगर पार्ट दो को नियमित कर दिया गया है, और यदि हां, तो साधनगर पार्ट दो के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं और इसे सीमांकन की स्थिति क्या है, तथा अन्य तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या साधनगर पार्ट दो के अन्तर्गत साधनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र आता है, यदि नहीं, तो साधनगर के शेष क्षेत्र को कब नियमित किये जाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार इसी कालोनी के इन्द्रा पार्क मौहल्ले को नियमित करने के बारे में भी विचार कर रही है, यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों का कार्यान्वयन

3356. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने भूमि सुधार कानून के अन्तर्गत भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के कार्यान्वयन के लिए पहली बार कब निर्णय लिया और भूमि का क्षेत्र, राज्य-वार जिसे सरकार ने उस समय स्वीकार करने की योजना बनाई और उसका आधार क्या था;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने भूमि सुधार कानून के अन्तर्गत भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों का सख्ती से कार्यान्वयन किया है और जिन्होंने भूमिहीन कृषकों को यह भूमि वितरित की है; और अब तक प्राप्त की गई भूमि और वह भूमि जिसे अभी प्राप्त करना है; उसका कारण बताते हुए राज्य-वार भूमि का क्षेत्र क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार की ढील के कारण बड़े भूतपूर्व भूमिस्वामियों, किसानों और राजाओं ने बेरामी कार्यों और अन्य गैर-कानूनी तरीकों से भूमि पर अपना कब्जा बना रखा है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) पांचवें तथा छठे दशकों के दौरान अनेक राज्यों में कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून बनाए गए थे। इन कानूनों में 23 जुलाई, 1972 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में तैयार किए राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप संशोधन किया गया था। उस समय ऐसे क्षेत्र जिसे फालतू घोषित किए जाने की सम्भावना थी, का कोई अनुमान नहीं लगाया गया था।

(ख) यद्यपि भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य बचनबद्ध है, फिर भी भूमि काश्तकारी प्रणाली भूमि राजस्व प्रशासन, अदालती मामलों के लम्बित होने, भूमि अभिलेख के रखरखाव आदि में भिन्नता होने के कारण विभिन्न राज्यों की अपनी विशेष समस्याएं रही हैं जिनसे इन राज्यों में भूमि सुधार के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अड़चनें पैदा होती हैं। भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधित कानूनों के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में फालतू घोषित क्षेत्र तथा कब्जे में लिए गए क्षेत्र को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) उन राज्य सरकारों जो भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को लागू कर रही है, की ओर से जानबूझकर ढील देने का कोई संकेत नहीं मिला है, इन कानूनों में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रयोजनों हेतु बेनामी तथा अन्य दुर्भावपूर्ण हस्तांतरणों की अवहेलना करने की पहले ही व्यवस्था है।

विवरण

संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत फालतू घोषित क्षेत्र तथा कब्जे में लिया गया क्षेत्र

(क्षेत्र एकड़ों में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	फालतू घोषित क्षेत्र	कब्जे में लिया गया क्षेत्र
आन्ध्र प्रदेश	10,15,171	4,43,655
असम	5,81,540	5,06,866
बिहार	2,33,205	1,44,008
गुजरात	1,32,288	48,025
हरियाणा	27,642	18,319
हिमाचल प्रदेश	1,36,109	1,35,293
जम्मू तथा कश्मीर	—	—
कर्नाटक	2,69,205	89,606

केरल	1,19,674	80,199
मध्य प्रदेश		12,115
महाराष्ट्र		31,586
मणिपुर		36
उड़ीसा		20,479
पंजाब		15,731
राजस्थान	2,45,769	2,18,598
तमिलनाडु	79,292	75,840
त्रिपुरा	1,881	1,563
उत्तर प्रदेश	2,82,006	2,59,963
पश्चिमी बंगाल	1,57,014	99,793
दादरा तथा नगर हवेली	8,958	6 180
दिल्ली	780	413
पांडिचेरी	2,520	1,006
योग	41,07,056	26,89,274

कावेरी जल विवाद

3357. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों तथा केरल सरकार के बीच कावेरी नदी जल विवाद किस चरण पर है; और

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगी कि बहुत लम्बे समय से चले आ रहे इस विवाद का शीघ्र परस्पर सहमति से समाधान हो ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) कावेरी जल-विवाद का शीघ्र समाधान करने उद्देश्य से कावेरी बेसिन वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों की 3 अप्रैल, 1982 को एक बैठक आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है ।

कार्य कर रहे पम्प सेट

3358 **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कार्य कर रहे पम्प सेटों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) पम्प सेटों से कितनी हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियउर्रहमान अंसारी) : (क) यह अनुमान है कि मार्च, 1981 के अन्त तक 7.1 मिलियन पम्पसेट प्रतिष्ठापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 2.8 मिलियन पम्पसेट डीजल से चलने वाले हैं तथा 4.3 मिलियन बिजली से चलने वाले हैं। राज्यवार स्थित विवरण में दी गई है।

(ख) पम्पसेट अधिकांशत: खुदाई कूओं, गैर-सरकारी उथले नलकूपों, सरकारी गहरे नलकूपों जैसी भूमिगत जल-संरचनाओं पर तथा भूतल लिफ्ट सिंचाई स्कीमों पर भी प्रतिष्ठापित दिए गए हैं। मार्च, 1981 तक पम्पसेटों से सिंचाई सहित, भूमिगत जल साधनों के माध्यम से 23.2 मिलिमन हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की गई है।

विवरण

मार्च, 1981 के अन्त में सिंचाई प्रयोजनों के लिए कार्य कर रहे पम्पसेटों की अनुमानित संख्या

(संख्या)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बिजली से चलने वाले पम्प सेट	डीजल से चलने वाले पम्प सेट	जोड़
	1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	429116	149300	578416
2.	असम	1890	600	2490
3.	बिहार	159927	137000	296927
4.	गुजरात	231243	596500	827743
5.	हरियाणा	225454	63250	288704
6.	हिमाचल प्रदेश	1722	700	2422
7.	जम्मू व कश्मीर	1065	500	1565
8.	कर्नाटक	108721	50000	358721
9.	केरल	91386	28600	119986
10.	मध्य प्रदेश	316987	93500	410487
11.	महाराष्ट्र	668054	220000	888054
12.	मणिपुर	—	—	—
13.	मेघालय	50	300	350
14.	नागालैण्ड	—	—	—
15.	उड़ीसा	16296	2100	18396
16.	पंजाब	283239	272000	555239
17.	राजस्थान	208769	59100	267869
18.	सिक्किम	—	—	—

1	2	3	4
19. तमिल नाडु	919165	119000	1038165
20. त्रिपुरा	370	100	470
21. उत्तर प्रदेश	402865	911000	1313865
22. पश्चिम बंगाल	24888	97500	122388
जोड़-राज्य	4291207	2881050	7092257
जोड़-संघ राज्य क्षेत्र	22882	13600	36482
अखिल भारत-जोड़	4314089	2814650	7128739
अर्थात्	4.3 मिलियन	2.8 मिलियन	7.1 मिलियन

भूमि और विकास अधिकारी द्वारा परिसरों के दुरुपयोग पर प्रभार लगाया जाना

3359. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पट्टे के नामों और परिसरों के पतों के साथ-साथ पट्टे/भूतपूर्व पट्टेधारियों द्वारा भूमि और विकास अधिकारी (निर्माण और आवास मन्त्रालय) के विरुद्ध पट्टे उल्लंघन (आवासीय परिसरों का दुरुपयोग) के बारे में पुनः प्रवेश या धमकाने पर पुनः प्रवेश सहित आवासीय परिसरों के दुरुपयोग के कितने मामले न्यायालय के अन्तर्गत हैं, और ऐसे कितने मामलों पर उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा गत पांच वर्षों की अवधि में निर्णय दिया गया, उन पट्टेधारियों के नाम क्या हैं; परिसरों के पते क्या हैं और उनके फैसले की तारीख क्या है; और

(ख) भूमि और विकास कार्यालय द्वारा आवासीय परिसरों का वाणिज्यिक उपयोग के लिए लगाए गए दुरुपयोग के अत्यधिक प्रभारों के विरुद्ध अपील करने के लिए पट्टेधारी को अन्य क्या उपचार उपलब्ध किए जाते हैं ?

संसदीय तथा निर्माण और और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) भूमि और विकास अधिकारी के पास उपलब्ध सूचनानुसार 40 मामले हैं (सूची विवरण के रूप में संलग्न हैं) पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा निपटाये गये मामलों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना शून्य है।

(ख) रिहायशी परिसरों के वाणिज्यिक प्रयोग पर प्रभार उक्त विषय पर सरकार के अनुदेशों के अनुसार लगाए जाते हैं। पट्टे की प्रथा, जो कि पट्टाकर्ता और पट्टेदार के मध्य अनिवार्य अनुबन्ध है, के अनुसार कोई अपील प्राधिकारी नहीं हैं।

विवरण

क्रम सं०	पट्टाधारी/भूतपूर्व पट्टाधारी का नाम तथा पता	सम्पत्ति का विवरण
	1	2
1.	श्री एच० आर वढेरा, 15-बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली	44/148, 15-बाराखम्बा रोड
2.	मैसर्स नई दिल्ली होटल्ज़ लि०, 27-बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली	50/148, 27-बाराखम्बा रोड
3.	मैसर्स सागोन बिल्डर्स, आत्मा राम हाऊस, सी०-37, कनाट सर्कस	43-ए/148, 1-किलिंग रोड
4.	मैसर्स अन्सल एण्ड सहगल प्रा० लि०, 115-अन्सल भवन, कस्तूरबा गांधी, नई दिल्ली	56/146, 16-कर्जन रोड
5.	मैसर्स साईकिल इक्प्मैन्ट, 3, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली	43-बी/148, 3-किलिंग रोड
6.	मैसर्स अन्सल एण्ड सहगल प्रा० लि०, 16-कर्जन रोड, नई दिल्ली	6/134, 19-कर्जन रोड
7.	सर्वश्री सुरेन्द्र लाल एण्ड अदर्स, 26-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली	2-ए/205, 26-ए बाराखम्बा रोड
8.	सर्वश्री गंगाराम, एण्ड अदर्स, 18-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली	6/205, 18-बाराखम्बा रोड
9.	सर्वश्री लाल कुमार एण्ड अदर्स, निर्मल टावर प्रा० लि०, 26-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली	2-बी/205, 26-बाराखम्बा रोड
10.	मैसर्स अबास्कर कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि० 26-कर्जन रोड, नई दिल्ली	51/148, 26-कर्जन रोड
11.	मैसर्स अशोका एस्टेट लि०, 24-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली	3/205, 24-बाराखम्बा रोड
12.	बाबा दान सिंह, 14-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली	8/205, 14-बाराखम्बा रोड
13.	मैसर्स आत्मा राम प्रा० लि०, 37-सी कनाट सर्कस, नई दिल्ली	सिन्धिया हाऊस
14.	श्री जगदीश कुमार अग्रवाल 16 हैलीरोड, नई दिल्ली	12/148, 16-हैलीरोड,
15.	श्रीमती गणवंति, 3401-गली बाक, हौज़काज़ी, दिल्ली	जी-6, कनाट प्लेस

1	2
16. श्री जे० एन० गंजू द्वारा श्री आर० एन० गंजू, 7/1 पुराना सर्वे रोड, देहरादून	जी-9, कनाट प्लेस
17. लाईफ इन्शोरेन्स कारपोरेशन, लक्ष्मी इन्शोरेन्स बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली	एच-4 कनाट सर्कस
18. मैसर्स के० एल० पुंज एण्ड सन्स, पुंज हाऊस, एम-13, कनाट सर्कस, नई दिल्ली	एम-20, कनाट सर्कस
19. मैसर्स के० एल० पुंज एण्ड सन्स, पुंज हाऊस, एम-13, कनाट सर्कस, नई दिल्ली	एम-21, कनाट सर्कस
20. श्री मुरारी लाल एण्ड अदर्स, 48-जनपथ, नई दिल्ली	134/22, जनपथ
21. श्रीमती कमला देवी, 50-जनपथ, नई दिल्ली	134/23, जनपथ
22. स्वर्गीय श्री रघुबीर सिंह के उत्तराधिकारी, 3-सुलतान सिंह बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली	134/36, जनपथ
23. श्रीमति राज रानी, 1110-कूचा हरजसमल, बाजार सीता राम, दिल्ली	90/2 सी सी-कनाट सर्कस
24. श्रीमति राजेश्वरी देवी, 6-फ्रैन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली	90/21 सी- कनाट सर्कस
25. श्री एस० पी अग्रवाल एण्ड अदर्स, अल्का होटल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली	90/16 सी सी-कनाट सर्कस
26. श्री दौलत राम द्वारा श्रीमती कौशल्या रानी एण्ड अदर्स, 12/20 आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली	90/1 सी सी-कनाट सर्कस
27. डा० एस० के० सैन, 48-हनुमान रोड, नई दिल्ली	127(22)-48 हनुमान रोड
28. श्री हाजीशेख नाथू एण्ड अल्लाहवक्श के उत्तराधिकारी द्वारा एच० एस० नाडू एण्ड कं०, मकराना, राजस्थान	127(16बी)-55-हनुमान रोड
29. श्रीमती त्रिलोचन कौर, 31-हनुमान रोड, नई दिल्ली	127(12 ए) 31-हनुमान रोड
30. जिन्दल इण्डिया प्रा० लि०, 56-हनुमान रोड, नई दिल्ली	127(23ई) 56-हनुमान रोड
31. श्री बिक्रम सिंह, 34-ए०, निज़ामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली	91(1-2) 1, 3, 5 लेडी हर्डिंग रोड

1	2
32. श्रीमती टी० के० मरवाह, 14-जोर बाग, नई दिल्ली, पट्टाधारी 172/14, जोर बाग, नई दिल्ली	प्लाट नं० 14, ब्लाक नं 172, जोर बाग
33. श्रीमती शान्ता सिम्मा चिनेय, 20-सुन्दरनगर, नई दिल्ली	प्लाट नं० 20, ब्लाक नं० 172, सुन्दर नगर, नई दिल्ली
34. श्री सज्जन सिंह, सी० 389, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली	205 सी(72) 2-बाजार रोड, नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है
35. श्री बिक्रम सिंह, 51-बाबर रोड, नई दिल्ली	205 सी(91), 51-बाबर रोड, नई दिल्ली
36. श्रीमती सावित्री देवी शर्मा, द्वारा श्री जी० सी० शर्मा, 28/जी० 2, कनाट सर्कस, नई दिल्ली	10/38, गाल्फलिक, नई दिल्ली
37. मूल चन्द रस्तोगी, द्वारा मैसर्स यूनाइटिड ग्लास कं०, जामा मस्जिद, डिस्पेन्सरी के सामने, दिल्ली	171/125, सुन्दर नगर, नई दिल्ली
38. श्री तीर्थ राम आहूजा, 2, फ्रैन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली	205 ए/7, 16-फायर ब्रिगेड लाईन, नई दिल्ली
39. मैसर्स सन्त वीर ब्रदर्स, ए-6, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली	172/160, जोरबाग, नई दिल्ली
40. मैसर्स एडवर्ड केवेन्टर, सरदार पटेल रोड, नई दिल्ली	मैसर्स एडवर्ड केवेन्टर डेरी, सरदार पटेल रोड, नई दिल्ली

नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जल पूर्ति कार्यक्रम

3360. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने 14 जनवरी, 1982 को एक नये 20-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है;

(ख) क्या सूत्र 8 समस्याग्रस्त गांवों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करने के बारे में है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार समस्या का स्थायी हल निकालने की दृष्टि से एक विशेष संगठन गठित करेगी तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेय जल की समस्या जहां इसने गम्भीर रूप धारण कर लिया है और जहां जल की पूर्ति प्रतिवर्ष टैंकरों द्वारा की जाती है तथा जल पूर्ति

योजना पर मैदानी क्षेत्रों की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक लागत आती है, के बारे में छठी पंच-वर्षीय योजनावधि में विशेष सहायता प्रदान करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवस मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और राज्य योजनाओं में दी गई निधियों से राज्य सरकारों द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं तथा कार्यान्वित की जाती हैं । तथापि, समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दी जाती है । छठी योजना के दौरान पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को पूरे वर्ष भर पानी उपलब्ध कराने वाले कम से कम एक स्रोत के साथ स्वच्छ पेय जल मुहैया करने का प्रयास किया जाएगा ।

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

3361. श्री पीयूष तिरकी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो सालों के दौरान उर्वरकों के मूल्य में कितनी बार वृद्धि हुई ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : उर्वरकों के मूल्यों में जून, 1980 और जुलाई, 1981 में वृद्धि की गई थी ।

जयकवाड़ी परियोजना के लिए सहायता

3362. श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पैठां के निकट जयकवाड़ी परियोजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ख) परियोजना की लागत कितनी है और वहां से कितना क्षेत्रा प्राप्त होने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सिंचाई एक राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी समस्त विकास योजनाओं के अन्तर्गत स्वयं की जाती है । राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है और उसे विकास के किसी विशेष सेक्टर अथवा परियोजना से सम्बद्ध नहीं किया जाता ।

(ख) परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 314.29 करोड़ रुपए है और अन्ततः सृजनीय सिंचाई क्षमता 2.77 लाख हैक्टेयर है ।

रेपसीड तेल की लोकप्रियता

3363. श्री मोहन लाल पटेल : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) रेपसीड तेल के बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या यह सच है कि बिना बिक्री का रेपसीड तेल बहुत अधिक मात्रा में पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री(श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) आयातित रेपसीड तेल, उत्तरी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को दिया जाता है । इन राज्यों से रेपसीड तेल की मांग बढ़ती जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज

3364. श्री मोहन लाल पटेल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 तक दिल्ली में भूमि के आवंटन के लिए पंजीकृत ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के नाम क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा कौन-कौन से स्थलों की पेश-कश की गई और किस दर पर;

(ग) प्रति व्यक्ति भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(घ) उन पंजीकृत सोसाइटियों को भूमि का आवंटन करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नर्मदा घाटी परियोजना के लिए सहायता

3365. क्या श्री मोहन लाल पटेल : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने गुजरात के अपने अपने अभी हाल ही के दौरे के दौरान यह आश्वासन दिया था कि नर्मदा घाटी परियोजना के लिए सभी प्रकार आवश्यक केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा के लिए आवंटित खाद तेल

3366. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में उड़ीसा के लिए कुल कितना खाद्य तेल आवंटित किया गया।

(ख) क्या सरकार के पास उड़ीसा के लिए वर्ष 1982-83 में खाद्य तेल का आवंटन बढ़ाने के बारे में एक प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त वित्तीय वर्ष में उड़ीसा के लिए कुल कितना खाद्य तेल आवंटित करने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री मोहम्द उस्मान आरिफ) : (क) अप्रैल, 1981 से मार्च, 1982 तक उड़ीसा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 7654 मीटरी टन आयातित खाद्य तेल आवंटित किए गए।

(ख) से (घ) राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन मांग के यथार्थपरक अनुमान, खपत के स्वरूप, क्षेत्र के भीतर देशी तेलों की उपलभ्यता, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध स्टाक तथा पहले आवंटित किए गए तेलों को उठाने की गति जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान उड़ीसा के लिए मासिक आवंटनों का निर्धारण भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और इन आवंटनों की कुल मात्रा का पता वर्ष के समाप्त होने के बाद ही चलेगा।

पुन-पुन बाढ़ सुरक्षा व सिंचाई योजना को स्वीकृति

3367. श्री रामावतार शास्त्री : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना, गया, नवादा, औरंगाबाद आदि जिलों के लिए पुन-पुन बाढ़ सुरक्षा-व-सिंचाई योजना सरकार के पास लम्बित पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा कब तक करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) 165.4 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली पुन-पुन बाढ़ सुरक्षा स्कीम, जिसमें पुन-पुन नदी के दाएं किनारे के साथ-साथ एक तटबन्ध के निर्माण की परिकल्पना की गई है, योजना आयोग द्वारा मार्च, 1981 में पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।

बिहार के गया और पटना जिलों में 1,36,156 एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए पुन-पुन दरघा सिंचाई परियोजना की, जिसमें हमीदनगर पर पुन-पुन नदी पर एक बराज और दोनों किनारों पर नहरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है, केन्द्रीय जल आयोग में जांच कर ली गई है और टिप्पणियां राज्य सरकार को सितम्बर और अक्तूबर, 1981 में भेज दी गई हैं।

(ग) राज्य सरकार के उत्तर प्राप्त हो जाने और स्कीम की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने के बाद इस स्कीम पर योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आगे कार्यवाही की जाएगी ।

बिहार की बाढ़ नियंत्रण योजना

3368. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई नई बाढ़ नियंत्रण योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने अक्तूबर, 1981 से अब तक निम्नलिखित चार बाढ़ नियंत्रण स्कीमें गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को, उनकी जांच और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की है :—

क्रम सं०	स्कीमों के नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	अनुमान की वर्तमान स्थिति
1.	संशोधित हरहा जल निकास स्कीमें	441.42	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा टिप्पणियां फरवरी, 1982 में बिहार सरकार को भेजी गई ।
2.	फाडो नदी जल निकास स्कीम	124.36	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में जांच की जा रही है ।
3.	जलपापुर सुरक्षा निर्माण कार्य के लिए पांचवा अनुमान	106.66	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा 96 लाख की लागत पर स्वीकृति दे दी गई ।
4.	लोसी बाढ़ तटबन्ध के चढ़ाव (एफ्लेक्स) बन्ध के लिए पांचवा अनुमान	572.48	जांच की अग्रिम अवस्था में ।

धान की उपज बढ़ाने के लिए सुझाव

3369. **श्री अनन्त रामुलुमल्लु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल विशेषज्ञों ने धान की उपज बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक प्रयोग तथा बेहतर प्रबन्ध पद्धति द्वारा उत्पादन में आने वाली रुकावट को समाप्त करने के लिए कुछ सुझाव दिए है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय राज्यवार धान के कुल उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) हाल में कृषि मंत्रालय को इस प्रकार के कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(लाख मीटरी टन)

	राज्य	धान का उत्पादन
1.	आन्ध्र प्रदेश	107.00
2.	असम	39.76
3.	बिहार	82.14
4.	गुजरात	8.35
5,	हरियाणा	18 42
6.	हिमाचल प्रदेश	1.45
7.	जम्मू तथा कश्मीर	8.25
8.	कर्नाटक	33.45
9.	केरल	19.46
10.	मध्य प्रदेश	60.02
11.	महाराष्ट्र	33.69
12.	मणिपुर	4.09
13.	मेघालय	2.12
14.	नागालैंड	1.52
15.	उड़ीसा	64.96
16.	पंजाब	48.34
17.	राजस्थान	2.25
18.	तमिलनाडु	59.33
19.	त्रिपुरा	5.85
20.	उत्तर प्रदेश	81.60
21.	पश्चिम बंगाल	111.98
22.	संघ राज्य क्षेत्र	5.07
	योग	799.30

रैनेट की खपत

3370. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पनीर बनाने के लिए बछड़ों के आमाशय से प्राप्त रैनेट की खपत कितनी है;

(ख) एक बछड़े के आमाशय से प्राप्त रैनेट की मात्रा कितनी होती है;

(ग) क्या देश में रैनेट की मांग बछड़ों से प्राप्त किए गए रैनेट से पूरी हो जाती है अथवा उसका आयात करना पड़ता है; और

(घ) यदि इसका आयात किया जाता है, तो आयात मात्रा कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र करके लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान से उठाऊ सिंचाई योजनाएं

3371. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या सिंचाई मंत्री राजस्थान नहर के पानी को लिफ्ट करने के बारे में 23 नवम्बर, 981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 78, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार से कितनी उठाऊ (लिफ्ट) सिंचाई योजनाएं प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि पहले परिकल्पित की गई परियोजना के क्षेत्र के बारे में कुछ पुनर्विचार किया गया है और अब कई स्थलों पर लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है। यह भी सूचना मिली है कि राज्य सरकार उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में, जो लिफ्ट सिंचाई के अन्तर्गत आएंगे, कई विकल्पों पर विचार कर रही है।

राजस्थान में मरू उद्यान योजना

3372. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के लिए मरू उद्यान योजना की तरह बीकानेर, चूरू, सीकर और झुनझुन जिलों के लिए भी कोई योजना है जो कि बाड़मेर और जैसलमेर जिलों से अधिक मरुस्थल वाले क्षेत्र हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) सरकार को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचार करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है।

बीकानेर जिले के गांवों में पेय जल

3373. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री बीकानेर जिले के गावों में पेय जल के बारे में 7 दिसम्बर, 1981 के अतारांतिक प्रश्न संख्या 2405 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर जिले के किन गांवों में पेय जल की समस्या नहीं है;

(ख) उन 296 गांवों के नाम क्या हैं जहां पेय जल की समस्या हल हो गई है; और

(ग) शेष गांवों में से किन गांवों में पेय जल समस्या को सुलझाने का कार्य प्रगति पर है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती है। तथापि, समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने में राज्य सरकार के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें केन्द्रीय सहायता दी जाती है। तदनुसार, बीकानेर जिले में पेय जल पूर्ति सुविधाओं के जरूरतमन्द ग्रामों की संख्या राज्य सरकार के पास उपलब्ध होंगी।

बटर आयल का आयात

3374. श्री नवीन रवाणी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान कितना बटर आयल आयात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि बटर आयल जनता को नहीं बेचा जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी स्वामीनाथन) : (क) भारतीय डेरी निगम को कलैंडर वर्ष 1981 के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार स्वरूप 10,984 मीटरी टन बटर आयल प्राप्त हुआ था।

(ख) से (घ) आपरेशन फलड—2 परियोजना के तहत भारतीय डेरी निगम को उपहार के रूप में मिलने वाला बटर आयल प्रमुख रूप से डेरियों द्वारा तरल दूध में समिश्रित करने के लिए जारी किया जाता है। तथापि जल कुछ मात्रा को समिश्रण के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है। लेकिन वह पकवानों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है तो उसे सार्वजनिक सहकारी क्षेत्रों में गठित केन्द्रों के माध्यम से जनता को बेच दिया जाता है।

किसानों को भूमि का वितरण

3375. श्री नवीन रवाणी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1981 तक राज्यों द्वारा भूमिहीन किसानों को अब तक अलग-अलग राज्यवार कितनी भूमि वितरित की गई; और

(ख) इससे लाभान्वित हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत, विशेषकर गुजरात राज्य में, कितना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत वितरित क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों का प्रतिशत

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	वितरित क्षेत्र	लाभभोगियों की संख्या	अनुसूचित जाति के लाभभोगियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	3,04,677	2,10,137	49.6	14.6
असम	3,19,353	2,56,670	9.2	7.5
बिहार	1,37,658	1,52,725	55.4	11.0
गुजरात	6,037	1,458	82.4	7.3
हरियाणा	17,659	5,163	49.3	—
हिमाचल प्रदेश	3,654	4,825	70.0	5.6
जम्मू तथा काश्मीर	—	—	—	—
कर्नाटक	60,332	12,688	56.0	1.7
केरल	52,737	84,692	40.3	5.9
मध्य प्रदेश	80,053	31,849	28.5	42.0
महाराष्ट्र	2,81,586	76,892	31.7	20.4
मणिपुर	—	—	—	—
उड़ीसा	1,01,889	77,788	31.4	30.3
पंजाब	13,407	2,939	45.7	—
राजस्थान	1,19,887	26,152	40.5	15.2
तमिलनाडु	58,257	38,360	44.9	नगण्य
त्रिपुरा	1,034	891	22.7	22.5
उत्तर प्रदेश	2,32,186	1,89,110	73.8†	—
पश्चिम बंगाल	55,658	1,66,255	49.7	18.8
दादरा तथा नगर हवेली	3,406	1,512	0.9	99.1
दिल्ली	—	—	—	—
पांडिचेरी	904	1,010	72.9	—
	18,49,374	13,41,166	41.6	12.6

†अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति भी शामिल हैं ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को जोड़ना

3376. **श्री एन० ई० होरो :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्पर्क करने का है ताकि ग्रामीण जनता को सभी आवश्यक सामग्रियां उचित दामों पर उपलब्ध कराई जा सके जैसा कि इण्डिया इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने सुझाव दिया है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री बालेश्वर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वन मजदूर प्रशिक्षण कार्यक्रम

3377. **श्री के० प्रधानी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पहाड़ों में निवास करने वाले आदिवासी लोगों को रोजगार सुलभ कराने के उद्देश्य से वन मजदूर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्र में जहां आदिवासी लोग रहते हैं, ऐसा कोई वन मजदूर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है; और

(ग) उड़ीसा में शुरू किए गए ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत काष्ठनिष्कासन प्रशिक्षण केन्द्र परियोजना ने, उड़ीसा वन निगम और राज्य वन विभाग की सहायता से थेन्कानेल तथा रेराखेल वन प्रभागों में कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य वन कटाई में उन्नत तकनीकों और औजारों का उपयोग करने में लोगों की प्रशिक्षण देना है ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें और वनों से लाभ की प्रतिशतता बढ़े। उड़ीसा वन निगम, भारत सरकार को काष्ठनिष्कासन प्रशिक्षण केन्द्र परियोजना की सहायता से बदरमा में काष्ठनिष्कासन प्रशिक्षण केन्द्र शुरू कर रहा है। अब तक 27 अनुदेशकों को प्रशिक्षण दिया गया है और उड़ीसा राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में आयोजित 4 कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण शिविरों में 62 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया।

देश में मध्यम और छोटे नगरों को पेय जल की उपलब्धता का सर्वेक्षण

3378. **श्री एच० एन० नन्जे गौंडा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हमारे देश के मध्यम और छोटे नगरों को, विशेषकर ऐसे नगरों में जहां 50 प्रतिशत भी आवश्यकतायें पूरी नहीं होती है, पेय जल की उपलब्धता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने शहर अथवा नगर है जो इस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं;

(ग) क्या इन नगरों शहरों में जल की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए छठी योजना के अन्तर्गत उपयुक्त आबंटन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1982 के दौरान राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के बारे में कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1981 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित कितनी धनराशि राज्य सरकारों द्वारा उपयोग में नहीं लाई जा सकी और प्रत्येक राज्य के पास कितनी राशि जमा है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) शहरी जल पूर्ति राज्य का विषय है तथा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) शहरी जल पूर्ति के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को बाढ़ सहायता

3379. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत-कार्य के लिए धनराशि स्वीकृति की थी; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न जिलों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा अन्य सम्बन्धित ब्यौरा क्या हैं;

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मूंगफली की गहन खेती

3380. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वर्ष 1981-82 में कुछ राज्यों में मूंगफली की खेती के सघन विकास के बारे में विशेष परियोजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन से है और इन राज्यों को 1981-82 के लिए केन्द्रीय सहायता की कुल आवंटित राशि कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं का कार्य निष्पादन कैसा है;

(घ) क्या वर्ष 1981-82 में उड़ीसा में इस परियोजना को लागू किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे राज्यों के नाम का ब्योरा क्या है जहां वर्ष 1982-83 में मूंगफली की खेती के ऐसे सघन विकास के कार्यक्रम को लागू करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1981-82 में एक गहन परियोजना शुरू की गयी थी तथा 1981-82 में इसे जारी रखा गया। 1981-82 के दौरान राज्य को 827.50 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई थी।

(ग) 1980-81 के दौरान परियोजना के तहत् ग्रीष्म मूंगफली के अन्तर्गत 1.42 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लाया गया, जबकि 1979-80 के दौरान इसके अन्तर्गत 68,000 हेक्टेयर क्षेत्र लाया गया था। खरीफ 1981 के दौरान 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से मानसून से पूर्व बुवाई की गयी तथा 2.42 हेक्टेयर क्षेत्र में पूरक सिंचाई की गयी। अधिकतम पौध प्राप्त करने के लिए 4.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में घनी बुवाई की गयी तथा 4.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वनस्पति रक्षण के उपाय किए गए। किसानों को रियायती दरों पर उन्नत उपस्कर तथा वनस्पति रक्षण उपकरण वितरित किए गए। रबी/ग्रीष्म के दौरान 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इसके अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, नहीं। तथापि, छठी योजना के दौरान राज्य में नये सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों के विस्तार सम्बन्धी एक परियोजना पहले से ही चल रही है।

(ङ) 1982-83 के दौरान, गुजरात की तरह मूंगफली के सम्बन्ध में गहन परियोजना शुरू करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

बेघर तथा भूमिहीन हरिजनों को भूमि का वितरण

3381. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के बेघर तथा भूमिहीन जनजातियों और हरिजनों को कृषि तथा मकानों के लिए भूमि वितरण की कोई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने हरिजनों या जनजातियों के लोगों को पट्टे सहित भूमि वितरित की गई है; और

(ग) उन्हें वितरित की गई मकानों और कृषि के लिए भूमि का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) दिल्ली ग्राम पंचायतें विभिन्न गांवों में हरिजनों/भूमिहीन व्यक्तियों को मकानों तथा कृषि के लिए प्लाटों का वितरण कर रही हैं।

(ख) ग्राम पंचायतों द्वारा 3209 हरिजनों को कृषि प्लाट आवंटित किए गए हैं। आम तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को एक एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसके अलावा, 6168 हरिजनों को आवासीय स्थलों का आवंटन भी किया गया है।

(ग) खण्डवार स्थिति को दर्शाने वाला एक वितरण संलग्न है।

विवरण

खण्ड	उन हरिजनों की संख्या जिन्हें कृषि भूमि का आवंटन किया गया है	उन हरिजनों की संख्या जिन्हें आवासीय स्थलों का आवंटन किया गया है।
महरौली	98	373
शाहदरा	305	270
नजफगढ़	1477	1105
अलीपुर	499	2476
कंझावला	330	1944
	3209	6168

दिल्ली दुग्ध योजना की उत्पादन क्षमता

3382. श्री पीयूष तिरकी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उत्पादन बढ़ाने को कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना की तरल दुग्ध और दूध से बनी वस्तुओं की उत्पादन क्षमता इस प्रकार है—

(1) तरल दुग्ध	:	3.75 लाख लिटर प्रतिदिन
(2) घी	:	8 मीटरी टन प्रतिदिन
(3) टेबल बटर	:	6 मीटरी टन प्रतिदिन

(ख) जहां तक घी और मक्खन के उत्पादन का सम्बन्ध है, ये उत्पाद प्रतिवर्ष नवम्बर से फरवरी के दौरान केवल दूध की अधिकता के मौसम में तैयार किए जाते है, जब कच्चे माल से फालतू वसा उपलब्ध होती है। इस समय, दिल्ली दुग्ध योजना उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 3.20 लाख लिटर दूध का वितरण कर रही है।

(ग) जी हां।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना के महा प्रबन्धक से अनुरोध किया गया है कि वे दिल्ली दुग्ध योजना की 3.75 लाख लिटर की वर्तमान क्षमता के स्तर को प्रतिदिन 5 लाख लिटर तक बढ़ाने की सम्भावना का पता लगाए।

"आयल दैट लेफ्ट दैम क्रिपल्ड" शीर्षक समाचार

3383. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1982 के ब्लिट्स में प्रकाशित "आयल दैट लेफ्ट दैम क्रिपल्ड" शीर्षक समाचार की ओर गया है;

(ख) यह जहरीला मूंगफली खाद्य तेल राशन की दुकानों पर कैसे पहुंचा;

(ग) इससे अब तक कितने व्यक्ति शरीरिक रूप से विकृत हुए हैं;

(घ) सरकार द्वारा इसके लिए क्या सहायता दी गई है; और

(ङ) इस घातक तेल "किलर आयल" से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी हां। यह समाचार मूंगफली के तेल के बारे में है, जिसका आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नहीं किया जाता है।

(ख) से (ङ) महाराष्ट्र राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

स्वायत शासन के कार्यकरण की जांच के लिए समिति का गठन

3384. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने म्युनिसिपल गवर्नमेन्ट और प्रशासन के बारे में एक समिति की नियुक्ति की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई प्राथमिक प्रतिवेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदी कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों तथा नगर निगमों के संविधान, शक्तियों तथा कानूनों पर एक अध्ययन दल नियुक्त किया था।

(ख) जी, हां।

(ग) दल ने शहरी शासन के स्वरूप, नगर परिषद् के आकार, नगर निगमों के विभिन्न प्राधिकारियों, राज्य नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण एवं स्थानीय निकायों की बर्खास्तगी के बारे में अन्तरिम सिफारिशें की हैं।

दूध की कमी

3385. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष दूध की कमी लगातार महसूस की जा रही है;

(ख) 1980-81 के दौरान दूध के उत्पादन में कुल कितनी कमी रही और 1982 के दौरान कितनी कमी होने की सम्भावना है;

(ग) दूध की इस कमी के क्या मुख्य कारण हैं; और

(घ) यह कमी पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी और अनुमानों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। वर्ष 1980-81 के दौरान अस्थाई रूप से 315 लाख मीटरी टन दुग्ध उत्पादन का अनुमान है और वर्ष 1981-82 के दौरान 330 लाख मीटरी टन की उपलब्धि की प्रत्याशी है। वर्ष 1982-83 के दौरान 346 लाख मीटरी टन उत्पादन का लक्ष्य है। यद्यपि देश में दुग्ध उत्पादन में समग्र रूप से धीरे-धीरे वृद्धि हुई है, फिर भी यह देश में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं रहा है।

(घ) देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं ये हैं, (1) अज्ञात गोपशुओं का संकर प्रजनन करना; (2) चुनीदा प्रजनन के माध्यम से गोपशुओं और भैंसों की देशी नस्लों का सुधार करना; (3) आपरेशन फ्लड-2 परियोजना का कियान्वयन करना, जिसमें दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम और सहकारी तन्त्र के माध्यम से गोपशुओं/भैंसों के मालिकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए उन्नत परिसंस्करण और विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करना भी शामिल है; (4) हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना के अन्तर्गत हिमित वीर्य का उपयोग करना; (5) चुनींदा गोशालाओं के वैज्ञानिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना, और (6) सभी आवश्यक आदानों और साथ ही साथ सेवाओं की व्यवस्था करके दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही सघन पशु विकास परियोजनायें और प्रमुख ग्राम खण्ड।

(ख) जहां तक घी और मक्खन के उत्पादन का सम्बन्ध है, ये उत्पाद प्रतिवर्ष नवम्बर से फरवरी के दौरान केवल दूध की अधिकता के मौसम में तैयार किए जाते है, जब कच्चे माल से फालतू बसा उपलब्ध होती है। इस समय, दिल्ली दुग्ध योजना उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 3.20 लाख लिटर दूध का वितरण कर रही है।

(ग) जी हां।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना के महा प्रबन्धक से अनुरोध किया गया है कि वे दिल्ली दुग्ध योजना की 3.75 लाख लिटर की वर्तमान क्षमता के स्तर को प्रतिदिन 5 लाख लिटर तक बढ़ाने की सम्भावना का पता लगाए।

"आयल दैट लेफ्ट दैम क्रिपल्ड" शीर्षक समाचार

3383. श्री पीयूष तिरकी : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1982 के ब्लिट्स में प्रकाशित "आयल दैट लेफ्ट दैम क्रिपल्ड" शीर्षक समाचार की ओर गया है;

(ख) यह जहरीला मूंगफली खाद्य तेल राशन की दुकानों पर कैसे पहुंचा;

(ग) इससे अब तक कितने व्यक्ति शरीरिक रूप से विकृत हुए हैं;

(घ) सरकार द्वारा इसके लिए क्या सहायता दी गई है; और

(ङ) इस घातक तेल "किलर आयल" से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी हां। यह समाचार मूंगफली के तेल के बारे में है, जिसका आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नहीं किया जाता है।

(ख) से (ङ) महाराष्ट्र राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

स्वायत शासन के कार्यकरण की जांच के लिए समिति का गठन

3384. श्री चिंतामणि जेना : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने म्युनिसिपल गवर्नमेन्ट और प्रशासन के बारे में एक समिति की नियुक्ति की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई प्राथमिक प्रतिवेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदी कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों तथा नगर निगमों के संविधान, शक्तियों तथा कानूनों पर एक अध्ययन दल नियुक्त किया था।

(ख) जी, हां।

(ग) दल ने शहरी शासन के स्वरूप, नगर परिषद् के आकार, नगर निगमों के विभिन्न प्राधिकारियों, राज्य नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण एवं स्थानीय निकायों की बर्खास्तगी के बारे में अन्तरिम सिफारिशें की हैं।

दूध की कमी

3385. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष दूध की कमी लगातार महसूस की जा रही है;

(ख) 1980-81 के दौरान दूध के उत्पादन में कुल कितनी कमी रही और 1982 के दौरान कितनी कमी होने की सम्भावना है;

(ग) दूध की इस कमी के क्या मुख्य कारण हैं; और

(घ) यह कमी पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी और अनुमानों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। वर्ष 1980-81 के दौरान अस्थाई रूप से 315 लाख मीटरी टन दुग्ध उत्पादन का अनुमान है और वर्ष 1981-82 के दौरान 330 लाख मीटरी टन की उपलब्धि की प्रत्याशी है। वर्ष 1982-83 के दौरान 346 लाख मीटरी टन उत्पादन का लक्ष्य है। यद्यपि देश में दुग्ध उत्पादन में समग्र रूप से धीरे-धीरे वृद्धि हुई है, फिर भी यह देश में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं रहा है।

(घ) देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं ये हैं, (1) अज्ञात गोपशुओं का संकर प्रजनन करना; (2) चुनीदा प्रजनन के माध्यम से गोपशुओं और भैंसों की देशी नस्लों का सुधार करना; (3) आपरेशन फ्लड-2 परियोजना का कियान्वयन करना, जिसमें दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम और सहकारी तन्त्र के माध्यम से गोपशुओं/भैंसों के मालिकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए उन्नत परिसंस्करण और विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करना भी शामिल है; (4) हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना के अन्तर्गत हिमित वीर्य का उपयोग करना; (5) चुनींदा गोशालाओं के वैज्ञानिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना, और (6) सभी आवश्यक आदानों और साथ ही साथ सेवाओं की व्यवस्था करके दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही सघन पशु विकास परियोजनायें और प्रमुख ग्राम खण्ड।

सहायता करे। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार गैर-सरकारी सहयोग कर्त्ताओं, कृषि सहकारिता में विशेषज्ञों तथा कृषक समुदाय के प्रतिनिधियों का तत्काल एक आयोग गठित करे ताकि कृषि सहकारी समितियों की कार्य पद्धति का समीक्षा की जा सके तथा इन बुराइयों को दूर करने और सुधार लाने में उपायों के बारे में तत्काल सुझाव दिए जा सकें जिनसे इन समितियों को नुकसान पहुंच रहा है।

जैव-गैस संयंत्र की स्थापना

3388. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी योजना अवधि के दौरान देश में जैव-गैस संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और उसकी उत्पादन क्षमता क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी हां।

कृषि मंत्रालय ने छठी योजना अवधि के दौरान 50 करोड़ रुपये के परिव्यय की बायो-गस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति दी है। इस परियोजना में 400,000 बायो गैस इकाइयों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ लाभानुभोगियों को राजसहायता देने, राज्य सरकारों को संगठनात्मक सहायता देने, प्रशिक्षण देने आदि की व्यवस्था है। लाभानुभोगी अपनी आवश्यकताओं तथा संसाधनों के अनुसार बायो गैस संयंत्रों की स्थापना करेंगे। इन संयंत्रों की क्षमता इनके आकारों के अनुसार अलग-अलग होगी, जिसमें प्रतिदिन 2 घन मीटर से 85 घन मीटर औसत गैस उत्पादन करने वाले संयंत्र होंगे।

गोबर गैस संयंत्र

3389. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोबर गैस संयंत्रों के निर्माण और जलाने की लकड़ी के लाभप्रद उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत बनाने के लिए दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपर्युक्त प्राकृतिक ऊर्जा के अर्थपूर्ण उपयोग के प्रचार के बारे में राज्यों को मार्गदर्शी निर्देश भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) कृषि मंत्रालय ने बायो-गैस विकास के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना स्वीकृत की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लाभानुभोगियों को बायो-गैस एककों की मूल लागत पर केन्द्रीय राज-सहायता देने का प्रावधान है। वर्ष 1981-82 के दौरान विभिन्न आकार के बायो-गैस एककों पर विभिन्न वर्गों के किसानों को दी जा रही राजसहायता की राशि को दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर दिया गया है।

गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विश्व बैंक सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजनाओं और हिमाचल प्रदेश में भारतीय-जर्मन धौलाधार परियोजना के अन्तर्गत धुंआरहित चूल्हों का प्रदर्शन के लिए विकास किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) बायो-गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे विविध माडलों और विविध एजेंसियों का दृष्टिकोण अपनाएं; राज्य मुख्यालयों और चुने हुए जिलों में बायो-गैस सेलों की स्थापना करें, टर्न-की आधार पर बायो-गैस एककों की स्थापित करने में निगमों का सहयोग प्राप्त करें, बायो-गैस एककों की स्थापना के लिए प्रेरित करने, सम्बर्धन तथा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ग्राम समितियों आदि का सहयोग प्राप्त करें और बायो-गैस के एककों के निर्माण के लिए गांव के मिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।

राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के एक अनुपूरक कार्यक्रम के रूप में धुआंरहित चूल्हों के उपयुक्त माडलों को लोकप्रिय बनाएं।

विवरण

1981-82 के दौरान बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय राजसहायता का स्वीकृति प्रतिमान

संयंत्रों का आकार (घनमीटर)	केन्द्रीय राज सहायता की राशि (रुपए)		
	अनुसूचित जनजातियों और पर्वतीय क्षेत्र के लिए	लघु और सीमान्त किसानों के लिए	अन्यों के लिए
2	1500	1000	750
3	1950	1300	1000
4	2300	1500	1200
6	2900	1900	1500
8	—	—	1500
10	—	—	1600
15	—	—	1900
20	—	—	2650
25	—	—	3600
35	—	—	5740
45	—	—	6470
60	—	—	8110
85	—	—	12110

* खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1974 में विनिर्दिष्ट फ्लोटिंग स्टील गैस होल्डर टाइप बायो-गैस यूनिटों का आकार आयोजना, अनुसंधान और कार्यान्वयन प्रभाग, लखनऊ द्वारा 1980 में विनिर्दिष्ट फिक्स्ड डोम बायो-गैस यूनिटों का आकार।

फसल बीमा योजना लागू करना

3390. **श्री अनन्तरामुलु मल्लु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में शुष्क फसलों के लिए फसल बीमा चालू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्यों के सुझाव मांगे है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राजी होने या कदम उठाने वाले राज्यों के नाम क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा चलाई जा रही वर्तमान मार्गदर्शी फसल बीमा योजना सिंचित, असिंचित तथा सूखा प्रवण सभी क्षेत्रों के लिए है। सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों के लिए प्रीमीयम की दर तथा क्षतिपूर्ति न की जाने वाली सीमा अलग-अलग हैं। यह योजना सिर्फ उन क्षेत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर चलाई जा रही है जहां प्रीमीयम की दरें 5 प्रतिशत तथा क्षतिपूर्ति न की जाने वाली सीमा 30 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(ख) तथा (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

केरल को सप्लाई किया गया खाद्यान्न और चीनी

3391. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976 से 1981 के वर्षों में उचित दर की दुकानों के जरिए वितरण करने हेतु केरल को आवंटित किए गए चावल, गेहूं और चीनों की मात्रा कितनी है और इसका वर्षवार, ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1982 में कितनी मात्रा आवंटित करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है—

(हजार मीटरी टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं	चीनी
1976	902.0	389.0	85.308
1977	1502.5	207.0	9[illegible].438
1978	1620.0	120.0	83.968*
1979	1620.0	120.0	10.495**
1980	1620.0	102.0	125.940
1981	1575.5	48.0	125.940

*केवल अगस्त तक

**17-12-79 से 31-12-79 तक (चीनी पर नियंत्रण न होने के कारण 16-8-78 से 16-12-79 के दौरान का कोई आवंदन नहीं किया गया था)।

(ख) **खाद्यान्न** : केरल सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जनवरी से मार्च, 1982 तक प्रति मास क्रमशः 90,000 मीटरी टन और 4,000 मीटरी टन की दर पर चावल और गेहूं का आवंटन किया गया था। खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, मण्डी में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अतः 1982 की शेष अवधि के दौरान केरल को कितनी मात्रा आवंटित की जाएगी इसका ठीक-ठीक ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

चीनी : जनवरी, 1982 और इसके बाद केरल सरकार को 10.495 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा निरन्तर प्राप्त हो रहा है।

दिल्ली में यमुना के प्रदूषित जल की सप्लाई

3392. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली को पाइप द्वारा सप्लाई किए जाने हेतु परिष्कृत किए जाने वाला यमुना के जल में वह पानी भी होता है जो नगर के नालों के माध्यम से बहकर जाता हैं;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान किसी औद्योगिक संस्थान पर जिसने अपने कूड़ा-करकट को यमुना में जाने से रोका हो, मुकदमा चलाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार की उदासीनता के क्या कारण है और क्या लोगों को दूषित यमुना जल के प्रयोग के विरुद्ध समुचित चेतावनी दे दी गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायथ सिंह) : (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि यमुना से पानी लेकर इस संस्थान द्वारा दिये जाने वाले 176 एम०जी०डी० (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पानी में से 170 एम०जी० डी० पानी यमुना की ऊपरी धारा वजीराबाद बैराज से लिया जाता है तथा 6 एम०जी०डी० पानी निचली धारा ओखला से लिया जाता है, और कि नदी में गिरने वाले शहर के नालों की निचली धारा ओखला से केवल कच्चा पानी लिया जाता है।

(ख) जल प्रदुषण का निवारण तथा नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान पानी (प्रदूषण का निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले 26 औद्योगिक संस्थाओं के विरुद्ध मुकदमा चलाया है। इस बोर्ड ने यह भी बताया है कि इन 26 मामलों में से 20 मामले न्यायाधीन हैं तथा शेष मामलों में न्यायालय ने संस्थाओं को दोषी सिद्ध किया है।

(ग) जल प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि ओखला से लिये जाने वाले कच्चे पानी में पहले क्लोरीन मिलाई जाती है जिसके बाद फिटकरी मिलाकर फिल्टर द्वारा इसका शोधन

किया जाता है और तेल बालू गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से छाना जाता है और बाद में इसमें क्लोरोन मिलाई जाती है। सप्लाई किया जाने वाला पानी पोष्टिक होता है।

छठी योजनावधि के दौरान गन्दी बस्तियों की सफाई

3393. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए छठी योजना के दौरान धन का कितना आवंटन किया गया है;

(ख) वर्ष 1982 के लिए आन्ध्र प्रदेश के लिए धन का कितना आवंटन किया गया है;

(ग) इस योजना से किन नगरों को लाभ पहुंचेगा; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिये 151.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) से (घ) योजना आयोग ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को शहरी क्षेत्रों की गन्दी बस्ती सुधार योजनाओं के लिये वर्ष 1982-83 के लिए 350 लाख रुपये की राशि अस्थाई रूप से दी है। राज्य सरकार ने शहरों के विवरण और कार्यक्रमों की सूचना नहीं दी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार

3394. **श्री श्री चित्त बसु** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पन्न हुए रोजगार के अवसरों में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारी कमी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके विशेष कारण क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में खाद्यान्नों का, राज्यवार, आबंटन क्या था ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सृजित रोजगार में कोई भारी कमी नहीं आएगी। तथापि, चालू वर्ष के दौरान सृजित किये जाने वाले सम्पूर्ण रोजगार में कुछ कमी अवश्य आएगी क्योंकि गत वर्ष के कार्यक्रम में सितम्बर, 1980 तक विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी शामिल था तथा अक्तूबर 1980 तक राज्यों को सामग्री घटक के लिए कोई निधियां देने का प्रावधान नहीं था।

(ग) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित/वंटित खाद्यान्नों तथा नकद निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1980-81 तक तथा 1981-82 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्यर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आवंटित/वंटित खाद्यान्नों तथा नकद निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1980-81 के दौरान आवंटित खाद्यान्न (मी० टन)	1980-81 के दौरान वंटित खाद्यान्न (मी० टन)	1980-81 के दौरान आवंटित नकद निधियां (लाख रु० में)	1980-81 के दौरान वंटित नकद निधियां (लाख रु० में)	1981-82 के दौरान आवंटित खाद्यान्न (मी० टन)	1981-82 के दौरान वंटित खाद्यान्न (मी० टन)	1981-82 के दौरान आवंटित नकद निधियां (लाख रु० में)	1981-82 के दौरान वंटित नकद निधियां (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	105000	105000	1345.00	1345.00	31500	31500 † 842 गत वर्ष	1896.00	1896.00
2.	असम	19000	5500	262.20	262.20	6000	3000	400.00	200.00
3.	बिहार	164000	110000	1725.50	1725.50	40000	20000	2420.00	1210.00
4.	गुजरात	22500	22500	396.90	396.90	9200	4600 † 6250 गत वर्ष	560.00	280.00
5.	हरियाणा	23500	23500	102.75	102.75	2500	2500 † 534 (गत वर्ष)	160.00	160.00

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. हिमाचल प्रदेश	20500	20500	70.15	70.15	2000	2000	120.00	120.00
7. जम्मू तथा काश्मीर	13500	10000	104.75	104.75	2500	1250	160.00	80.00
8. कर्नाटक	32000	32000	593.40	593.40	14000	7000	828.00	414.00
						† 7386 गत वर्ष		
9. केरल	31500	31500	575.10	575.10	13400	6700	804.00	402.00
10. मध्य प्रदेश	228500	199000	950.10	950.10	22000	22000	1320.00	660.00
11. महाराष्ट्र	72000	72000	1015.40	1015.40	24000	12000	1420.00	710.00
12. मणिपुर	2000	—	13.10	13.10	300	150	20.00	10.00
13. मेघालय	2000	750	13.00	13.00	400	200	20.00	10.00
14. नागालैंड	2400	2400	9.00	9.00	200	100	20.00	10.00
						† 1200 गत वर्ष		
15. उड़ीसा	100500	100500	586.00	586.00	14000	7000	820.00	410.00
						† 3250 गत वर्ष		
16. पंजाब	11500	6000	179.00	179.00	4300	4300	252.00	252.00
17. राजस्थान	130000	130000	330.20	330.20	8000	8000	468.00	468.00
18. सिक्किम	750	500	4.55	4.55	200	100	16.00	8.00
19. तमिलनाडु	60000	60000	1059.50	1059.50	25000	25000	1480.00	1110.00
						† 1638 गत वर्ष		

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. त्रिपुरा	4750	4750	38.20	38.20	1000	1000	60.00	60.00
21. उत्तर प्रदेश	269500	269500	2373.40	2373.40	55800	55800	3340.00	2505.00
22. पश्चिम बंगाल	100000	80000	955.60	955.60	22500	11250	1348.00	674.00
						† 12715 गत वर्ष		
केन्द्र शासित क्षेत्र								
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1050	1050	9.30	9.30	300	150	16.00	16.00
24. अरुणाचल प्रदेश	950	500	9.30	9.30	300	150	16.00	16.00
						† 250 गत वर्ष		
25. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	4.00	—
26. मिजोरम	1550	—	9.30	9.30	300	300	16.00	32.00*
27. पाण्डिचेरी	650	650	9.30	9.30	300	150	16.00	16.00
योग	1419600	1288100	12740.00	12740.00	300000	260265	18000.00	11729.00

†इसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी शामिल है।

*इसमें केन्द्र शासित क्षेत्र का हिस्सा भी शामिल है।

तिलहन परियोजना

3395. श्री नवीन रवाणी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन उत्पादकों को कोई राज सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तिलहन उत्पादन के लिए गुजरात में चलाए जा रही विशेष परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) तिलहन उत्पादकों को बीज, पौध संरक्षण, रसायनों और परिचालत व्ययों, मिनीकिटों, प्रदर्शनों, आदि जैसी कुछ चुनींदा मदों पर राज सहायता पहले से ही दी जा रही है ।

(ग) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली के उत्पादन में वृदि करने के लिए एक गहन परियोजना शुरू की गई है । इसका उद्देश्य निम्नलिखित उपायों के द्वारा मूंगफली के उत्पादन का 1979-80 के 18 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 1983-84 में 27 लाख मीटरी टन करना है :—

(1) खरीफ की फसलों के लिए संरक्षणात्मक सिंचाई की व्यवस्था करना;

(2) बुवाई से पूर्व सिंचाई उपलब्ध कराकर खरीफ मूंगफली की शीघ्र बुवाई करना;

(3) अच्छी किस्म के बीजों का वितरण;

(4) पौध संरक्षण उपायों और उन्नत सस्य पद्धतियों को अपनाना;

(5) कम अन्तराल रखकर; और

(6) ग्रीष्म मूंगफली के अन्तर्गत क्षेत्र को 1979-80 के 68,000 हैक्टार बढ़ाकर 1983-84 में दो लाख हैक्टार करना । परियोजना की कुल लागत 35 करोड़ रुपए है ।

खाद्यान्नों की आवश्यकता और उत्पादन

3396. श्री अमरराय प्रधान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान खाद्यान्नों का कितना उत्पादन होने का अनुमान है—खाद्यान्नवार उत्पादन आंकड़े बताएं;

(ख) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों की यह मात्रा देश की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) जिन खाद्यान्न उत्पादन स्तरों को प्राप्त करने की योजना बनाई गई है, उन्हें 1983-84

तथा 1984-85 (छठी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष) के लिए परिकल्पित उत्पादन लक्ष्यों के रूप में निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है :—

(लाख मीटरी टन में)

खाद्यान्न	1982-83 लक्ष्य	1984-85 लक्ष्य
चावल	580	630
गेहूं	390	440
मोटे अनाज	310	321
कुल धान्य	1280	1391
कुल दलहनें	135	145
कुल खाद्यान्न	1415	1536

उत्पादन स्तरों का अनुमान लगाते समय देश में खाद्यान्नों की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया था। छठी योजना के शेष वर्षों के दौरान उत्पादित किए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

डी० डी० ए० द्वारा व्यावसायिक भवनों और सामुदायिक केन्द्रों के लिए प्लाट निर्धारित किया जाना

3397. **श्री अमरराय प्रधान :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० डी० ए० द्वारा व्यवसायिक भवनों और सामुदाकि केन्द्रों के लिए अब तक निर्धारित किए गए प्लाटों और स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन स्थानों/प्लाटों का निपटारा करने के लिए डी० डी० ए० ने क्या मानदण्ड अपनाया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश में खाद्य वस्तुओं का वितरण

3338. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में 1981-82 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी मात्रा में खाद्यान्नों, उर्वरकों, चीनी और अन्य खाद्य वस्तुओं का वितरण किया गया और उसके वितरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया;

(ख) उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) उसकी कितनी मात्रा रेलों और ट्रकों से, अलग-अलग, लाई-ले-जाई गई, इस बारे में पूरा ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने 1981-82 के दौरान जनवरी, 1982 तक 37.2 हजार मीटरी टन गेहूं और 15.2 हजार मीटरी टन चावल का वितरण किया था। भारतीय खाद्य निगम ने हिमाचल प्रदेश में उर्वरकों अथवा चीनी का कोई वितरण नहीं किया था।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1981 तक 605 मीटरी टन खाद्यान्नों को रेल द्वारा भेजने से परिवहन के लिए 0·28 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के अन्दर ही सड़क द्वारा 6789 मीटरी टन खाद्यान्न भेजने पर 5.16 लाख रुपये खर्च किए गए थे। इसके अतिरिक्त, पंजाब और हरियाणा से हिमाचल प्रदेश को 56530 मीटरी टन खाद्यान्न सड़क द्वारा भेजे गए थे। इस मात्रा को भेजने पर जो परिवहन लागत आयी थी उसके ब्यौरे तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

एशियाई खेलों के दौरान आवश्यक पदार्थों के लिए वितरण की व्यवस्था

3399. श्री जेवियर अराकल : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों के दौरान आवश्यक पदार्थों के वितरण के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) आवश्यक पदार्थों की अनुमानित कितनी मात्रा की जरूरत होगी और उन पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के निवासियों के लिए यह मूल्य असह्य होंगें तथा दिल्ली में आवश्यक पदार्थों की कमी हो जाएगी ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) उचित दर की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण की वर्तमान व्यवस्था निजी व्यापारिक माध्यमों के जरिए उपलब्ध सप्लाई के साथ-साथ चलती रहेगी, जैसा कि इस समय है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य और उनकी उपलभ्यता इस बात पर निर्भर करेगी कि उस समय की मांग तथा आपूर्ति की स्थिति क्या है। हालांकि मांग का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तथापि पिछले अनुभवों के आधार पर, उचित आपूर्ति प्रबन्ध के जरिए एशियाई खेलों के दौरान आवश्यक वस्तुओं की अतिरिक्त मांग को पूरा कर सकना कठिन नहीं होगा।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ट्रालर

3400 श्री जेवियर अराकल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के बाद से गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए कितने मत्स्य पोतों (ट्रालरों) को लाइसेंस दिया गया था और कितने प्रयुक्त किए गए थे; और

(ख) हमारी समुद्री सीमा में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के पोतों को लाइसेंस देने और इनके कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिए सीमित की प्रायः कितनी बार बैठक होती है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1980 से भारतीय जल क्षेत्रों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 57 जलयानों का एक वाणिज्यिक बेड़ा कार्य कर रहा है। हाल ही में चार्टर आधार पर इस बेड़े में 5 और जलयानों को शामिल किया गया है।

(ख) जलयानों की खरीद करने के लिए अनुमति देने की सिफारिश करने हेतु गठित की गई अन्तः मंत्रालय समिति आवश्यकता पड़ने पर अपनी बैठकें करती है। तथापि इस समय विदेशी जलयानों को प्राप्त करने के लिए कोई योजना नहीं है। एक अन्य अन्तः मंत्रालय समिति विदेशी मत्स्य जलयानों को चार्टर पर लेने के लिए दिए गए आवेदनों पर विचार करती है। यह उस समय बैठक करती है, जबकि प्रस्ताव विचारार्थ तैयार हो जाते हैं।

पक्षियों का निर्यात

3401. श्री के० मालन्ना : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन्यजीवन बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार को सामान्य पक्षियों की किस्में निर्यात करने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो सामान्य पक्षियों की किस्मों का निर्यात करने सम्बन्धी "अनापत्तिपत्र" से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय वन्य-प्राणी बोर्ड की पक्षियों से सम्बन्धित विशेषज्ञ समिति ने सितम्बर, 1981 में हुई अपनी प्रथम बैठक में सिफारिश की थी कि केवल सुप्रसिद्ध कृषि कीटों और ढेलहरा तोतों, मनियां, कोओं और गौरेया व मैनों जैसी आम पक्षियों का ही भारत से निर्यात करने की अनुमति दी जाए।

(ख) और (ग) इस समय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के चार हवाई अड्डों से कोटे की अधिकतम सीमा की अपेक्षा केवल 12 किस्म की साधारण पक्षियों के निर्यात की अनुमति दी जाती है। इस तरह के निर्यात की अनुमति सम्बन्धित मुख्य वन्य-प्राणी वार्डन अथवा वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और जम्मू व कश्मीर वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले खरीद सम्बन्धी कानूनी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जाती है।

देश में दूध का उत्पादन

3402. श्री लहना सिंह तुर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दुग्ध उत्पादन के आंकड़ों के सम्बन्ध में भ्रांतियों की ओर से उनका ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार आपरेशन फलड़ परियोजनाओं के अन्तर्गत किए गए भारी पूंजी निवेश के बावजूद गुजरात राज्य में दुग्ध उत्पादन में गिरावट आई है;

(ग) क्या परेशान करने वाली विभिन्न रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए सरकार आपरेशन फलड 1 और अन्य चालू परियोजनाओं का तत्काल वार्षिक मूल्यांकन करेगी और ऐसे अध्ययन को सार्वजनिक तौर पर बताएगी;

(घ) क्या सरकार इन परियोजनाओं की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए डेरी बोर्ड और डेरी निगम में आवश्यक परिवर्तन करेगी; और

(ङ) क्या सरकार पंजाब को, दुग्ध उत्पादन कार्यक्रमों में इसके अनुभव और कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए उचित अहमियत देगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) समेकित नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर गुजरात में वर्ष 1977 से 1980 तक का अनुमानित दुग्ध उत्पादन नीचे दिया गया है।

(हजार मीटरी टन)

वर्ष	गाय का दूध	भैंस का दूध	बकरी का दूध	कुल
1977-78	604	1382	202	2188
1978-79	606	1391	168	2165
1979-80	583	1392	140	2115

उपर्युक्त से पता चलता है कि गाय और भैंस के दुग्ध उत्पादन में उत्तरोत्तर कोई कमी नहीं है। प्रमुख गाय क्षेत्रों में भारी वर्षा और बाढ़ की प्राकृतिक आपदाओं के कारण गाय के दूध में मामूली कमी हुई है।

(ग) और (घ) जहां तक आपरेशन फलड-1 कार्यक्रम का सम्बन्ध है, संयुक्त राष्ट्र-खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम की एक अन्तः एजेन्सी शिष्ट-मंडल ने 9 फरवरी से 8 मार्च, 1981 का भारत का दौरा करके आपरेशन फलड-1 कार्यक्रम का अंतिम मूल्यांकन किया। अतः एजेन्सी शिष्टमंडल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। सरकार द्वारा अन्य कोई मूल्यांकन करने का निर्णय नहीं किया गया है। जहां तक आपरेशन फलड-2 कार्यक्रम का सन्बन्ध है, इसका मूल्यांकन करना अभी सम्भव नहीं है। आपरेशन फलड-2 कार्यक्रम की निरन्तर समीक्षा की जा रही है तथा परियोजना के समग्र कार्य निष्पादन का प्रबोधन करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने भी कार्यक्रम की समीक्षा की है।

(ङ) सारे पंजाब राज्य को आपरेशन फलड-2 कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है। इस परियोजना में गांव/जिला स्तर पर सहायक मूल सुविधाओं के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, खरीद, परिसंस्करण तथा विपणन की व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत 11.56 लाख दुधारू पशुओं को शामिल किए जाने की सम्भावना है। प्रतिदिन 14.55 लाख लीटर की अतिरिक्त परिसंस्करण सुविधाओं का सृजन किया जाना है।

करनाल बंट में खराब गेहूं की सप्लाई

3403. **श्री लहना सिंह तुर :**

श्री सूर्यनारायण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करनाल बंट जो गेहूं का फंफूदी रोग है लगभग 20 वर्षों से व्याप्त है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों ने रोगों को नियन्त्रित करने अथवा अग्रिम एहतियाती उपाय सुझाने के लिए कुछ नहीं किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में 40 प्रतिशत की मात्रा में गेहूं खराब है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम खराब गेहूं तथा सामान्य गेहूं को मिला देता है और भर में उसे वितरित कर देता है जिसके परिणामस्वरूप यह बीमारी व्यापक रूप से फैल गई है; और

(घ) क्या सरकार इस दिशा में अनुसंधान प्रयासों को सुनिश्चित करेगी अथवा इस कार्य को चलाने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की असफलता को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के एन० ए० आर० पी० के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सहायता मांगेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) यह सही है कि गेहूं के करनाल बंट रोग का सबसे पहले 1931 में करनाल में पता चला। 1968-69 तक यह एक मामूली रोग था जो कभी-कभी अलग प्लाटों में कहीं-कहीं दिखाई देता था। फिर भी, 1975 से विशेष तौर पर उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्रों में इसका प्रकोप बढ़ता ही गया है। तथापि, यह सही नहीं है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों ने इस रोग को नियन्त्रित करने या निवारण उपाय सुझाने के लिए कुछ नहीं किया है। भारतीय वैज्ञानिक इस रोग को नियंत्रित करने तथा अग्रिम निवारक उपाय सुझाने के लिए तौर-तरीके खोज निकालने की समस्या से पूर्ण रूप से अवगत हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अखिल भारतीय समन्वित गेहूं प्रायोजना के वैज्ञानिकों ने इस बीमारी पर प्राथमिकता के आधार पर अनुसंधान कार्य में तेजी लाई है और कुछ उपयोगी परिणाम पहले ही प्राप्त किए जा चुके है।

(ख) पिछले फसल मौसम के दौरान सारे देश से खासतौर पर पंजाब और हरियाणा से काफी संख्या में नमूने एकत्र किए गए थे। पंजाब के कुछ नमूनों में अधिक से अधिक 40 प्रतिशत या इससे भी अधिक इस रोग का संक्रमण पाया गया, लेकिन सम्पूर्ण पंजाब राज्य में कुल मिलाकर इस रोग की गहनता केवल 2.6 प्रतिशत थी। इसका भी उल्लेख किया जा सकता है कि रोग ग्रसित अनाजों में रोग की तीव्रता में भी काफी अन्तर था। कुछ अनाज इस रोग से बुरी तरह से प्रभावित थे लेकिन अधिकांश अनाजों पर इसका केवल निशान मात्र था।

हरियाणा में सम्पूर्ण राज्य में रोग का समग्र प्रकोप बहुत कम यानी 0.3 प्रतिशत था और करीब-करीब 62.4 प्रतिशत नमूने इस रोग से मुक्त थे, एक नमूने में रोग की अधिकतम गहनता 12.5 प्रतिशत पाई गयी थी। अधिकांश नमूने या तो रोगमुक्त थे या उन पर रोग का बहुत कम प्रकोप था।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में पहले ही कहा गया है, भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने इस रोग पर अपने अनुसंधान प्रयत्नों में तेजी लायी है और कुछ उपयोगी नतीजे भी प्राप्त किये हैं। इसलिए, सरकार इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता लेना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि इस विषय के विशेषज्ञ भारतीय कृषि वैज्ञानिक इस समस्या को हल करने में समर्थ हैं।

"सोयाबीन बून ओर बेन" शीर्षक से समाचार

3404. श्री लहना सिंह तुर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जनवरी, 1982 के "बिजनैस स्टैंडर्ड" में "सोयाबीन बून ओर बैन" शीर्षक से प्रकाशित एक विश्लेषणात्मक और तीखे लेख की ओर आकर्षित किया गया है और यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा स्वदेशी सोयाबीन के स्थान पर आयातित किस्म के सोयाबीन की व्यापक खेती शुरू करने से पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इन मुद्दों पर विचार किया है;

(ख) क्या यह सच है कि सोयाबीन से बने भोजन का निर्यात किया जाता है और देश में इसके प्रयोग के लिए मना ही है और दूसरी ओर सरकार गेहूं आदि का आयात करती है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सरकार को सही निर्णय के लिए परामर्श देने में असफल रही है और यदि हां यो क्या दोष निवारक कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

सोयाबीन की देसी किस्मों में कुछ अवांछनीय गुण पाये गये थे जैसे—अधिक समय में फसल का तैयार होना, फलियों का फट जाना, दोहरी बढ़वार, तेल की कम मात्रा, कम पैदावार तथा संसाधन के घटिया गुण आदि। अनेक गुणों में विदेशी किस्में देशी किस्मों से श्रेष्ठ पाई गई थीं। इसलिए खेती के लिए उन्हें अपनाया गया। फिर भी, उन विदेशी किस्मों में भी कुछ दोष पाये गये जैसे—पौधों में कम बीज बनना, और पीली मोजेक बीमारी का अधिक प्रकोप होना। अतः देसी तथा विदेशी किस्मों के मिले-जुले गुण वाली किस्मों को विकसित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास के फलस्वरूप, ऐसी किस्मों का विकास किया गया है जो विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं, जैसे—अंकुर, शिलाजीत, पी० के० 327, पी० के० 271; पी० के० 262, जे० एस० 72, जे० एस० 72-44, डी० एस० 74-24-2 और पी बी-1।

(ख) जी हां, श्रीमान् । सोयाबीन से बने भोजन का निर्यात किया जा रहा है । लेकिन इसके देश में उपयोग पर प्रतिबन्ध नहीं है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिए पीली मोजेक रोगरोधी और अधिक बीज क्षमता वाली सोयाबीन की उन्नत किस्मों का विकास किया गया है । दूसरे यह फसल आर्थिक दृष्टि से भी निस्सन्देह अच्छी है । यह फसल 1981-82 में विशेषतौर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में करीब 6,00 लाख हैक्टेयर भूमि में उगाई गई है जबकि 1971-72 में इसकी खेती केवल 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में की गई थी । तीसरे, विपणन सुविधाओं का विकास किया गया है; लोगों में इस फसल के मूल्य और उपयोगिता के विषय में जागरूकता पैदा की जा रही है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सरकार को सही निर्णय के लिए परामर्श देने में असफल नहीं रहा है । दूसरी तरफ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की सहायता से कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित की गई किस्में और प्रौद्योगिकी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में सरकार द्वारा आरम्भ की गयी वृहत् सोयाबीन विकास योजना का आधार तैयार किया है ।

प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए नीति

3405. श्री लहना सिंह तुर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रतिभा पलायन को रोकने की नीति को क्रियान्वित करने के उसके तरीके के प्रति असंतोष की व्यापक भावना है (हिन्दुस्तान टाइम्स, 15-2-1982);

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/कृषि मन्त्रालय के अनेक कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति, दौरे, परामर्शदात्री सेवा आदि के लिए विदेशों में जाने की अनुमति दी गई है जब कि अन्य कर्मचारियों को ऐसी अनुमति नहीं दी गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उन कर्मचारियों का, जो गत दो वर्षों में एक से अधिक बार विदेशों को गए हैं तथा उन कर्मचारियों का, जिनको ऐसी अनुमति नहीं दी गई है, ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या यह प्रतिबन्ध विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को आदि जैसे इसी प्रकार के संस्थानों को चलाने वाले अन्य मन्त्रालयों, जो दौरे करते रहते हैं, पर लगाए गए प्रतिबन्ध के अनुरूप है और क्या सरकार के पास हाल में घोषित नई रीतियों के अन्तर्गत काम को निपटाने के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

वनस्पति उद्योग के लिए आयातित तेल का कम आवंटन

3406. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वनस्पति उत्पादक संघ के स्रोतों के अनुसार चालू वर्ष में उद्योग को आयातित खाद्य तेल का कम आवंटन होने के कारण वनस्पति के उत्पादन को बढ़ाना सम्भव नहीं है;

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा उद्योग को कितना खाद्य तेल सप्लाई किया जा रहा है;

(ग) खाद्य तेलों की मांग और सप्लाई में अनुमानित अन्तर कितना है; और

(घ) वनस्पति उद्योग को और अधिक आयातित तेल सप्लाई करने और उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी हां।

(ख) चालू तेल वर्ष के दौरान औसतन 48,000 मी० टन प्रति मास के लगभग।

(ग) 10 लाख से 12 लाख मी० टन के बीच।

(घ) आयातित तेल का वर्तमान आवंटन वनस्पति घी की अनुमानित वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

देश में रेगिस्तानीकरण

3407. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) भारत में रेगिस्तानीकरण की सम्भावना का अनुमानित क्षेत्र कितना है और इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों तक फला बार रेनिस्तान का क्षेत्र बढ़ रहा है; और

(ग) राजस्थान में रेगिस्तान विकास के लिए क्या कार्यक्रम है और देश में रेगिस्तानीकरण से मुकाबला करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) देश में रेगिस्तानीकरण के सम्भावित क्षेत्र के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है। राष्ट्रीय कृषि आयोग;

जिसने रेगिस्तानी स्थितियों की ओर उन्मुख क्षेत्रों का अध्ययन किया था, ने संलग्न विवरण में दिए गए रेगिस्तानी क्षेत्रों का पता लगाया था। रेगिस्तानीकरण मुख्यतया सैकड़ों वर्षों में हुए वायुमण्डलीय, भौगोलिक तथा जल सम्बन्धी परिवर्तनों और मनुष्य द्वारा संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किए जाने के कारण हुआ है।

(ख) थार रेगिस्तान के क्षेत्र में हुई किसी वृद्धि को दर्शाने वाला कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

(ग) राजस्थान में मरुभूमि विकास कार्यक्रम राज्य के 11 जिलों के 84 खण्डों में चल रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य रेगिस्तानीकरण को नियन्त्रित करना, संसाधनों को बढ़ाना तथा स्थानीय निवासियों के आय के अवसरों में वृद्धि करना है। कार्यक्रम के मुख्य घटक नमी तथा जल संरक्षण, वनरोपण जिसमें फार्म वानिकी भी शामिल है तथा सिंचाई, पशुधन और शुष्क भूमि खेती का विकास हैं।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा पता लगाए गए रेगिस्तानी क्षेत्र

राज्य	जिला	क्षेत्र (हजार वर्ग कि०मी० में)
1	2	3
1. राजस्थान		
	1. गंगानगर	20.6
	2. बीकानेर	27.4
	3. जैसलमेर	38.8
	4. बाड़मेर	28.2
	5. नागौर	17.6
	6. चुरू	16.9
	7. झुंझुनु	5.9
	8. जोधपुर	22.6
	9. सीकर	7.8
	10. जालौर	10.2
	11. पाली	12.2
		योग 208.6

1	2	3
2. हरियाणा		
	1. हिसार	11.4
	2. भिवानी	4.0
	3. रोहतक	2.1
		योग 17.5
3. गुजरात		
	1. बंसकाठा	6.9
	2. मेहसाना	1.9
		योग 8.8
		महा योग 235.9

दालों का उत्पादन

3408. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री तारिक अनवर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान हरित क्रान्ति के बावजूद दालों के उत्पादन में वृद्धि की दर वैसी-की-वैसी रही;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, देश में दालों की उपभोग क्षमता प्रति व्यक्ति क्या थी;

(ग) देश में दालों की उपज के लिए और अधिक क्षेत्रों को खेती योग्य बनाने के लिए सामने आने वाली कठिनाइयां क्या हैं; और

(घ) दालों के उत्पादन को बढ़ाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए बीजों, उर्वरकों, प्लाण्ट संरक्षण सामग्री आदि के लिए, क्या सरकार का वित्तीय सहायता देने का विचार है और इस सम्बन्ध में किए जा रहे अन्य उपाय क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं। 1949-50 से 1980-81 तक दलहनों की मिश्रित वृद्धि दर 0.14 प्रतिशत वार्षिक रही।

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान दलहनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि नीचे दी गयी है—

वर्ष	किलोग्राम प्रति वर्ष
1979	16.3
1980	11.3
1981	14.4

(ग) दलहन की खेती के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने में आने वाली मुख्य कठिनाइयां इस प्रकार है—(क) सीमान्त भूमि में लघु एवं सीमान्त किसानों द्वारा दलहन की खेती सामन्यतया वर्षा सिंचित परिस्थितियों में की जाती है; (ख) सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप दलहन के स्थान पर धान्य तथा नगदी फसलों का बोया जाना ?(ग)दलहन की खेती के लिए उन्नत तकनोलोजी का न होना जैसा कि धान्य फसलों के लिए उपलब्ध है; (घ) प्रमाणित बीजों की अपर्याप्त सप्लाई तथा ऐसी किस्मों की अनुपलब्धि जो उर्वरकों के प्रयोग से अधिक पैदावार दे सके एवं रोग/कीटरोधी हों।

(घ) प्रमाणित बीज, वनस्पति रक्षण रसायनों, उपकरणों तथा प्रचालन सम्बन्धी मुल्क और रिज़ोबियम कल्चर पर राज सहायता प्रदान करके किसानों को दलहन विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, प्रदर्शन आयोजित करने तथा प्रजनक बीजों के उत्पादन के लिए राज्य सरकारों को भी सहायता प्रदान की जाती है ताकि किसानों को उन्नत पैकेज प्रणाली अपनाने के लिए उत्साहित किया जा सके।

हरियाणा में पेय जल की सप्लाई के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

3410. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में पेय जल की सप्लाई के लिए इस समय कार्यरत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक की लागत कितनी हैं; और

(ख) उनमें से प्रत्येक किस-किस तारीख तक पूरी हो जाएगी तथा कितने गांव और कितनी आबादी उनसे लाभान्वित होगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने में राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें केन्द्रीय सहायता की जाती है। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अन्तर्गत हरियाणा में अब तक 627 ग्रामों के लिए 115 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रमों का अनुमोदन किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 31-3-1981 तक 257 ग्रामों में योजनाएं पूर्ण की गईं।

(ख) छठी योजना के दौरान चुने गए सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को वर्ष भर निरन्तर स्वच्छ पेय जल वाले कम से कम एक स्रोत मुहैया करने के प्रयत्न किए जायेंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यूसुफ सराय में प्लाटों की नीलामी

3411. श्री के० लकप्पा :

श्री एन० ई० होरो : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युसुफ सराय में 200-300 वर्ग मीटर के वाणिज्यिक प्लाटों की दिल्ली विकास प्राधिकारी द्वारा की गई हाल की नीलामी में 80 लाख रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए की लागत बोली गई थी;

(ख) यदि हां, तो प्लाटों का ब्यौरा तथा सफल बोली बोलने वालों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में जमीना/फ्लैटों के आकाश छूते मूल्यों के घोटाले तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण में हो रही हानि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने को विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि युसुफ सराय में 9 फरवरी, 1982 को तीन वाणिज्यिक प्लाटों को नीलाम किया गया था, जिनके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में सामुदायिक केन्द्रों, स्थानीय विपणन केन्द्रों तथा सुविधा विपणन केन्द्रों का विकास करने के अलावा जिला केन्द्रों नामतः नेहरू प्लेस, राजेन्द्र प्लेस, मीकाजीकामा प्लेस, जनकपुरी, लक्ष्मी नगर तथा मालवीय नगर का विकास किया है। 9 और जिला केन्द्रों का विकास किए जाने का प्रस्ताव है ताकि जनता को और वाणिज्यिक स्थान दिया जा सके।

विवरण

युसुफ सराय दिल्ली में नीलाम किए गए वाणिज्यिक प्लाटों का ब्यौरा

क्रम सं०	प्लाट नं०	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	कुल फर्शी क्षेत्रफल वर्गमीटर	अनुमेय मंजिलों की सं०	बोली की राशि (लाख रुपयों में)	प्रति वर्ग मीटर की दर से	फर्शी क्षेत्रफल प्रति वर्ग मीटर की दर	खरीददार का नाम	
1.	12	225	1387.50	6	84.00	37333.33	6054.05	मैसर्स स्किप्पर टावर्स प्रा० लि०	फर्शीक्षेत्र की प्रति वर्गमीटर औसत
2.	17	225	1395.00	6	82.00	36444.44	5878.14	मैसर्स कुलदीप एसोसिएट्स	दर 6045.56 रुपये
3.	18	225	1387.50	6	86.10	38266.67	6205.41	मैसर्स कम्पीटेंट् बिल्डिर्स	

विकास मीनार को किराये पर देना

3412. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की विकास मीनार वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किसी प्राइवेट पार्टी को किराए पर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या है; और

(ग) इसे किराए पर देने का क्या औचित्य है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में बरसाती पानी की नालियों की सफाई

3413. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी आवासीय कालोनियों में बरसाती पानी की चौड़ी और गहरी नालियां उपलब्ध हैं;

(ख) क्या नाले और बरसाती पानी की नालियां भर कर रुक जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्षा से पहले उनकी सफाई, और गाद की निकासी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) बरसाती पानी की नालियां सभी कालोनियों में बनाई जाती हैं, दिल्ली की सरकारी रिहायशी कालोनियां इसके अपवाद नहीं हैं । इन नालियों में बहाए जाने वाले पानी पर इसकी चौड़ाई तथा गहराई निर्भर करती है ।

(ख) तथा (ग) सामान्य तौर पर बरसाती पानी की नालियों की समय-समय पर सफाई अपेक्षित हैं । विशेषकर बरसात से पहले । यदि माननीय सदस्य के ध्यान में कोई विशेष नाली हो, तो इस सम्बन्ध में विशेष उत्तर दिया जा सकता है ।

वन उत्पादकों को हटाया जाना

3414. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

श्री के० प्रधानी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कोई वन संपत्ति हटाई नहीं जा सकती;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उडीसा, कर्नाटक आदि राज्यों में मनमाने ढंग से लकड़ी क्यों काटी और हटाई गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वन सम्पदा के गैर कानूनी ढंग से हटाने से सम्बन्धित मामले वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत नहीं आते हैं। अधिनियम में यह व्यवस्था है कि कोई भी राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण केन्द्र सरकार से पूर्वानुमति लिए बिना निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे—

(1) यह कि किसी भी आरक्षित वन अथवा उसके किसी भाग का आरक्षण समाप्त किया जाता है।

(2) यह कि किसी भी वनभूमि अथवा उसके किसी भाग को गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(ख) तथा (ग) वन क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई का कार्य राज्य वन विभागों द्वारा तैयार की गई कार्यकारी योजनाओं के तहत नियमित आधार पर किया जाता है। वनों की अवैध कटाई के मामलों पर (यदि कोई हो) भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है।

लघु किसान विकास एजेंसी

3415. श्री राम प्रसाद अहिरवार :
श्री सूरज भान :
श्री अटल विहारी वाजपेयी : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु किसान विकस एजेंसी योजना के अन्तर्गत छोटे किसानों को प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 2 अक्तूबर, 1980 को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ इस योजना को मिला देने के बाद विभिन्न राज्यों में आगे क्या प्रगति हुई है; और

(ग) देश से अनुमानतः कितने छोटे किसान हैं और उनमें से कितने किसानों को इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचा है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ से लेकर भौतक तथा वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि के सम्बन्ध में राज्यवार स्थिति को दर्शाने वाले दो विवरण (अनुबन्ध 1 व 2) संलग्न हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए—संख्या एल टी 3537/82]

(ख) 1980-81 तथा 1981-82 (अब तक) के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धि को दर्शाने वाले 2 विवरण (अनुबन्ध 3 व 4) संलग्न हैं।

(ग) 1976-77 की कृषि गणना के अनुसार, 1 हैक्टेयर तक की प्रचालन जोत वाले किसानों की संख्या 44.53 मिलियन आंकी गई थी और 1 से 2 हैक्टेयर क बीच की प्रचालन जोतों वाले किसानों की संख्या 14 70 मिलियन थी। लघु कृषक विकास एजेंसी/समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 31-3-81 तक 139 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है जिनमें छोटे किसान/सीमान्त किसान कृषि श्रमिक/ग्रामीण कारीगर शामिल हैं।

दुधारू पशुओं का संस्करण

3416 : **डॉ० वसंत कुमार पंडित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दूध देने वाले और दूध न देने वाले पशुओं के विदेशी नस्ल के पशुओं के साथ चल रहे संकरण कार्यक्रम के हानिकर प्रभाव की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या कृषि विशेषज्ञों के सेमिनार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों ने कम उत्पादन देने वाले देशी तथा दूध न देने वाले पशुओं के साथ विदेशी पशुओं के संस्करण के कुप्रभावों की चेतावनी दी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने (एक) दुधारू पशुओं, (दो) दूध न देने वाले पशुओं के संकरण, और (तीन) देशी नस्लों के संकरण तथा विदेशी सांडों से प्रजनन कराने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ग) राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट (1976) में की गई सिफारिशों के आधार पर, छठी योजना के प्रलेख में सुझायी गई पशु प्रजनक नीति में यह व्यवस्था है कि पशुओं की देशी नस्लों के उन सुपरिभाषित घरेलू क्षेत्रों में, जहां सुधार के लिए चयनात्मक प्रजनन अपनाया जाए, संकर प्रजनन शुरू नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पशुओं के सुधार के लिए संकर प्रजनन (विदेशी नस्लों के बढ़िया किस्म के साड़ों के साथ देशी मादा पशुओं का संकरण) किया जाना चाहिए ताकि अज्ञात नस्ल के पशुओं, जो हमारे कुल पशुओं के 3/4 भाग के बराबर हैं; कि उत्पादन भारवाहन क्षमता की तुलना में अधिक दुग्ध उत्पादन तथा बेहतर भारवाहन क्षमता प्राप्त हो सके।

(ख) सरकार को कृषि विशेषज्ञों की हुई गोष्ठी की जानकारी नहीं है जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों ने विदेशी पशुओं के संकर प्रजनन के कुप्रभावों की चेतावनी दी।

काली बाड़ी मार्ग के क्वार्टरों का नई दिल्ली नगर पालिका को रख-रखाव के लिए सौंपा जाना

3417. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काली बाड़ी मार्ग, नई दिल्ली पर नवनिर्मित 'बी' टाइप (एच० और जे० ब्लाक) के क्वार्टर रख-रखाव तथा कालोनी की देखभाल के लिए नई दिल्ली नगर पालिका को अभी तक नहीं सौंपे गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र को शीघ्र ही नई दिल्ली नगर निगम को सौंपे जाने के बारे में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) नई दिल्ली नगर पालिका को कालोनी की नगर सेवाओं को अपने अधिकार में लेने की प्रार्थना की थी, परन्तु वे चाहते थे कि इन सेवाओं को अपने अधिकार में लेने के पहले जलयुक्त पक्की सड़कों को तारकोलयुक्त पक्की सड़क बनाई जाए। यह कार्य अब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने पूरा कर दिया है तथा अब नगर सेवाएं शीघ्र ही नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अपने अधिकार में लेने की सम्भावना है।

ताल क्षेत्र में दाल और तिलहन की खेती

3419. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2.5 लाख एकड़ वाले मोका मेहबाराहिया ताल क्षेत्र को दाल और तिलहन की सघन खेती के लिए सुविधा प्रदान करने के बारे में विचार किया है;

(ख) क्या स्थानीय संसद् सदस्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अभ्यावेदन के साथ कृषि मंत्री से मिला था;

(ग) यदि हां, तो उस ज्ञापन में दिए गए मुद्दों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के किसी विशेषज्ञ समिति दल ने इस क्षेत्र का दौरा किया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) ताल क्षेत्रों में, जिनमें मोकामेह बाराहिया तालु शामिल हैं, तिलहनों और दलहनों की खेती से सम्बन्धित कोई विशेष योजना भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) श्रीमती कृष्णा साही, संसद् सदस्य ने 30 अप्रैल, 1981 को अपने चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधिमण्डल की ओर से एक अभ्यावेदन मन्त्री (कृषि, ग्रामीण विकास तथा नागरिक आपूर्ति) को दिया था। इस अभ्यावेदन में बाराहिया खंड और खुथा गांव के ग्रामीणों को नदी कटाव से हुई हानि के बारे में उल्लेख किया गया है।

(ग) मंत्री (कृषि, ग्रामीण विकास तथा नागरिक आपूर्ति) ने अपने दिनांक 5 अगस्त, 1981 के प्र० स० पत्र संख्या 3-1-81 एफ सी द्वारा माननीय सदस्य श्रीमती कृष्णा साही को

सूचित किया है कि योजना आयोग ने मई, 1981 में खुथा-बाराहिया में गंगा नदी के कटाव से बचाव के लिए अपेक्षित निर्माण कार्यों के लिए 91-84 लाख रुपए के परिव्यय की एक योजना स्वीकृत की है। जी, नहीं।

हुडकों से ऋण

3420. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की आवास सम्बन्धी समस्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए छठी योजना के दौरान आवास और विकास निगम (हुडको) ने 1055 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत करने का लक्षित कार्यक्रम बनाया है;

(ख) क्या यह सच है कि दो वर्ष अर्थात् 1980-81 और 1981-82 बीत गए हैं किन्तु केवल 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि उन दो वर्षों के दौरान बिहार को हुडकों से बहुत कम राशि का ऋण प्राप्त हुआ है जब कि आबादी के आधार पर बिहार को ऋण का दसवां भाग प्राप्त होना चाहिए था; और

(घ) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर हां में है तो क्या सरकार का विचार निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिहार को ऋण का दसवां भाग स्वीकृत करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दो वर्ष अर्थात् 1980-81 तथा 1981-82 (31-12-1981 तक) के दौरान हुडको ने लगभग 309 करोड़ रुपए की अपनी वचनबद्धता सहित योजनाओं को स्वीकृत किया है।

(ग) तथा (घ) जब कभी हुडको को विशिष्ट योजनाएं प्राप्त होती है वह अपने मार्गनिर्देशनों के आधार पर उनको स्वीकृत करता है। दो वर्ष अर्थात् 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान हुडको ने अभी तक बिहार की 12 आवास योजनाओं के लिए 7.62 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की है।

तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए भूमि को खेती योग्य बनाना

3421. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कई विशेष योजनाएं शुरू की हैं और तिलहन की पैदावार के लिए भूमि के बड़े भाग को खेती योग्य बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तिलहन उत्पादन की वृद्धि के लिए इस योजना के अन्तर्गत बिहार के मोकेनेह बारधैया ताल को लाने का प्रस्ताव है जैसे कि मध्य प्रदेश में किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। भारत सरकार ने तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दो विशेष परियोजनाएं शुरू की

हैं। एक परियोजना गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली के सम्बन्ध में तथा दूसरी मध्य प्रदेश में सोयाबीन के सम्बन्ध में है। तथापि, तिलहनों की खेती करने के लिए भूमि के बड़े भाग को खेती के योग्य बनाने के लिए कोई विशेष परियोजना शुरू नहीं की है।

(ख) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चालू वर्ष के दौरान आयात किया जाने वाला परिष्कृत तेल (रिफाइण्ड आयल)

3422. **श्री चित्त महाटा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितना परिष्कृत तेल आयात किया जाएगा;

(ख) सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को उसका वितरण क्या होगा; और

(ग) क्या सरकार ने कोई ऐसी कार्यवाही की है ताकि यह परिष्कृत तेल वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंच सके ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) चालू तेल वर्ष 1981-82 (नवम्बर, 81 से अक्तूबर, 1982) के दौरान आयात की जाने वाली परिष्कृत तेल की मात्रा खाद्य तेलों की कुल मांग तथा देशीय तेलों की उपलभ्यता देश के व अंर्ताष्ट्रीय बाजारों के मूल्य रुख तथा ऐसी अन्य बातों पर निर्भर करेगी।

(ख) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन मासिक आधार पर किया जाता है और ऐसा करने में विभिन्न बातों जैसे मांग का यथार्थपरक अनुमान, खपत के स्वरूप, क्षेत्र के भीतर देशीय तेलों की उपलभ्यता, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध स्टाक तथा पहले आवंटित किए गए तेलों को उठाने की गति को ध्यान में लिया जाता है

(ग) आयातित खाद्य तेल केवल राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दिए जाते हैं। ये खुले बाजार में बेचने के लिए नहीं दिए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को समय-समय पर सलाह दी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना के तहत उन्हें आवंटित किए गए आयातित खाद्य तेल उचित दर की दुकानों सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से केवल उपभोक्ताओं को बेचे जाएं।

कानपुर गंगा बांध योजना

3423. **श्री चित्त महाटा** :

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने कानपुर गंगा बांध योजना स्वीकृत कर दी है; और

(ख) यदि हां, कब और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि दी गई है तथा इस योजना के कार्यान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रसायनिक उर्वरकों की उपयोगिता

3424. **श्री चित्त महाटा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रसायनिक उर्वरक कृषि के लिए उपयोगी नहीं है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी नहीं। दूसरी ओर यह सभी जानते हैं कि उर्वरकों का समझदारी से उपयोग करना फसल उत्पादन के लिए बहुत लाभकारी होता है। वर्तमान स्तर की खपत का स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

सूखे मौसमों के लिए जलाशयों में बाढ़ का पानी

3425. **श्री एस० वी० सिदनाल** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भू-जल की उपलब्धता और उसे सिंचाई के लिए उपयोग में लाने के बारे में कोई अध्ययन किया है और उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बाढ़ के कुछ पानी को भूमिगत जलाशयों में रखने और सूखे मौसमों में उसका उपयोग करने के लिए कोई तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार इस योजना को पाइलट स्तर पर चलाने और उसकी सम्भावना की खोज करेगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां। सिंचाई के प्रयोजनों के लिए अनुमानित भूमिगत जल क्षमता 40 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से मार्च, 1981 तक उपयोग 23.20 मिलियन हेक्टेयर हुआ था और छठी योजना के अन्त तक, अर्थात् मार्च, 1985 के अन्त तक प्रत्याशित उपयोग 29 मिलियन हेक्टेयर है।

(ख) और (ग) जी, हां। केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने जलभृतों (ऐक्विफर्स) को कृत्रिम रूप से फिर से चार्ज करने के लिए पिछले दिनों कुछ प्रयोगात्मक अध्ययन प्रारम्भ किए थे। बोर्ड ने विभिन्न रिचार्ज तकनीकों की क्षमता की जांच करने के लिए प्रयोगात्मक आधार पर एक स्कीम भी हाथ में ली है।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल

3426. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में चल रही पेय जल योजनाएं चालू वर्ष के दौरान पूरी हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुमोदित योजनाओं में से देवीखेत स्कूल और ग्राम घोरी (दावारीलांस्युन) डोबरियालसर (डंगारी) और मोरा (स्यून) पेय जल योजनाएं चालू वर्ष के दौरान पूरी हो जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य के रास्ते में आने वाली रुकावटों का ब्योरा क्या है और उन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है तथा राज्य सरकारें योजनाएं बनाती तथा कार्यान्वित करती हैं। छठी योजना के दौरान, वर्ष भर निरन्तर उपलब्ध होने वाले स्वच्छ पेय जल के कम से कम एक स्रोत सहित सभी पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को इस योजना के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया जाएगा। इस मंत्रालय में देवीखेत स्कूल तथा ग्राम घोरी (दबगलस्यूं), डोबरियालसर (डांगरी) तथा कोरा (गवतस्यूं) पेय जल योजनाओं के बारे में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई के तहत लाई गई भूमि

3427. **श्री अनादिचरण दास** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 और 1981-82 के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल कितने एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई सुविधाएं देने हेतु राज्यवार क्या लक्ष्य निश्चित किए गए थे;

(ग) क्या उस अवधि के दौरान लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) 1982-83 में उन बाधाओं पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) देश में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत अब तक 16 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र गोवा की 16 सिंचाई परियोजनाएं (परियोजनाओं की सूची उपाबन्ध-एक के रूप में संलग्न है) शामिल की जा चुकी हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए—संख्या एल० टी० 3538/82] इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य योजनाबद्ध ढंग से सृजित की गई सिंचाई क्षमता और वास्तव में उपयोग में लाई गई क्षमता के बीच अन्तर को कम करना तथा खेत पर (आन फार्म)

विकास निर्माण-कार्यों, खेत जलमार्ग, खेत-निकास-नालियां तथा भूमि को समतल/उपयुक्त बनाना, बारबन्दी इत्यादि लागू करना और कृषि आदानों, इत्यादि को उपलब्ध कराना शामिल है, के कार्यान्वयन के जरिए कमान क्षेत्रों में इष्टतम कृषि उत्पादन करना है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की स्कीम में राज्य सरकारों को, उनके अपने-अपने बजट में उचित वित्तीय आबंटन करके इन कार्यों को हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और जिसमें कुछ विनिर्दिष्ट मदों की 50 प्रतिशत लागत को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाने की परिकल्पना की गई है। विभिन्न राज्य इस कार्यक्रम को अधिकाधिक रूप से हाथ में ले रहे हैं, यद्यपि, बजट आबंटनों में अभी और वृद्धि की जानी है। राज्य सरकारों द्वारा की गई बजट व्यवस्था के अन्तर्गत, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खेत सिंचाई नालियों के निर्माण के लिए जिनसे मोघा (आऊटलेट) कमान के अन्दर पृथक्-पृथक् खेतों के लिए सरकारी मोघे से सिंचाई के लिए जल प्रबन्ध कराया जाता है, और भूमि को समतल/उपयुक्त बनाने के लिए, जिससे भूमि एक कार्य कुशल तरीके से सिंचाई जल प्राप्त करने हेतु उपयुक्त बन जाती है, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। मोघा कमानों के अन्तर्गत एक-एक किसान को यथानुपात आधार पर जल की उचित, समय पर तथा विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मोघा कमानों के अन्दर बाराबन्दी लागू करने के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के लिए लक्ष्य, जिसमें अब प्रगति हो रही है, 1981-82 और उसके बाद से निर्धारित किए जा रहे हैं। वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान चुने हुए कमान क्षेत्रों में सिंचाई नालियों के निर्माण, भूमि को समतल/उपयुक्त बनाने तथा बारबन्दी लागू करने के अन्तर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा उपाबन्ध दो से चार में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए—संख्या एल० टी० 3538/82]

(ग) 1980-81 के दौरान खेत नालियों के निर्माण के अन्तर्गत 6.51 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में, 6.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, भूमि को समतल करने/उपयुक्त बनाने के 1.36 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में, 0.90 लाख हेक्टेयर भूमि को समतल किया गया/उपयुक्त बनाया गया। 1980-81 के दौरान, चूंकि बारबन्दी कार्यक्रम को अभी तक नए क्षेत्रों में लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और अपनाया नहीं गया था, इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

1981-82 के दौरान खेत नालियों के निर्माण के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य 7.65 लाख हेक्टेयर है जिसकी तुलना में 7.5 लाख हेक्टेयर की उपलब्धि होने की प्रत्याशा है। भूमि को समतल करने/उपयुक्त बनाने के 1.78 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में, प्रत्याशित उपलब्धि 0.9 लाख हेक्टेयर है और बारबन्दी के लगभग 2.6 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में संभावित उपलब्धि लगभग एक लाख हेक्टेयर है।

यह देखा जाएगा कि खेत सिंचाई नालियों के निर्माण के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य 1980-81 के दौरान प्राप्त कर लिए गए थे और 1981-82 के दौरान भी उनके प्राप्त कर लिए जाने की सम्भावना है। तथापि, भूमि को समतल करने/उपयुक्त बनाने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य 1980-81 के दौरान प्राप्त नहीं किए जा सके थे और न ही 1981-82 के दौरान उनके प्राप्त किए जा सकने की सम्भावना है। बारबन्दी मद के अन्तर्गत, 1981-82 के दौरान

कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। 1981-82 के लिए निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किए जा सकते।

(घ) भूमि को समतल करने/उपयुक्त बनाने के लक्ष्य 1980-81 के दौरान कई कारणों से प्राप्त नहीं किए जा सके थे और 1981-82 के दौरान भी प्राप्त नहीं किए जा सकते। जिसमें से कुछ कारण ये हैं—कुछ राज्यों में जटिल क्रियाविधियां अपनाई जाती हैं जिनसे इस उद्देश्य के लिए सांस्थानिक ऋण की प्राप्ति में विलम्ब होता है, अर्थ-मूविंग मशीनों और उपकरणों का पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होना, तथा इस पर प्रति हेक्टेयर प्रारम्भिक ऊंची लागत आने के कारण इस कार्य को आरम्भ करने में किसानों की अनिच्छा। वारबन्दी के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्त करने में कमी का मुख्य कारण यह है कि, कई राज्यों में यह अपेक्षाकृत नया कार्यक्रम है और दूसरे यह कि जिन राज्यों में, जहां यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है या, वहां इसे तैयार करने वाले और लागू करने वाले कर्मचारियों की कमी के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था। खेत सिंचाई नालियों, भूमि को समतल करने/उपयुक्त बनाने और वारबन्दी आदि के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिक्षित तकनीकी कार्मिकों की आम कमी है और वर्क्स का क्रियान्वयन आरम्भ करने के लिए फील्ड एककों की संख्या अपर्याप्त है। इस कार्यक्रम को अब उत्तरोत्तर रूप से अपनाया जा रहा है और राज्यों को केन्द्रीय सरकार से अनुदानों के रूप में सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ङ) और (च) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रभारी सचिवों और कमान क्षेत्र विकास आयुक्तों की एक विशेष बैठक 21 जनवरी, 1982 को आयोजित की गई थी। उत्पन्न होने वाली समस्याओं का भी पता लगा लिया गया है और 1982-83 के दौरान प्राप्त किए जाने वाले बढ़े हुए लक्ष्यों को भी राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित कर लिया गया है, जिनके लिए राज्य और केन्द्रीय योजना सेक्टरों में अपेक्षित अतिरिक्त आबंटन का अनुरोध किया जा रहा है। 1982-83 के दौरान खेत नालियों के निर्माण, भूमि समतलीकरण/आकार और वारबन्दी के लिए क्रमशः 12 लाख हेक्टेयर, 1.2 लाख हेक्टेयर और 6.5 मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। राज्य का ब्यौरा उपाबन्ध पांच में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए—संख्या एल० टी०-3538/82]

अपेक्षित फील्ड एककों की स्वीकृति देने, आवश्यक तकनीकी कार्मिकों की भर्ती करने और वर्तमान कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित करने के लिए इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है। राज्य सरकारों से अपने फील्ड कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का भी अनुरोध किया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश ने अपने फील्ड कर्मचारियों को बेहतर जल प्रबन्ध की तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए पहले ही प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर ली है। आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य अपने-अपने राज्यों में प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जल प्रौद्योगिकी केन्द्र और सरकारी कृषि विश्वविद्यालयों जैसे केन्द्रीय संस्थानों द्वारा भी आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

राज्यों से भी कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए 1982-83 के दौरान अधिक आबंटन करने का अनुरोध किया गया है।

राजधानी में मदर डेरी के दूध के बूथ

3428. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान मदर डेयरी द्वारा राजधानी के विभिन्न भागों में दूध के कितने नए बूथ खोले गए हैं;

(ख) दिल्ली में मदर डेयरी में दूध की दैनिक खपत कितनी है; और

(ग) स्वास्थ्य की दृष्टि से मदर डेयरी अथवा दिल्ली दुग्ध योजनाओं में किस का दूध अधिक लाभकारी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1981 के दौरान मदर डेरी द्वारा राजधानी के विभिन्न भागों में बड़ी मात्रा में दूध बेचने के लिए 12 बूथ, एक मिनी बूथ तथा 97 "इन्स्यूलेटिड कान्टेनर" खोले गए थे ।

(ख) इस समय दिल्ली में मदर डेरी के दूध की औसत दैनिक खपत करीब 4.95 लाख लिटर है ।

(ग) मदर डेयरी तथा दिल्ली दिल्ली दुग्ध योजना दोनों ही टोन्ड दूध की बिक्री कर रही हैं जिसमें वसा की मात्रा कम से कम 3 प्रतिशत तथा 8.5 प्रतिशत एस० एन० एफ० होता है । टोन्ड दूध के अलावा मदर डेरी क्रीम से भरपूर दूध की थोड़ी मात्रा में बिक्री कर रही है जिसमें 6 प्रतिशत वसा तथा 9 प्रतिशत एस० एन० एफ० होता है ।

आवासीय क्षेत्रों में हानिकर उद्योग

3429. **श्री एस० राम गोपाल रेड्डी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० ने दक्षिणी दिल्ली और दिल्ली के अन्य भागों में आवासीय क्षेत्रों में काम कर रहे हानिकर उद्योगों का पता लगाया है;

(ख) इस समय ऐसे कितने उद्योग चल रहे हैं;

(ग) इन उद्योगों में उपरोक्त क्षेत्रों में काम करने के लिए लाइसेंस कैसे प्राप्त किए; और

(घ) सरकार का इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों (नान कनफार्मिंग) में चलाए जाने के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण उन समनुरूप न होने वाले उपयोगों पर मुकदमा चलाता है जो कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के सम्बन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत बृहद् योजना/क्षेत्रीय विकास योजना के उल्लंघन में होते हैं।

नाफेड़ एन० सी० सी० एफ० और एन० यू० आई० के अध्यक्षों की सेवा शर्तें

3430. **श्री राम सिंह शाक्य :**
श्री विजय कुमार यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाफेड़ एन० सी० एफ० और एन० सी० यू० आई के वर्तमान अध्यक्ष एक दशाब्दी से अधिक अवधि से इन पदों पर परस्पर स्थानांतरित होते रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) नाफेड के वर्तमान अध्यक्ष का चुनाव पहली बार जून, 1977 में किया गया था तथा उसके बाद जून, 1980 में उन्हें फिर चुना गया था। इससे पहले 1971 से 1977 तक वे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के प्रेसीडेन्ट थे।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के प्रेसीडेन्ट ने 1979 में कार्यालय का कार्यभार ग्रहण किया था तथा जून, 1980 में उन्हें इसी पद पर पुनः चुना गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के प्रेसीडेन्ट का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने मार्च, 1975 से जून, 1977 तक नाफेड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के प्रेसीडेन्ट के रूप में उन्हें अप्रैल, 1981 में निर्वाचित घोषित किया गया था।

दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के उपबन्धों, उसमें बने नियमों तथा संबंधित संस्थानों के उपनियमों के अनुसार, नाफेड, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष/प्रेसीडेन्ट का चुनाव तीन वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना

3431. **श्री राम लाल राही :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली शहर में लोग झुग्गी-झौंपड़ियों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी रहते आ रहे हैं और समय-समय पर दिल्ली प्रशासन उनकी झौंपड़ियां गिराता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें स्थाई तौर से बसाने में सरकार कहां तक सफल हो पाई है; और इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली में पहले से विद्यमान लगभग 2 लाख झुग्गी-झौंपड़ियों को 1960 तथा मार्च, 1977

के बीच हटाया गया था तथा उनमें रहने वाले परिवारों को पुनर्वास बस्तियों में पुनः बसाया गया था। सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि मार्च, 1977 में दिल्ली की अवशिष्ट पाकिटों में शेष रहे झुग्गी-झोंपड़ी वासियों को भी, जब हटाया जाएगा, पुनर्वास सुविधाएं दी जाएंगी।

समेकित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को वित्तीय सहायता देने के संबंध में प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अभ्यावेदन

3432. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समेकित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गों को वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को सुगम बनाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) तथा (ख) भारत सरकार को इस बारे में विभिन्न स्रोतों से समय-समय पर सुझाव प्राप्त हो रहे हैं जिसमें प्रक्रियाओं को सरल बनाने से सम्बन्धित सुझाव भी शामिल हैं और इन सुझावों पर यथोचित विचार किया जाता है। इस दिशा में उठाए गए कुछ मुख्य कदम निम्न प्रकार हैं—

(1) बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि 1985 तक उनके अग्रिमों का 40 प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र के लिए होना चाहिए।

(2) बैंकों द्वारा कृषि के लिए सीधे दिए जाने वाले कुल अग्रिमों में 50 प्रतिशत अग्रिम कृषि हेतु कमजोर वर्गों को दिए जाने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए "कमजोर वर्गों" में लघु तथा सीमान्त किसान तथा कृषि से सम्बद्ध गतिविधियों में लगे भूमिहीन व्यक्ति जिनकी ऐसी गतिविधियों के लिए ऋण लेने की सीमा 10,000 रुपए से अधिक नहीं है, शामिल होंगे।

(3) लघु उद्योग क्षेत्र में कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम लघु उद्योगों को बैंक द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों के 12.5 प्रतिशत होने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए "कमजोर वर्गों" में ये शामिल हैं—कारीगर, शिल्पी, कुटीर तथा ग्रामोद्योग और 25,000 रुपए तक की ऋण सीमा वाले लघु उद्योग।

(4) बैंकों में उधार देने की प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है प्रत्याभूति तथा सीमान्त आवश्यकताओं में भी ढील दी गई है।

(5) छोटे कर्जदारों से ब्याज की रियायती दरें वसूल की जाती हैं। ब्याज की विभिन्न दर योजना के अन्तर्गत बैंक पात्र व्यक्तियों को केवल चार प्रतिशत ब्याज की दर पर ही ऋण देते हैं।

(6) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में क्षेत्र स्तर पर बैंकों तथा राज्य एजेंसियों के बीच उचित तालमेल सुनिश्चित करने हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं।

गुड़ के दाम

3433. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्य देशों को गुड़ का निर्यात करने के बावजूद गुड़ के मूल्यों में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो गुड़ उत्पादकों के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की जाती है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) व्यस्ततम पिराई मौसम के दौरान गुड़ के मूल्यों में मौसमी गिरावट आती है। गुड़ के उत्पादन और मूल्यों पर गन्ने की उपलब्धता, चीनी और खण्डसारी उद्योगों द्वारा उसको खपाने की क्षमता और व्यापारियों की स्टाक रखने की क्षमता का सीधा भी प्रभाव पड़ता है। गुड़ असंगठित क्षेत्र में आता है जिसमें किसी प्रकार का सीधा हस्तक्षेप करना अथवा नियंत्रण उपाय मुश्किल से व्यवहार्य होता है। गुड़ क्षेत्र को परोक्ष समर्थन प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए जिससे पिराई के लिए चीनी फैक्ट्रियां अधिकतम गन्ना लें सकें ताकि गुड़ उत्पादकों पर दबाव कम हो सके।

आन्ध्र प्रदेश में धान की वसूली

3434. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम और आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में इस वर्ष कितने धान की खरीद की गई;

(ख) क्या इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश राज्य से अन्य देशों को चावल का निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो कितना चावल निर्यात किया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क)अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1981-82 के दौरान (31-12-81तक) आन्ध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम लिमिटेड ने लगभग 75 हजार मीटरी टन गैर-बासमती चावल का निर्यात किया है।

विवरण

विपणन वर्ष 1981-82 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में चावल/धान की वसूली को बताने वाला विवरण (28-2-82 की स्थिति)

(मीटरी टन में)

एजेंसी	चावल	धान	चावल के हिसाब से कुल मात्रा
भारतीय खाद्य निगम	632432	1015	633109
राज्य नागरिक पूर्ति गिम	43251	—	43251
जोड़	675683	1015	676360

पीतमपुरा, दिल्ली में वर्षा के पानी की निकासी के लिए व्यवस्था करना

3435. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीतमपुरा आवासीय योजना में अब तक बड़ी संख्या में मकान बन चुके हैं और पीतमपुरा आवासीय योजना, जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक कालोनी है, की वर्तमान संख्या 10,000 से अधिक हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पीतमपुरा आवासीय योजना के पाकेटों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक वर्षा के पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 1982 की मानसून से पूर्व कब तक वहां पर वर्षा के पानी की निकासी की व्यवस्था करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण किया गया है। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जनसंख्या के ही ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पीतमपुरा के लिए बरसाती पानी की नालियों की योजना दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियन्त्रण विभाग की तकनीकी सलाहकार समिति के विचाराधीन है और कि योजना को अन्तिम रूप देने तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद बरसाती पानी की नालियों की व्यवस्था की जाएगी।

पीतमपुरा के निवासियों के लिए मदर डेरी और दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की सुविधा

3426. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डी० डी० ए० कालोनी पीतमपुरा आवासीय योजना, के निवासियों को अभी तक मदर डरी और दिल्ली दुग्ध योजना के, दूध की सुविधा नहीं दी है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें कब तक दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी के दूध की सुविधा दिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मदर डेरी ने प्रीतम पुरा आवासीय योजना में प्रत्येक 400 लिटर की क्षमता वाले दो उष्मारोधित आधान पहले ही प्रतिष्ठापित कर दिए हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली में आवंटित भूमि

3437. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में आपात काल के दौरान 20 सूत्री योजना के अन्तर्गत जिन लोगों को मकान बनाने के लिए भूमि आबंटित की गई थी लेकिन जिन्होंने अभी तक मकान नहीं बनाया या अपने जमीन के प्लाट बेच दिए हैं क्योंकि भूमि के भाव बढ़ गए हैं और खरीददार को मुख्त्यारनामा दे दिया है ऐसे आवासीय प्लाटों के आबंटियों के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गेहूं की यांत्रिक वसूली प्रणाली

3438. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी रबी मौसम में गेहूं की खरीद की निर्दोष और यांत्रिक व्यवस्था शुरू करने का है;

(ख) किस राज्य में इस मशीनी व्यवस्था को आजमाईश के तौर पर लागू किया जाएगा; और

(ग) किस तरह से और किस रूप में यह व्यवस्था निर्दोष सिद्ध हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम आगामी मौसम में अपने उत्तर प्रदेश और पंजाब में स्थित साइलों में से 5 साइलों पर खाद्यान्नों की सीधी खरीददारी करने विषयक एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है । इन केन्द्रों पर किसानों द्वारा लाए गए स्टाक को मशीनों से हैंडल करने के प्रबन्ध होंगे और इस स्टाक को तोला जाएगा और इस स्टाक का किस्म के प्रयोजन के लिए परीक्षण किया जाएगा और न्यूनतम श्रम का इस्तेमाल कर इसे साइलों में भेज दिया जाएगा । सम्बन्धित राज्य सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि वे भारतीय खाद्य निगम के साइलों परिसरों को गेहूं के लिए खरीददारी केन्द्र घोषित करें । इस प्रणाली से समय और श्रम की बचत होगी तथा यह किसानों के लिए अपना स्टाक तेजी से बेचने मददगार होगी ।

भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण

3439. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिए इसके कार्य-भार को कम करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) सरकार और भारतीय खाद्य निगम का प्रबन्ध भारतीय खाद्य निगम की कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए बराबर निगरानी रखता है । उसके कार्यभार को कम करने के लिए इस समय कोई पग उठाने का विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

1990 में दूध की सम्भावित कमी

3440. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय डेरी एसोशियेशन के तत्वावधान में हाल में हुए सैमीनार में दी गई उन रिपोर्टों की जानकारी है जिनमें यह बताया गया है कि "1990 तक देश में प्रति-वर्ष 2 करोड़ 80 लाख टन दूध की कमी होगी";

(ख) यदि हां, तो इस विषय और पहलू पर सरकार का विचार क्या है; और

(ग) इस कमी को समाप्त करने और उसे कम से कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण के बारे में समिति

3441. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक स्थाई समिति बनाई है;

(ख) क्या यह समिति दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य देखेगी; और

(ग) उक्त स्थाई समिति द्वारा अब तक क्या प्रस्ताव दिए गए हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण सम्बन्धी सलाहकार परिषद हाल ही में कृषि, ग्रामीण विकास और नागरिक पूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई है । इसका कार्य देश में, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण और आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति प्रबन्ध की समीक्षा करना है । इसके सदस्यों में सभी राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों के खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री, सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित केन्द्रीय अभिकरणों के प्रतिनिधि शामिल हैं । इस परिषद् की पहली बैठक 9 अप्रैल, 1982 को नई दिल्ली में बुलाई जा रही है । इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अब तक की प्रगति और इस प्रणाली का विस्तार करने तथा मजबूत बनाने के लिए नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जा रहे उपायों की समीक्षा की जाएगी ।

डी० डी० ए० की गन्दी बस्तियों को पानी

3442. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली नगर निगम के जल सप्लाई और मलव्ययन संस्थान द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण की गन्दी बस्तियों के क्वार्टरों को कितने मूल्य का पानी सप्लाई किया गया और उसकी कालोनीवार राशि क्या है;

(ख) इसमें से दिल्ली नगर निगम की गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि मिली है; और

(ग) क्या पानी की लागत का मूल्यांकन वितरण प्वाईट पर बड़ मीटर लगाकर किया जाता है अथवा मकान में लगे नलों की संख्या के आधार पर अथवा उपभोक्ताओं को दिए गए अलग-अलग मीटरों के आधार पर ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली नगर निगम से स्वास्थय सीवर स्वच्छता निरीक्षक

3443. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य स्वच्छता, और इन्जीनियरिंग विभाग में कितने स्वास्थ्य सीवर और स्वच्छता निरीक्षक हैं और वे कब से अपने इन पदों पर काम कर रहे हैं और उनके वेतन क्रम क्या हैं;

(ख) क्या एक स्वास्थ्य निरीक्षक को मुख्य निरीक्षक और अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के अवसर दिए जाते हैं जब कि 'सिवर' निरीक्षक को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया जाता;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त निरीक्षक पदोन्नति के अवसरों के अभाव में पिछले 2 साल से तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार चयन ग्रेड की मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो उनको चयन ग्रेड न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उनमें से वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्य निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देने का विचार है और यदि नहीं, तो उनके प्रति अन्याय करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नगर और ग्राम आयोजन संगठन में छंठनी किया जाना

3444. **श्री के० लकप्पा ।**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय में नगर और ग्राम आयोजन संगठन में कुछ लोगों को खपाने के लिए चार नये उच्च श्रेणी के पदों को बनाने हेतु जूनियर स्तर के 70 से भी अधिक पदों को कम करने समाप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा की गई यह कार्यवाही नियमों के और नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुरूप हैं;

(घ) यदि नहीं, तो वे आधार क्या हैं जिनके कारण सरकार निम्न पदों को समाप्त करना और नये उच्च स्तर के पदों का सृजन करना। दर्जा बढ़ाना चाहती हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) नगर तथा ग्राम आयोजन संगठन के पुनर्गठन के सम्बन्ध में एक अध्ययन किया गया है। अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी स्टाफ का कार्यभार भी सम्मिलित है। अध्ययन दल ने कुछ पदों के सृजन तथा कुछ पदों को समाप्त करने की सिफारिश की है। यद्यपि, पुनर्गठन और अध्ययन मुख्यत: इस संगठन द्वारा अपने कार्यों तथा उत्तरदायित्व को निभाने की उसकी क्षमता से सम्बन्धित है फिर भी द्रुत विकास तथा उत्पादन के अवसरों के प्रश्नों का भी इसमें ध्यान रखा गया है चूंकि यह मामला विचाराधीन है इसलिए कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

जल सप्लाई और मल व्ययन उपक्रम में सीवर इन्स्पेक्टर

3445. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के जल सप्लाई और मल व्ययन उपक्रम में कुछ सीवर इन्स्पेक्टर कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे कब से कार्य कर रहे हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस उपक्रम में उनके लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं है और यदि हां, तो उनके लिए किसी प्रकार की पदोन्नति के अभाव में उन्हें चयन ग्रेड, जैसा कि तृतीय वेतन आयोग में सिफारिश की थी, न देने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने बताया है कि उक्त संगठन में सीवर इन्स्पेक्टर के नाम का कोई पद नहीं हैं, किन्तु इस संस्थान में सफाई निरीक्षकों के 8 पद हैं। सफाई निरीक्षकों के रूप में कार्यरत तथा इन पदों के पदाधिकारियों की संख्या इस प्रकार है—

सफाई निरीक्षकों की संख्या	वह वर्ष जब से सफाई निरीक्षक के पद सम्भाले हुए हैं
1	1960
2	1961
1	1968
1	1973
1	1976
2	1977
8	

(ख) संस्थान ने सूचित किया है कि सफाई निरीक्षक के पद को सहायक सफाई निरीक्षक से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और कि यह संस्थान सफाई निरीक्षकों को चयन ग्रेड देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

मछली पकड़ने की नौकाओं के स्वामियों की कठिनाइयां

3446. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण मछली पकड़ने की नौकाओं के स्वामियों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ख) मत्स्य उद्योग में इस हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा अन्तमंत्रालयी स्तर पर इस मामले की जांच की जा रही है।

विदेशी मछली पकड़ने वाली नौकाओं की नई चार्टर नीति

3447. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब से विदेशी मत्स्य नौकाओं ने नई चार्टर नीति की घोषणा की है, सरकार ने चार्टर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो किए गए सभी अनुमोदनों, भारतीय कम्पनियों के नाम उनके विदेशी प्रतियोगी और मंजूरशुदा नौकाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक चार्टर प्रस्ताव के लिए कितना समय दिया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) चार्टर की अनुमति 3 वर्ष के लिए दी जाती है, जो संतोषजनक कार्य-निष्पादन पर एक समय पर एक वर्ष और अधिकतम 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

विवरण

विदेशी मत्स्य जलयानों के चार्टर के लिए भारतीय कम्पनियों को दी गई अनुमति/आशय-पत्र का ब्योरा प्रदर्शित करने वाला विवरण

भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी कम्पनी का नाम	उन मत्स्यन जलयानों की संख्या, जिन्हें अनुमति दी गई	टिप्पणी
1	2	3	4
1. मेट्रोपोलिटन ट्रेडिंग कम्पनी, बम्बई	ट्रांस ओरियंटल प्राइवेट लि० सिंगापुर	5	नवम्बर, 1981 में अनुमति दी गई

1	2	3	4
2. ट्रापिकल शिपिंग कम्पनी प्राइवेट लि०, विशाखापटनम	सिंगापुर यूनियन लाइन प्राइवेट लि०, सिंगापुर	5 जोड़े	मार्च, 1982 में अनुमति प्रदान की गई
3. केरल फिशरिज कार्पोरेशन लि०, कोचीन	सिंगापुर मेरिन इंटरप्राइजेज प्राइवेट लि०, सिंगापुर	5	जुलाई, 1981 में आशय-पत्र दिया गया
4. आंध्र प्रदेश फिशरीज कार्पोरेशन लि०, विशाखापटनम	सियामटेक कम्पनी लि०, बैंगकाक थाइलैंड	5	जुलाई, 2981 में आशय-पत्र में दिया गया
5. विजगा बोटलिंग कम्पनी प्राइवेट लि०, विशाखापटनम	निसायी फिशिंग कम्पनी लि०, जापान	3	जुलाई, 1981 में आशय-पत्र दिया गया
6. बाटल ग्लास प्राइवेट लि०, नई दिल्ली	सिंगापुर यूनियन लाइन प्राइवेट लि०, सिंगापुर	5 जोड़े	जनवरी, 1982 में आशय-पत्र दिया गया
7. बसव मैरीन प्रोडक्सन प्राइवेट लि०, दिल्ली	ट्रांस ओरियंटल प्राइवेट लि०, सिंगापुर	5 जोड़े	जनवरी, 1982 में आशय-पत्र दिया गया।

मछली पकड़ने की विदेशी नौकाएं किराए पर लेना

3448. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछली पकड़ने की विदेशी नौकाएं किराए पर लेने के बारे में दिए जाने वाले शुल्क और भारतीय कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों के बीच अन्य वित्तीय शर्तों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ बड़े घरानों की तरफदारी की है; और

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें मछली पकड़ने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय तथा विदेशी दोनों पक्षों द्वारा प्रति वर्ष प्रति मत्स्यम जलयान के लिए एक निश्चित चार्टर शुल्क तय करना होता है। इसके अतिरिक्त, यह दोनों पक्षों के बीच इस सम्बन्ध में हुए इस आशय के करार के एक उपबन्ध द्वारा नियन्त्रित होता है कि जलयानों के संचालन के लिए चार्टर करने वाले व्यक्ति द्वारा अदा की जाने वाली कुल राशि प्रति जलयान प्रति वर्ष पकड़ी गई मछली के

विक्रय मूल्य की एक निश्चित प्रतिशतता से अधिक नहीं होगी। पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक मात्रा की जानकारी सीमा शुल्क अधिकारियों को भी देनी होती है, जो उसके विक्रय मूल्य व निर्यात उपकर का मूल्यांकन करते हैं। विदेशी कम्पनी को भारतीय कम्पनी के पक्ष में एक प्रमाणीकृत पराक्रर्मा सारत पत्र प्रस्तुत करना होता है या अनुपातिक चार्टर शुल्क घटाकर मछली की पकड़ी गई प्रत्येक मात्रा के मूल्य के लिए भारतीय कम्पनी को अग्रिम भुगतान करना पड़ता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

नगरों में गन्दी बस्तियों का सुधार

3449. **श्री दौलत राम सारण :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राज्य सरकारों को इस आशय के निदेश दिए हैं कि वे नगरों में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए एक दस वर्षीय योजना बनाए और इन गन्दी बस्तियों का काम-कम-से कम आधा भाग 1985 तक सुधार दिया जाए और यदि हां, तो उस योजना की रूप रेखा क्या है;

(ख) गन्दी बस्तियों की सफाई पर कितना व्यय होने का अनुमान है और इन योजनाओं को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) इन गन्दी बस्तियों की जनसंख्या कितनी है तथा क्या इन गन्दी बस्तियों की ओर उनमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो उसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) मेरे मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को 10 वष की समयाविधि में शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार योजना के कार्यान्वयन के लिए ठोस प्रयत्न करने की सलाह दी है ताकि देश की सम्पूर्ण गंदी बस्ती आबादी को लाभ पहुंच सके।

(ख) तथा (ग) गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार योजना 1-4-1974 से राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंग के रूप में चलाई जा रही है। यह अनुमान लगाया गया है कि 1985 में गन्दी बस्ती जनसंख्या का विस्तार 331 लाख होगा। 1980—85 के दौरान राज्य क्षेत्र में 151,45 करोड़ रु० की पूंजी लगाने का प्रस्ताव है।

राजस्थान नहर के लिए अतिरिक्त सहायता का अनुरोध

3450. **श्री दौलत राम सारण :**

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर के कार्य को पूरा करने के लिए 265 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है जब कि इस प्रयोजन के लिए राजस्थान की छठी पंचवर्षीय योजना में केवल 165 करोड़ रुपये का प्रावधान है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना (1984-85) के अंत तक राजस्थान नहर के निर्माण कार्य को पुरा करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार से 90 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की मांग की है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने हाल में सूचित किया है कि योजना अवधि के दौरान की गई 162.5 करोड़ रुपये की वास्तविक व्यवस्था के मुकाबले, छठी योजना के दौरान राजस्थान नहर परियोजना के इंजीनियरी घटक को पूरा करने के लिए 256.60 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को ऐसे साधनों का पता लगाने का अनुरोध किया है जिनके द्वारा राज्य सरकार को चालू योजना की योजना सीमा से अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जा सके, लेकिन संसाधनों की स्थिति तंग होने के कारण, अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होने की कोई सम्भावना नहीं है।

चीनी उद्योग

3451. श्री दौलत राम सारण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी, सहकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में चीनी मिलें पृथक-पृथक कितनी हैं और प्रत्येक क्षेत्र में चीनी मिलों में राज्यवार कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ख) प्रत्येक चीनी मिल की चीनी उत्पादन और गन्ने की पेराई क्षमता क्षेत्र वार कितनी है और वास्तव में कितना चीनी उत्पादन होता है और उसमें कितनी मात्रा में गन्ने की पेराई की जाती है तथा पूर्ण क्षमता का उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्यमान मिलों में देश में उत्पादित समूचा गन्ना पेरने की क्षमता है; और

(घ) देश में उत्पादित गन्ने में चीनी का अंश कितने प्रतिशत होता है और इन मिलों में पेरे गए गन्ने से कितने प्रतिशत चीनी उपलब्ध होती है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) देश में 324 चीनी फैक्ट्रियां हैं जिनमें 42 सरकारी, 154 सहकारी और 128 प्राइवेट क्षेत्र में स्थित हैं। इन मिलों में लगाई गई पूंजी के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और उसे प्राप्त किया जा रहा है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें क्षेत्रवार चीनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता, गन्ने की दैनिक पेराई क्षमता, चीनी का वास्तविक उत्पादन और इस मौसम में 28-2-82 तक पेरे गए गन्ने की वास्तविक मात्रा बताई गई है। कुछ चीनी वर्षों में पूरी क्षमता का उपयोग न करने के कारण इस प्रकार हैं— (1) गन्ना के क्षेत्रफल में कमी होना (2) देश के बहुत से भागों में सूखे, बाढ़ों आदि जैसी देवी विपदाएं आना; और 3 गुड़ तथा खण्डसारी बनाने के लिए गन्ने का उपयोग होना।

(ग) जी नहीं। देश में उत्पादित गन्ने का लगभग 30-35 प्रतिशत गन्ना देश में स्थित चीनी मिलों द्वारा पेरा जाता है। शेष गन्ने का गुड़ तथा खण्डसारी बनाने और अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

(घ) चीनी वर्ष 1980-81 के दौरान, वर्तमान चीनी मिलों में चीनी की औसत रिकवरी की प्रतिशतता 9.99% थी। गन्ने में चीनी की प्रतिशतता में लगभग 3.0 की कुल हानि मानने पर चीनी वर्ष 1980-81 में मिलों द्वारा पेरे गए गन्ने में चीनी के अंश की प्रतिशतता लगभग 13.0 प्रतिशत बैठती है। इसे भी देश में उत्पादित गन्ने में चीनी अंश की औसत प्रतिशतता के रूप में माना जाए।

विवरण

क्षेत्रवार स्थापित चीनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता, गन्ने की दैनिक पेराई क्षमता, चीनी का वास्तविक उत्पादन और पेरे गए गन्ने की वास्तविक मात्रा बताने वाला विवरण (28-2-1982 की स्थिति)

(लाख टनों में)

क्रम संख्या	ब्यौरे	सरकारी क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र	प्राइवेट क्षेत्र	अखिल भारत
1.	चीनी के उत्पादन की स्थापित वार्षिक क्षमता	6.41	33.62	23.84	63.87
2.	गन्ने की दैनिक पेराई क्षमता	0.57	2.34	2.04	4.95
3.	चीनी का वास्तविक उत्पादन	3.17	25.60	17.06	45.85
4.	*पेरे गए गन्ने की वास्तविक मात्रा	24.64	187.96	123.97	336.57

बिजली के नलकूपों पर पारी छिड़कने वाले अलमीनियम के यंत्र

3452. **श्री दौलत राम सारण :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली चालित नलकूपों पर सिंचाई कार्यों के लिए पानी छिड़काव के लिए अलमीनीयम के यंत्र लगाना ज्यादा हितकर है और यदि हां, तो किस प्रकार से;

(ख) अधिक से अधिक नलकूपों पर पानी छिड़कने वाले इन यंत्रों को तेजी से उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है और क्या इस कार्य के लिए किसानों को ऋण और अनुदान दिए जाने का प्रावधान है और यदि हां, तो किस स्थान पर और इस कार्य के लिए कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) अलमीनियम के छिड़काव यंत्रों के निर्माण के लिए सस्ती दरों पर पाइप और अन्य सामग्री उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

*31-1-1982 तक के आंकड़े।

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) जी, हां। छिड़काव सिंचाई का प्रयोग सामान्यतया उन क्षेत्रों में मितव्ययी तथा लागत की दृष्टि से कार्य-साधक होता है जहां मृदा हल्की होती है, भूमि ऊंची-नीची होती है तथा जल की उपलब्धता दुलर्भ तथा महंगी होती है। जहां-कहीं व्यवहार्य होता है, इसको अपनाया जा रहा है। यह अनुमान है कि देश में छिड़काव सिंचाई के प्रयोग से इस समय लगभग 2 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई की जा रही है। छिड़काव सिंचाई हरियाणा राज्य में, उनके लघु सिंचाई कार्यक्रम में विशेषकर खाद्यान्न की फसलों के लिए वहां अपनाया गया है जहां राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत तक राज सहायता प्रदान की जाती है। छिड़काव सिंचाई सेटों के प्रतिष्ठापन के लिए राज सहायता देने के लिए उनकी छठी योजना (1980—85) में 201 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। पंजाब सरकार भी राज्य में छिड़काव सेटों के प्रतिष्ठापन की व्यवहार्यता के बारे में अध्ययन कर रही है। छठी योजना (1980—85) के दौरान छिड़काव सिंचाई स्कीमों के लिए 89 लाख रु० की राशि की व्यवस्था की गई है। छठी योजना के दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित व्यय हुआ है—

(लाख रुपये में)

	1980-81	1981-82
	(वास्तविक)	(सम्भाव्य)
हरियाणा	67.59	33.25
पंजाब	4.30	25.0

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित की जाने वाली एक स्कीम सरकार के विचाराधीन है, जिसके अन्तर्गत छिड़काव सिंचाई पर आने वाली लागत के एक अंश की राज-सहायता के रूप में व्यवस्था करके उसे देश के विभिन्न भागों में प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है।

अन्वेषी मत्स्य परियोजनाओं की स्थापना

3454. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अन्वेषी मत्स्य परियोजनाओं की स्थापना के लिए किन मुद्दों पर विचार किया जाता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार पारादीप स्थित अन्वेषी मत्स्य परियोजना के अतिरिक्त उड़ीसा में एक और परियोजना शुरू करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सीमा से परे जल में मत्स्य की संसाधनों के समन्वेषण, उपयोग तथा प्रबन्ध की जिम्मेदारी संघ सरकार की है, जबकि सीमा के अन्तर्गत के जल में मत्स्यकी की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। चूंकि सीमा के अंतर्गत तथा सीमा से परे के जल में उपलब्ध मछली-भण्डार में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है; अतः संघ सरकार ने समन्वेषी मत्स्यकी परियोजना के जरिए पूरे आर्थिक क्षेत्र में उपलब्ध मत्स्य संसाधनों का जायजा लगाने के कार्य की जिम्मेदारी स्वयं

ले रखी है। इस प्रयोजन के लिए, यह परियोजना समस्त तटवर्ती क्षेत्र के विभिन्न अड्डों से कई जलयानों का संचालन करती है। अड्डों की स्थापना किए जाने वाले सर्वेक्षण/अनुमान की सीमा तथा उनके स्वरूप, जलयानों के आकार, उनके संचालन हेतु उपलब्ध सुविधाएं, आदि पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, किसी विशेष राज्य के गहरे मत्स्यन पत्तन में चल रहे बड़े सर्वेक्षण जलयान नजदीकी राज्य/राज्यों के क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर सकते हैं।

(ख) जी नहीं।

नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन में यात्रा भत्ता दैनिक भत्ते पर हुई राशि का ब्यौरा

3455. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन को कुल आबंटित बजट का पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कुल आबंटन की 50 से 75 प्रतिशत से अधिक राशि नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन के मुख्य आयोजक के यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते तथा अन्य प्रसांगिक व्ययों पर खर्च होती है और शेष राशि अन्य कर्मचारियों पर खर्च होती है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन पर हुए व्यय का (परियोजनाइतर राशि) पूर्ण ब्यौरा तथा तथ्य क्या है;

(घ) क्या उक्त व्यय लेखा परीक्षा की दृष्टि से उचित हैं; और

(ङ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार से है—

वर्ष	आयोजना भिन्न नियतन
1979-80	34.00 लाख रुपये
1980-81	36.45 लाख रुपए
1981-82	38.12 लाख रुपए

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार से हैं—

वर्ष	यात्रा भत्ते के लिए नियतन	मुख्य आयोजक के यात्रा भत्ते की प्रतिशतता
1979-80	35,000	37 प्रतिशत
1980-81	50,000	44 प्रतिशत
1981-82 (अब तक)	60,000	25 प्रतिशत

(घ) मुख्य आयोजक के दौरे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं तथा दावों की लेखा कार्यालय द्वारा पूर्व जांच की जाती है। लेखा परीक्षा द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता या निधि के दुरुपयोग का मामला नहीं बतलाया है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर में बतलाई गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम के लेखों की लेखा परीक्षा

3456. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम के लेखों की लेखा-परीक्षा की गई है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट अब तक प्राप्त हो गई है और क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ख) गत वर्ष निगम के मुख्य कार्य क्या थे और इस वर्ष क्या-क्या होंगे ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रायर्यों में उप-मंत्री (श्री मोहम्द उस्मान आरिफ) : (क) जी नहीं। निगम का प्रथम वित्तीत वर्ष 31 मार्च, 1982 को पूरा होगा और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट उसके बाद ही उपलब्ध होगी।

(ख) निगम ने साफ्ट कोक, आयातित खाद्य तेलों, खुली बिक्री की चीनी तथा मोमबत्तियों के थोक वितरण का कार्य शुरू कर दिया है। निगम ने वनस्पति घी, चाय, चीनी, मक्खन, साबुन, तथा अपमार्जकों आदि जैसी आवश्यक वस्तुएं बेचने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र भी खोले हैं। इसने दिल्ली के विभिन्न भागों में भारत में निर्मित विदेशी शराब की 21 दुकानें भी खोली हैं।

निगम का निम्नलिखित कार्यों को शुरू करने का प्रस्ताव है—

(1) कंट्रोल के कपड़े का थोक वितरण;

(2) ओ० आर० सी० (दर ठेका के अनावा) श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सीमेन्ट का थोक वितरण;

(3) मैदा, सूजी तथा गेहूं से बने अन्य पदार्थों का थोक वितरण; और

(4) कापियों तथा पाठ्य पुस्तकों का थोक वितरण।

यह निगम उचित दर की दुकानों को गेहूं, चावल और लेवी चीनी जैसी राशन की वस्तुएं वितरित करने का कार्य भी भारतीय खाद्य निगम से, जो इस समय यह कार्य कर रहा है, क्रमबद्ध रूप में अपने हाथ में ले सकता है।

मछली पकड़ने का कार्यक्रम

3457. **श्री लक्ष्मण मालिक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1982-83 वित्तीय वर्ष में मछली पकड़ने के काम को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो देश के पूर्वी और पश्चिमी तट पर विभिन्न प्रकार की अधिक मछलियों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्वी और पश्चिमी तट पर 40 फैदम सीमा तक अधिकांश क्षेत्र में मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं क्योंकि मशीनीकृत नौकाएं, पर्याप्त संख्या में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों और पत्तनों के अभाव में एक सीमित क्षेत्र से आगे के क्षेत्र में मछली नहीं पकड़ पाती;

(घ) यदि हां, तो इन गोइंग पत्तनों और मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहों पर निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए और पूर्वी और पश्चिमी तटों पर मछली पकड़ने के नए बन्दरगाह और छोटे पत्तनों की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) परम्परागत, यंत्रीकृत और गहन समुद्र मत्स्यन क्षेत्रों के माध्यम से मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक जोर दिया जा रहा है।

(ग) पश्चिमी और पूर्वी तटों पर 40 फैदम गहराई के लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है और उपभोग के लिए उपलब्ध है। परिचालन का क्षेत्र अधिकतर पत्तनों की संख्या की अपेक्षा यंत्रीकृत नावों की क्षमता पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयानों के परिचालन के लिए रायचौक, विशाखा-पत्तनम (चरण-1) और मद्रास के पूर्वी तट पर कई प्रमुख मत्स्यन बन्दरगाह.....मौजूद हैं। पश्चिमी तट पर कोचीन और माल्पे पत्तन कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्वी तट पर काकीनाड़ा (चरण-1), धमरा, मल्लीपत्तनम, टूटीकोरिन, कोडैकराई और पोर्ट ब्लेयर स्थित छोटे बन्दरगाह तथा पश्चिमी तट पर विजान्जम (चरण-1), बेपोर, कसरगोडे, हन्नावर, करवर, वेरावल (चरण-1) तथा मंगरोल यंत्रीकृत नावों का परिचालन करने की सुविधाएं प्रदान है करते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वी तट पर दिघा (पश्चिम बंगाल), वालिनोक्कम और चिन्नमुत्तोम (तमिलनाडु) में चीन छोटे बन्दरगाहों और पश्चिमी तट पर नींदाकारा (केरल) की स्थापना की स्वीकृति हाल ही में दी गई है।

कमला नदी पर बांध के लिए भारत-नेपाल समझौता

3458. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मंत्री कमला नदी पर बांध के लिए भारत-नेपाल समझौता के बारे में 16 अगस्त, 1976 के अन्तारांकित प्रश्न संख्या 720 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित परियोजना की जांच की रिपोर्ट इस बीच पूरी हो गई है तथा समझौता हो गया है और परियोजना कार्यान्वित हो गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या नेपाल की महाराजा की सरकार ने गोदार के नजदीक काला नदी पर दोनों तरफ नहरें निकाली हैं जिससे जयनगर से निकलने वाली कमला नहरों से गरमी के महीनों में पानी की कमी हो जाएगी; और

(ग) क्या बाढ़, सूखा और विद्युत समस्याओं के हल के लिए इसका एक मात्र हल सीसपानी में कमला नदी पर बहुद्देश्यीय बांध का निर्माण करना और इसे कोसी बांध से जोड़ना है; यदि हां, तो सरकार ने तत्पश्चात् क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कमला नदी द्वारा, भारत में जयनगर और नेपाल में मिर्चया के परे वाले होने आप्लावन को रोकने के लिए एक स्कीम अभी भी बिहार सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) नेपाल की स्कीमों के बिहार में कमला के जल के संस्थापित और वचनबद्ध उपयोग पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में नेपाल की महामहिम सरकार के सरकारी स्तर के एक शिष्टमंडल की भारत सरकार के अधिकारियों के साथ हाल में हुई बैठक के दौरान विचार-विमर्श किया गया था। इस विचार-विमर्श को आगे जारी रखने पर सहमति हुई थी।

कोसी नियंत्रण बोर्ड

3459. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार ने जनवरी, 1974 में डॉ० कंवर सेन की अध्यक्षता में कोसी परामर्श बोर्ड गठित किया है;

(ख) क्या इस बोर्ड ने सितम्बर, 1974 में अपना अस्थाई प्रतिवेदन दे दिया था; यदि हां, तो प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या इस बोर्ड ने अपना अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) क्या उसके बाद बोर्ड की कभी बैठक बुलाई गई थी या इसे भंग कर दिया गया था या यह अब भी बना हुआ है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्हें परामर्शदाता बोर्ड से कोई रिपोर्ट (अन्तिम अथवा अनन्तिम) प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) बोर्ड ने 11 बैठकें आयोजित कीं। केन्द्र के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कोसी परामर्शदाता बोर्ड की वैधता की अवधि 1977 तक थी।

उत्तर प्रदेश और बिहार के गन्ना-उत्पादकों को देय बकाया राशियों का भुगतान

3460. श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश और बिहार के गन्ना उत्पादकों को बकाया राशियों के भुगतान के बारे में 17 नवम्बर, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलों की ओर गन्ने के मूल्यों, उत्पादन शुल्क, उपकर और अन्य बकाया राशियों की नवीनतम स्थिति क्या है और उसमें गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र की गन्ना मिलों पर बकाया राशियों का अनुपात क्या है;

(ख) गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र की किन-किन चीनी मिलों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और वे इसके लिए कोशिश कर रही हैं तथा उनके मार्ग में क्या बाधाएं हैं, और

(ग) बिहार की सरकारी क्षेत्र की कौन-सी मिलों का आधुनिकीकरण के लिए धन मिल रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 15-2-1982 को गने के मूल्य के बकायों के अनुपात और राशि के बारे में क्षेत्रवार सूचना नीचे दी जाती है—

राज्य	सार्वजनिक क्षेत्र		प्राइवेट क्षेत्र	
	राशि लाख रुपयों में	कुल बकायों का प्रतिशत	राशि लाख रुपयों में	कुल बकायों का प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	617.04	13.9	3818.72	86.1
बिहार	329.59	21.9	1178.28	78.1

उत्पादन शुल्क, उपकर के बकायों और अन्य बकायों के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और अपेक्षित सूचना उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्बन्धित राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है। जैसे ही सूचना प्राप्त हो जाती है वह सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जो चीनी मिलें आधुनिकीकरण और पुनर्वास न करने की इच्छुक हैं उनके रास्ते में आर्थिक सक्षमता बाधक है। तथापि, सरकार द्वारा मंजूर की गई सुगम ऋण योजना के अधीन जो सभी चीनी फैक्ट्रियां आधुनिकीकरण और पुनर्वास न करने की इच्छुक हैं, वे औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसी केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों से इस प्रकार के सुगम ऋण का लाभ उठा सकती हैं।

(ग) बिहार की किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी फैक्ट्री की वित्तीय सहायता के लिए कोई भी आवेदन पत्र/पूछताछ भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पास लम्बित नहीं है।

उड़ीसा में छठी योजना में कृषि विकास कार्यक्रम

3461. **श्री राम बिहारी बहेरा** : क्या कृषि मंत्री तह बताने की कृपा करेंगे कि : २१२५

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कौन से कृषि विकास कार्यक्रम लागू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) व (ख) छठी योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में कृषि और इससे सम्बद्ध क्षेत्रों में चल रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। छठी योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात् 1980-81 और 1981-82 के लिए परिव्यय योजनाओं के सामने दर्शाए गए हैं। केन्द्रीय प्रायोजित के लिए छठी योजना परिव्यय का राज्यवार पृथक-पृथक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	विकास शीर्ष/योजना का नाम	छठी पंचवर्षीय योजनावधि में उड़ीसा के लिए आवंटित राशि (केन्द्रीय शेयर)		टिप्पणी
		1980-81 (परिव्यय)	1981-81 (परिव्यय)	
1.	2.	3.	4.	5.
	कृषि सांख्यिकी			
1.	उड़ीसा में कृषि सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने के लिए एक एजेंसी स्थापित करने की योजना	35.00	48.00	
	वनस्पति रक्षण			
2.	स्थानिक महामारी क्षेत्रों में खर-पतवार नियंत्रण सहित कृषि महत्व के कीटों और रोगों पर नियंत्रण और उनका उन्मूलन	1.26	10.80	
	कृषि उपकरण और मशीन-			
3.	कृषक कृषि-सेवा केन्द्रों की स्थापना	—	—	1982-83 से नई योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी।
	फसलोन्मुख कार्यक्रम			
4.	गहन पटसन विकास कार्यक्रम	7.38	6.40	
5.	गहन कपास विकास कार्यक्रम	2.84	1.95	
6.	तिलहन विकास	17.65	11.43	
7.	दलहन विकास	25.64	17.66	

1.	2.	3.	4.	5.
	बागवानी			
8.	काजू विकास पैकेज कार्यक्रम	22.81	29.64	
9.	नारियल विकास पैकेज कार्यक्रम	3.32	5.04	
	मृदा एवं जल विकास			
10.	नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	116.00	100.00	
	पशु-पालन			
11.	पशु प्लेग उन्मूलन योजना	1.05	1.20	
12.	खुर-मुंह पका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	1.50	2.50	
13.	चारा फसलों पर मिनिकिट प्रदर्शन (किटों की संख्या)	825 (संख्या)	1225 (संख्या)	
	मात्स्यकी			
14.	जल कृषि विकास—मछुवा विकास एजेंसी	7.28		उड़ीसा सरकार के पास 1981-82 और 1982-83 के दौरान उपयोग में लाने के लिए काफी धन-राशि बची पड़ी है जो भारत सरकार द्वारा उन्हें स्वीकृत की गयी थी।
15.	विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त अन्तर्देशीय मत्स्यकी परियोजना के तहत मछुवा विकास एजेंसी	14.32		—वही—
	वानिकी			
16.	बाध परियोजना	14.00	15.00	
	ऋण			
17.	ऋण स्थिरिकरण निधि	60.00	96.00	

तारा नामक बाघिन

3462. **डॉ० बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में "टाइगर" परियोजना के निदेशक ने "तारा" बाघिन को "खत्म कर देने" के आदेश दिए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस मामले में उत्पन्न इस विवाद की जानकारी है कि "तारा" बाघिन पहले ही मर चुकी है;

(ग) क्या यह सिद्ध करने के लिए कि "तारा" बाघिन ने "रायल बंगाल टाइगर" की नस्ल को आनुवंशिक रूप से बिगाड़ा है, अन्य विशेषज्ञ मत प्राप्त किए गए हैं अथवा विदेशी विचार-विमर्श हुए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार खालिस भारतीय बंगाल टाइगर के लिए एक नए बाघ-अभयारण्य की स्थापना करने का हैं ;

(ङ) क्या "तारा" बाघिन को मारने की बजाय उसे चिड़ियाघर में भेज दिया जाना चाहिए था; और

(च) क्या सरकार ने मात्र प्रदूषित आनुवंशिक नस्ल का बहाना लगा कर अच्छी नस्ल के 12,200 बाघ देने की इंग्लैंड के श्री जॉन स्पिनल द्वारा की गई पेशकश को ठुकरा दिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) एक वितरण संलग्न है ।

(घ) भारत में बाघ परियोजना के अन्तर्गत पहले ही 11 बाघ आरक्षण-स्थल हैं और वे बाघों की शुद्ध भारतीय नस्ल की सहायता करते हैं ।

(ङ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता है ।

(च) जी, नहीं ।

विवरण

संक्षिप्त तथ्य यह है कि श्री अर्जनसिंह द्वारा सितम्बर, 1976 में ब्रिटेन से लगभग तीन माह का एक मादा बाघ शिशु भारत लाया गया था, जिसे जिन्होंने "तारा" नाम दिया और उत्तर प्रदेश के खेरी जिले में दुधवा राष्ट्रीय पार्क के सन्निकट अपने परिसर में स्थित "टाइगर हैविन" में उसका पालन-पोषण किया । जनवरी, 1978 में यह तरुण मादा बाघ कैद से अदृश्य हो गई और अर्जनसिंह का दावा है कि वह जंगल में पुनः बस गई । दूसरी ओर, दुधवा राष्ट्रीय पार्क में निदेशक का विचार है कि "तारा" मानव-भक्षी के रूप में परिवर्तित हो गई और इसके फलस्वरूप उन्होंने 11-11-80 को उसे मार दिया । श्री अर्जनसिंह का दावा है कि जिस बाघ को मानव-भक्षी के नाम से मारा गया, वह "तारा" नहीं थी और उनका अनुमान है कि "तारा" जिंदा है । तथापि "तारा" के जीवित होने का कोई ठोस सबूत नहीं है और इस प्रकार से वन के अन्दर उसका सफलतापूर्वक पुनः बसने का दावा भी संदेहास्पद है ।

2. जहां तक "तारा" की आनुवंशिक पृष्ठभूमि का सम्बन्ध है, यह बात अविवादास्पद है कि उसका जन्म ब्रिटेन के चिड़ियाघर में ऐसे वंश से हुआ था जिनकी पैन्थर टाईगिरिस टाईगिरिस भारतीय प्रजापति नही थीं ।

आपरेशन फलड कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित की गई धनराशि

3463. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में वर्ष 1982-83 के लिए क्रियान्वित आपरेशन फलड कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि का आबंटन करने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि देश के कुछ आपरेशन फलड कार्यक्रमों को कुछ बाहर के देश भी आर्थिक सहायता दे रहे हैं;

(ग) क्या ऐसा कोई आपरेशन फलड कार्यक्रम उड़ीसा में कार्यान्वित किया जा रहा हैं; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा के विभिन्न भागों में आपरेशन फलड कार्यक्रम की कुल कितनी यूनिटें काम करेंगी ।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1982-83 के दौरान आपरेशन फलड II कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न राज्यों की वित्तीय सहायता देने के लिए भारतीय डेयरी निगम का कुल बजट व्यस्था प्राक्कलन 63.80 करोड़ रुपए है ।

(ख) यद्यपि आपरेशन फलड-II परियोजना यूरोपीय आर्थिक समुदाय के जिस सहायता से और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण सहायता से क्रियान्वित की जा रही है, तथापि आपरेशन फलड II की कुछ उप-परियोजनाएं द्विपक्षीय व्यवस्था के अन्तर्गत विदेशों की सहायता से क्रियान्वित की जा रही हैं ।

(ग) जी हां उड़ीसा में आपरेशन फलड़-II परियोजना क्रियान्वित की जा रही है ।

(घ) उड़ीसा में आपरेशन फलड-II परियोजना जिसे 6 वर्ष की अवधि में 9.66 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से क्रियान्वित किया जाएगा, की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं—

(1) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चार जिले अर्थात् कियोन्झार, धेनकनाल, कटक और पुरी लाए जायेंगे और राउरकेला तथा बेरहामपुर/सम्बालपुर में दुग्ध का विपणन किया जाएगा ।

(2) प्रतिदिन 1.00 लाख लीटर अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन करना ।

(3) आनन्द पद्धति के आधार पर 560 समितियां स्थापित करना ।

(4) 20,000 लीटर दुग्ध प्रक्षीतन सुविधाओं के साथ 1.10 लाख लीटर दुग्ध परिसंस्करण की व्यवस्था ।

(5) प्रतिदिन 50 मीटरी टन क्षमता वाले नये पशु-चारा संयत्र का निर्माण ।

(6) इस कार्यक्रम में 1.2 लाख पशु स्वास्थ्य देख-रेख और 53,000 पशु कृत्रिम गर्भधान सेवा के अन्तर्गत शामिल किए जाएंगे ।

(7) चारा उत्पादन, उन्नत पशु-पालन और मिश्रित खेती को बढ़ावा देने के लिए विस्तार कार्यक्रम में तेजी लाना ।

(8) अग्रणी दल, डेरी सहकारी समिति और यूनियन स्टाफ को प्रशिक्षण देना; तथा

(9) तकनीकी सहायता और कार्यान्यन की व्यवस्था ।

जहांगीरपुरी, दिल्ली में झुग्गियां गिराना

3464. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहांगीरपुरी के 'जी' और 'एच' ब्लाक में मजदूरों की 3500 झुग्गियों को पूर्व सूचना दिए बिना गिरा दिया गया था, जिसमें एक बच्चा दबकर मर गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन झुग्गियों में रहने वाले व्यक्तियों के पास तीन-तीन साल पुराने राशन कार्ड भी थे; और

(ग) यदि हां, तो इन झुग्गियों को पूर्व सूचना दिए बिना तथा कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना सर्दी के मौसम में गिराने के क्या कारण थे ?

संसदीय तथा निर्माण और और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जहांगीरपुरी के ब्लाक 'जी' और 'एच' में अनेक नई झुग्गियों को जो हाल ही में पिछले दिनों में बनाई गई थीं और जो अधिकांशत: दखल में नहीं थीं गिरा दिया गया था और ऐसी नई झुग्गियों को गिराने के लिए, कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं था । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि सफाई अभियान के दौरान किसी बच्चे के मरने की उसके पास कोई सूचना नहीं है । सार्वजनिक भूमि पर विशेषकर हरित क्षेत्रों में उद्यानों के लिए और पेड़ लगाने के लिए उद्दिष्ट भूमि पर अव्यवस्थित और नए अतिक्रमणों को रोकने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को सफाई अभियान चलाना पड़ा था ।

बस्तियों का नियमित किया जाना

3465. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या निर्माण और आवास मन्त्री दिल्लीमें बस्तियों को नियमित करने के बारे में 24 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1006 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बस्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन बस्तियों के अनुमोदन के पश्चात् मंजूर किया गया है जिनके नाम उत्तर में दिए गए हैं;

(ख) क्या अनधिकृत बस्तियों की मंजूरी की प्रकिया से इन बीच पूरा कर लिया गया है तथा इसे किस तिथि से पूरा किया गया;

(ग) यदि नहीं, तो इसे किस तिथि तक पूरा कर लिया जायेगा जिससे अनधिकृत बस्तियों की अन्धाधुध वृद्धि को रोका जा सके; और

(घ) यदि प्रक्रिया को जारी रखा जाना है तो अनधिकृत बस्तियों की अंधाधुंध वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवही करने का विचार है ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"ऊसर लैण्ड रिकलेमेशन पासीबल" शीर्षक समाचार

3466. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 16 फरवरी, 1982 के टाइम्स आफ इण्डिया में "ऊसर लैण्ड रिकलेमेशन पासीबल" शीर्षक समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षार और लवण से प्रभावित मिट्टी के सुधार के लिए पाईराइट गंगा के मैदानी इलाकों में प्रभावी सिद्ध हुआ और क्षार को कम करने और मिट्टी को प्राकृतिक स्वरूप देने में सहायक हुआ है;

(ग) क्या बारहवीं अन्तर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने वाले बड़ी संख्या में भू-वैज्ञानिकों ने पाईराइट के उपयोग से प्राप्त परिणामों का निरीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में सुरजपुर फार्म का दौरा किया;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या है;

(ङ) क्या बल बिहार के रोहतास जिले में पाईराइट्स के भण्डार ही पूरे देश में ऊसर भूमि के सुधार के लिए पाईराइट्स की मांग को पूरा करने के लिए काफी होंगे; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने रोहतास जिले में पाईराइट्स के भण्डारों के उपयोग की कोई योजना बनाई है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) चन्द्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस में किए गए अध्ययन से गंगा-सिन्धु के मैदान की क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए पाईराइट की उपयोगिता की रिपोर्ट प्राप्त हुई है । 1980-81 में, यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में किए गए 45 साधारण परीक्षणों से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं और अच्छी सफल भी प्राप्त हुई है । फिर भी, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल से प्राप्त अनुसंधान उपलब्धियों के अनुसार पाईराइट को जिप्सम की तुलना में कम कारगर पाया गया है । इसका कारण अधिक क्षारीय मिट्टी में जब पाईराइट को मिलाया गया तो उसमें आक्सीकरण का अभाव का होना है । क्षारीय मिट्टियों के सुधार के लिए पाईराइट की क्षमता में सुधार के लिए किए जा रहे अनुसंधान कार्य में प्रगति जारी है ।

(ग) जी हां, श्रीमान्। देश और विदेश के करीब 150 प्रतिनिधियों ने इस फार्म का निरीक्षण किया है।

(घ) प्रतिनिधियों के विचारों के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हैं।

(ङ) निम्न कोटि के पाईराइट की कुल उपलब्धि तथा इसके परिवर्तनशील कारगरता पर निश्चित सूचना के अभाव के कारण यह कहना संभव नहीं है कि हमारा निम्न कोटि का पाईराइट का भंडार अकेले देश में सभी ऊसर भूमि के सुधार के लिए पर्याप्त होगा।

(च) (ङ) के उत्तर में दी गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

किसानों को लाभप्रद मूल्य दिया जाना

3467. **श्री आर० वाई० घोरपाडे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों की यह लगातार मांग रही है कि जिस वर्ष फसल अच्छी होती है उन्हें खराब फसल के वर्ष के नुकसान को पूरा करने के लिए उस वर्ष अच्छे दाम मिलने चाहिए, यदि हां, तो क्या सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी;

(ख) कृषि मूल्य आयोग के सिफारिशी मूल्यों और उत्पादन लागत में कितना अन्तर है;

(ग) उद्योग और कृषि में उत्पादन मूल्य निर्धारित करने के क्या मानदण्ड हैं;

(घ) क्या कृषि उत्पादकों को अभिमुख बनाकर उनका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी आर्थिक सहायता और निर्यात प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र को दिए जाते हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) किसानों तथा उनके संगठनों द्वारा प्रायः बार-बार उठाई जाने वाली मांग कृषि उत्पादकों के लाभकारी मूल्यों से सम्बन्धित है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) औद्योगिक जिन्सों की लागत तथा मूल्यों का निर्धारण आम तौर पर औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा किया जाता है या कुछ उद्यमों के मामले में यह कार्य अन्तः मंत्रालय समितियों या दलों द्वारा किया जाता है। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंड विभिन्न उद्योगों के लिए भिन्न-भिन्न हैं। ब्यूरो आमतौर पर ऐसी कुशल फर्मों की लागतों पर विचार करता है, जिनका कुल उत्पादन में अधिक भाग है। लागत में सामान्यतः आदान सामग्री मूल्य, रूपान्तरण लागत तथा ब्याज शुल्क सम्मिलित होते हैं। कृषि जिन्सों के सम्बन्ध में उत्पादन लागत, मानव, बैल तथा मशीनरी श्रम जैसी अस्थिर लागत, बीजों, कीटनाशी दवाईयों, खादों उर्वरकों के मूल्यों, औजारों व फार्म भवनों के मूल्य ह्रास, सिंचाई शुल्क, भू-राजस्व, उपकर आदि, कार्यगत पूंजी का ब्याज तथा मिश्रित खर्चों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। इनके अतिरिक्त, पट्टे वाली भूमि का किराया, निजी भूमि का किराया मूल्य, निजी नियत पूंजी पर लगाए गए ब्याज तथा पारिवारिक श्रम पर आकल्ति लागत को भी शामिल किया जाता है। अध्ययन किए गए नमूने जोतों पर उत्पादन की लागत के अनुमानों के साधारण औसत को लागत अनुमान तैयार करने के लिए ध्यान में रखा जाता है।

(घ) कुछ जिन्सों के बारे में यह ठीक है।

(ङ) प्रत्येक मामले पर गुणों के आधार पर निर्णय किया जाएगा।

विवरण

कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए मूल्य तथा गेहूं व धान की उत्पादन लागत

(रु० प्रति क्विंटल)

फसल वर्ष	कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए मूल्य	उत्पादन लागत		
		गेहूं		
		पंजाब	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
1977-78	110.00	108.57	97.28	87.11
1978-79	115.00	101.45	95.10	अध्ययन नहीं किया गया।
1979-80	117.00	102.76	112.31	अध्ययन नहीं किया गया।
		धान		
		असम	उड़ीसा	पंजाब
1977-78	77.00	55.46	65.70	अध्ययन नहीं किया गया।
1978-79	82.00	62.35	69.58	68.71
1979-80	90.00	अध्ययन नहीं किया गया।	84.48	अध्ययन नहीं किया गया।

नागरिक पूर्ति निगमों का अखिल भारतीय निकाय

3468. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि देश में नागरिक पूर्ति निगमों की एक अखिल भारतीय निकाय बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(ग) प्रस्तावित राष्ट्रीय परिषद् के लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

कृषि तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ऐसी कालोनियां जिन्हें दिल्ली नगर निगम द्वारा मंजूरी दी गई है परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूर नहीं किया गया

3470. **श्री सज्जन कुमार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ ऐसी गैर मंजूर शुदा कालोनियां हैं जिन्हें दिल्ली नगर निगम ने तो मंजूर कर दिया है परन्तु उन्हें अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूर नहीं किया गया है;

(ख) इस प्रकार की कालोनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कालोनियों की दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा स्टालों का आबंटन

3471. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सड़कों के किनारे कितने स्टाल बनाए हैं;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें वे स्टाल आबंटित किए गए हैं और ये किन तारीखों को आबंटित किए गए तथा इनमें से भूतपूर्व सैनिकों को कितने स्टाल आबंटित किए गए;

(ग) क्या सरकार ने इस शिकायत की जांच की है कि अधिकांश स्टाल मालिक स्टालों को नहीं चला रहे हैं और उन्होंने 400-500 रुपये प्रतिमास पर स्टालों को किराए पर उठा रखा है या उन्हें पगड़ी की आकर्षक धन राशि लेकर बेच दिया है; और

(घ) क्या सरकार आबंटियों के विरुद्ध जांच करके उनके प्रति कार्यवाही करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में शहरी गांव

3472. श्री अनवर अहमद : क्या निर्माण और आवास मंत्री दिल्ली में शहरी गांवों को नियमित करने के बारे में 14 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3575 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी गांव योजना की विकास सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट पर इस बीच अंतिम निर्णय ले लिया गया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त योजना के अन्तर्गत दक्षिणी दिल्ली के जमरुदपुर गांव में सभी नागरिक तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कर दी गई हैं और यदि हां, तो किए गए कामों का तथा उन पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इमारतों के नक्शे आदि की अनुमति के लिए इस गांव को नियमित कर दिया गया है;

(घ) उपरोक्त प्रश्न के भाग (ख) में किए गए उल्लेख के अनुसार गृह निर्माण ऋण दिए जाने पर क्या शर्तें लागू होती है और क्या यह गांव उन शर्तों को पूरा करता है;

(ङ) गांव के चारों ओर और जमरुदपुर गांव के पश्चिम में 'स्किन इन्स्टीट्यूट' के पास खाली पड़ी भूमि का क्षेत्रफल क्या है जिसे डी० डी० ए० ने कई साल पहले अधिग्रहण किया था और जिसे सामुदायिक उद्देश्यों के लिए न तो नीलाम किया गया है और न प्रयोग किया गया है और जो अप्रयुक्त पड़ी है एवं किन कारणों से यह भूमि बेकार पड़ी हुई है; और

(च) इस भूमि पर किया गया अनधिकृत कब्जा कब तक समाप्त कर दिया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में कलोनियों को नियमित करना

3473. श्री पी० राजगोपाल नायडू :

श्री नवीन रवाणी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली और दिल्ली की कितनी कलोनियों को अब तक नियमित किया जा चुका है; और

(ख) क्या सरकार का उन्हें अब नियमित करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 292

(ख) सरकार ने निर्णय किया है कि दिल्ली में गैर-सरकारी भूमि पर निर्मित वर्तमान अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाएगा। इसमें क्रमशः 30-6-77 तथा 16-2-77 तक बनी रिहायशी तथा वाणिज्यिक संरचनाएं शामिल हैं।

उर्वरकों की आयातित मात्रा में कमी

3474. **श्री अन्नत रामुलु मल्लु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश में उर्वरकों की अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों की आयातित मात्रा को धीरे-धीरे कम कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : देश में उर्वरकों की कृषि सम्बन्धी मांग तथा उनकी घरेलू उपलब्धि के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए उर्वरकों का आयात किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान आयात की मात्रा, देश में उर्वरकों के उत्पादन में सुधार होने के कारण, गत वर्ष की तुलना में कम होने का अनुमान है। तथापि, यह बताना सार्वजनिक हित में नहीं है कि आगामी वर्षों में आयात की मात्रा कितनी होगी।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं और मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। मैं एक डकैत मथुरा सिंह की बात कर रहा हूं। उसने यह स्वीकार किया है कि उसे और उसके सहकर्मियों को स्थल सेना अधिकारियों से हथियार और गोला-बारूद मिला था। यह एक गम्भीर मामला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे पास है और मैं इस पर किसी ओर ढंग से विचार करूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं आपका ध्यान एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। शुक्रवार को हमने बन्धुआ-मजदूरों के प्रश्न पर चर्चा की थी। महोदय, यह सब दिल्ली से 15 कि० मी० दूरी पर हो रहा है, आप वहां जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वहां पर बन्धुआ मजदूर हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 के अधीन इसका उल्लेख कर सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, वहां पर उनके लिए न तो पीने का पानी है और न ही रहने के लिए स्थान है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

डॉ० कृपासिन्ध भोई (सम्बलपुर) : महोदय, एक समाचार छपा है दो बड़े हृदय शल्य-चिकित्सकों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान छोड़ा। एक माननीय सदस्य...

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : क्या बोल रहे हैं, साहब ?

डॉ० कृपा सिन्धु भोई : डाक्टर के पेशे तथा उन सभी बातों के बारे में वह क्या जानते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई प्रस्ताव भेजा है ।

डॉ० कृपा सिन्धु भोई : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : फिर ठीक है । कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आपस में कोई बातचीत नहीं होगी । कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जा रहा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (नई दिल्ली) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सलाह चाहता हूं । दिल्ली में दो साल से चुनाव टल रहे हैं, बताइए यह मामला कैसे उठाया जाए ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास एक नोटिस····

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 22 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होने वाला है ।

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्ट्री आ रही है, आप डिमांड्ज पर बोलिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : होम मिनिस्ट्री कहां से आ रही है ?

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्ट्री की डिमांड्ज आ रही हैं, उस पर डिस्कशन होगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप क्यों नहीं कालिंग अटैंशन एडमिट कर लेते ?

अध्यक्ष महोदय : आप भी सूचना भेज सकते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दिल्ली में चुनाव टालना कोई मामूली बात नहीं है । आप गढ़वाल के बारे में सुनते हैं, मगर दिल्ली के बारे में सुनने को तैयार नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : साथ-साथ दोनों को इकट्ठा करवायेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दिल्ली के बारे में कोई जवाब नहीं देता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को नहीं रोकता । क्यों करूं मैं ऐसा, मुझे क्या डर लगता है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह दिल्ली में चुनाव कराने से डर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप करिए बात, होम मिनिस्ट्री की डिमांड्ज पर बोलिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : होम मिनिस्ट्री की डिमांड्ज अलग हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप और मोशन दीजिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मोशन मैंने दिया है, आपकी इजाजत नहीं है ।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आज आपने डाके का फैसला किया है, उससे दूसरे कंस्ट्रक्टिव काम रह गए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं डाके पर डिस्कशन नहीं चाहता, डाके तो रोज पड़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि मैं कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहता था, आपका जमीन वाला करना चाहता था, लेकिन डाके वाला करवा दिया गया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, गृह मन्त्री महोदय यहां उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। कृपया बैठ जाइये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दिल्ली में असम्बली नहीं है और विरोधी दल का मैं यहां इकलौता मेम्बर हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपसे बहुत सहानुभूति हो रही है, मैं करूं क्या ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी सदन में 377 के माध्यम से आल इण्डिया इण्डस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज के दो डॉक्टरों...

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया, अब आप क्या कहने जा रहे हैं ?

श्री राम विलास पासवान : हमने गम्भीर आरोप लगाये हैं, आप मन्त्री महोदय को इस पर स्टेटमैंट देने के लिए कहिये।

मेरा आरोप सही है, मैं चेलेन्ज करता हूं, मंत्री जी जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप आल इण्डिया इण्स्टीट्यूट पर क्यों नहीं डिस्कशन करवाते हैं ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये। आप बैठते क्यों नहीं हैं ? जब मैं खड़ा हूं आप कृपया बैठ जाइये। यह बहुत बुरी बात है। आप यहां संसद् में वायुद्ध छेड़े हुए हैं। यह क्या हो रहा है ? मैं यहां पर कार्य संचालन के लिए हूं, आप स्वयं नहीं। यह कोई प्रत्युत्तर या अन्य कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उचित ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने अपनी सूचना या प्रस्ताव भेजा है आपने अपना।

(व्यवधान)

** *कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । अब दूसरे प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा । इस तरह नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है आप लोगों को ? कृपया बैठ जाइये । क्या आप उन्मत्त हो गए हैं ?

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैंने आवश्यक वस्तुएं (अनुरक्षण) आदेश के विरुद्ध आन्दोलन के बारे में एक प्रस्ताव दिया है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न कीजिए ।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : हो सकता है जांच कराने की मांग हो, मैं अ० भा० अ० सं० की बात कर रहा हूं···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं । उसकी भी अनुमति नहीं है । कृपया शान्त रहिये ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह उचित प्रस्ताव के माध्यम से किया जाना चाहिये । नहीं, कृपया इसकी अनुमति नहीं है । कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये । कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।

केवल पत्र ही सभा पटल पर रखे जायेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम के अधीन अधिसूचना

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 741 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रान्थालय में रखा गया । देखिए—संख्या एल० टी० 3528/82]

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं !

(1) भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे ।

(2) भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए—संख्या एल० टी०-3529/82]

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद संस्थान सोसाइटी पटियाला के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा सम्बन्धी विवरण

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुगोन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद संस्थान सोसाइटी पटियाला, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे सभा पटल पर रखने* में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए—संख्या एल० टी०-3530/82]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं हर बात सुनने को तैयार हूं । ध्यानाकर्षण ।

श्री मान दौलतराम सारण : उपस्थित नहीं हैं ।

श्री नाहर : अनुपस्थित हैं ।

श्री बालकृष्ण वासनिक : वह यहां नहीं है । यह प्रथम अवसर है कि हमें ध्यानाकर्षण में कोई रुचि नहीं है ।

श्री हरीश रावत : अनुपस्थित ।

अब, श्री बनातवाला की बारी है । अन्त में, एक अग्रणी ज्योति आ रही है ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्यम) : हम नाम देते हैं, मगर हमारा नाम इसमें आता नहीं है । आप हम लोगों को मौका क्यों नहीं देते हैं ?

---

*राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद संस्थान सोसाइटी, पटियाला का वर्ष, 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे 25 फरवरी, 1882 को सभा पटल पर रखे गए थे ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मोहदया, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। यह मेरे अधिकार में नहीं है। मुझे खेद है, मैं उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता हूं जो मेरे पास नहीं है। मैं भी आपकी ही तरह असहाय हूं।

श्री बनात वाला

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नई दिल्ली में दो डाकघरों के लूटे जाने का समाचार

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं नई दिल्ली में जोरबाग और मालवीय नगर में दो डाक घरों के लूटे जाने के समाचार की ओर गृह मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : 9 मार्च, 1982 को शाम के लगभग 8.40 बजे हैड पोस्ट आफिस, लोदी रोड में 5-7 व्यक्तियों ने डकैती डाली। यह पोस्ट आफिस इसके क्षेत्र में आने वाले 56 डाकघरों से डाक और कैश बैग प्राप्त करता है।

2. डाक और कैश बैग डाक वाहनों में सीलबन्द लाए जाते हैं और डाकघर की मेल ब्रांच के पिछले दरवाजे पर दे दिए जाते हैं। 9 मार्च, 1982 को घटना से पहले आखरी डाक वाहन अपराह्न 7.15 बजे आना था। आखरी डाक वाहन के आने का समय अपराह्न 8.00 बजे का है। अपराह्न 7.15 बजे डाक वाहन के आने के बाद मेल ब्रांच के दरवाजे को अन्दर से चटखनी लगाकर बन्द कर दिया गया। इस पोस्ट आफिस में 297 कर्मचारी हैं। डकैती डालने के समय आठ कर्मचारी डाकघर में ड्यूटी पर थे। इनमें वे पांच कर्मचारी भी शामिल थे जो दिन के अन्त में रोकड़ से सम्बन्धित होते हैं। सहायक पोस्ट मास्टर तीन खंजाचियों के साथ डाकघर को खजाना शाखा के स्टोंग रूम के अन्दर नकदी को गिन रहा था। नकदी गिन लेने और मिलाने कर लेने के पश्चात् चौकीदार को पोस्टमास्टर को बुलाने के लिए भेजा गया जो अपने आफिस रूम में था। दिन की प्राप्ति के अतिरिक्त एक कपड़े के थैले में 6.27 लाख रुपये की रकम तिजोरी में पड़ी थी।

3. डाक कर्मचारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मेल ब्रांच के पिछले दरवाजे को खटखटाया गया। जब मेल कलर्क ने दरवाजा खोला तो कुछ व्यक्ति पोस्ट-आफिस में घुस आये और उन्होंने चाकू दिखाकर मेल कलर्क और पैकर को बाध्य किया कि वे उन्हें ट्रेजरी-बांच के स्ट्रोंग रूम में ले जाएं। स्ट्रोंग रूम में घुसकर उन्होंने कर्मचामियों को मेजों के नीचे चले जाने के लिए कहा। उन्होंने एक तिजोरी से जिसमें ताला नहीं लगा हुआ था नोटों के बंडल निकाले तथा दूसरी तिजोरी से जिसको उन्होंने वहीं से प्राप्त की गई चाबी की सहायता से खोला था एक कपड़े का थैला निकाला जिसमें 6.27 लाख रुपये थे। वे चमड़े के चार सीलबन्द बैग भी ले गये जिनमें नकदी और चैक थे। पोस्ट आफिस से ले जायी गई कुल रकम 10,52,910 रुपये नकद थी और

1,84,787.32 रुपये चैक और अन्य पोस्टल आर्टीकल के रूप में थी। उनके अनुसार ये सारी घटना कुछ एक मिनटों में ही हो गई और पोस्ट मास्टर के घटना स्थल पर पहुंचने से पहले अपराधी लूट का माल लेकर जा रहे थे।

4. पुलिस कंट्रोल रूप को सूचना अपराह्न 9.03 बजे प्राप्त हुई। स्टेशन हाऊस अधिकारी लोदी कालोनी जो जोर बाग क्षेत्र में गश्ती ड्यूटी पर था, को यह सूचना वायरलैस पर प्राप्त हुई और वह शीघ्र घटना स्थल पर पहुंचा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मोके पर गये। संचार मंत्री और मैं अगले दिन सवेरे पोस्ट आफिस गये।

5. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/397 तथा शास्त्र अधिनियम की धारा 27/54/59 के अधीन लोदी कालोनी के थाने में एक मामला दर्ज किया गया है और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को जांच पड़ताल का कार्य सौंप दिया गया है।

6. 10-11 मार्च, 1982 की रात में मालवीय नगर के पोस्ट आफिस में सेंधमारी की घटना हुई। बताया जाता है कि अपराधी मुख्य द्वार पर लगे तालों को तोड़कर पोस्ट आफिस में घुस गए और फिर तिजोरी के तालों को तोड़ दिया और 739.34 रुपये की रकम ले गए। चौकीदार द्वारा सेंधमारी का पता लगाया गया। उसने मामले की सूचना 11 मार्च 1982 को सवेरे मालवीय नगर के थाने को दी। इस मामले की जांच पड़ताल स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

7. उन डाकघरों जिनमें अधिक मात्रा में धनराशि रखी जाती है, के सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने का प्रश्न डाक अधिकारियों के साथ उठाया गया है। इस बीच डाकघरों को हिदायतें दी गई हैं कि वे अधिक सुरक्षा के प्रबन्ध करें।

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रारम्भ में ही कहना चाहूंगा कि जहां तक इस डाकघर में पड़ी डकैती और लूटपाट का सम्बन्ध है, मेरी सहानुभूति मन्त्री महोदय और पुलिस के साथ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निस्सन्देह इसमें स्वयं डाकघर की ओर से गम्भीर कमियां है। हर कोई यह जानता है कि दिल्ली की पुलिस अयोग्य और अक्षम है और वह उनकी सहायता करने की स्थिति में नहीं है। अतः उन्हें इस मामले में कम-से-कम प्रारम्भिक सावधानी तो बरतनी चाहिए थी। परन्तु दिल्ली पुलिस के दुःखद एवं धूमिल रिकार्ड के बावजूद इन डाकघरों में अपने स्वयं के प्रबन्ध ठीक नहीं थे। जोर बाग का डाकघर एक महत्वपूर्ण डाकघर है। हमें बताया गया है कि यह डाकघर अपने कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले 56 डाकघरों की डाक और धनराशि के बक्सों को जमा करता है। उससे इस डाकघर के महत्व का पता चलता हैं, जिस पर मैं विस्तार से बाद में बोलूंगा। परन्तु अब मैं यह कह रहा था कि इतने महत्वपूर्ण डाकघर के अपने स्वयं के सुरक्षा प्रबन्ध नहीं थे। एक बिना हथियार के चौकीदार के और कोई सुरक्षा कर्मचारी है ही नहीं और मेरे विचार से हमारे यहां किसी भी डाकघर में कोई सशस्त्र चौकीदार नहीं है। महोदय, उसके बाद हमने यह भी पाया है कि इस तथ्य के बावजूद कि यह डाकघर अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले 56 डाकघरों से धनराशि के बक्से प्राप्त करता है वहां कोई चेतावनी प्रणाली नहीं है। केवल इतनी ही बात नहीं है। यह जानना भी बड़ी दुःखद बात है कि मुख्य द्वार में कोई आंख भी नहीं है जिससे दरवाजा खोलने से पूर्व अन्दर के लोग बाहर के लोगों को पहचान सकें। इसके अभाव में भी जैसे ही डाकूओं ने दरवाजा खटखटाया उसे पूरा खोलना पड़ा।

महोदय, इस डाकघर में लाखों रुपयों की गिनती की जा रही थी। कोष-कक्ष का इस्पात का दरवाजा भी खोलकर रखा गया था। नकदी की तिजोरी भी खुली थी। ऐसा लगता था कि यह लाखों रुपयों की गिनती मात्र का काम नहीं है बल्कि ऐसा लगता था कि वे लोग पिकनिक मना रहे हों। इन सब भूलो के लिए निश्चितरूप से श्री सी० एम० स्टीफन की जवाब देही होनी चाहिए थी, परन्तु यह ठीक है कि कुछ तकनीकी बारीकियों के कारण मन्त्री महोदय, श्री वेंकट सुब्बैया को यहां जवाबदेही करनी पड़ रही है। इसलिए जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है, मेरी सहानुभूति उनेक साथ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आप अध्यक्ष पीठ से श्री स्टीफन की उपस्थिति मांग कर सकते हैं।

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन पाटिल) : वह अस्पताल में हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तब मुझे खेद है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं जो कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। यह स्पष्ट है कि इसमें कोई अन्दरूनी हाथ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विदेशी हाथ नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक की डाकघर का सम्बन्ध है इसमें विदेशी हाथ है।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह डाकघरों के संगठन की दुःखद स्थिति है। यह सच है कि जोरबाग डाकघर के इस धन को उस दिन पहले ही रिजर्व बैंक में जमा करा दिया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया और ऐसा लगता है कि किसी को यह मालूम था कि धन भारतीय रिजर्व बैंक में जमा नहीं कराया गया है और यह विशेष डाका पड़ा।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि मालवीय नगर के दूसरे डाकघर में चौकीदार ने प्रातः 4 बजे कुछ शेर सुना, उसने एक घण्टा गुजर जाने दिया, शायद अपनी सुरक्षा के लिए अथवा अन्य किसी कारण से जिन्हें मैं नहीं जानता। पांच बजे के लगभग उसने तालों की जांच की तथा उन्हें टूटे हुए पाया। उसके भी दो घण्टे बाद उसने पुलिस में रिपोर्ट करना उचित समझा। शायद उसे पुलिस पर विश्वास नहीं था और वह सोच रहा था कि ऐसी अयोग्य पुलिस को रिपोर्ट दी भी जाए अथवा नहीं। तो भी इन तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए।

जो कुछ मैंने कहा है उसके रोते हुए भी मेरी सहानुभूति मंत्री महोदय तथा पुलिस के साथ है और जहां तक इन दो डाकघरों का सम्बन्ध है, सुस्पष्ट तथ्य यह है कि जोरबाग डाकघर में डाका तथा मालवीय नगर के डाकघरों में सेंधमारी की घटनाओं ने दिल्ली में वित्तीय संस्थाओं की लूट की घटनाओं ने स्थान पा लिया है, जैसी कि पिछले 10 महीने में 5 घटनाएं हो चुकी हैं। छोटी घटनाओं को छोड़ भी दें, तो ये पांच मुख्य घटनाएं हैं। एक के बाद एक तीन बैंकों को लूटा गया तथा पुलिस को अवश्य ही सतर्क हो जाना चाहिए था क्योंकि वह इन विशेष गतिविधियों से अपरिचित नहीं थी। अपने इस सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया था तथा हमें

आश्वासन दिया गया था कि सुरक्षा के उपाय, गश्तों आदि की व्यवस्था की जाएगी। इसके बावजूद भी हम देखते है कि जोरबाग स्थित इस डाकघर के आसपास भी जिसमें इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले 56 डाकघरों से कैश बक्से आते है। पुलिस की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, गश्त दोषपूर्ण है। इससे पता चलता है कि पुलिस कितनी लापरवाह है। दिल्ली में बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारी पूर्णतः छुट्टी का रुख अपनाए हुए है।

उन रात की गश्तों का क्या बना जिनके बारे में हमें यहां पर भी प्रायः बताया गया है? जोरबाग डाकघर में यह घटना रात 8-9 बजे के बाद घटी। मालवीय नगर डाकघर के मामले में प्रातःकाल से पूर्व का झपट्टा था। उनका यह सफल झपट्टा था। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लुटेरे डाकू तथा अन्य अपराधी तत्व ऐसा समझते है कि वे जब भी चाहें लूटमार कर सकते हैं। पहले, बैंकों में डाके पड़े, उसके बाद डाकघर लूटे गए तथा उसके पश्चात् कौन-से दुर्भाग्यपूर्ण तत्व उनके हाथों शिकार होने जा रहे हैं।

श्रीमान्, अब इन भयावय दृश्यों का अन्त होना चाहिए। अभी समय है कि सरकार पुलिस संगठन को चुस्त बनाए और इस बारे में गम्भीरता से कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् पुलिस की सतर्कता में वृद्धि की जाने चाहिए, पैदल तथा वाहनों में व्यापक गश्ती की जानी चाहिए। डाकुओं लूटेरों तथा अन्य अपराधी तत्वों को पकड़ने के लिए मर्मस्थलों पर चौक-सी बरती जानी चाहिए। और दिल्ली में वित्तीय संस्थाओं के डकैतियों का शिकार होने के बावजूद तथा जोरबाग के महत्वपूर्ण डाकघर जिसके क्षेत्राधिकार में 56 डाकघरों के कैश बक्स आते हैं इन मर्मस्थलों पर चौकसी की क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमान्, मैं इस बात पर भी बल देना चाहूंगा कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से भी सहायता ली जाये। क्या सरकार ने उक्त बल से रात की गश्तों का कार्य लेने की बात पर विचार किया है? क्या सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा दिल्ली पुलिस के हाथ मजबूत करने के लिए इस बल की किसी अतिरिक्त बटैलियन की मांग की है। यह अत्यन्त स्पष्ट है कि हाल ही में अपराधी तत्वों का हौसला पूर्व हमें बताया गया था कि बैंकों तथा पुलिस अथवा वित्तीय संस्थाओं और पुलिस के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित किया गया है जिससे ऐसी घटनाओं को पुलिस को तुरन्त सूचना दी जा सके। मैं नहीं जानता कि इस सीधे सम्पर्क का क्या बना? रात की गश्तों तथा पहरों के बारे में इस समय क्या व्यवस्था है?

उपाध्यक्ष महोदय, जांच की धीमी गति पर भी हमें गम्भीर चिन्ता व्यक्त करनी है। पिछले 10 महीने में दिल्ली में विशेषतः दक्षिण दिल्ली में जो कि डाक महत्वपूर्ण मर्मस्थल लगता है। 20 लाख रुपए की डकैती अथवा लूटमार की 5 घटनाएं हुई। इन घटनाओं के बावजूद पुलिस की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई। श्रीमान्, आपको याद होगा कि कुछ समय पूर्व मंत्री महोदय ने मुझे आश्वासन दिया था कि जांच कार्य अत्यन्त तत्परता से चल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि आप की अपील भी सबल थी।

श्री जी० एम० बनातवाला : उसके बावजूद हमारे समक्ष यह भयावय स्थिति है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : परन्तु डाकू भी प्रबल रूप से कार्य कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय अधिकतर श्री वाजपेयी के निर्वाचन क्षेत्र में।

श्री जी० एम० बनातवाला : मंत्री महोदय कृपया सभा को जांच की स्थिति से अवगत कराये। कितनी घटनाएं हुई हैं और इनकी तुलना में कितने प्रतिशत मुकदमे चलाये जाते हैं। कितने अभियोग चलाये जाते हैं और उनकी तुलना में कितने प्रतिशत मुकदमों में दोषसिद्धि होती है ? इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ये प्रतिशत अत्यन्त नगण्य हैं और दिल्ली पुलिस की बदनामी का एक कारण यही है।

आंकड़े बनाकर मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता परन्तु मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि मंत्री महोदय सरकारी आंकड़े बताये ताकि पता चले कि इस प्रवृत्ति में कोई सुधार हुआ है जिससे दिल्ली के लोगों में फिर से विश्वास पैदा किया जा सके।

महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पुलिस बल को बहुत सा ऐसा काम करना होता है जिससे कि इसके मूलभूत और आवश्यक कार्य में बाधा होती है। (व्यवधान)

मंत्री महोदय को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सभा जो कि बाहर की जनता की भावनाओं, इच्छाओं और विचारों का आईना हैं, की निराशा को नोट किया जाए तथा उसे दूर करने के लिए और स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ किया जाए।

मैं बता रहा था कि इस पुलिस को बहुत से कार्य करने पड़ते है जिन्हें कम से कम विपक्ष के सदस्य जानते है। परन्तु जैसा कि मैं जानता हूं स्थिति यह है कि दिल्ली के लगभग 11% पुलिस अधिकारी अति विशिष्ट व्यक्ति था, जिनमें मंत्री तथा अन्य लोग आते हैं, की सुरक्षा ड्यूटी में रहते हैं।

जहां तक जोरबाग डाकघर की डकैती का सम्बन्ध है, यह डकैती होली के दिन हुई। सभी पुलिस कर्मचारी होली के सम्बन्ध में व्यस्त थे। अतः इस महत्वपूर्ण सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए कि इस प्रकार के प्रबन्धों के लिए होम-गार्डों आदि की सेवाओं का उपयोग किया जाए ताकि पुलिस बल अपने मुख्य कार्य पर ध्यान दे सके।

कए बात और है जिसे मंत्री महोदय, द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। यदि मैंने ठीक समझा है तो पुलिस संगठन में एक डकैती विरोधी सेल है। वह सेल क्या कर रहा है ? ये डाकू जहां कहीं भी डाका डालने तथा लूट का माल लेकर भाग निकलने में कैसे सफल हो जाते है ? डकैती उन्मूलन सेल क्या कार्य कर रहा है ? शायद वे महारानी बाग बैंक डकैती का समाधान खोज रहे थे, तथा डाकुओं ने डाकघर को लूट लिया। इसलिए उस सेल में सुधार लाने की आवश्यकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे दृढ़ बताया जाये।

मंत्री महोदय सभा को बतायें कि इस डकैती विरोधी सेल में कितने कर्मचारी हैं। मंत्री महोदय को यह वक्तव्य देकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि पूरे प्रबन्ध किए जा रहे हैं। इस बारे में पुनर्विचार करने तथा इन प्रबन्धों के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता है।

निःसन्देह मैं दिल्ली पुलिस के प्रति अनावश्यक रूप से कठोर भी नहीं होना चाहता क्योंकि जब भी डाके पड़ते है अथवा लूटमार होती है तो हम सभा में उनके बारे में बोलते हैं परन्तु इसमें संदेह नहीं कि ऐसा नहीं है कि पुलिस पूरी तरह गहरी नींद सो रही हो। कम से कम कुछ अच्छा कार्य जहां तहां किया जा रहा है।

उदाहरण के लिए हमने देखा कि 7 मार्च के उत्तरी जिले में लारेंस रोड पर पुलिस ने किसी से सूचना मिलने पर सी ब्लाक में पूर्व नियोजित डकैती की एक योजना को निष्फल किया और यंत्र सशस्त्र डाकुओं को पकड़ा। निस्संदेह वह एक अच्छी बात थी क्योंकि डाकू देशी पिस्तौलों, हथगोलों आदि से लैस थे। इसी प्रकार एक दिन पहले भी दक्षिण दिल्ली की कालिंदी कालोनी में डाकुओं की एक योजना को निष्फल किया गया और छः डाकुओं में से चार डाकू गिरफ्तार किये गए। उन्होंने यमुना को पार कर लिया था और सूरज निकलने से पहले धावा बोलने के लिए तैयार थे। पुलिस ने उन पर धावा बोला और वे सशस्त्र डाकू थे। हमें राक्षस के साथ उस जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। दिल्ली पुलिस को भी, राक्षस के मिलने वाले दंड की तरह यह रिकार्ड स्थापित करने के लिए श्रेय मिल गया। फिर भी मंत्री महोदय, इस सभा को विश्वास में लें और राष्ट्र के उन कदमों के बारे में आश्वासन दिया जाना चाहिए जो इस बात को ध्यान में रखने के लिए उठाये जा रहे हैं कि लोगों के मन में व्याप्त असुरक्षा की भावना दूर हो। यह बात लज्जाजनक है कि एक के बाद एक डकैती हो रही है और इस समय में हमें केवल कारण बताये जाते हैं। और तत्सम्बन्धी विवरण दिये जाते हैं। इस बेचैन करने वाली स्थिति की ओर सरकार द्वारा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उन प्रश्नों पर ठोस कार्यवाही करेंगे जो मैंने उठाये हैं।

श्री० पी० वेंकटरमुब्बय्या : माननीय बनातवाला ने पुलिस विभाग की असफलताओं, त्रुटियों तथा अकार्यकुशलता का जिक्र करते हुए एक तर्कपूर्ण भाषण दिया है। उन्होंने मुझे अपने मन से बधायी दी कि मैं अपराधी नहीं हूं जबकि संचार मंत्री अपराधी है। इन्होंने अभी हाल में कुछ मामलों का पता लगाने के लिए पुलिस को भी अच्छे मन से बधायी दी है। मैं एक-एक करके इन सब बातों पर प्रकाश डालूंगा और यदि मैं किसी बात का उत्तर देना भूल जाऊं तो मानीय सदस्य बतायें और मैं उन्हें सारी स्थिति बता दूंगा, जैसा कि मेरे वक्तव्य में कहा गया है कि इसमें कोई न कोई साजिश हुई है। इसी कारण हमने इसे उतना महत्व नहीं दिया है। इस मामले में डाक विभाग के कर्मचारियों के साथ काफी पूछताछ हुई है। इसी कारण हमने यह मामला उचित कार्यवाही के लिए अपराध जांच विभाग को सौंपा है। इन्होंने पुलिस विभाग के विरुद्ध कठोर रवैया अपनाया है। मैं घटनाओं के क्रम को बताता हूं जिन्हें मेरे विवरण में देखें। ज्योंही पुलिस को डाक विभाग से एक संदेश मिला। उसी समय जोरबाग के पास गश्त पार्टी थी। स्टेशन हाउस आफिसर टेलीफोन एक्सचैंज विभाग में था जो एक घटना स्थल से कुछ ही गज दूर है। वे मौके पर गये और तत्काल ही पूछताछ तथा जांच शुरू हो गई। अतः शीघ्र कार्यवाही करने के मामले में पुलिस दोषी नहीं है। क्योंकि इसने सूचना मिलते ही कार्यवाही कर दी। हम सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापक नहीं हो सकते और हर जगह होने वाले अपराधों की परिकल्पना नहीं कर सकते और उनके लिए तैयार नहीं रह सकते। लेकिन इस विशेष मामले में रात की गश्त हो रही है। एक एस० एच० ओ० भी रात्रि गश्त ड्यूटी पर रहा। वह टेलीफोन एक्सचैंज के नजदीक था जो जोरबाग पुलिस स्टेशन के नजदीक है और वह घटनास्थल पर गया।

पुलिस बल को मजबूत बनाने और पुलिस स्टेशन खोलने का जहां तक सम्बन्ध है हमने निम्नलिखित स्थानों के लिए पुलिस स्टेशन स्वीकृत किये हैं—

कृष्णानगर, शकरपुर, यमुनापुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जमामस्जिद, 1980 में इन स्थानों के लिए पुलिस चौकियां स्वीकृत की गयी—

मदनगिरि, उत्तमनगर, हरिनगर, मालवीयनगर, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नेहरू प्लेस, सीलमपुर, इन्द्रलोक, महिपालपुरी, गुलमोहर पार्क, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, रेलवे स्टेशन तुगलकाबाद ।

ये अतिरिक्त पुलिस स्टेशन हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए खोले हैं ताकि अपराधों का पता लगाने के लिए उचित प्रबन्ध किया जा सके । तथा पुलिस के नोटिस में आते ही तुरन्त कार्यवाही की जा सके ।

उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में कहा है कि पुलिस स्टेशन कार्यकुशल तथा कारगर नहीं रहे हैं । मैं आंकड़े दे सकता हूं । इन्होंने दक्षिण जिले की पुलिस के कार्य का जिक्र किया है और मैं सभा के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि 1979 में—मैं दक्षिण दिल्ली के बारे में कह रहा हूं—कुल 18 डकैतियां हुई, जिनमें से 10 का पता लगा लिया गया है । जिसका अर्थ यह है कि इनकी जांच कर ली गयी है । 1980 में 10 डकैतियां हुई, इनकी सक्रिय रूप से जांच हो रही है । 1981 में 4 डकैतियां हुई जिनमें से तीन का पता लगाया गया है । प्रतिशतता के सम्बन्ध में भी; मैं श्री बनातवाला को सूचित करता हूं कि 1981 में हमने 75 प्रतिशत मामलों में कार्यवाही कर ली है । 1979 में ···डकैतियां हुई ?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : डकैती के बाद लूट ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : 'लूट' भिन्न है, 'डकैती' भिन्न है । ऐसे ही मामलों में····

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अन्तर क्या है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : डकैती···से अधिक है (व्यवधान) । मैं आपको परिभाषा बताता हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम लिखना चाहेंगे ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : लूट चोरी उस समय लूट बन जाती है जब अपराध-मृत्यु अथवा शारीरिक चोट का पत्र दिखाकर किया जाता है ।

डकैती : जब पांच अथवा अधिक लोग मिलजुल कर लूट करते हैं तो यह डकैती का मामला बन जाता है ।

एक माननीय सदस्य : किसके अनुसार ?

(व्यवधान)

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : दंड विधिशस्त्र के अनुसार । मैं एक वकील नहीं हूं । यह दंड विधि शस्त्र के अनुसार है । मैं स्वयं एक वकील नहीं हूं । जो कुछ हुआ, मैं सभा पटल पर रख चुका हूं—(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि लोगों के बीच असुरक्षा की भावना हो तो क्या सरकार ने इसका ध्यान रखने की कोशिश की है ? (व्यवधान)

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं लूट तथा डकैती के बारे में फैली बातें सभी बता रहा हूं जब माननीय सदस्य ने लूट तथा डकैती की परिभाषा बताने को मुझसे कहा है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह अपराध पर निर्भर करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें पूरा करने दीजिये । वह श्री बनातवाला को उत्तर दे रहे हैं । यह चर्चा नहीं है । यह ध्यानार्कषण है ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : श्री वाजपेयी, क्या आप मुझे 'डकैती' के बाद 'लूट' शब्द का उपयोग करने की अनुमति देते हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अधिक गम्भीर क्या है—डकैती या लूट ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आप विषय पर आइये । यह एक ध्यानार्कषण है । आप किसी अन्य विषय पर जा रहे हैं ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : 1979 में हुई 132 डकैतियों में से, 40 का पता लगाया गया है । 1980 में हुई 50 डकैतियों में से 33 का पता लगाया गया है । 1981 में 37 डकैतियों में से 22 का पता लगाया गया ।

हत्यायें : 1979 में हुई 28 हत्याओं में से 21 का पता लगाया गया है । 1980 में हुई 26 हत्याओं में से 19 का पता लगाया गया है । 1981 में हुई 33 हत्याओं में से 26 का पता लगाया गया है । 1982 में, फरवरी तक हुई 6 हत्याओं में से 3 का पता लगाया गया है ।

पुलिस बल को मजबूत करने सम्बन्धी स्थिति के बारे में मैं बता चुका हूं । माननीय सदस्य ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात करने सम्बन्धी जिक्र किया है । इस सम्बन्ध में मैं सभा को सूचित करता हूं कि सितम्बर, 1981 में केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बल की 7 बटालियनों, जो अभी उनके पास हैं को वापस करके दिल्ली सशस्त्र पुलिस की पांच और बटालियनें बनाने की मंजूरी दी गई है पांच बटालियनें गठित होने तक ये बटालियनें चलती रहेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि क्या इनका उपयोग, दिल्ली में गश्त के लिए किया जायेगा ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मुझे उस बारे में पूरा निश्चय नहीं है । मैं इसके बारे में सभा को सूचित करूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : 'पैट्रोल' बहुत मंहगा हो गया है ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : जहां तक डकैती विरोधी सेल का सम्बन्ध है, उस प्रकार का कोई डकैती विरोधी सेल नहीं है । लेकिन हम इस बुराई को प्रभावशाली ढंग से रोकने की कोशिश कर रहे हैं । इस समय मैं एक और बात पर बल देना चाहता हूं । गृह मंत्री ने इसी प्रकार के बैंक

डकैती सम्बन्धी ध्यानार्कषण का उत्तर देते हुए सभा को बताया था कि वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के परामर्श से एक योजना बनाई जायेगी जिसके द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जायेगा। इस योजना को बनाने का काम चल रहा है और हम उस मामलों पर अधिक सुरक्षा प्रबन्ध करने की दृष्टि से आगे कार्यवाही करेंगे।

अन्य बातों के मामले में भी मैंने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है।

मैं फिर से सभा में इस बात को दोहराना चाहता हूं कि पुलिस सभी प्रकार के कदम उठा रही है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि ऐसा कोई भी ब्यान न दें जिससे पुलिस बल का मनोबल गिर जाये। आखिर जो कुछ भी उन्होंने किया है, उसके लिए उन्हें बधायी दी जानी चाहिये। (व्यवधान)। मैं इस अवसर पर पुनः यह कहना चाहूंगा कि हम निश्चय ही पुलिस बल को मजबूत बनायेंगे तथा उसे सुचारू रूप से चलायेंगे। यदि कोई विश्वासघाती लोग हों, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में हम संकोच नहीं करेंगे। आखिरकार, कानून और व्यवस्था मशीनरी सर्तक होनी चाहिए और उन्हें मामले को तुरन्त निपटाना चाहिये।

श्री जी० एम० बनातवाला : यदि कोई डकैती—विरोधी सेल नहीं तो क्या आप इसका गठन करेंगे ? इसके अतिरिक्त, क्या सरकार वर्तमान पुलिस आयुक्त प्रणाली को समाप्त करके पुरानी प्रणाली चालू करने पर विचार कर रही है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : ये सुझाव कार्यवाही के लिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालकृष्ण वासनिक पहले वहां नहीं थे। अब मैं उन्हें विशेष रूप से केवल प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं।

श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक (बुलढ़ाना) : मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने कहा है। कि सरकार तथा पुलिस इस बुराई को समाप्त करने के लिए हर प्रकार के कदम उठा रही है। लेकिन देखा गया है कि ये अपराध प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप इन्हें लूट कहें या डकैती कहें, ये अपराध होते ही जा रहे हैं और सर्वसाधारण इससे बहुत चिंतित हैं। इस बारे में कोई भी सन्देह नहीं है। ये अपराध बैंकों में हो रहे हैं, डाकघरों में हो रहे हैं। यहां-वहां से ऐसी अनेक रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं जिनसे पता चलता है कि दिल्ली की गलियों में ऐसे कई अपराध होते रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यहां कई अन्तर्राज्यीय गिरोह काम कर रहे हैं। जिन अन्तर्राज्यीय गिरोहों का राज्यों में सफाया करा दिया गया था, वे अब दिल्ली आ गए हैं। और इस प्रकार के अपराधों में इन्होंने वृद्धि की है। श्री बनातवाला ने यह सही ही पूछा है कि क्या अपराधों को कम करने के लिए सरकार एक सक्षम अधिकारी के अधीन एक विशिष्ट शाखा या कक्ष की, जिसे आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, स्थापना करने पर विचार कर रही है ? क्योंकि ऐसा पाया गया है कि वर्तमान व्यवस्था बिल्कुल सन्तोष जनक नहीं है और समस्या को सही ढंग से हल करने में सक्षम नहीं है। तत्पश्चात् प्रशासनिक मशीनरी और पुलिस मशीनरी मामले से निपटने के लिए तब तक काफी नहीं है जब तक सरकार पहले की भांति आम लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं करती है। बहुत पहले स्थानीय लोग बस्तियों और मुहल्लों की निगरानी स्वयं किया करते थे और स्वयं उनकी रक्षा करते थे। क्या सरकार स्थानीय लोगों द्वारा इस प्रकार की गश्त, पुनः प्रारम्भ करने और यदि आवश्यक हो तो उन्हें

हथियार देने पर विचार कर रही है ? अथवा क्या वह समस्याग्रस्त विभिन्न बस्तियों में गृह रक्षी (होम गार्ड्स) की स्थापना पर विचार कर रही है ? क्या इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन है ताकि इस बुराई को, चाहे वह चोरी हो या डकैती, हमेशा के लिए समाप्त करने हेतु प्रभावकारी कदम उठाए जा सकें।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : ये सभी सुझाव विचार करने योग्य हैं। मैं यहां यह बता दूं कि यह सेंधमारी केवल पेशेवर सेंधमारों के गिरोह तक सीमित नहीं है या केवल पेशेवर लोग ही सेंधमारी नहीं करते हैं। मैं सम्मानित सभा को यह सूचित कर दूं कि हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी यह कार्य करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, पिछले सप्ताह दक्षिण दिल्ली में हमने सेंधमारों के एक गिरोह का पता लगाया था और एक लाख रुपये मूल्य की सम्पत्ति पकड़ी थी। गिरफ्तार व्यक्तियों में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय का वाणिज्य स्नातक है। पुलिस द्वारा यह पहलू हमारे ध्यान में लाया गया है। अतः केवल पेशेवर लोगों की ओर ध्यान देने की बजाए हम सभी दृष्टि से और विस्तार से इसकी जांच कर रहे हैं। अपराध की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी कदम उठाने हैं, वे अवश्य उठाए जाएंगे क्योंकि यह काम बहुत आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इन सभी बातों की पुलिस विभाग निरन्तर समीक्षा कर रहा है और सभी सम्भव कदम उठाए जाएंगे। श्री बालकृष्ण वासनिक द्वारा दिए गए सभी बहुमूल्य सुझावों पर निश्चय ही विचार किया जाएगा और यदि वे प्रभावकारी लगे तो इनकी ओर उचित ध्यान दिया जाएगा।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से एक के बाद एक प्रतिपक्ष के सदस्य, जिनके नाम पर कालिंग अटेंशन मोशन था, वह यहां पर उपस्थित नहीं रहे, उससे यह बात जाहिर हो जाती है कि हमारा प्रतिपक्ष भी यह समझता है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है और बिल्कुल सही शब्दों में पुलिस स्टेशन को कम्पलीमैंट देकर, बधाई देकर।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : यद्यपि हमने अन्य विषयों के लिए भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए थे परन्तु इसे इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि यह अधिक महत्वपूर्ण समझा गया। अतः सभा में उपस्थित होना उनका कर्त्तव्य है। अन्यथा वे इसे उठाते ही नहीं।

श्री हरीश रावत यहां कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है, माननीय मंत्री जी ने भी साफ शब्दों में यहां पर व्यक्त किया है। कहीं पर ऐसी कोई प्रशासनिक या पुलिस की कोई छोटी-मोटी भूल को लेकर पुलिस के मारेल को नहीं तोड़ना चाहिए। उसके विषय में बनातवाला जी ने सही बात कही।

आपने बहुत कृपा करके हमें बोलने का अवसर दिया है, इसलिए मैं मंत्री महोदय से केवल कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

जिस महारानी बाग पोस्ट आफिस में डकैती हुई, इस बारे में जो डिपार्टमेंटल सिक्युरिटी अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे, क्या वे वहां पर किए गए थे और सारे स्टेप्स सही तरीके से उठाए गए थे ? बैंक राबरीज के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। पिछले दिनों भी कहा गया था। दिल्ली पुलिस ने अपने सर्कुलर में बैंकों को जो स्टेप्स उठाने का सजेस्शन दिया है, जो सिक्युरिटी

अरेंजमेंट्स करने की रिक्वेस्ट की है, जिसका जिक्र पिछली बार गृह मंत्री ने किया था, क्या वे स्टेप्स उठाए गए हैं या नहीं, अगर नहीं, उठाए गए हैं, तो क्या गृह मंत्री इस बारे में वित्त मंत्रालय के लोगों से बातें करेंगे कि वे स्टेप्स उठाए जाएं ?

मंत्री महोदय ने कहा है कि नए-नए तरीके के क्राइम किए जा रहे हैं और यह एक वर्ल्डवाइड फेनामेनन है । यह हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है । जिस तरीके से दिल्ली बढ़ती जा रही है·····(व्यवधान) वैस्ट बंगाल में 1980-81 में 27 डकैती के केसिज हुए हैं । उनमें से एक भी केस डिटेक्ट नहीं हो पाया है और एक भी केस की प्रापर इनवेस्टीगेशन नहीं हो पाई है । इसलिए यह कोई नई बात नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब क्राइम नए-नए रूपों में हो रहे हैं और अपराधी नए-नए तरीकों को अपना रहे हैं, तो क्या उनका मुकाबला करने के लिए सरकार ने पुलिस फोर्स को अप-टू-डेट किया है, उसकी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए और उसके कम्युनिकेशन्ज सिस्टम को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं ।

क्या सरकार ने क्राइम्ज को कम्प्यूटराइज करने के लिए कार्यवाही की है, ताकि पुलिस को क्राइम्ज का अप-टू-डेट रिकार्ड मिल सके ? सरकार इस बारे में क्या कदम उठाने जा रही है कि जिस नेचर का कोई क्राइम घटित हो, अगर उसी नेचर का कोई क्राइम भविष्य में हो, तो पुलिस को उसके बारे में पता लग सके ?

जिस तरह फिंगर प्रिंट्स को रिकार्ड करने के लिए दिल्ली में एक ब्यूरो स्थापित किया गया है, क्या उसी तरह के ब्यूरो देश के सब बड़े-बड़े शहरों में स्थापित किए गए हैं ?

मुझे एक और जानकारी मिली है कि दिल्ली में पुलिस के जो लोग डकैतों का मुकाबला करते हैं, उनमें एक सेन्स आफ सिक्युरिटी पैदा करने के लिए न इनशोरेंस की कोई प्रापर स्कीम है; न हर एक व्यक्ति ने अपने आपको इनशोर करा रखा है और न ब्रेवरी, बहादुरी, का काम करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए उन्हें इनसेन्टिव देने के लिए और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने कोई निश्चित कदम उठाए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कदम उठाने जा रही है ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : महोदय, हम डाक प्राधिकारियों और बैंकों से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं और हमने उन्हें सुरक्षा प्रबन्धों को और मजबूत करने के लिए सुझाव आदि जो कुछ भी हैं जारी किए हैं और डाकखानों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए उनसे पुनः जोरदार शब्दों में आग्रह कर रहे हैं ।

बैंकों के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं ।

माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए अन्य मामलों का जहां तक सम्बन्ध है उन पर भी विचार किया जाएगा ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अपराधों के लिए कम्प्यूटर प्रणाली आरम्भ करने की क्या स्थिति है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : पिछले ध्यानाकर्षण के दौरान इन सभी मामलों पर चर्चा हो चुकी है ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह कम्प्यूटर की बात है अथवा अपराधों को पता लगाने के लिए कम्प्यूटर प्रणाली लागू करना है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : इन अपराधों को रोकने के लिए अन्य जो साधन आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं उनका ध्यान रखा जाएगा।

दिल्ली पुलिस की अंगुली ब्यूरो के मामले को भी लिया जा रहा है और माननीय सदस्य ने जो भी सुझाव दिए हैं उनसे हमें बहुत सी जानकारी मिलेगी। उनके द्वारा बहुमूल्य सुझाव दिए गए हैं। यह पुलिस को सुदृढ़ बनाने और सक्रिय उपाय करने की निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और हम बैंक अधिकारियों तथा डाक अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अतः मैं यह आश्वासन देता हूं कि सुरक्षा प्रबन्धों को बढ़ाने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्री वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है।

औसत सूचकांक 320 तक स्वीकृत महंगाई भत्ते का वेतन के साथ विलय करने और महंगाई भत्ते की चार किस्तें देने, आदि के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्श-दाता तंत्र) के कर्मचारी पक्ष ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को औसत सूचकांक स्तर 344 तक स्वीकृत महंगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाने की मांग की थी। उन्होंने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय मकान किराए भत्ते तथा प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की दरों में उर्ध्वमुखी संशोधन करने तथा इन भत्तों की अदायगी को कर्मचारियों के केवल वेतन की बजाय, जैसा कि वर्तमान में है, उनकी परिलब्धियों निर्धारित करने की भी मांग की थी। चूंकि ये मांगें परस्पर सम्बन्धित थीं, इसलिए इन पर साथ-साथ विचार किया जा रहा था। सरकारी-पक्ष विगत कुछ समय से कर्मचारी-पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्श कर रहा था।

2. राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) की स्थायी समिति की 15 फरवरी, 1982 को हुई एक बैठक में सरकारी-पक्ष ने निम्नलिखित प्रस्ताव किए थे :—

(I) मकान किराए भत्ते और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को औसत सूचकांक स्तर 320 तक स्वीकृत महंगाई भत्ते को वेतन के साथ शामिल करना। यह 1 फरवरी, 1982 से प्रभावी होगा। लेकिन ऐसे विलय के परिणामस्वरूप मकान किराए भत्ते तथा प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते में वृद्धि की राशियों को 31-3-1983 तक कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा किया जाएगा और उसके बाद नकद अदायगी की जाएगी।

(II) सेवा-निवृत्ति लाभों के प्रयोजन के लिए औसत सूचकांक स्तर 320 तक महंगाई भत्ते को वेतन के साथ शामिल करना। यह 31-1-1982 से प्रभावी होगा।

सरकारी पक्ष ने यह भी कहा था कि सरकार का विचार महंगाई भत्ते और पेंशन-भोगियों की महंगाई राहत की उन 3 बकाया पड़ी किश्तों को भी देने का है जो 1-8-1981, 1-10-1981 और 1-11-1981 से विचार किए जाने योग्य हो गई थी किन्तु इस शर्त के अधीन कि महंगाई भत्ते को इन किश्तों की नकद अदायगी 1-4-1982 को भुगतान किए जाने वाले मार्च, 1982 के वेतन बिलों से ही की जाएगी और पिछली अवधियों की अकाया राशि को कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा किया जाएगा। पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की नकद अदायगी की जाएगी।

3. उपर्युक्त प्रस्ताव कर्मचारी पक्ष के दो प्रतिनिधियों को छोड़कर सभी प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं। सरकारी पक्ष द्वारा यथा-प्रस्तावित कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में कुछ रकमों के जमा किए जाने के बारे में इन दो प्रतिनिधियों की अपनी धारणाएं थीं।

4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपर्युक्त प्रस्ताव अधिकांश कर्मचारियों को स्वीकार्य है और इसलिए भी कि इन आदेशों को जारी करने में विलम्ब होने से सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तथा इससे भी अधिक खासतौर पर सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अनुचित कठिनाई होगी अतः सरकार ने उपर्युक्त आधार पर आदेश जारी करने का निर्णय कर लिया है। ये आदेश शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे।

5. सरकार ने महंगाई भत्ते की चौथी किश्त को जो 1-1-1982 से देय हो गई है और उसी तारीख से पेंशनभोगियों को राहत की किश्त को भी देने का फैसला किया है। इस किश्त की अदायगी का तरीका वही होगा जैसा कि इससे पहले की तीन किश्तों का है।

6. मकान किराए भत्ते, प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते और सेवा-निवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में सूचकांक औसत स्तर 320 पर महंगाई भत्ते को मिलाए जाने से सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 105 करोड़ रुपये खर्चा करना होगा। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की 4 किश्तों की लागत एक पूरे वर्ष में लगभग 300 करोड़ रुपये होगी।

7. वर्तमान में, सेवा-निवृत्त होने पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य मृत्यु एव सेवा-निवृत्ति उपदान की अधिकतम राशि 30,000 रुपये है। चूंकि मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान अधिक से अधिक 16½ महीने के वेतन के लिए देय होता है, इसलिए अधिकतम उपदान की सीमा 1818 रु० प्रति माह के मूल वेतन स्तर पर प्राप्त हो जाती है। महंगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाने से यह स्तर नीचे गिर कर 1455 रु० पर पहुंच जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि लगभग 1818 रु० तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी 16½ महीने के वेतन के समतुल्य उपदान का पूरा लाभ प्राप्त करते रहें, अधिकतम उपदान को 30,000 रु० से बढ़ाकर 36,000 रु० करने का निर्णय किया गया है।

8. सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए महंगाई भत्ते की भी समीक्षा की है। चोटी के स्तर के अधिकारियों के वेतन 1965 में निर्धारित किए गए थे और तीसरे वेतन आयोग

ने किसी परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया था। 1979 में पहली बार उनको तदर्थ महंगाई भत्ता दिया गया। उसके बाद औसत सूचकांक स्तर में 24 अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए उनको तदर्थ महंगाई भत्ता दिया गया है। यह आंशिक क्षतिपूर्ति बहुत ही निम्नस्तर की रही है और कीमतों में वृद्धि के बिल्कुल ही अनुरूप नहीं रही। 1 जनवरी, 1982 की स्थिति के अनुसार औसत सूचकांक स्तर 440 पर मूल वेतन स्तर 1,500 रु० पर निकाकरण का वर्तमान स्तर लगभग 45.5% होगा। इस प्रकार निराकरण का स्तर 3, 500 रु० के वेतन स्तर पर तेजी से घटकर 21.4% रह जाता है और 4,000 रु० के वेतन स्तर पर 18.7% रह जाता है। कर के बाद की क्षतिपूर्ति और भी कम है। निराकरण के स्तर में तेजी से होने वाली यह गिरावट न तो उचित ही है और न ही समरूप है। सरकार ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों की परिलब्धियों में इसके फलस्वरूप हुए ह्रास के बारे में गम्भीर रूप से चिन्तित रही है जिनको उच्चस्तर की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जितना हो सकता हो उतना स्थिति में सुधार किया जाए। तदनुसार, यह निर्णय किया गया है कि एक समय के उपाय के रूप में संयुक्त सचिव और उसके समकक्ष स्तर तक निराकरण के स्तर को बढ़ाकर लगभग 45% कर दिया जाए। 2750 रु० के वेतन स्तर पर एक संयुक्त सचिव के लिए यह तदर्थ महंगाई भत्ता अब 900 रु० से बढ़ाकर प्रतिमास 1500 रु० कर दिया जाए और इतनी ही राशि इससे उच्चस्तर वेतन स्तरों के अधिकारियों को दी जाएगी। यह बढ़ा हुआ तदर्थ महंगाई भत्ता, दूसरों के साथ-साथ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी दिया जाएगा। इस उपाय से सशस्त्र सेनाओं के बड़ी संख्या में अधिकारियों, वरिष्ठ स्तर के वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों को लाभ पहुंचेगा। इस प्रस्ताव की अनुमानित लागत प्रतिवर्ष 3.65 करोड़ रुपये है जिसमें से 1.51 करोड़ रुपये कर के रूप में वसूल कर लिए जाएंगे। यह 1-1-1982 से प्रभावी होगा लेकिन नकद अदायगी केवल 1-4-1982 से ही होगी। तब तक की बकाया राशि भविष्य निधि खातों में जमा की जाएगी।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 5 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के तत्पश्चात् 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई।
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले श्री रतन सिंह राजदा।

(एक) नई दिल्ली में श्री राजदा की आबंटित बंगले के परिसर पर मैसर्स प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड द्वारा कथित अतिक्रमण

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं।

संसद् सदस्यों को अपने कार्यकाल के दौरान रिहायशी आवास दिया जाता है। तद्नुसार मुझे भी लोक सभा के सदस्य के नाते संसद् सदस्य पूल में से जनपथ पर बंगला नम्बर 19 आबंटित किया गया था। मैं 1977 से जब मैं छठी लोक सभा के लिए निर्वाचित हुआ था, उपर्युक्त रिहायशी मकान में रह रहा हूँ आज तक मेरे पास यही रिहायशी मकान है।

जनपथ स्थित बंगला नम्बर 19 में अन्य चीजों के साथ-साथ सामने वाला लान, अंदरूनी लान, पीछे को अहाते के साथ लगा सर्वेन्ट क्वार्टर है। इस पीछे का अहाता एक तरफ से चौदही दीवार से ढका हुआ हैं। यह ईंटों की दीवार लगभग 3 फुट ऊंची है और इस पर लोहे की छड़ों की कांटेदार तार है जिससे यह दीवार लगभग 6½ फुट ऊंची सुरक्षित चौदही दीवार हो जाती है। दूसरी ओर, यह पूर्णतया कांटेदार तारों से ढकी हुई है।

उपर्युक्त बैक यार्ड के सर्वेन्ट क्वार्टर में मेरे सर्वेन्ट रहते हैं।

अन्तर-सत्रावधि के दौरान दिल्ली से मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर मैसर्स प्योर ड्रिक्स (दिल्ली) लिमिटेड जो विंडसर प्लेस पर एक पांच सितारा होटल बना रहे हैं। द्वारा रखे गए नौकरों और ठेकेदारों, एजेन्टों ने, मेरे बंगले के उपर्युक्त बैकयार्ड का गैर-कानूनी ढंग से अतिक्रमण करके उस पर कुछ निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया।

एक संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए जब मैं दिल्ली वापस आया तो बंगले के पीछे के अहाते में जोर-शोर से चल रहे निर्माण कार्य को देखकर मैं दंग रह गया।

मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी।

उस स्थान पर काम कर रहे ठेकेदार, नौकरों और एजेंटों ने मुझे वही बताया कि वे मैसर्स प्योर ड्रिक्स लिमिटेड की ओर से काम कर रहे हैं।

मैंने उन्हें बताया कि न तो मैसर्स प्योर ड्रिक्स न ही अन्य किसी को भी किसी अन्य के अधिकार में बंगले में गैर-कानूनी ढंग से प्रवेश करने, उसका अतिक्रमण करने और वहां निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार है।

उन्होंने मुख्य जनपथ मार्ग की ओर जाने वाले सर्विस मार्ग को बन्द कर दिया है और मेरे नौकर को मुख्य जनपथ मार्ग पर जाने से हमेशा रोका जाता है, क्योंकि सर्विस लेन सहित सारे मार्ग को मैसर्स प्योर ड्रिक्स लिमिटेड ने हड़प लिया है। (व्यवधान)

बाद में मैंने निर्माण और और आवास मंत्री से सम्पर्क किया और इस मामले के सभी तथ्यों सहित मैंने उन्हें एक पत्र लिखा।

श्री भीष्म नारायण सिंह, निर्माण और आवास मंत्री के नाम 21 दिसम्बर, 1981 और 5 जनवरी, 1982 को लिखे पत्रों में मैंने अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप भी लगाया कि मैसर्स प्योर ड्रिक्स लिमिटेड ने मेरे रिहायशी आवास 19 जनपथ पर गैर-कानूनी ढंग से मेरे क्षेत्र में प्रवेश किया है, अनुचित रूप से अपराध किया है तथा गैर-कानूनी ढंग से अतिक्रमण करके बाधा उत्पन्न की है।

मन्त्री जी का 26 फरवरी, 1982 का उत्तर बहुत ही असन्तोषजनक है और तथ्यों पर आधारित नहीं है।

यह बाधा, कब्जा और दबरदस्ती घुस आना अभी भी चल रहा है और इससे मेरे लोक सभा के सदस्य के रूप में स्वतन्त्र और आसानी से काम करने में बहुत बाधा हड़ रही है।

मैं दोहराता हूं कि न तो प्योर ड्रिक्स लिमिटेड और नहीं अन्य एजेंसी जैसे नई दिल्ली नगर पालिका को मेरे अधीन क्षेत्र के अहाते में गैर-कानूनी रूप से घुस आने का अधिकार है।

मैं इस पर घोर आपत्ति उठाता हूं और... (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : न तो व्यवधान और न ही किसी उत्तर को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा। आज यह श्री राजदा के साथ हुआ है, कल किसी अन्य सदस्य के साथ हो सकता है। इसलिए वह इसे पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजदा आप अपना भाषण पूर करें।

श्री रतन सिंह राजदा : मैं मैसर्स प्योर-ड्रिक्स लिमिटेड और अन्य सहायक एजेंसियों जो उपरोक्त गैर-कानूनी कार्य कर रहे हैं, के कार्यों पर घोर आपत्ति उठाता हूं और अपनी अप्रसंनता प्रकट करता हूं और निर्माण और आवास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह संसद् के माननीय सदस्यों के अधिकारियों की रक्षा करें और इन गैर-कानूनी काम करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें तथा उपरोक्त जबरदस्ती घुस पैठ, बाधाओं और कब्जे को शीघ्रातिशीघ्र हटवाएं।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय मैंने संसद् के माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करने को सदैव ही उच्चतम महत्व दिया है। माननीय सदस्य यह मामला पुनः मेरे ध्यान में लाए हैं। पहले उन्होंने मुझे लिखा था और मैंने तुरन्त कार्यवाही की थी और मैंने उन्हें उत्तर दिया था, परन्तु वह कहते हैं कि वह मेरे उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं। मैं इस पर पुनर्विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : और आवश्यक कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मनी राम बागड़ी।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आपने व्यवधान डाला है। उन्होंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना वाक्य पूरा कर लिया है और अपने स्थान पर बैठ गए हैं। मैंने तब ही श्री बागड़ी का नाम बुलाया है।

श्री मनी राम बागड़ी।

(दो) स्वर्गीय चौधरी छोटूराम के सम्मान में एक डाक टिकट जारी करने की मांग

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : स्वर्गीय चौधरी छोटूराम समूचे पंजाब के मंत्री थे और वह पहले आदमी थे जिन्होंने अंग्रेजी राज में सामाजिक और आर्थिक क्रांति की बात न सिर्फ जुबान से कही बल्कि कानून बनवाकर और संघर्ष द्वारा अमल में उतारी। चौधरी छोटूराम न

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सिर्फ किसान नेता थे बल्कि और जनता ने उनको "दीनबन्धु" की पदवी दी थी। चौधरी छोटूराम सिर्फ राष्ट्रीय नेता ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय नेता भी थे, क्योंकि पाकिस्तान और बंगला देश में भी उनके कार्य क्षेत्र रहे हैं, भारत के किसानों में 90 फीसदी लोग चौधरी छोटूराम को अपना नेता मानते हैं। ऐसे राष्ट्रीय नेता के डाक टिकट के बारे में जब मैंने सदन में सवाल उठाया तो समूचे सदन ने इसको स्वीकार और इस साल शताब्दी जो स्वर्गीय चौधरी छोटूराम की मनाई गयी उसकी अध्यक्षता और उद्घाटन राष्ट्रपति जी और स्वयं अध्यक्ष लोक सभा ने किया।

मेरी पुरजोर मांग है कि स्वर्गीय दीनबन्धु चौधरी छोटूराम की डाक तुरन्त जारी की जाए वरना भारत के किसानों के दिलों पर कुठाराघात होगा।

(तीन) उड़ीसा में जोदा, आनन्दपुर, चम्पुआ. स्वमपतना में उप-डाकघर और क्योंझरगढ़ में मुख्य डाकघर का निर्माण शीघ्र करने की आवश्यकता

***श्री हरिहर सोरन (क्योंझर)** : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला नियम 377 के अधीन उठाना चाहता हूं। उड़ीसा में जोदा, आनन्दपुर, चम्पुआ, स्वामपतना के उप-डाकघर और क्योंझरगढ़ का मुख्य डाकघर किराये के भवनों में चल रहे हैं। जोदा, चम्पुआ, आनन्दपुर, उप-डाघरों और क्योंझर मुख्य डाकघर के भवन निर्माण के लिए राशि केन्द्रीय सरकार 1975 में आवंटित कर दी थी। उड़ीसा सरकार से जमीन ले ली गई है और इन डाकघरों के भवन निर्माण के लिए स्थान का भी चयन कर लिया गया है। चम्पुआ डाकघर के निर्माणाधीन भवन में काफी विलम्ब ही रहा है। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकारियों के पास धनराशि उपलब्ध होते हुए भी जोदा और आनन्दपुर उप-डाकघरों के भवन निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई है।

भारत सरकार इन डाकघरों के लिए किराये पर लिए गए भवनों पर बड़ी राशि व्यय कर रहा है। यह मामला उड़ीसा के महा डाक पाल के ध्यान में लाया गया था परन्तु अभी तक निर्माण कार्य तेज करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इसको ध्यान में रखते हुए मैं माननीय संचार मंत्री से उपरोक्त डाकघरों के भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(चार) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आन्दोलन

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

केन्द्रीय विद्यालयीन शिक्षकों की एक मात्र प्रतिनिधि, संस्था, अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ पिछले एक वर्ष से अपनी छः सूत्री मांगों को लेकर शासन से मांग करता आ रहा है।

*उड़ीसा में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सर्वप्रथम बारह नवम्बर उन्नीस सौ अस्सी को एक हजार शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों के आयुक्त कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया। तत्पश्चात् 20 अप्रैल 81 को देश में सभी स्थानों पर सहायक आयुक्त कार्यालयों के समक्ष धरना दिया गया। 5 दिसंबर 81 को सभी केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। 13 हजार से अधिक शिक्षकों ने छः सूत्री मांगों के समर्थन में मांग पत्र पत्र हस्ताक्षर करके केन्द्रीय शिक्षा राज्य मन्त्री जी को प्रेषित किया।

360 केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों की छः सूत्री मांगे निम्नानुसार हैं—

(1) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ को अविलम्ब मान्यता प्रदान करना था केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं उसके बोर्ड आफ गवर्नर में उसे प्रतिनिधित्व देना।

(2) सभी स्तरों पर संयुक्त सलाहकार संघ की तत्काल स्थापना।

(3) आंतरिक पदोन्नति कोटा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना।

(4) तर्क संगत स्थानान्तरण नीति का विकास एवं तर्कहीन स्थानान्तरणों की पुनरीक्षा।

(5) वेतनमानों में सुधार तथा विद्यालय समयावधि में तत्काल कमी करना।

(6) समयबद्ध वेतनमानों को लागू करना।

इन मांगों को लेकर उठाए गए उपरोक्त कदमों को सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

अन्ततः नवम्बर 1981 में अखिल भारतीय केन्द्रीय शिक्षक संघ ने 23 तारीख से दिल्ली में क्रमिक भूख-हड़ताल का आह्वान किया तथा केन्द्रीय शिक्षा राज्य मन्त्री जी के नियन्त्रण पर शिक्षक प्रतिनिधि तीन सांसदों के साथ उनसे मिले। शिक्षा राज्य मंत्री जी ने प्रथम चार मागों को लगभग समग्रतः स्वीकार कर लिया और उस आश्वासन पर शिक्षकों ने अपनी भूख-हड़ताल समाप्त कर दी।

परन्तु खेद है कि आज तक न तो स्वीकृत मांगों को कार्यान्वित किया गया और न ही अस्वीकृत मांगों पर विचार किया गया।

केन्द्रीय विद्यालय देश के आदर्श विद्यालयों में गिने जाते हैं। इनके परीक्षार्थियों का बोर्ड परीक्षाफल गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों दृष्टियों से पब्लिक स्कूलों के परीक्षाफल से कहीं अधिक अच्छा है। इस श्रेष्ठता का श्रेय नि.संदेह इनमें कार्यरत शिक्षकों को ही जाता है। परन्तु इन शिक्षकों की न्यायोचित मांगों के स्वीकार एवं कार्यन्वित न करके एक बार फिर शासन ने इन्हें आन्दोलन के मार्ग पर चलने को बाध्य किया है। अब पुनः अपनी मांगों के समर्थन में इन शिक्षकों ने 11 मार्च से 50-50 के जत्थों तीन-तीन के लिए क्रमिक भूख-हड़ताल प्रारम्भ कर दी है। इस भूख हड़ताल में सम्मिलित होने के लिए देश के विभिन्न दूरस्थ भागों से शिक्षक बड़ी संख्या में दिल्ली आ रहे हैं। इस समय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा दिल्ली बोर्ड द्वारा संचलित परीक्षाएं भी चल रही हैं। इस अवसर पर शिक्षकों द्वारा विवशता में उठाया गया यह कदम बहुत महत्व रखता है।

मैं केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जी एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन की अध्यक्षता से अनुरोध करूंगा कि शिक्षकों की इन उचित मांगों को स्वीकार करके व कार्यान्वित करके इन्हें इनका वांछित दें ताकि देश के नव-निर्माण में रत इन शिक्षकों को सम्मानजनक समाधान मिल सके।

(पांच) बिहार में भोजपुर में गंगा नदी के समूचे प्रवाह मार्ग पर भू-क्षरण रोक उपाय शुरू करने की आवश्यकता

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन केन्द्रीय सरकार का ध्यान बिहार के भोजपुर जिले में गंगा नदी से बड़े पैमाने पर हुए भूमि कटाव की ओर दिलाना चाहता हूं। नदी के निरन्तर बदलते हुए प्रवाह के फलस्वरूप सैकडों गांव प्रभावित हुए हैं और हजारों किसानों को अपने घरों और भूमि से हाथ धोना पड़ा है। अभी तक जो धनी और सम्पन्न किसान थे वे पूरी तरह से दरिद्र हो गए हैं और उनके पास आजीविका की खोज में अन्य जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। कुछ लोग जो इस आपदा का मुकाबला करने के लिए वहीं डटे रहे उन्हें अपने भूमि सम्बन्धी दावों के लिए लम्बी मुकदमेबाजी करनी पड़ रही है जो नदी के दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के किसानों के स्वामित्व में आ गई है क्योंकि इस क्षेत्र में गंगा दोनों राज्यों के बीच प्राकृति सीमा रेखा का काम करती है। पिछले दशक के दौरान दोनों ओर के किसानों के बीच उस भूमि पर कब्जा करने के लिए और भोजपुर, बिहार के किसानों द्वारा बोई गई फसल को काटने के लिए हिंसक घटनाएं भी हो चुकी हैं। कई अवसरों पर उत्तर प्रदेश पुलिस तक ने ताकत का प्रयोग किया और उत्तर प्रदेश के किसानों को फसल काटने में संरक्षण प्रदान किया जिसके लिए यह निरर्थक तर्क दिया गया कि यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश सीमा के भीतर है इसलिए यह फसल उनकी है। यद्यपि संसद् के अधिनियम के अधीन गठित त्रिवेदी आयोग ने यह साफ तौर पर निर्धारित कर दिया है कि ऐसी भूमि के स्वामित्व का निर्णय आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा चाहे दावेदार उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का।

यह नहीं, जो असंख्य वर्षों से हमारी संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण बनाए रखने के लिए विख्यात है, जिसने हमारे स्वप्नों और कल्पनाओं को साकार किया है; जिससे हमारे महाकाव्यों और दर्शन शास्त्रों का निर्माण किया गया है और जो अपने शांत जल में हमारी दुःख और सुख की स्मृतियां संजोये हुए है, भोजपुर के गरीब किसानों के लिए प्रतिशोध तथा असीम दुख का कारण बन गई है। जहां तक कि ऐतिहासिक नगर बक्सर जो कभी विश्वामित्र का निवास स्थान रहा है, जहां उन्होंने भगवान राम को शासन कला और युद्ध कला की शिक्षा दी थी, आज उसे गंगा नदी से खतरा हो गया है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि बिहार में भोजपुर जिले में गंगा के प्रवाह के साथ-साथ भूमि कटाव रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यवाही की जाए और दोनों राज्यों के किसानों के बीच विवादों में प्रभावशाली रूप से हस्तक्षेप किया जाए।

धन्यवाद।

(छः) राज्य सरकार द्वारा असम में विदेशी नागरिकों के कथित पता लगाए जाने के आधार के बारे में सरकार द्वारा वक्तव्य दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे समाचार मिले हैं कि सरकार ने असम में विदेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए 1951 को आधार वर्ष मानकर

काम शुरू किया है। दारांग जिले में लगभग 800 व्यक्तियों जिन पर विदेशी होने का सन्देह है, से संशोधित प्रश्नावली 'पूछताछ रिपोर्ट' के आधार पर पुलिस द्वारा पूछताछ की गई है। प्रश्नावली में ये स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि क्या सम्बन्धित व्यक्ति का नाम 1951 की राष्ट्रीय नागरिक पंजी में दर्ज है। विदेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए 1951 को आधार वर्ष मानना इस बात का प्रमाण है कि प्रश्नावली में 1951 की राष्ट्रीय नागरिक पंजी और मतदाता सूची के अतिरिक्त किसी और प्रमाण के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं है।

यह केन्द्रीय सरकार द्वारा निरन्तर दिए गए सभी आश्वासनों कि असम में विदेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए सर्वमान्य उचित सूत्र ढूंढा जाएगा, के विरुद्ध है जो चिंता का विषय है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह असम में विदेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए की गई कार्यवाही तथा अन्य ब्यौरे सभा तथा राष्ट्र को बताए और उक्त संशोधित प्रश्नावली को वापस लिया जाए। सरकार को आन्दोलनकारियों के समक्ष झुकना नहीं चाहिए। सरकार को इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रास बिहारी बहेरा। नहीं हैं।

बजट (सामान्य), 1982-83—सामान्य चर्चा—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बजट (सामान्य), 1982-83 पर आगे चर्चा करेंगे। श्री गिरधारी लाल व्यास अपना भाषण जारी कर सकते है। उन्होंने पहले ही एक मिनट ले लिया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : (भीलवाड़ा) एक मिनट नहीं।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवासमंत्री (भीष्म नारायण सिंह) : इससे पहले कि आप बोलें, चूंकि इस चर्चा में अनेक सदस्य भाग लेना चाहते हैं, मैं आप से और आपके द्वारा सभा से अनुरोध करता हूं कि सभा की कार्यवाही सांय 6 बजे बाद तक चलाई जाए ताकि अनेक माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले सकें।

कल प्रश्न काल के बाद 12 बजे माननीय वित्त मंत्री इसका उत्तर देंगे। यदि इस पर सहमति हो जाती है तो मुझे आशा है कि सदस्य प्रसन्न होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आधे घंटे की चर्चा भी है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मुझे संसदीय कार्य मंत्री से एक निवेदन करना है। कल 6 बजे शाम को आलू के लिए लाभकारी मूल्य पर भी चर्चा होनी है। मैं सुझाव दूंगा कि 6 बजे चर्चा आरम्भ करना बहुत बुरा है। अतः कल हम मध्यान्ह भोजन अवकाश नहीं करेंगे और चर्चा को 5.00 बजे आरम्भ कर देंगे। वह अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का कहना है कि माननीय सदस्यों के भाषण आज ही समाप्त हो जाएं और वित्त मंत्री कल उसका उत्तर देंगे ।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : बजट में तो आलू भी लिया जा सकता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मोशन एडमिट किया है भाई ।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : महोदय, यदि समय बढ़ाया जाता है तो हमारी तरफ से एक या दो सदस्यों को भी अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : 6.30 बजे के बाद जो माननीय सदस्य उपस्थित होंगे और जो भाग लेना चाहेंगे उन्हें अनुमति दी जाएगी । मैं तो 10.30 बजे रात तक बैठने को तैयार हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मेरे अनुरोध का क्या हुआ ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : महोदय, हम कल का मध्यान्त भोजन छोड़ने के लिए सहमत हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि सभा कल का मध्यान्त भोजन अवकाश छोड़ने के लिए और 6 बजे सायं की बजाय 5 बजे सायं चर्चा करने के लिए तैयार है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः इस पर सहमति है अब श्री व्यास अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं और वह दस मिनट में उसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे । प्रत्येक सदस्य को दस मिनट का समय मिलेगा ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब सन् 1977 में जनता पार्टी का शासन आया तो उस देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी । जब जनता पार्टी शासन में आई तो हमारी तरफ से उनको बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति सुपुर्द की गई थी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इस देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ा, सब क्षेत्रों में उत्पादन गिरा, उससे देश को बहुत धक्का पहुंचा और देश की जनता ने इस बात को अच्छी तरह से पहचान लिया कि जनता पार्टी के लोग जो उस समय इसमें घुसे थे, वह तमाम निकम्में हैं और वे लोग इस देश का शासन नहीं चला सकते और इसलिए उन्होंने कांग्रेस (आई) को फिर शासन वापिस दिया ।

माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों में जब से इस देश की बागडोर फिर आई है, मुझे यह कहने में खुशी होती है कि उन्होंने इस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के कई कदम उठाये हैं जो कि निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं । श्रीमती इन्दिरा गांधी के आने के बाद इस देश के ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि हुई है, चाहे वह उद्योग हों, कृषि हो या और क्षेत्र हों । इससे निश्चित रूप से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के हालात को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए । जितना हम आर्थिक स्थिति को मजबूत बनायेंगे, उतना ही देश मजबूत होगा और हमारे देश के जो सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेकारी है, उसको हम मिटा सकेंगे । इसलिए हमारी देश

की प्रधानमन्त्री ने विरोधी दल के सदस्यों से कहा कि आप राज्य चला नहीं सकते, मगर सहयोग कीजिये, ताकि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और हम गरीबी तथा बेकारी को दूर कर के देश को शक्तिशाली और महान् बना सकें। इन दो वर्षों में हमारे देश ने हर एक क्षेत्र में प्रगति की है। हमने एक्सपोर्ट में बढ़ौतरी की है और इम्पोर्ट को घटाया है। पैट्रोलियम पदार्थों के आयात के कारण हमारा ट्रेड गैप 5,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हम अपने देश में पैट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन बढ़ाकर उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मान्यता है कि आने वाले वर्षों में हम पैट्रोलियम पदार्थों का इतना उत्पादन कर सकेंगे कि हम विदेश व्यापार को बराबरी पर ला सकें और इस तरह अपनी आर्थिक स्थिति को ज्यादा मजबूत बना सकें।

हम इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि पैट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार ने राजस्थान की तरफ कम ध्यान दिया है। राजस्थान के डेजर्ट एरिया में तेल और गैस मिलने की पूरी सम्भावना है, लेकिन वहां इसकी खोज-बीन नहीं की गई है। इसलिए इस पिछड़े हुए प्रान्त में तेल और गैस का जितना उत्पादन होना चाहिए था, वह नहीं हो सका है। एक ओर तो वैस्ट बंगाल में, जहां तेल का एक भी कुंआ नहीं निकला है, सैकड़ों करोड़ रुपये बेकार खर्च किए गए हैं, दूसरी ओर राजस्थान में, जहां तेल निकलने की पूरी सम्भावना है, एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। जरूरत इस बात की है कि पैसा ऐसी जगह लगाया जाये, जिससे उत्पादन बढ़े और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। विरोधी लोग सरकार की क्रिटिसिज्म करके, अपने प्रभाव का उपयोग कर के, नाजायज तरीके से अपनी स्टेट में पैसा ले जाने की कोशिश करते हैं। इस तरफ ध्यान देना चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिनसे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। राजस्थान में पूरी तरह से खोज-बीन कर के और कुंएं खुदवा कर वहां पर तेल और गैस के उत्पादन की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि यह प्रान्त आगे बढ़ सके।

जहां तक इरिगेशन का सम्बन्ध है, सरकार ने यह नीति बनाई है कि देश की तमाम नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़कर ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक चप्पा भी जमीन इरिगेशन के बिना न रहे। इस बारे में जो नैशनल प्लान बनाया जा रहा है, देश के लिए वह बहुत आवश्यक है। आज भी हमारे देश में 70 परसेंट जमीन ऐसी है, जहां पानी नहीं पहुंचता है। पानी के अभाव में हम अनाज का उतना उत्पादन नहीं कर पाते, जितना कि हम कर सकते हैं। नदियों को आपस में जोड़कर हम उनके पानी को किसानों के खेतों में पहुंचा सकते हैं। इस प्लान को कार्यान्वित करने से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, देश का किसान मजबूत बनेगा और देश को शक्तिशाली बनाएगा। इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए।

राजस्थान कैनाल के द्वारा राजस्थान के सूखे हुए हिस्सों को, जिसे डेजर्ट एशिया कहते हैं, पानी मिल सकेगा और वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर फूडग्रेन्ज का उत्पादन हो सकेगा। इसलिए इस कैनाल के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

हाल ही में जो फैसला हुआ है, उसके अनुसार राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिलों को नर्मदा का पानी मिलेगा। इस काम में तेजी लाकर नर्मदा के पानी को जल्दी से जल्दी राजस्थान के डेजर्ट एरिया में पहुंचाना चाहिए। गंगा और जमुना का पानी भी राजस्थान को

मिलना चाहिए। वहां पर सीकर, झुंनझुनु, अलवर और भरतपुर ऐसे इलाके हैं, जहां गंगा और जमुना का पानी पहुंच सकता है। हमने कई दफा कहा है कि इस फर्टाइल एरिया में पानी पहुंचने से फूडग्रेन्ज का उत्पादन बहुत बढ़ सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्रधान मन्त्री जी ने न्यूट्वैन्टी प्वाइन्ट प्रोग्राम देश के सामने रखा है जिसके जरिए से करोड़ों गरीब किसान, मजदूर, पीड़ित शोषित लोग तथा शेड्यूल्ड सास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। सन् 1975 में भी इस कार्य को शुरू किया गया था जिससे करोड़ों शोषित व गरीब किसानों, मजदूरों को फायदा पहुंचा था। आज भी इस प्रोग्राम के जरिए से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के करोड़ों बेकार एवं अर्ध-बेकार लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। पूरी तेजी के साथ इस प्रोगाम को लागू किया जाना चाहिए।

इस देश के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिनके साथ अभी तक न्याय नहीं किया गया है जिसके कारण रीजनल इम्बैलेन्सेज पैदा हो गए हैं। उन इलाकों में विशेष रूप से औद्योगिक प्रगति करने की आवश्यकता है। पब्लिक सेक्टर में जो धन सरकार ने लगाया है उसका केवल एक प्रतिशत ही हमारे प्रान्त राजस्थान में लगा है जबकि दूसरी ओर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट-बंगाल आदि राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग-धन्धे खोले गए हैं। हमारे राजस्थान में सबसे कम पैसा पब्लिक सेक्टर में लगाया गया है इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हमारे राजस्थान में प्रचुर मात्रा में खनिज-पदार्थ विद्यमान हैं जिनके आधार पर औद्योगिकरण करके राजस्थान को प्रगतिशील बनाया जा सकता है।

मिसाल के तौर पर हमारे राजस्थान में जिसका बहुत बड़ा भण्डार है। रामपुरा और अहूजा में सर्वेक्षण करके हमारे वैज्ञानिकों एवं माईनिंग इंजीनियर्स ने साढ़े पांच करोड़ जिंक के भण्डार का पता लगाया है। मेरा सुझाव है कि वहां पर सुपर जिंक स्मेल्टर प्लान्ट लगाया जाना चाहिए। आज सरकार सीमा और जस्ता विदेशों से आयात करती है जिस पर 200 करोड़ रु० खर्च होता है। अगर सरकार वहां पर सुपर जिंक स्मेल्टर प्लान्ट लगा दे तो दो सौ करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत करने के साथ-साथ 200 करोड़ का फारेन एक्सचेंज और कमा सकती है। वहां पर जो पानी और बिजली की कमी है उसके लिए हमारी राजस्थान सरकार ने आश्वासन दिया है कि थर्मल प्लान्ट लगाकर बिजली और बांध बनाकर पानी की आवश्यकता को पूरा किया जायेगा।

इसी प्रकार से हमारे राजस्थान में अभरक का भी बहुत बड़ा भण्डार है। आपकी जो संस्था मिटको है वह विदेशों को अभरक भेजकर विदेशी मुद्रा कमा सकती है लेकिन वह आजकल अभरक खरीद नहीं रही है। (व्यवधान) मैं समाप्त कर रहा हूं।

इसी प्रकार से जो राजस्थान में सिक इण्डस्ट्रीज हैं उनको सरकार अपने हाथ में ले ताकि मजदूरों को प्रोत्साहन मिल सके। राजस्थान में सीमेन्ट के कारखाने बहुत बड़े पैमाने पर लगाए जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में भी सरकार को विशेष रूप से कदम उठाने चाहिए ताकि हजारों लोगों के लिए वहां पर रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें। राजस्थान में रेलों की सुविधा भी

अधिक से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। रेल मन्त्री जी को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री द्वारा द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं।

श्री महेन्द्र प्रसाद (जहाना) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कई उतार चढ़ावों से गुजरते हुए, नई-नई मंजिलों पर विजय पाते हुए आर्थिक क्षेत्रों में सफलता दर सफलता प्राप्त की है। आज भारत को विश्व के बारह सबसे अधिक औद्योगिक राष्ट्रों में एक कहा जाता है। और जहां तक कृषि उत्पादन की मात्रा का सम्बन्ध है, भारत विश्व के राष्ट्रों में दूसरे या तीसरे स्थान पर है, जबकि 1947 में भारत की गणना कहीं भी नहीं की जाती थी। बढ़ती हुई जनसंख्या के बावजूद प्रति व्यक्ति आय जो 1950-51 में 246 रुपये थी बढ़कर 1980-81 में 1536.9 रुपये तक हो गई है। यह एक सराहनीय उपलब्धि है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था को 1977, 1978 तथा 1979 में पीछे धकेला गया तथा इसकी आधोगति को रोककर अर्थ-व्यवस्था को सामान्य स्तर तक लाने में 1980 का पूरा वर्ष तथा 1981 का भी काफी समय लगा। अर्थ-व्यवस्था को अब अच्छी स्थिति में देखकर प्रसन्नता होती है। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा मुद्रा स्फीति की दर जो जनवरी, 1980 में 23.3 प्रतिशत थी, अब घटकर जनवरी 1982 में 4.9 प्रतिशत हो गई है। लेकिन, आर्थिक दृष्टि से क्या भारत ने वह उपलब्धि की, जो उसे करनी चाहिए थी ? क्या हमने वह सब किया जिसकी हमने आशा की थी ? असंख्य लोगों की आंखों में आंसू हैं। हमारे यहां करोड़ों लोग अशिक्षित, अस्वस्थ, रुग्ण अनाश्रित तथा विवस्त्र हैं। यहां दुःख हैं, निर्धनता है। हमारे उद्योग और खेती लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमें बहुत अधिक मात्रा में औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी वस्तुएं बाहर से आयात करनी पड़ती है। फार्म तथा कारखाने में हमारा जो अतिरिक्त उत्पादन होता है बढ़ती हुई अधिक जनसंख्या के कारण उसका कोई लाभ नहीं होता तथा हमारी उन्नति का पता नहीं चलता। हमारा देश विश्व के निर्धनतम देशों में से हैं।

लक्ष्य और उद्देश्यों को देखते हुए हमारी स्थिति बहुत ही दुःखपूर्ण तथा निराशाजनक है। हमें अपने लोगों की तकलीफों को दूर करना है तथा हम उन्हें धन-धान्य और समृद्धि से भरपूर जीवन का विश्वास देने के लिए वचनबद्ध है। हमारे सामने असंख्य समस्याएं है तथा जनसंख्या पर नियंत्रण करने की बजाय उत्पादन में अधिक से अधिक की वृद्धि ही सभी समस्याओं का एकमात्र हल है। प्रश्न यह है कि हम अपने उत्पादन में वृद्धि कैसे करें ? उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता है तथा प्रचुर मात्रा में उत्पादन करने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता है। लेकिन क्या हमारी नीति पूंजी को प्रोत्साहित की है ? हम एक अवास्तविक करारोपण नीति के अनुसार काम कर रहे हैं जो कि पूंजी को निरुत्साहित करती है तथा इससे काले धन को बढ़ावा मिलता है। हम ऐसी नीति के अनुसार चल रहे हैं जो अधिक मांग लेकिन कम पूर्ति उत्पादन तथा सम्पत्ति में बाधा डाल रही है तथा हमारे लोगों की उन्नति में बाधा डाल रही है। काले धन से अनावश्यक मांगे उत्पन्न होती हैं तथा अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त कर देती हैं। हमें सारे काले धन को समाप्त करना होगा तथा इसे उत्पादनकारी कार्यों में लगाकर पूर्ति में सुधार लाना होगा और

धन का सृजन करना होगा। लेकिन 'महोदय' क्या वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार यह संभव है जहां बहुत अधिक कर लगाए जाते हैं ? स्वभाव से ही व्यक्ति या तो केवल डर से अथवा प्रेरणा से कार्य करता है। भारत जैसे लोकतन्त्रिक देश में साम्यवादी देशों की तरह भय का अवाधरूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। हमारे देश तथा प्रणाली में केवल प्रोत्साहन से ही प्रभावपूर्ण ढंग से काम लिया जा सकता है। काला धन बहुत अधिक अर्थात् 25,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए तक हो गया हैं। हमें यह कल्पना करनी है कि हम सभी नियमित और गैर-नियमित करो को हटा देंगे, जिसके फलस्वरूप 25,000 करोड़ रुपयों को निवेश के माध्यम से उत्पादन के लिए पारिचालित किया जा सकेगा। इस अत्यधिक पूंजी निवेश को 1 लाख करोड़ रुपए की वस्तुओं का उत्पादन होगा। इसके अतिरिक्त रोजगार के भी अधिक अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय आय के इन 1 लाख करोड़ रुपयों से उत्पाद-शुल्क के नियमों के अनुसार, उत्पाद-शुल्क से 20 से 25 हजार करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जायेंगे। 1980-81 में सरकारी राजकोष को 1310.79 करोड़ रुपए के निगमित कर तथा 1506.39 करोड़ रुपए का गैर-निगमित कर कुल 2817.18 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। तथापि 1980-81 में कर जमा करने में 52.85 करोड़ रुपए व्यय को अस्वीकार कर दिया गया। करो को समाप्त कर देने से सरकार को 2817.18 करोड़ रुपए का घाटा होगा तथा 25,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा अर्थात् 22,182.82 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होगा। इस 2,5000 करोड़ रुपए के वार्षिक रोजगार से सरकार को बांधों, नहरों और सड़कों का निर्माण करने संचार साधनों तथा परिवहन सुविधाएं देने तथा अन्य उत्पादक प्रभावों के अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपए की सम्पत्ति के वार्षिक उत्पादन तथा रोजगार के बहुत अवसर मिलने से कुछ ही वर्षों में देश की अर्थ-व्यवस्था में क्रांति विस्मय-कारी स्थिति पैदा की जा सकती है। तथा ऐसी बाहुल्य की स्थिति लाकर अपने लोगों के दु:ख दर्द को दूर किया जा सकता है अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रों के समुदाय में प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है।

महोदय, हमें अपनी कर नीति के बारे में भी कुछ करना है। यदि हम इसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते तो इसमें पर्याप्त कमी तो करनी ही होगी। इस सुझाव का यह अर्थ नहीं कि देश को धनी लोगों को हाथ में सौंप दिया जाए। भारत जैसे अथवा किसी अन्य सामाजिक तथा लोकतांत्रिक देश में अथवा ऐसा नहीं होने दिया जा सकता है। केवल हमारे राजनैतिक नेता ही देश को चला सकते हैं तथा उन्हें देश का कार्य संचालन करना चाहिए और धनी लोगों पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिए तथा उन्हे खुली छूट नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें हमारे राजनीतिक नेताओं के प्राधिकार तथा नियंत्रण में काम करना होगा। अत: कराधान के अतिरिक्त एक ऐसी प्रणाली का विकास करना होगा जिसमें धनी लोगों को खुली छूट न हो और वे उन्हें राजनीतिक नेताओं के निर्देशों का अनुसरण करें। देश का नेतृत्व धनी लोगों को नहीं सौंप दिया जाना चाहिए। यह हमेशा राजनीतिक नेताओं के हाथ में रहना चाहिए।

महोदय, कर लगाने की ऐसी नीति आरम्भ करने के लिए जैसा कि मैंने सुझाव दिया, हमें अत्यन्त उत्साही व्यक्ति की आवश्यकता है। हमारे देश का सौभाग्य है कि उसका संचालन श्रीमती इन्दिरा गांधी कर रही हैं। जो कि विश्व का अत्यधिक उत्साहपूर्ण व्यक्तित्व है। हमारे वर्तमान वित्त मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी भी साहसी व्यक्ति हैं। उनके साहस के बारे में जानने के

लिए, उनके अध्यापक और प्रोफेसर दत्ता से बात करनी होगी। जनता शासन के दौरान, जब श्रीमती गांधी को दंड दिलवाने के लिए, परेशान करने के लिए बहुत समितियां और जांच आयोग बनाए गए थे तब वहीं मुखर्जी उनकी मंत्री परिषद् में प्रथम और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जांच आयोग में अपने जोखिम पर खुले रूप से श्रीमती गांधी का समर्थन किया। उस समय श्रीमती गांधी के पास उन्हें देने के लिए वित्त विभाग नहीं था, वह दुःखों से घिरी हुई थीं और उनका साथ बहुत ही आशंकापूर्ण था। मुझे आशा है श्री मुखर्जी वैसा ही साहस अब भी दिखलएंगे तथा देश को आगे ले जाने के लिए साहसपूर्ण नीति का अनुसरण करेंगे।

महोदय, हमारा समाजवादी और कल्याणकारी राज्य है। हमने बहुत सावधानी से विचार विमर्श करने के बाद ही यह नीति अपनाई है। वर्तमान परिस्थितियों में हम इस नीति के अलावा किसी अन्य नीति के अनुसार काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक समाजवादी के रूप में हमारे धर्मपिता पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। पंडित नेहरू सच्चे शब्दों में भारत के समाजवादी आन्दोलन के नेता थे। उन्हीं के नेतृत्व में समाजवाद को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। वह ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यापक रूप से समाजवाद का समर्थन किया तथा समाजवाद पर व्यापक आन्दोलन के माध्यम से राष्ट्रीय आधार पर समाजवाद के पक्ष में मतैक्य प्राप्त किया तथा हमारे देशवासियों को समाजवाद की यह धारणा राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार की। हमारी धारणा नेहरू की समाजवादी धारणा है। तथा नेहरू के समाजवाद की ठीक से समझने के लिए, हमें पंडित नेहरू के जीवन के इतिहास तथा उन कारणों का अवलोकन करना होगा जिन्होंने उन्हें समाजवादी नीति का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए।

श्री महेन्द्र प्रसाद : महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा। उनकी समाजवाद की धारणा सैद्धान्तिक नहीं थी। उनकी धारणा मानवीय तथा गतिशील थी। नेहरू के समाजवाद को समझने के लिए उनकी आत्मकथा को पढ़ा जा सकता है, जो कि भारतीय संदर्भ में उपयुक्त है। याद कीजिए वह बहुत धनी और सम्पन्न पिता के एकमात्र पुत्र थे। वह बहुत ऐश्वर्यशाली घर में पैदा हुए और बहुत ही विलासपूर्ण और आरामदायक वातावरण में बड़े हुए। उन्होंने अपनी शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की, जो कि उस समय एक स्वपन मात्र था। पंडित मोतीलाल नेहरू ने उन्हें धनी अंग्रेज लोगों के बेटों के समतुल्य रखने के लिए खुले हाथों से खर्च किया। कहा जाता है कि उनके कपड़े भी पेरिस में धुलते थे। उनकी आत्मकथा को पढ़ने से पता चलना है कि वह स्नेहशील तथा बहुत ही सहृदय व्यक्ति थे। उनका हृदय भावों, उद्गारों और विचारों से भरा हुआ था। उन्होंने शिक्षा तथा इंग्लैंड की यात्रा से अंग्रेज लोगों के स्वतन्त्र सुखद, धनी और समृद्ध जीवन को देखा था। याद कीजिए, उन विचारों को लेकर ही वह अपने देश लौटे। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लोगों में भी वैसी ही स्वतन्त्रता, खुशी, समृद्धि, और दौलत देखने की इच्छा थी। जब वह वापिस आए और अपने देशवासियों को देखा तो उनकी सभी आकांक्षाए समाप्त हो गई जानकारी के इच्छुक और बेचैन नेहरू ने उत्तरप्रदेश के आंतरिक भाग की यात्रा की तथा निर्धन भारत-वासियों की करुणमयी, दयामय और भिखारियों जैसी दशा देखी। उन्हें बहुत दुःख और उत्पीड़ा हुई। भूखे-नंगे भारतीय आज भी उन्हें प्यार करते हैं तथा आदर से उनकी उपासना करते हैं। उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। उन्होंने हर जगह वैसी ही दयामयी स्थिति देखी। उन्होंने

दुःखी भारतीयों की तुलना अपने तथा अंग्रेज लोगों के जीवन से की। उनके हृदय ने विद्रोह किया, उन्होंने लोगों की तकलीफों को कम करने का निश्चय किया। वह मसीहा बन गए। लोगों से प्यार था और लोगों को उनसे प्यार था।

भारतीय जनता और विशेषतौर पर उत्तरप्रदेश के आन्तरिक भाग के किसानों के दुःखों को देखकर उनमें समाजवाद का भावना उत्पन्न हुई। वह जनता के उन दुःखों को दूर करना चाहते हैं जो उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखें हैं। उनके समाजवाद का स्रोत पीडित जनता है। हम समाजवाद के सम्बन्ध में नेहरू जी के विचारों के अनुनायी हैं।

महोदय, मुझे दुःख है कि समाजवाद की गलत धारणा से राष्ट्र की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मेरा अनुरोध है कि समाजवाद की संकल्पना को सही ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। नेहरू जी का समाजवाद ऐसा समाजवाद है जो देश और जनता की प्रगति में बाधक नहीं बनता।

महोदय, वर्तमान बजट का सन्देश है बचत जो कि बिल्कुल सही है। निवेश के लिए बचत और उत्पादन के लिए निवेश। चालू वर्ष को उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिए मैं बजट का समर्थन करता हूं। मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत को प्राप्त हुए ऋण को राष्ट्रीय हित में समझते हुए उसका भी समर्थन करता हूं।

महोदय. मैं अपने भाषण में यह संदेश देना चाहता हूं कि पूंजी निवेश के लिए भारी प्रोत्साहन देकर उत्पादन में भारी वृद्धि की जाए और इसके साथ-साथ मजबूत और टिकाऊ सरकार, जो पूर्ण औद्योगिक एवं सामाजिक शान्ति सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है, द्वारा जनसंख्या पर भारी रोक लगाई जानी चाहिए।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा कहकर अपने मित्र, वित्त मंत्री जी का अपमान नहीं करना चाहता हूं कि उनका यह बजट वर्ष की सबसे अधिक अनहोनी घटना है। सरकार की नीतियों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने तथा देश के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने दोनों के सन्दर्भ में यह बजट बहुत ही निराशापूर्ण है। परन्तु मैं वित्त मंत्री पर दोष नहीं लगता क्योंकि जैसा मैंने उनके वित्त मंत्री बनने पर सदन से बाहर कहा था कि अपनी गुणवत्ता के बावजूद सदैव ही उन्हें राजनीति सम्बन्धी दिशा-निर्देश दिए जाते रहेंगे जिनके साथ शायद वह सहमत भी न हों उन्हें अपने निष्कर्षों को उन धारणाओं पर आधारित करना होगा जो देश के अल्पकालिक और दीर्घकालिक हितों के विपरीत हैं, यद्यपि सत्तारूढ़ दल के लिए उनका राजनीतिक महत्व या लाभ हो सकता है।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठसीन हुए)

वास्तव में उन्होंने अपने प्रारम्भिक पैराओं अर्थात् बजट भाषण के तीसरे पैरे में ही बहुत गलत आधार चुना है। उन्होंने कहा है—

"जैसा कि सभा को मालूम है, जब वर्तमान सरकार ने दो वर्ष से कुछ अधिक समय पूर्व कार्यभार संभाला था, तो उस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत गम्भीर थी और खराब

होती जा रही थी। 1979-80 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन 4.8 प्रतिशत कम हो गया था, बुनियादी ढांचा अस्त-व्यस्त था और जनवरी, 1980 के अन्त तक मूल्य 23.3 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहे थे।"

परन्तु जब इस सरकार ने कार्यभार संभाला था, जिसका आज वह बजट पेश कर रहे है उस समय की पृष्ठभूमि बिल्कुल ही विपरीत थी। इस गलत आधार के दो पहलू हैं। पहला यह कि सरकार या वित्त मंत्री जो मान कर चल रहे हैं वह सत्य नहीं हैं, और दूसरे यह कि समयोपरांत हमारा आर्थिक विकास इस प्रकार और इस गति से आगे बढ़ रहा है जिसका वास्तव में देश के जन साधारण से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं इन दोनों पहलुओं को नहीं लूंगा।

पहले हम व्याप्त निष्क्रियता, बरबादी दिशाविहीनता और ऐसे ही दूसरे प्रश्नों को लें। यदि राजनीति के अच्छे नोट आपको कुछ वोट दिलाने में सहायक हों तो आप वह नारे बुलन्द करते रहें। (व्यवधान)

परन्तु यदि कोई उन पर अगले बारह महीनों के लिए या अगले पांच या दस वर्षों के लिए इस देश की आर्थिक व्यवस्था एवं सामाजिक अनुमान आधारित करता है तो यह बहुत गलत है।

वर्तमान प्रधान मंत्री पहली बार 1966 में सत्ता में आई। वह जनवरी 1966 में प्रधान मंत्री बनीं। इस बजट को पेश करने के कुछ दिन पूर्व वित्त मंत्री ने यह आर्थिक सर्वेक्षण सदन में प्रस्तुत करना था। इसके पृष्ट 71 पर 1950-51 से 1980-81 तक की अवधि के हमारे देश के आर्थिक विकास की तस्वीर अंकित की गई है। और मैं वित्तमन्त्री जी से तथा सत्तारूढ़ दल से भी एक राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं बल्कि एक सजग एवं वास्तव में वर्तमान स्थिति से चिंतित व्यक्ति के रूप में यह अपील करूंगा, चाहे उनकी राजनैतिक अभिरुचि एवं हमारे प्रति उनका दृष्टिकोण कुछ भी क्यों न हो।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) आप कह सकते है 'समूचे सदन से'

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : समूचा सदन सत्तारूढ़ दल से अपील कर रहा है कि वह अपना कार्य केवल जो उन्हें सत्र के शुरू में या अन्त में बताया जाता है या राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें अपना कार्य अपनी सरकार द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर कहना चाहिए ताकि नीति निर्धारण के सम्बन्ध में उनका योगदान सार्थक हो सके।

मैं पीछे 1950-51 की बात नहीं करूंगा। मैं गत तीन दशकों या इससे भी अधिक समय के दौरान देश के कुल विकास की कहानी नहीं दोहराऊंगा। यदि वे सोचते हैं कि उन्होंने उन 2½ वर्षों या 2 वर्ष 9 महीने के अलावा शेष अवधि में प्रशंसनीय कार्य किए है तो यह उनका सौभाग्य है। (व्यवधान) आपका सौभाग्य इसलिए कि देश का आपके सत्ता में रहते कोई भाग्य नहीं है। जैसा कि मैं वह कहा था, वर्तमान मंत्री 1966 में सत्ता में आई। उनके आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1964.65 में देश का प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद 607 रु० था। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री को यह आंकड़े जबानी याद होंगे। प्रधान मंत्री के सत्ता में आने के पहले ही वर्ष

में यह घटकर 558 रु० हो गया। इससे वहां बैठे लोगों को भारी आश्चर्य होगा क्योंकि वे ऐसी बाते सुनने के आदी नहीं हैं। उनके सत्ता में आने के दूसरे वर्ष में यह घटकर 551 रु० हो गया जबकि तीसरे वर्ष में यह बढ़कर 587 रु० हो गया, फिर 589 रु० और फिर इसमें शनैः-शनैः वृद्धि होती रही जब वह 1976-77 में इस पद भार से मुक्त हुई उस समय यह आंकडा 682 था। इसका अर्थ यह है कि 1964-65 से 1976-77 तक 11 वर्षों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद अंक में केवल 45 रु० की मामूली वृद्धि हुई। क्या मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं कि आपके आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1970-71 के मूल्यों के अनुसार रुपए के वास्तविक मूल्य के संदर्भ में यह 45 रु० की वृद्धि बहुत ही मामूली थी, इस प्रगति पर उन्हें बहुत गर्व है कि 11 वर्षों की अवधि में इस देश का कुल राष्ट्रीय उत्पाद था इस देश के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद में लगभग 3.50 रु० प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। इस बात पर उन्हें बहुत गर्व है। (व्यवधान) तत्पश्चात् हम सत्ता में आये। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई। इसके आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्योंकि इस को कल श्री प्रणव मुखर्जी ने पेश किया था, अगले दो वर्षों के दौरान, जबकि 1976-77 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद 652 रु० था, 1977-78 में यह बढ़कर 695 रु० हो गया और अगले वर्ष 1978-79 में यह 740 हो गया अर्थात् दो वर्षों में इसमें 62 रु० की वृद्धि हुई, 3 रु० 50 पैसे प्रतिवर्ष की दर से यह वृद्धि 11 वर्षों से 45 रु० हुई और दो वर्षों में 31 रु० प्रतिवर्ष के हिसाब से 62 रु० की वृद्धि हुई।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : आधार वर्ष क्या है ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : 1970-71, यही सूचाकांक चल रहा है। (व्यवधान)

अब हम 1979-80 वर्ष पर आते हैं। सरकार द्वारा पीछे प्रस्तुत किए गए। प्रत्येक दस्तावेज में, जैसे एक वर्ष, उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो दस्तावेज दिया, इस आर्थिक सर्वेक्षण में उन्होंने देश के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किया और इसके बाद दूसरा, जहां कहीं भी राजनीति से हटकर अर्थव्यवस्था के बारे में इन्हें बात करनी पड़े, वे सदैव कहते हैं कि वर्ष 1979-80 में देश में अभूतपूर्व सूखा पड़ा और इस कारण 1989-80 में अनाज के उत्पादन में भारी गिरावट आई। इस बात पर कोई विवाद नहीं है। जनता सरकार के बाद इसका को संबंध नहीं है। वास्तव में, मैंने इस सभा में एक बार कहा था कि प्रधानमंत्री के पास एक बहुत ही दिलचस्प तर्क है, यदि उनके सत्ता में रहते अच्छी फसल होती है तो इसका श्रेय स्वयं उन्हें ही जाता हैं, और जब खराब फसल होती है तो इसकी वजह हैं·····(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्द्र

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : इन्द्र देवता। उन्होंने यह बात कही है। मेरे पास आंकड़े हैं। मैं अनाज के उत्पादन में कमी आने के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य के आंकड़े प्रस्तुत करके सदन का समय खराब नहीं करूंगा। परन्तु उत्तर प्रदेश को लीजिए। 1978-79 में जब जनता पार्टी केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश दोनों में सत्तारूढ़ भी उस समय उत्तर प्रदेश में 230 लाख टन अनाज पैदा हुआ था। अगले वर्ष जबकि सूखा पड़ा था, उत्पादन घटकर 160 लाख टन हो गया अर्थात् 35 प्रतिशत कम हो गया। पश्चिम बंगाल में जहां जनता पार्टी का शासन नहीं था, लेकिन जहां प्रायः हमारे मार्क्सवादी भाई कहेंगे "जहां तक हमारा सम्बन्ध है उस समय हमने गलती थी, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहते।" 1977-78 में जब मार्क्सवादी पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़

थे उस समय यहां अनाज का 80 लाख 970 हजार टन अर्थात् लगभग 90 लाख टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ था।

1978-79 में बंगाल में सूखा पड़ा था, वास्तव में 1978-79 में देश के बहुत से भागों में सूखा पड़ा था तथा बंगाल में अनाज का उत्पादन 80 लाख टन तक गिर गया, लगभग 10 लाख टन कम उत्पादन हुआ। 1979-80 में देश भर में पड़े इस सूखे के कारण बंगाल में अनाज का उत्पादन 70 लाख टन रह गया। दूसरे शब्दों में, इन दो वर्षों में पश्चिमी बंगाल में जहां कि मार्क्सवादी सरकार है जो कि एक बड़ी कार्यकुशल सरकार है, भले ही सत्तारूढ़ पक्ष के लोग अपने उच्चतम नेता का राग अलापते हुए जब तक कुछ भी कहते रहे, और वह लोगों की समस्याओं को हल करने में लगी है। किन्तु इन दो वर्षों में सूखे के कारण कुछ भी नहीं कर सकी है और खाद्य उत्पादन 90 लाख टन सेघटकर 1978-79 में 80 लाख टन और 1979-80 में 70 लाख टन रह गया। किन्तु चूंकि पश्चिमी बंगाल, जहां मार्क्सवादी सरकार है, कोई भी व्यक्ति सूखे को, वर्षा न होने को मार्क्सवादी सरकार की आलोचना पश्चिम बंगाल के बारे में करने हेतु अवश्य इस्तेमाल करेगा, जैसा कि आप जनता सरकार के बारे में करते रहे हैं। किन्तु आन्ध्रप्रदेश में जहां न तो मार्क्सवादी सरकार और न ही जनता पार्टी सत्ता में है, किन्तु वहां आपका अपना ही दल सभा में है। मेढ़क, जो आन्ध्र प्रदेश में है और जब आपके चुने लोग सत्तारूढ़ रहे हैं। 1978-79 में अनाज उत्पादन 1,00,66,000 टन था और 1979-80 में, सूखे के बाद वाले वर्ष अनाज उत्पादन 95,28,000 टन तक गिर गया यानी 11 लाख टन कम हुआ। मध्य प्रदेश में स्थिति और भी ज्यादा खराब रही जहां उत्पादन 1 करोड़ 10 लाख टन से घटकर 1979-80 में 70 लाख टन रह गया। सम्पूर्ण देश में शताब्दी के सबसे भयंकर सूखे के कारण, जैसा कि बहुत से लोगों ने कहा है। खाद्यन्न उत्पादन 13 करोड़ 10 लाख टन से घटकर 10 करोड़ 10 लाख टन हो गया, यानी 19% की गिरावट आई जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सूखे का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा जहां कि लगभग 35% तक कम उत्पादन हुआ। हमारे वित्त मंत्री और इस सरकार ने अपनी सभी नीतियों के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया है वह वर्ष 1979-80 की स्थिति पर ही आधारित है जब कि अभूतपूर्व सूखा पड़ा था और प्रति व्यक्ति उत्पादन, कुल राष्ट्रीय उत्पादन प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई थी। इन वर्षों की तुलना पहले के वर्षों से करते है जबकि वे या हम सत्ता में थे।

इसलिए, मैं सर्वप्रथम इस 'भूत' को सदा के लिए अपनाना चाहता हूँ, और मैं आशा···

(व्यवधान)

डॉ० कृपा सिन्धु भोई : किस सम्बन्ध में ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : जी हां, प्रत्येक सम्बन्ध में, मैं इसे अपनाना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : आधारभूत ढांचे का क्या होगा ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : मैं आधारभूत ढांचे पर आएंगा, मेरे दोस्त। मैं भागूंगा नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : किन्तु 'भूत' तो आम तौर पर रातों को ही आते है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : दुर्भाग्यवश, उनके लिए हम सब हमेशा 'भूत' ही हैं। वह हर समय 'भूत' देख सकते हैं। उसे अपने आप को हमेशा 'होश' में रखना चाहिए।

आप किस क्षेत्र और किस अवधि की तुलना ही करना चाहते हैं। यदि हम तुलना ही करना चाहते हैं तो हम पूरे उन तीन वर्षों की करें जब जनता और लोकदल का शासन था—अपसरण के वर्ष, अनिर्णय के वर्ष राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक उस काल्पनिक नाम के वर्ष जो भी आप देते हैं। विशेषकर सम्पूर्ण विकास जो उस अवधि के दौरान हुआ। मैं माननीय वित्त मंत्री के 1981-82 के आर्थिक सर्वेक्षण के अलावा किसी अन्य प्रलेख की चर्चा नहीं करूंगा।

सर्वप्रथम हम देश के अति महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी सिंचाई के आधारभूत ढांचे को ही लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के पृष्ठ 83 पर देश में सिंचाई के अन्तर्गत कुल क्षेत्र बताया गया है। पिछले 5 वर्षों में—आर्थिक सर्वेक्षण में 5 ही वर्ष लिए गए हैं—सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई भूमि की दर 15 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष रही। भटकाव, दिशाहीनता, नीतियों की कमी और आधारभूत ढांचे के गिरने, के तीन वर्षों में 19 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई। अत: 15 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष सिंचाई एक उपलब्धि है, गतिशीलता और नेतृत्व है जिसकी घरों की छतों पर चढ़कर प्रशंसा करनी चाहिए किन्तु 19 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष सिंचाई, भटकाव, दिशाहीनता, नीतिहीनता है अत: इसकी निंदा की जानी चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : कृपया आप सुनें। जब आपको अवसर मिलेगा, आप जो चाहें बोल सकते हैं। बार-बार इस प्रकार का हस्तक्षेप ठीक नहीं है।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : यदि यही आधारभूत ढांचा है तो उत्पादन क्या होगा ? हम खाद्यान्न के उत्पादन को ही लें। वित्त मंत्री महोदय, आप कहां से शुरू करना चाहेंगे ? क्या आप यह चाहेंगे कि मैं 1956 से शुरू करूं अथवा उसके कुछ वर्ष बाद से ? जब आपने सरकार छोड़ी, 1976-77 में प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता 435 ग्राम प्रति दिन थी। जब कि वह वर्ष महत्वपूर्ण उपलब्धियों, एक गतिशील दशक समाप्त हो गया था और दूसरा गतिशील दशक शुरू हुआ था, आपातकाल अपनी चरमसीमा पर की तथा औसत भारतीय प्रतिदिन 435 ग्राम खाद्यान्न का उपभोग करता था। और जिस वर्ष हम शासन में आए यानी 1977-78, 470 ग्राम और उससे अगले वर्ष 480 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध हुआ। जब हम सूखे के वर्ष में आये खाद्यान्न उपभोग कम हो गया क्योंकि देश में अनाज का उत्पादन ही नहीं हुआ। यह 19% कम हो गया किन्तु मैं सदन को याद कराना चाहूंगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद—1972 के एक वर्ष को छोड़कर जब कि भारत ने खाद्यान्न का आयात नहीं किया अपितु उस वर्ष 5 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था—स्वतन्त्र भारत के इतिहास के अथवा कम से कम 1956 से, केवल 3 ही वर्ष ऐसे थे जब कि गेहूं का आयात नहीं किया गया और उस समय जनता-लोकदल की सरकार थी। हमने उन तीन वर्षों में न केवल आयात ही बन्द किया अपितु अनाज का निर्यात भी किया। हमने मारीशस, वियतनाम और उन देशों को अनाज का निर्यात किया जिन्हें अनाज सख्त जरूरत थी।

श्री जगदीश टाईटलर : और तब भी आपके पास फालतू अनाज बच गया ?

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : महोदय, वे उस अधिशेष के बारे में बोल रहे हैं जो उन्होंने छोड़ा था। मैं जानता हूं कि वे केवल राजनीतिक प्रल्लेख पढ़ने के आदी हैं। आप 200 लाख टन छोड़ कर गए थे और जब हमने सरकार छोड़ी तब 210 लाख टन छोड़ कर गए थे बशर्ते आपके हिसाब में इसका उलटा न हो। न केवल यह 210 लाख टन हमने छोड़ा था बल्कि मैंने यह भी कहा है कि हमने आयात नहीं किया था निर्यात किया था जिस पर भी देश में इतना अनाज था कि भयंकरतम सूखे का भी मुकाबला कर सके। आप तब भी हमें यह कहना चाहेंगे कि वे वर्ष भटकाव के थे, अन्धेरे के थे और वे वह वर्ष थे जब कि प्रगति नहीं हुई। अब हम दूसरा क्षेत्र लेंगे क्योंकि वे लोग बेचैन हो रहे हैं, वे लोग तब गम्भीर रूप से अधीर हो उठते हैं जब कोई उनके ही कागजातों के आधार पर तथ्यों और आंकड़ों की चर्चा करता है।

आप किस क्षेत्र की चर्चा करना चाहते हैं ? क्या आप खाद्य तेलों की चर्चा करना चाहेंगे ? जनता सरकार के 3 वर्षों पर नजर डालें और उससे पिछले 3 वर्षों पर नजर डालें। प्रति व्यक्ति के आपकी सरकार ने 1974-75 में 3.3 किलो, 1975-76 में 3.5 किलो और 1976-77 में 3.2 किलो खाद्य तेल उपलब्ध कराया जब कि जनता शासन के 3 वर्षों में क्रमशः 3.8, 3.8 और 3.7 किलो खाद्य तेल हमारे उपभोक्ताओं को उपलब्ध हुआ।

क्या आप वनस्पति को भी देखना चाहते हैं ? आपके पास 0.8, 0.6 और 0.8 किलो थी जब कि 1977-78 में 0.9 किलो, 1978-79 में 1.0 किलो और 1979-80 में 1.0 किलो उपलब्ध हुआ।

क्या आप चीनी पर भी नजर मारना चाहते हैं ? इसमें भी यही स्थिति थी। क्या आप कपड़े पर भी नजर डालना चाहेंगे। जब 1966 में आपकी महान नेता प्रधान मंत्री बनीं, उस समय प्रति व्यक्ति के हिस्से साल में 16.4 मीटर कपड़ा आता था और उससे अगले वर्ष 16.3 मीटर प्रति वर्ष उपलब्ध हुआ था। उसके गतिशील शासन के पिछले 3 वर्षों में कपड़े की उपलब्धता घटकर 1975-76 में 14.6 मीटर और 1976-77 में 13.8 मीटर हो गई और इस तरह कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलभ्यता में अचानक कमी आ गई। और जब 1977-78 में जनता पार्टी शासन में आई तब यह 13.5 मीटर थी किन्तु 1978-79 में यह बढ़ कर 15 मीटर प्रतिवर्ष और 1979-80 में यह 14.7 मीटर प्रति वर्ष थी।

बिजली के बारे में भी बहुत बातें की गईं और किस प्रकार आधारभूत ढांचे को खत्म किया गया था। ये उसके आंकड़े हैं, मेरे नहीं। उपलब्ध बिजली किलोवाट प्रति घण्टा : घरेलू— 1974-75 में यह 8.8 थी। 1975-76 में 9.7, 1976-77 में 10.4, 1977-78 में 10.9, 1978-79 में 11.9 और 1979-80 में 12.1 थी। अतः वह कौन-सा बुनियादी ढांचा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ? चाहे वह उपभोक्ता सामग्री हो, चाहे अनाज अथवा बुनिवादी जरूरत की वस्तुएं जैसे कपड़ा अथवा बिजली ही क्यों न हो, यह प्रगति का रिकार्ड उन्होंने बजट से एक सप्ताह पूर्व इस सदन में प्रस्तुत किया था। और तब वित्त मंत्री यह बजट लाये और उन्होंने कहा कि "वे वर्ष भटकाव और विनाश के थे" और हम यहां बैठकर अपने उन दोस्तों को सुनने पर मजबूर हैं

अन्यथा वे बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, किन्तु जब वे अपना भाषण बोलने तथा पढ़ने लगते हैं तो हमें बताते हैं कि वे भटकाव के वर्ष थे। उन लोगों का विश्वास न करें जो ये आंकड़े उद्धृत करते हैं। आंकड़े अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भेजे जाते हैं। आप कहते हैं कि वे भटकाव के वर्ष थे और आप 'भटकाव के वर्षों" को रटना जारी रखे जा रहे हैं। कोई फायदा है इससे ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : इससे पहले कि आप भाषण को समाप्त करें आप को जनसंख्या वृद्धि के बारे में बातचीत करनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : प्रति व्यक्ति का क्या तात्पर्य है ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : जनसंख्या की वृद्धि के बारे में आपने अपने कार्यकाल में क्या किया ? हम यह जानना चाहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप कृपा उन्हें यह बताए कि वे प्रति व्यक्ति आंकड़ों के बारे में बता रहे हैं और 'प्रति व्यक्ति' में जनसंख्या निहित है। (व्यवधान) बिना जनसंख्या के प्रति व्यक्ति, का हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। (व्यवधान)। उनका विचार है कि 'प्रति व्यक्ति, का पूंजी से सम्बन्ध होता है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा : कृपया आप अपनी अनभिज्ञता प्रदर्शित न करें। विद्वान् प्रोफेसर से सीख लें। (व्यववान)। आप कभी नहीं सीख सकते, आप इस योग्य नहीं हैं।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : मैं उनकी पुस्तक से आंकड़े अलग करने में सदन का समय नहीं लेना चाहता। यदि कांग्रेस का कोई सदस्य अथवा कोई अन्य सदस्य चाहता हो तो हम इन प्रलेखों का हवाला दे सकते हैं या उनको उपलब्ध करा सकते हैं अथवा हम उन पर नहीं और चर्चा कर सकते हैं।

मैं बजट पर चर्चा करूंगा। इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए उठाया जाना आवश्यक था बल्कि वित्त मन्त्री तथा सरकार के ध्यान में भी यह बात लाने के लिए उठाया जाना आवश्यक था कि यदि आप गलत आधार पर चलोगे तो निश्चित रूप से आप गलत निष्कर्षों पर पहुंचोगे।

इस बजट से क्या आशा की जा सकती है ? मैं चाहूंगा कि आप इस बजट की यथामूल्यानुसार जांच न करें कि सेरलोस तथा गैर-सेलास इत्यादि, इत्यादि के बारे में कितनी वृद्धि हुई है ? यहां-वहां कितना अतिरिक्त उत्पादन कर अथवा सीमा-कर लगाया गया है। इसका क्या प्रभाव होगा ? जिनका इनसे सम्बन्ध है, वे ऐसा कर सकते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा करेंगे और ऐसा करना महत्वपूर्ण भी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं उस संदर्भ में बजट पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं बजट पर चर्चा करना चाहूंगा.....

समापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : आप अंतिम उत्पादों में रूची लेते हैं।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : महोदय, मैं बजट पर तीन विषयों पर चर्चा करना चाहूंगा :—

1. इसका मूल्यों के बारे में क्या प्रभाव पड़ने वाला है ?
2. रोजगार के बारे में क्या प्रभाव पड़ने वाला है ?
3. इसमें अमीरों और गरीबों, ग्रामीणों और शहरीयों, किसानों तथा किसानों से भिन्न लोगों के बीच विद्यमान विषमताओं को कम करने, मैं उन्हें समाप्त करने के लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि अभी ऐसा करना आपकी सीमा से बाहर है, या क्या प्रभाव पड़ने वाला है।

क्या अब इस बजट में कोई ऐसी बात है कि जिससे कुछ आशा की जा सकती हो ?

मूल्यों को ही लें। मूल्यों के बारे में आपके बजट में क्या कहा गया है। वास्तव में जिस बात की मुझे चिन्ता है वह है वित्त मन्त्री, मुझे आशा है कि वित्त मन्त्री महोदय ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा, जिस पर भी कतिपय मामलों में सदन को गुमराह किया है। उदाहरण के तोर पर उनके वक्तव्य को ही लीजिए। उनके बजट भाषण के पृष्ठ 2, पैराग्राफ 6 पर कहा गया है :—

"जनवरी, 1982 के अन्त तक प्वाइंट से प्वाइंट के आधार पर मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर केवल 4.9 प्रतिशत थी....."

"थोक मूल्यों में गिरावट अधिकांश वस्तुओं के मामले में आई है और धीरे-धीरे इसका प्रभाव उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर पड़ रहा है।"

मैं नहीं जानता कि क्या वित्त मंत्री महोदय वास्तव में बाजार में जाते हैं और सब्जियां खरीदते हैं, अपनी आवश्यकता की वस्तुएं इत्यादि, इत्यादि खरीदते हैं ? लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है, शायद वे ऐसा नहीं करते हों, सम्भव है वे ऐसा करते भी हों। कुछ भी हो मैंने यह कह कर अपना भाषण प्रारम्भ किया कि जहां तक इस बजट का सम्बन्ध है उसमें केवल उन्हें और उनके विचारों को ही प्रधानता नहीं दी गई है। लेकिन मैं उनका ध्यान उनके अपने प्रलेख—आर्थिक सर्वेक्षण, जो उन्होंने केवल 7 दिन पहले ही प्रस्तुत किया था, की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें क्या कहा गया है ? पृष्ठ 29, पैरा 5.17 :—

"चालू वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि से अधिक बैठती है जिसका मतलब यह होता है कि थोक मूल्य सूचकांक में आई महत्वपूर्ण गिरावट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पूर्णतया प्रतिविम्बित नहीं होती।"

इसलिए, जब एक सप्ताह पूर्व यह गिरावट प्रतिविम्बित नहीं हो रही थी, अकस्मात एक सप्ताह बाद वित्त मंत्री महोदय को यह दिखाई दे गया और तब यह सभी स्थानों पर यह प्रकट हो गया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ ? क्या आप मूल्यों पर नियंत्रण करने में समर्थ हैं ? मैं विशेष रूप से उन लोगों से पूछ रहा हूं जो जनता सरकार तथा इससे पूर्व की श्री चरणसिंह की सरकार के कार्य निष्पादन पर प्रहार करते रहे हैं और यह मानते रहे हैं कि इन दोनों सरकारों तथा उनके

बजटों की बजह से मूल्यों में वृद्धि हुई है । क्या आप मूल्यों को कम रख सके हैं ? आंकड़ों की जादूगरी और बात है । लेकिन, जैसा कि आपने अपने आर्थिक सर्वेक्षण के पृष्ठ 121 में स्वयं कहा है, तथा बिल्कुल भिन्न हैं । आप तीन वर्षों, 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 पर दृष्टिपात करें । खाद्य मूल्य सूचकांक में 53 प्वाइंटों तक की वृद्धि हुई हैं । मुझे आशा है कि वित्त मंत्री, जब वे मूल्यों के बारे में चर्चा करेंगे, अपने आपको काल्पनिकता के साथ नहीं जोड़ेंगे बल्कि वास्तविक स्थिति के बारे में बताएंगे जो पहले बाजार में विद्यमान है और दूसरे उनके स्वयं के आंकड़ों, जो उन्होंने हमारे समक्ष रखे हैं ।

आपने अपने स्वयं के आंकड़ों में यह कहा है कि जनता-लोकदल शासन के तीन वर्षों के दौरान, 1980 तक मार्च, 1980 को समाप्त हुए वित्तीत वर्ष तक—खाद्य मूल्य सूचकांक में वृद्धि 53 प्वाइंट तक हुई थी । शायद अधिकांश लोगों को इन आंकड़ों को कभी पढ़ना हो । लेकिन जिन्होंने इन आंकड़ों को पढ़ा है उन्होंने यह पाया होगा कि नवम्बर, 1981 तक—यहां तक कि दो वित्तीय वर्षों में—आपके आंकड़ों के अनुसार खाद्यान्नों के मूल्य में 106 प्वाइंट की वृद्धि हुई है । जब सदन से बाहर लोग मूल्य वृद्धि के बारे में चिल्लाते हैं तब बावजूद इसके कि वित्त मंत्री महोदय सदन में कुछ कहें और बावजूद इसके कि वे सदन से बाहर इस प्रकार का आश्वासन दें कि मूल्यों में गिरावट आ रही है, वे वास्तविक तथ्यों को भी नहीं छुपा सके हैं । और जो आंकड़े हमें दिए गए हैं उनसे पता चलता है कि भटकाव के तीन वर्षों में और मुद्रास्फीति के तीन वर्षों में सूचकांक में 53 प्वाइंट की वृद्धि हुई है जब कि वैभवयुक्त दो वर्षों में, जिसे श्री स्टीफन पुनरुत्थान कहा करते हैं, पुनरुत्थान के दो वर्षों में मूल्य सूचकांक में 106 प्वाइंट की वृद्धि हुई है । और अब भी आप अपने वक्तव्य देंगे और आप कहेंगे कि मूल्य वृद्धि को रोका जा रहा है । यदि खाद्य मूल्य सूचकांक की यह हालत है तो सामान्य मूल्य सूचकांक की क्या हालत होगी ।

हमारे शासन के तीन वर्षों में सामान्य मूल्य सूचकांक में 61 प्वाइंट की वृद्धि हुई थी । लेकिन आपके शासन के दो वर्षों में यह वृद्धि 89 प्वाइंट तक पहुंच गयी इसलिए रिकार्ड में यह है कि जहां तक आपका सम्बन्ध है आप मूल्य वृद्धि को अब तक नहीं रोक पाए हैं ।

अब हम बजट पर चर्चा करेंगे । क्योंकि आखिरकार आप यही कहेंगे । यह नया बजट है जिसमें मूल्यों को नीचे लाने का प्रयास किया गया है । क्या वास्तव में ऐसी बात है ? वास्तव में, आपने स्वयं अपने आर्थिक सर्वेक्षण में कहीं यह कहा है कि अगले 12 महीनों में "हम मूल्यों को 10 प्रतिशत के बढ़े हुए स्तर पर रोकने का प्रयास करेंगे ।" सरकार ने मूल्यों में 10 प्रतिशत की वृद्धि का आश्वासन दिया है । यह आश्वासन आपने हमें अपने आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से दिया है । वास्तव में आप अपने 10 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर जाएंगे, जैसा कि रेल मंत्री ने कहा है कि वे अपने रेल दुर्घटनाओं के लक्ष्य को पार कर जाएंगे । यह आपके उस तरीके से यह सब प्रकट होता है जिसके अनुसार आपने अपने समस्त निवेश के समस्त पैटर्न के बारे में निर्णय लिया है जिस ढंग से आपने व्यापक रूप से घाटे का बजट बनाने का निर्णय लिया है । विरोध पक्ष के मेरे एक माननीय साथी ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया है । आपके पंचवर्षीय योजना के प्रलेख का क्या हुआ जिसके बारे में आप अभी भी कसमें खाते हो ।

आप 20 सूत्री कार्यक्रम की बात कर रहे हो । मैं जानता हूं कि इसमें कुछ था । अब 20-सूत्री कार्यक्रम इसलिए लाया गया है क्योंकि योजना को समाप्त कर दिया जाना है । अब से

लेकर यह 20-सूत्री कार्यक्रम होगा। मुझे कल बताया गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 20-सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया है। लेकिन योजना का क्या होगा ?

एक माननीय सदस्य : वह खत्म।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : योजना के प्रलेख तथा समस्त विकास कार्यक्रम के बारे में अब कोई चर्चा नहीं होगी।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : यदि मेरी जानकारी सही है, मेरा मतलब है कार्य मंत्रणा समिति मे विरोधी पार्टियों और दलों के प्रतिनिधि शामिल है। यहां लेकिन कोई भी योजना के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जी, नहीं। मैं इस पर सदन में चर्चा करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। राष्ट्रीय विकास परिषद्, जिसकी कल प्रधान मंत्री ने अध्यक्षता की थी, ने अब अपना ध्यान 20-सूत्री कार्यक्रम की ओर लगाया है। इसलिए, योजना को 100 फुट नीचे गहरे में दफना दिया गया है। यह समाप्त हो गई है। अब हमें 20-सूत्री कार्यक्रम पर चर्चा करनी होगी क्योंकि योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि 5 वर्षों में आपके बजट में 5000 करोड़ रु० का घाटा होगा। आप पहले ही उससे आगे जा चुके हैं। आपके विद्यमान बजट प्रस्तावों के अनुसार आप अपनी 5000 करोड़ रुपये की सीमा को पार कर गए हैं। यदि हम आपके पूर्व के वित्त मंत्री के प्रथम बजट तथा दूसरे बजट के पिछले अनुभव के आधार पर विचार करें और अब आपके अपने बजट को देखें तो यह पता चलेगा कि आप 1300 करोड़ रु० की सीमा को पार कर जाएंगे जो अपने स्वयं रखी है।

कहां जा रहे हैं हम ? जो कुछ पांच वर्षों के लिए विचारा गया था उसे 2½ वर्षों से कम समय में ही समाप्त कर दिया गया है और तीसरे वर्ष के अन्त तक यह उससे भी कहीं ज्यादा होगा। यदि इससे मुद्रास्फीति को बढ़ावा नहीं मिल रहा तो और क्या हो रहा है ?

अब गैर-विकसित क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे जिनमें वे धन का निवेश कर रहे हैं। अन्ततोगत्वा यह मुद्रास्फीति यही से शुरू होती है। सरकार के कुल निवेश में से इस क्षेत्र में कितना निवेश किया जा रहा है ? वर्ष 1981-82 में बजट अनुमानों के अनुसार उनका गैर विकास व्यय 15,110 करोड़ रुपए था और संशोधित अनुमानों के अनुसार उन्होंने इसे 1,060 करोड़ की और वृद्धि कर दी है। यह बढ़कर 16,160 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वित मंत्री महोदय ने हमें बताया है कि नए बजट प्रस्तावों के अनुसार यह 17,874 करोड़ रुपए हो जाएगा। उसकी तुलना में वर्ष 1981-82 के लिए विकास परिव्यय में केवल 467 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय इसे याद रखें। जबकि जनता सरकार के शासन में 1977 से 1980 के बीच 3 वर्षों के दौरान कुल गैर-विकास व्यय 29,055 करोड़ रुपए था, उनके शासन के प्रथम दो वर्षों में गैर-विकास व्यय 29,341 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त, गैर-विकास व्यय जिसमें वे अब वृद्धि करने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी।

अतएव, यह बजट एक मुद्रा-स्फीति का बजट है। समस्त निवेश पैटर्न, जिसको आपने चुना है उसके द्वारा मूल्य बढ़ेंगे। अतएव, मेरे अनुसार जहां तक इस देश के लोगों का सम्बन्ध है इस बजट में निराशा अथवा हताशा स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष है।

अब हम रोजगार के प्रश्न को लें। यह एक और क्षेत्र है जिसके माध्यम से मैं बजट की परीक्षा करनी चाहूंगा। इसमें देश के बेरोजगारों के लिए क्या आशाएं हैं। मैंने अभी वृद्ध युवा-कांग्रेस के सदस्य को राजस्थान में रोजगार के अवसरों की कमी के बारे में बोलते सुना। मैंने उनके भाषण की प्रशंसा की क्योंकि वह राजस्थान में रोजगारों की कमी के विषय में चिंतित थे। वही स्थिति हर जगह है। यह केवल राजस्थान में हो रही है। उद्योगों के आर्थिक संकटग्रस्त होने की स्थिति बढ़ रही है। उनके निवेश का संपूर्ण तरीका उस ओर बढ़ रहा है जहां बड़े पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है वे बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को फिर से अपना कारोबार शुरू करने के लिए कह रहे हैं। फिर, वे एकाधिकार वादी घरानों को कह रहे हैं कि "महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां तक आपकी पहुंच नहीं थी वह भी अब आपके लिए खुला है।" अत:, अब जो धन लगाया जाएगा वह ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाएगा जहां ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे। इसमें शक नहीं है कि उत्पादन बढ़ेगा, नई मशीनें आएंगी, सुल्जरलूम्स आएंगे लेकिन हथकरघा-बुनकर-बेरोजगार हो जाएंगे। कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण हो जाएगा। अधिक आधुनिक करघे आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले गांवों में लाखों हथकरघा बुनकर बेरोजगार हो जाएंगे और दूसरी तरफ उन्हें अन्य वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यह उनकी सारी निवेश पद्धति में भी प्रतिबिम्बित है। फिर आप ग्रामीणद्योगों, लघु उद्योगों, कृषि के लिए जहां आप रोजगार पैदा कर सकते हैं, निर्धारित निवेश पर ध्यान दें। पूरे योजना-दृष्टिकोण में ही इन्होंने गलतियां की हैं। लेकिन अब मुझे पता चला है कि इन्होंने हर चीज की अनदेखी करने का निर्णय ले लिया है। हमारे कार्यकाल के अन्तिम वर्ष 1979-80 में जबकि हम केवल तीन वर्ष से भी कम समय तक रहे, ग्रामों तथा लघु उद्योग क्षेत्र में निवेश वर्ष के कुल निवेश का 2.1 प्रतिशत था। लेकिन छठी योजना में जिसका प्रारूप इन्होंने तैयार किया है, उसमें केवल 1.8 प्रतिशत का प्रावधान किया है। 1980-81 में यह 1.9 प्रतिशत की तथा 1981-82 में ये इसे 1.8 प्रतिशत तक नीचे ले आए हैं। अब जबकि यह नए बजट प्रस्ताव लाए हैं, और इसमें जहां तक रोजगार उत्पन्न करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र का सम्बन्ध है निवेश को 1.8 प्रतिशत नीचे ले आया गया है। लेकिन बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में, जहां हमारी सरकार के अन्तिम वर्ष में, निवेश 19.6 प्रतिशत था, इनकी छठी योजना में 20.9 प्रतिशत के निवेश का प्रावधान किया गया है, 1980-81 में इन्होंने इसे 21 प्रतिशत तक बढ़ाया, 1981-82 में 21 प्रतिशत तथा अब 1982-83 में इन्होंने इसे 1981-82 के स्तर पर ही रखा है।

और जहां कृषि का सम्बन्ध है, कमी पर है। कृषि क्षेत्र में सभी निवेशों में कमी की जाती है क्योंकि धन को बड़े उद्योगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। उदाहरण के लिए, 1979-80 में सिंचाई पर निवेश 10.6 प्रतिशत था। छठी योजना में 9.7 प्रतिशत के व्यय की संकल्पना की गई है। 1980-81 में आपने इसे 9.4 प्रतिशत तक कम कर दिया, 1981-82 में 9.1 प्रतिशत तक और अब आप इसे केवल 9 प्रतिशत रख रहे हैं।

जहां रोजगार उत्पन्न किए जा सकते है वह क्षेत्र है लघु-उद्योग क्षेत्र। वित्त मंत्री जी यह आपका व्याख्यात्मक ज्ञापन है। धन के मामले में, रुपयों के मामले में, निराशावाद दिखाई देता है। पृष्ठ 96, ग्रामीण तथा लघु उद्योग। और वे कौन से क्षेत्र हैं?

हर व्यक्ति खादी, हथकरघा, नारियल-जटा के बारे में बात करता है और आपने उनके लिए क्या आवंटन किए हैं?

1981-82 के लिए आपके बजट में कहा गया है कि 56.9 करोड़ रुपये का योजनागत व्यय है। आपने यह थोड़ी सी राशि भी खर्च नहीं की। आपने केवल 54.95 करोड़ रुपये खर्च किए और अब 1982-83 में, आप 55.30 करोड़ रुपये ही दे रहे हैं जबकि 1981-82 में ही आपने 56.9 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया था।

कृषि में, व्यय कम किया जा रहा है और वित्त मंत्री जी यही आपका व्याख्यात्मक शायन है।

1981-82 में योजनागत-व्यय 299 करोड़ रुपये का था। आपने केवल 262 करोड़ रुपये खर्च किए। आपने उस धन को पूरा खर्च नहीं किया। आपने उस धन को कहीं और खर्च किया और वर्तमान बजट में, आप 350 करोड़ रुपये आवंटित कर रहे हैं। प्रतिशत-वार, इसमें गिरावट आई है। लेकिन सम्पूर्ण रूप में, यह बढ़ा हुआ लगता है। लेकिन मैं जानता हूं कि वर्ष के अन्त में यह धन भी कृषि क्षेत्र में खर्च नहीं किया जाएगा।

अतः, लघु उद्योग क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि में, सिंचाई में, धन नहीं लगाया जा रहा है और अब यह धन बड़े उद्योगों, बड़े पैमाने वाले क्षेत्र तथा एकाधिकारवादी घरानों को दे दिया जाएगा। हाल ही में हमारे योजना तथा उद्योग मंत्री जी ने दवास स्विटजरलैंड में कथित 500 से अधिक प्रतिनिधियों को क्या जबरदस्त स्वागत प्रदान किया था। 'आपका स्वागत है, भारत आइए। हमारे पास सस्ते श्रमिक हैं। कृपया आइए और उनका शोषण कीजिए।' इस तरीके से आपने आर्थिक दिशा को लिया है, तब इसमें आश्चर्य नहीं है, वित्त मंत्री जी कि आपके बजट भाषण में समाजवाद के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है, हालांकि कांग्रेस 'आई' के एक माननीय सदस्य ने जो कि मेरे से पहले बोल रहे थे भावपूर्ण शमा प्रज्जवलित की है जिसे कि 'नेहरू समाजवाद' कहा जाता है। मुझे खुशी है कि इस सम्बन्ध में अपने बजट भाषण के एक पहलू पर आप किसी को धोखा देने का प्रयत्न नहीं कर रहे थे। आप काफी ईमानदार रहें। आपने 'समाजवाद' शब्द का प्रयोग नहीं किया जबकि मैं अभी भी इसके प्रतिनिष्ठा व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन इसकी दिशा सुस्पष्ट है। मेरे लिए यह केवल दिशा परिवर्तन ही नहीं है जो कि चिन्ताजनक है। जिसकी मुझे चिन्ता है वह है कि रोजगारों में गिरावट आएगी।

मुझे विश्वास है, वित्त मंत्री जी, आप इस तथ्य से अवगत है कि पिछले एक वर्ष में, देश में बेरोजगारों की संख्या 20 लाख तक बढ़ी है और अब आपके नए बजट प्रस्तावों से और अधिक लोग बेरोजगार हो जाएगे।

इसलिए, मेरे लिए, अब भी, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के क्षेत्र में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इस बजट में किया गया हो।

जहां तक शहरी और ग्रमीण तथा बड़े तथा छोटे के मध्य अन्तर को हटाने का प्रश्न है, क्या आशाएं हैं ? हमे उसमें क्या प्राप्त होगा ?

जैसा कि मैंने पहले कहा, बजट इस प्रकार बनाया गया है कि इससे अन्तर बढ़ेगा, जबकि घटेगा कुछ भी नहीं।

इस बजट के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जहां मैं मानता हूँ कि वित्त मंत्री जी शायद कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते थे, जिनमें कम-से-कम एक नई व्यवस्था की रचना में सहायता मिल सकती थी।

समानांतर अर्थव्यवस्था के संपूर्ण प्रश्न को ही लीजिए। बजट में समानांतर अर्थव्यवस्था की चर्चा कहां पर की गई है एक आर्थिक पत्रिका में कुछ सप्ताह पहले लिखा गया था कि आज इस देश में आधा धन पहले से ही समानांतर अर्थव्यवस्था क्षेत्र में है। आप उन बांड़ों को लाए और आपको 815 करोड़ रुपए मिला। लेकिन अब आपके पास क्या नया कार्यक्रम है ? बांडों से कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। आपने उस क्षेत्र की उपेक्षा की है। क्यों ? आपने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यय को कम कर दिया है। ऐसे दो क्षेत्र हैं जहां मैंने पाया है कि आपने व्यय बढ़ाया है। मैं जानता हूँ कि कई लोग रक्षा पर चर्चा करना नहीं चाहते क्योंकि जब कोई रक्षा पर चर्चा करता है, दूसरा सोचता है कि यह देशभक्त नहीं है। हर एक कहता है कि 'जवान लोग वहां पर हैं'; आप क्या कर रहे हैं ? लेकिन मैं इस प्रश्न को उठाना चाहता हूं क्योंकि देश की रक्षा का संबंध केवल सेना से नहीं है या हमारे उन नौजवानों, जो हथियार उठाते हैं, उठाकर लड़ते हैं से ही नहीं है वरन् देश की रक्षा का सम्बन्ध अन्तिम रूप से देश की अर्थव्यवस्था की कुल ताकत से है। यदि देश का सामाजिक ढांचा ही ढह जाएगा, यदि देश में आर्थिक स्थिति लगातार दयनीय होती जाएगी तो भारत की रक्षा की बात करते रहने से क्या होगा ? पिछले एक वर्ष में, रक्षा व्यय लगभग एक हजार करोड़ रुपए बढ़ गया है। अब, आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जा रहे है। मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कितना धन किस क्षेत्र में लगाया जा रहा है; मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। मुझे प्रसन्ता है कि जबकि मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ माननीय रक्षा मंत्री जी भी आ गए हैं...

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैंने आपकी आवाज सुनी और मैं आ गया।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : वे ठीक समय पर आ गए हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इन्होंने अभी हाल ही में 2,000 करोड़ रुपए लागत मूल्य के 40 मिराजों की खरीद की बातचीत की है और मैं जानता हूं कि उस पर अभी और भी अधिक बातचीत होगी तथा वे 6000 से 8000 करोड़ रुपए के लागत मूल्य के अन्य 110 मिराज खरीद रहे हैं। मैं फ्रांस में कुछ दिन पूर्व अपने फ्रांसिसी सहयोगी श्री मित्तरेंद जो कि अब राष्ट्रपति हैं, एक समाजवादी हैं, जिरके साथ कुछ वर्षों तक, कई दशकों तक राजनीतिक दल-स्तर पर हमारे सम्बन्ध रहे हैं इस प्रश्न को उठाना चाहता था। जब मैं फ्रांस में अपने समाजवादी सहयोगी के साथ उनके द्वारा भारत को हथियार बेचे जाने के इस प्रश्न को उठाना चाहता था—ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि भारत हथियार प्राप्त न करे, यह भी नहीं कि भारत उन्नत शस्त्रास्त्र प्राप्त न करे—जब मैंने प्रश्न उठाया, "यह क्या है कि फ्रांस में समाजवादी, जो कि ढाई दर्शक के बाद सत्ता में आए हैं, और जिन्हें एक नए विश्व, एक नई समाज व्यवस्था और एक नई अर्थ-व्यवस्था के रूप में विश्व को कुछ प्रस्तुत करना है वे ही अधिक अच्छे मिराजो का उत्पादन कर रहे हैं और उसके लिए नया बाजार है।" उन्होंने दो बातें कही। एक बात जो उन्होंने कही वह यह की कि "यदि हम आपको उन्नत हवाई जहाज नहीं बेचेंगे तो आप उन्हें किसी बड़ी ताकत से

खरीदेंगे और इस मामले में सोवियस रूस से, इसलिए हम आपको एक बड़ी ताकत के पास जाने से रोक रहें हैं और हम बड़ी ताकत नहीं है, और दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण मुद्रा जो उन्होंने बनाया था, वह है, "यह फ्रांस के कामगारों की रोजी का प्रश्न है; अगर हम मिराज नहीं बनाते और उन्हें वेचते नहीं, अगर हम हथियार नहीं बनाते और उन्हें बेचते नहीं, तो फ्रांस को कामगारों का क्या होगा ?" मैं नहीं जानता कि, हममें से कितनों को पता है कि फ्रांस विश्व का हथियार बनाने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व कुल हथियारों का 13% निर्माण और विक्रय फ्रांस द्वारा 26% सोवियत संघ द्वारा और 46% अमेमिका द्वारा होता है, हथियार उत्पादन करने वाला फ्रांस तीसरा बड़ा देश है। आपको पता है, मुझे क्या जवाब मिला—रोजगार के लिए जरूरी है कि हथियारों का निर्माण होता रहे.....

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : मेरा विचार है कि, यह बातों उन्होंने, आपसे निजी तौर पर कहीं होगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ऐसी चर्चा निजी तौर पर नहीं की गई। हम विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम उन क्षेत्रों के स्रोतों को जुटाने पर चर्चा कर रहे हैं जिनसे इस देश को कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला, जिनसे इस देश में परिसम्पत्तियां की वृद्धि नहीं होगी। फ्रांस को रोजगार की चिन्ता है और इसलिए वे अपने हथियार बेचना चाहते हैं। मैं अपने फ्रांसिसी सहयोगी को यह बताने वाला था। अगर आप आज इतने सनकी हो गए हैं, कि आप को अपने रोजगारों का बनाये रखने के लिए हथियारों का निर्माण तथा उन्हें हमें बेचना अत्याश्यक है और हमें बेचते तो आगामी समय में आपको ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी पड़ेगी कि उनके रोजगारों को बनाये रखने के लिए आपके हथियारों का भी प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए अपने देश में रोजगार बनाए रखने के लिए आपको विदेशों युद्धों को प्रोत्साहन देना है.....

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : इसलिए कल्याणकारी राज्य की बजाए वे इन्हें युद्ध स्थिति वाले राज्यों में बदलना ज्यादा पसन्द करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अपने बिल्कुल सही बात कही है।

सभापति महोदय : पर कृपया इन्हें दूर ही रखें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं इस बात को सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि यदि भारत की अन्तर्निहित शक्ति आधुनिकतम हथियार बनाने में समर्थ है तो मैं इस बात पर विवाद नहीं करूंगा। इसलिए मैं इस मुद्दों को आज माननीय रक्षा मन्त्री से जिनको इस बारे में पूरी जानकारी हैं, पूछना चाहूंगा। चूंकि वे यहां हैं, मैं यह मामला उठाना चाहूंगा।

सभापति महोदय : मुझे इस बात की जानकारी है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : भारत को हमारे पड़ोसी देशों और विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण है ? क्या गांधी जी के सपनों का भारत, सिर्फ भूत का एक स्वप्न मात्र है। क्या हमें अब गांधी जी और जो कुछ उनका उपदेश था, उस पर बातचीत नहीं करनी चाहिए ? क्या विदेश नीति और रक्षा नीति ऐसे स्थिति में पहुच गई हैं कि जहां हम सिर्फ यही वाद-विवाद कर सकते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हथियार और ज्यादा से ज्यादा आधुनिकतम हथियार प्राप्त करें। वर्तमान बजट

में कुल राशि का 18% परिव्यय केवल रक्षा पर किया गया है। श्रीमान्, मैं इस विषय को केवल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस विषय पर राष्ट्रीय चर्चा की जाए। कोई भी किसी की देशभक्ति पर सन्देह नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि बन्दूकें बनाने के लिए खर्च की गई धनराशि को, मिराज खरीदने के लिए खर्च की गई धनराशि को, उन क्षेत्रों में खर्च की गई धनराशि को जो कि उत्पादक नहीं बल्कि विध्वंसक है। किसानों के लिए सिंचाई, कृषि खादी और ग्रामीण उद्योग लघु उद्योग के लिए उपलब्ध कराया जाता है तो आप भारत की तस्वीर ही बदल सकते थे। यही गांधी जी का स्वप्न था.....

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : इनकी कथनी और करनी में अन्तर है। बड़ौदा डाइनामाइट केस को तो यह जानते ही हैं। कैसे ये अब गांधीवाद की बात कर सकते हैं? गांधी जी के बात करने का हक इनको क्या है? आइने में अपना चेहरा तो देख लें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अब, मगर स्थिति यह है तो.....

डॉ० कृपा सिन्धु भाई (सम्बलपुर) : श्रीमान्, माननीय सदस्य को कितना समय दिया गया है?

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : मुझे अपने कार्य का ज्ञान है मैं उन्हें याद दिला दूंगा। 54 मिनट का समय निश्चित किया गया है। सभापति की हैसियत से, मुझे कुछ विवेकाधिकार प्राप्त हैं। मुझे पता है कि मैंने कब उन्हें भाषण समाप्त करने के लिए निवेदन करना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्रीमन्, मुझे इस बात का अहसास है। इसलिए आज मैं इस मुद्दे को सिर्फ नियतन के लिए नहीं उठा रहा, बल्कि हम चाहते हैं कि इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर वाद-विवाद हो। हमारी विदेश नीति क्या होगी? हमारी रक्षा नीति क्या होगी, और हम क्या करने जा रहे हैं? क्या हम ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं या ऐसी स्थिति का शिकार बन रहे हैं कि जहां फ्रान्स हथियार उत्पादित कर सके, इससे उनके कारखाने चलते रहेंगे, उनका रोजगार चलता रहेगा, और हम उन हथियारों को लगातार खरीदते रहेंगे, जिससे कि फ्रान्स के कारखाने चलते रहें और फ्रांस के कामगार बेरोजगार न हो जाएं? यह सत्य सभी हथियार उत्पादक देशों पर लागू होता है।

इसलिए पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है, लेकिन क्या यह सम्भव है, यह अलग बात है। इसलिए मैंने राष्ट्रीय स्तर पर वाद-विवाद की बात कही थी। जहां मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जहां रोजगार के अच्छे अवसर थे, निवेश कम करने की बात कही है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैं समझता हूं कि आबंटन, इस्तेमाल, मूल अनुमान, संशोधित अनुमान और नये प्रस्तावों में लगातार वृद्धि हो रही है और वह पुलिस क्षेत्र। श्रीमन्, वर्तमान बजट में आबंटन इसी प्रकार हुआ है।

सभापति महोदय : कृपया, अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं अब भाषण समाप्त करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। 1981-82 के बजट में माननीय वित्त मन्त्री, जो कि अब माननीय रक्षा मन्त्री हैं, ने पुलिस के लिए 593 करोड़ रु० आबंटित किये थे। संशोधित बजट में इसे बढ़ाकर 667 करोड़ रु० कर

दिया गया है। लेकिन बाकी के प्रत्येक क्षेत्र में आबंटन में कमी आई है। छोटी सिंचाई में यह राशि 14 करोड़ रु० से घटकर 10 करोड़ रु० रह गई हैं, पशु पालन में यह 23 या 22 करोड़ रुपये है, मत्स्य पालन में 35 करोड़ से 28 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिए इसे 182 करोड़ रुपये से संशोधित करके 181 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ग्रामीण और लघु उद्योगों में यह राशि 157 करोड़ रुपये से घटाकर 155 करोड़ रुपये कर दी गई है। अब इसे 166 करोड़ रुपये कर दिया गया है। खादी और कुटीर उद्योग के क्षेत्र में यह 37 करोड़ रुपये से घटाकर 36 करोड़ रुपये, हथकरघा वस्त्र उद्योग में 92 करोड़ से घटाकर 57 करोड़, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 71 करोड़ रु० से घटाकर 58 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हर क्षेत्र में आबंटन में कमी की गई है पुलिस एक ऐसा क्षेत्र हैं, जहां मूल अनुमान 593 करोड़ रुपये का था जिसे संशोधित करके 607 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस वर्ष इसके लिए 667 करोड़ रुपये रखे गये हैं। हम जानते हैं कि किसके निदेश पर आपने इस वर्ष को उत्पादकता वर्ष घोषित किया है। मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री ने अपना भाषण उत्पादन वर्ष का उल्लेख करते हुए और सभी लोगों को यह अपील करते हुए समाप्त किया था कि उत्पादन वर्ष को प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सफल बनाया जाना चाहिए। वहां भी, उन्होंने कामगारों के बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया। उत्पादन, कैसे ? उत्पादन, धन कर, दानकर, पूंजी लाभ कर, पूंजी निवेश बाण्ड, पांच सितारा होटलों पर, रेफ्रिजरेटरों पर, वातानुकूलित यंत्रों पर, पानी के कूलरों पर छूट देकर प्राप्त करना है ? यह छूटें इस देश के अमीर लोगों को दी गई हैं। यह उनके लिए उत्पादन वर्ष है।

जहां तक कामगारों का प्रश्न है। अपनी मन्त्री परिषद् के परम माननीय सदस्य श्री सी० एम० स्टीफन ने सदन में जोरदार शब्दों में उनके बारे में कहा है। वह ठीक वहीं बैठे थे, जहां माननीय वित्त मन्त्री बैठे हैं, और बिना किसी शर्म के उन्होंने कहा था कि हम आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के अधिनियम के जरिये उत्पादन बढ़ायेंगे। उन्होंने यह बात कामगारों को, किसानों को, फैक्टरियों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कही थी कि वे, आवश्यक सेवाएं बनाये रखने वाले अधिनियम के जरिये उत्पादन बढ़ायेंगे। लेकिन पांच सितारा होटल, सुसंस्कृत सभ्य व्यक्तियों को आप यह सारी छूटें देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका बजट नीतिविहीन और दशाहीन है। रक्षा व्यय में वृद्धि की गई है। लेकिन वे इसको गुप्त रखे हुए हैं। पुलिस व्यय में बढ़ोत्तरी पर पूरी बहस होनी चाहिए। देश के गैर-विकास खर्च में कमी की ही जानी चाहिए। जो कुछ तीन वर्षों में हमने किया था। उस पर आपने दो वर्षों में पानी फेर दिया। इस तरीके से आपने बजट पेश किया है। वित्त मन्त्री के इस बजट में से बेरोजगारी और बढ़ेगी और आय में विषमताओं में वृद्धि होगी। आप देखेंगे कि अगले 12 महीनों में देश में क्या स्थिति उत्पन्न हो जायेगी उसका सही पूर्वानुमान आपने लगाया है। इसलिए आपने पुलिस के लिए आवंटित राशि को 593 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 667 करोड़ रुपये कर दिया है।

इसलिए, श्रीमन्, मुझे इस बजट के प्रस्तावों का विरुद्ध करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मुझे आशा है कि इस सदन में उठाये गये विभिन्न मुद्दों को ध्यान रखते हुए वित्त मन्त्री बजट में संशोधन करेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देंगे, जिसकी मुझे पूरी आशा है। इसलिए मैंने यह कह कर शुरू किया था कि उनको किसी बचाव की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने यह कहा कि बजट कम महत्वपूर्ण है मेरा मतलब उनका निरादर

करना नहीं था। पर साथ ही साथ, यह एक खतरनाक बजट है। इसका हर तरह से विरोध किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री बरोट।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : सभापति महोदय, श्रीमन्, मैं सम्मानित सदन में अपने पूर्व साथी, जोकि अब लोकदल पार्टी में हैं भाषण के बाद बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वह कभी समाजवादी भी थे।

मैं उनके भाषण और कुछ अन्य विरोधी सदस्यों के भाषणों के बारे में कहना चाहूंगा।

महोदय, बजट संबंधी मामला कामरेड मैत्रा द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की आम आलोचना से प्रारम्भ हुआ था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोस की आलोचना का जहां तक सम्बन्ध है, वह कामरेड मैत्रा से शुरू होकर माननीय इन्द्रजीत गुप्त पर समाप्त हुई है। इस सबसे जो कुछ मुझे पता लगता है वह यह है कि वे लोग यह महसूस करते हैं कि बजट न तो भारत सरकार द्वारा और न ही भारत के वित्त मंत्री द्वारा बनाया गया है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार किया गया हैं।

महोदय, हम सभी लोगों ने डानाक्वैकसौट और उसके साथी सांचो पांजा की कहानी पढ़ी होगी जिसमें वे दोनों ही एक प्रकार की भ्रांति एवं मनोग्रस्ति के शिकार थे। हम जानते हैं कि वे लोग कभी बाहर गए और उन्हें एक पवन चक्की मिली। जिसे उन्होंने एक राक्षस समझा और इसीलिए उससे झगड़ा कर बैठे। महोदय, विपक्ष के हमारे वे मित्र जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहे हैं, निश्चय भी मनोग्रस्ति के शिकार हैं इन्सान ने सभी बीमारियों का इलाज खोज लिया है लेकिन अभी तक भी बहम का कोई इलाज नहीं है जिससे हमारे विपक्ष के मित्र पीड़ित हैं।

महोदय, मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि दिनांक 12 मार्च के "टाइम्स आफ इण्डिया" के बजट अह० एम० एफ०" शीर्षक से छपे सम्पादनीय में से कुछ उल्लेख करना चाहूंगा। उसमें इस तरह लिखा हैं —

> "श्री प्रणव मुखर्जी के बजट की विपक्ष द्वारा की जाने वाली आलोचना में से एक आलोचना यह है कि बजट अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इशारे पर बनाया गया है। यह आलोचना सबसे विचित्र आलोचना है। यह जरूर सच है कि जनवरी में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुछ अधिकारीगण दिल्ली आए थे और इस समय भारतीय अधिकारियों का एक दल वाशिंगटन में है। परन्तु इससे यह अनुमान लगा लेना कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारियों ने बजट तैयार करने की प्रक्रिया में भाग लिया, एक दम बेहूदा बात है।"

महोदय, एक आरोप यह भी है कि हर चीज अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के कहने पर भी ली जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि हमारी योजनागत परियोजनायें भी उन्ही के द्वारा तैयार की जा रही हैं। मैं भी इन्द्रजीत गुप्त से यह अनुरोध करूंगा कि वह आर्थिक समीक्षा के उसी पृष्ठ संख्या 61 को पढ़ने का कष्ट करें जिहमें यह लिखा है—

"भारत सहायता सार्थ संघ (ऐड इंडिया कसोंथियन) की बैठक 9 और 10 जून 1981 को पेरिस में हुई थी। संघ के प्रतिनिधियों ने वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरोद्धार की सराहना की। खास तौर से इस वर्ष के दौरान उपलब्ध की गई कृषि सम्बन्धी सुधारों की काफी प्रशंसा की गई। छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और इसके ढांचे का पूरी तरह से समर्थन किया गया। इस बात को भी स्वीकार किया गया कि भारत का भुगतान संतुलन की स्थिति कुछ बाहरी कारणों की वजह से खराब हुई है और यही स्थिति अभी और चलेगी, परन्तु सदस्य देशों ने सहायता की गति बढ़ाने और इसके भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए भारत की वित्तीय आवश्यकता का अनुरोध किया।

सार्थ संघ द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था की यह प्रशंसा इस देश की कमजोरी मानी जा रही है परन्तु हमारे उन विपक्षी मित्रों के लिए यह कोई असामान्य बात नहीं है जो बहम की बीमारी के शिकार हैं।

महोदय, जैसा कि मैंने अभी-अभी बताया है कि फर्नान्डीस जो बहुत ही बड़े और प्रसिद्ध श्रमिक नेता है, ने इस बजट को एक घटनारहित (नान-इवेंट) बजट बताया है। उनका इस बजट को घटनारहित (नान-इवेंट) बजट बताना उचित ही है क्योंकि घटनायें तो केवल उसी वर्ष में हुई जिस वर्ष में वह सरकार में शामिल थे और उन्होंने बजट पेश किया था। मैं 1979 के उस घटनायुक्त बजट की एक घटना की याद दिलाना चाहता हूं। मैं सदन को केवल अपनी याद दाश्त के भरोसे ही उस बात को नहीं बताना चाहता बल्कि समाचार पत्रों में से कुछ उल्लेख करना चाहता हूं कि किस-किस प्रकार की बड़ी-बड़ी घटनायें हुई। 1978 में बजट प्रस्तुत किया गया था और उसके कुछ दिन बाद, दिल्ली की गृहणियों ने बजट के विरोध में एक रैली का आयोजन किया था और एक मजेदार बात ध्यान देने वाली यह भी है कि उसका नेतृत्व जिसने किया था। इसका नेतृत्व दो विख्यात महिला नेताओं ने किया था, मेरा ख्याल है कि इस रैली का उल्लेख करने के सन्दर्भ में प्रोफेसर दंडवते और श्री फर्नान्डीस मुझे अवश्य क्षमा करेंगे क्योंकि उस समय श्री फर्नान्डीस उद्योग मंत्री थे और प्रो० दण्डवते रेल मंत्री। श्रीमती दण्डवते और श्रीमती फर्नान्डीस ने उस बजट के विरोध में रैली आयोजित की थी। वह बजट उस सरकार द्वारा सदन में लाया गया था जिसके उसके आदरणीय मंत्री महोदय स्वयं मंत्री थे।

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारी मंत्रियां बधुआ मजदूर नहीं हैं।

श्री मगन भाई बारोट : मैं यह बताऊंगा कि यह बजट कितना घटनायुक्त बजट था।

सभापति (श्री हरिनाथ मिश्र) :अप्रत्यक्ष रूप से आप महिलाओं को दूसरी रैली निकालने के लिए उत्तेजित कर रहे है।

श्री मगन भाई बारोट : उन्हें उत्तेजित होने दीजिए। मैं इसमें यह उल्लेख करूंगा जिससे यह पता चलेगा कि सदन के समक्ष कैसा परिणामकारी बजट रखा गया था। इस शीर्षक महिलाओं द्वारा कर रियायत की मांग (वी मैन जोक टैक्स रिलीफ) के अन्तर्गत इस तरह कहा गया है—

"केन्द्रीय उद्योग मंत्री की पत्नी श्रीमती लैला फर्नान्डीस और केन्द्रीय रेल मंत्री की पत्नी श्रीमती प्रमिला दण्डवते के नेतृत्व वाले जलूस में प्रदर्शनकारियों ने इस प्रकार ने

वाले प्लेकार्ड ले रखे थे, "हमें चाकलेन नहीं सस्ती रोटी चाहिए" और "यह बजट बीमारी फैलाने वाला बजट है—साबुन और तेल पर से शुल्क हटाओ।"

इसलिए, उस रैली के नेताओं द्वारा बजट को बीमारी फैलाने वाला बजट बताया गया था। और श्री फर्नान्डीस कहते हैं कि केवल वही बजट घटनायुक्त बजट था। हम यह मानते हैं कि हमारे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट ऐसी प्रकार की बीमारी फैलाने वाला बजट नहीं हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि जो कुछ अच्छे काम हुए हैं वह केवल जनता शासन के दौरान ही हुए हैं। उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस का सारा पिछला शासन बहुत खराब था और आगे आने वाले कांग्रेसी शासन की सारी अवधि भी खराब की होगी; बस केवल जनता शासन का समय भी सबसे बढ़िया समय था। भारत के मतदाताओं ने 1980 में यह निर्णय दे दिया कि जिस समय को आप सबसे बड़िया समय समझते थे वह देश की आजादी के बाद का सबसे घटिया समय रहा है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : उन्होंने आंकड़े दिए हैं और आप कहानियां सुना रहे हैं।

श्री मगन भाई बारोट : महोदय, इस तरह टोकाठाकी में मेरा समय बरबाद मत करवाइये।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आंकड़ों का उत्तर आंकड़े से ही दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : हर व्यक्ति का बात कहने का अपना-अपना तरीका है।

श्री मगन भाई बारोट : भाई वह ऐसा चाहते हैं तो मैं यह भी बताऊंगा। श्री फर्नान्डीस को आर्थिक समीक्षा तथा कांग्रेस शासन और जनता शासन के तुलनात्मक इतिहास पर बातचीत करने दीजिए। मैं 1982-83 के बजट का उल्लेख करूंगा। वित्त मंत्री द्वारा लगाए गए करो की आलोचना की गई है। उन्होंने देश से 533 करोड़ रुपये करों के रूप में मांगा है। उन्होंने संसद् से इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया है। तुलना की दृष्टि से मैं पिछले आंकड़े बताता हूं। सौभाग्य से रक्षा मंत्री भी इस समय सदन में उपस्थिति हैं। वित्त मंत्री को 533 करोड़ रुपए की मांगे संसद् द्वारा पास करानी हैं। मैं तो उनके भाषण के केवल एक पैराग्राफ का ही उल्लेख करूंगा। माननीय मंत्री ने कहा है कि सुरक्षा पर होने वाले व्यय का अनुमान 4600 करोड़ रुपये है जिसे कुछ परिस्थितियांवश बढ़ाया जाना है और इसे बढ़ाकर 5100 करोड़ रुपये किया गया है। यह अन्तर ठीक 500 करोड़ रुपये का बैठता है। कल ही मैंने एक समाचार पढ़ा है, मेरा ख्याल है, कि यह वाशिंगटन को किसी स्थान से समाचार है। मैं 'सन्डे स्टेट्समैन' के केवल एक या दो पैरों का उल्लेख कर रहा हूं। हम, सभी को यह जानकारी है कि दुर्भाग्यवश हमारा एक पड़ोसी देश पाकिस्तान हथियार इकट्ठे कर रहा है।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : आप उनका नाम मत लीजिए, सभी को इस बात की जानकारी है।

श्री मगन भाई बारोट : मेरे उद्धरण में उसका नाम है। इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। हम जानते है कि इन हथियारों का उपयोग हमारे विरुद्ध ही किया जाएगा। यदि हमने

अनुभव से कुछ सीखा है तो यही सीखा है कि हम इसके बारे में निश्चिन्त नहीं रह सकते हैं। मैं कल के 'संडे स्टेट्समैन' से एक उद्धरण देता हूं। मैं उद्धृत करता हूं—

> "पाकिस्तान ने वर्ष 1972-73 में 405.5 मि० डालर अपने सैनिक व्यय के रूप में खर्च किए थे तथा पाकिस्तान ने वर्ष 1981-82 के अपने बजट में इस व्यय को बढ़ाकर 1,600 मि० डालर कर दिया। जिससे इस व्यय में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1600 मि० डालर रक्षा व्यय के आंकड़ों से भरी संसाधनों की सही तस्वीर का पता नहीं चलता जिससे सैनिक शक्ति को बढ़ाया गया है।"

आगे यह भी बताया गया है—

> "इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों ने यह सोचा था कि भारत उदासीन नहीं रह सकता तथा उन्होंने यह भी नोट किया कि पाकिस्तान के युद्ध न करने सम्बन्धी समझौते के प्रस्ताव को हथियार प्राप्त करने की अपनी विचारधारा एवं व्यवहार में विरोधाभास को देखते हुए 'सही नहीं समझा सकता।"

श्रमिक इससे प्रश्न उठता है। देश इस प्रकार की परिस्थितियों से घिरा हुआ है तथा इसके लिए इसकी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है इसीलिए केवल अकेली रक्षा के एकमात्र उद्देश्य के लिए ही वित्त मंत्री महोदय ने द्वारा इस सभा में और देश से 500 करोड़ रुपये मांग को है। क्या कोई देशभक्त भारतीय उठकर यह कहेंगा कि वह वित्त मंत्री से सहमत नहीं है। आपका क्या सुझाव है? इस सम्बन्ध में विपक्ष का क्या सुझाव हैं? इसका क्या उत्तर है? हमें अपने स्वामी से कहना चाहिए, यह सभा स्वामी है। इसके सम्बन्ध में हमें वित्त मंत्री से कहने का अधिकार है। लेकिन वित्त मंत्री से हमें यही नहीं कहना चाहिए कि हम आयको 500 करोड़ रुपये नहीं देंगे और हम अपने देश की रक्षा ईश्वर की इच्छा तथा विपक्ष की मधुर आकांक्षाओं पर छोड़ते हैं। श्रीमन यह स्पष्ट है कि विपक्ष राष्ट्र की मनःस्थिति को नहीं समझता। राष्ट्र को मजबूत बनाया जाना है। जैसी परिस्थितियों में देश हैं यदि इन परिस्थितियों के अन्तर्गत वित्त मंत्री ने 500 करोड़ रुपये मांगा है भारत को एक होकर एक टीम के रूप में खड़े होकर वित्त मंत्री तथा भारत सरकार का समर्थन करना चाहिए तथा 500 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि इसके लिए दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमन, आमतौर पर जो व्यक्ति लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, विपक्ष के अधिकारों की बात करते हैं और सत्तारूढ़ दल की आलोचना करते हैं तथा आदर्श के रूप में अंग्रेजी संसद् का उदाहरण प्रस्तुत करते है जहां हमेशा एक छाया मंत्रिमंडल होता है, जो बजट पर चर्चा के समय वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तथा यह सुझाव देता है कि सरकार की यह गलती है और सरकार को यह करना चाहिए। लेकिन अपने देश में विपक्ष ने कोई ठोस सुझाव नहीं दिए हैं। वास्तविकता यह है कि प्रो० मधु दण्डवते को छोड़कर जिन्होंने रेलवे की अनुदान की मांगों पर भाषण दिया था। विपक्ष की ओर से किसी सदस्य ने एक भी ठोस सुझाव नहीं दिया है। कोई सराहना नहीं की गई है और विपक्ष यह नहीं कह सकता है कि बजट में किस बात का औचित्य है और कौन सी बात ठीक है। उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई सुझाव देने के लिए परिश्रम नहीं किया है और बजट पर भाषण देने के लिए कोई पहले से तैयारी नहीं है। वे सभी अनुभवी

उन्होंने सरकार में काम भी किया है। उनमें से कुछ मंत्री भी थे, वे भूतपूर्व मंत्री भी है लेकिन आज कोई भी व्यक्ति कोई सुझाव देने की स्थिति में नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उस समय केवल एक ही विरोधी दल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब कितनी पार्टियां और ग्रप हैं ?

श्री मगन भाई बारोट : श्रीमन, मेरे मित्र श्री गधावी ठीक ही कह रहे हैं कि छाया मंत्रिमंडल के लिए सारे तत्व की आवश्यकता होती है लेकिन ऐसा यहां नहीं है। तब, श्रीमन, तथा आप माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा बजट में रखी गई कुछ अच्छी बातों को देखने के लिए विपक्ष से नहीं कह सकते कि वे उन अच्छी बातों की तो सराहना करें। मेरे बहुत से मित्रों ने बजट के कुछ ठोस पहलुओं पर बिचार किया है और कुछ बातें देखने से रह भी गयी हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर बजट की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

भुगतान-संतुलन के संकट को देखते हुए जिसका आज हम सामना कर रहे है, वित्त मंत्री ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों को सुविधाएं देने का एक प्रस्ताव पेश किया है। इस विषय पर.....

श्रीमान् मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुछ कहना चाहता हूं। जब से मुझे इस सदन में आने का सौभाग्य मिला है उसी दिन से विदेशों में स्थित भारतीयों से मेरा कुछ परिचय रहा है और मुझे उनकी बात को उठाने का मौका मिला है। पिछले वर्ष विदेशों में रहने वाले भारतीयों का एक सम्मेलन 14 जनवरी, 1981 को बम्बई में हुआ था और हमारी माननीय प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन करने की कृपा की थी जिसका सभापतित्व करने का मौका मुझे मिला था।

विदेश स्थित भारतीयों की मांगों को सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने 14 जनवरी, 1981 को सम्मेलन में यह कहा था—

> "भुगतान शेष के सम्बन्ध में जो अनुकूल स्थिति विदेश स्थित भारतीयों के कारण हुई है उसे सब जानते हैं। इससे पता लगता है विदेशों में बसे भारतीयों का हमारा प्रति कितना प्रेम है और ही कितने देशभक्त हैं और वे किस हद तक अपने सगे-सम्बन्धियों को याद रखते हैं और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी सहयोग मिलता है। विदेशों में बसे भारतीय राष्ट्रीयों की समस्याओं के प्रति मैं पूर्णतः सजग हूं और मैंने निश्चय किया है कि मैं इनमें से बहुत के साथ सम्बन्ध बनाये रखूंगी।"

सम्पन्नता का यह एक ऐसा स्रोत है जिसका लाभ अभी तक नहीं उठाया गया है।

आज, 2500 करोड़ रुपये की राशि विदेशों में रहने वाले हमारे भारतीय भाइयों से प्राप्त होती है। उस दिन जो मांग-पत्र प्रधान मंत्री को दिया गया था वह न्यासों, एच० यू० सभा और कम्पनियों को वे सुविधाएं देने के बारे में था जो अन्य व्यक्तियों को दी गई हैं और अब वित्त मंत्री महोदय ने ऐसा कर दिया है। उन्होंने कुछ और अधिक ब्याज-दर की मांग की थी, हमने उन्हें 2 प्रतिशत और दे दिया है। अब हमने उन्हें न केवल नए उद्योगों में बल्कि विद्यमान उद्योगों में

शेयर बाजार के माध्यम से पूंजी निवेश करने की अनुज्ञा दी है लेकिन इसमें भूमि तथा अन्य सम्पत्ति के लेन-देन शामिल नहीं हैं। उन्हें राष्ट्रीय बचतों में भी पूंजी लगाने की अनुज्ञा दी गई है। कोई विदेश स्थित भारतीय राष्ट्रीय बचत योजना में निवेश के लिए पूंजी भेज सकता है और उसके अदायगी के लिए परिपक्व हो जाने पर आयकर, धन कर या दान कर दिए बिना अपने किसी भी परिचित और सम्बन्धी को दे सकता है।

मुझे प्रशंसा तथा बधाई के पत्र प्राप्त हो रहे हैं और मैं उनकी इन भावनाओं को वित्त मंत्री के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं। वे महसूस करते हैं कि उनके लिए रास्ता खोल दिया गया है तथा यदि उन्हें उचित अवसर, उचित व्यवहार तथा उचित सुविधाएं दी जाएं तो हमें विश्व मुद्रा कोष से जो ऋण लेने की आवश्यकता होती है वह विदेश स्थित भारतीयों के धन के हमारे देश में आने से पूरी हो सकती है।

दि इकोनामिक टाइम्स के सर्वेक्षण में कहा गया है कि विदेश स्थित भारतीयों का लगभग 9 खरब से लेकर 115 खरब रुपये तक की राशि विदेशों में लगी हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि इसमें से केवल 10 प्रतिशत धनराशि को मातृभूमि की ओर आकर्षित किया जाए जिसके प्रति उनकी निष्ठा और प्रेम सुविदित है। मैं तो वित्त मंत्री महोदय से केवल इतना अनुरोध करूंगा कि जो कुछ उन्होंने किया है उसे और आगे बढ़ाते हुए वे इस योजना का प्रचार करें और लोगों को इसके बारे में बतायें, जैसा कि अन्य देशों ने किया है, और उस काम को सरकारी स्तर पर किए जाने के लिए न छोड़ दें। मैं तीन बातें कहना चाहूंगा। पहले, जिन देशों में भारतीय भली प्रकार बसे हुए हैं उनमें कृपा करके एक अन्य शक्ति प्राप्त शिष्टमण्डल भेजें और उनको बताएं कि नए कानून के अन्तर्गत उन्हें क्या-क्या लाभ दिए गए हैं। दूसरे, पूंजी निवेश और मार्गदर्शन के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के कार्यों का विकेन्द्रीकरण करके यह काम कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों को सौंपा जाए और वहां ऐसी व्यवस्था की जाए जिसे हम 'पोर्ट फौलियो मैनेजमेंट सैल' कहते हैं जहां उन लोगों को इस बारे में दिशा निर्देश मिल सके कि उनका धन कहां लग सकता है और धन को भारत में लाना कहां-कहां उनके हित में है। तीसरे, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि विदेश स्थित भारतीयों के सम्बन्ध में एक सैल बनाया जाए जिसमें तीन मंत्रालयों, तथा, वित्त, विदेश तथा गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हों ताकि विदेश स्थित किसी भारतीय को, जो अपना धन या कोई प्रौद्योगिकी भारत में लाना चाहता है या भारत से कोई वस्तु विदेश ले जाना चाहता है, को कोई समस्या हो तो उसे हल किया जाए और उसे आवश्यक सहायता मिल जाए। कृपया इन तीन सुझावों पर विचार करें ताकि हम विदेशी मुद्रा के संसाधनों की दीर्घकालीन मांग को पूरा कर सकें।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : क्या इन कार्यों की जिम्मेदारी उतारने के लिए आपने राजदूतावासों में प्रबन्ध नहीं कर सकते ?

श्री मगन भाई बरोट : ये मेरे विनम्र सुझाव हैं हमारे राजदूतावास जो कुछ भी कर सकते हैं यह उसके अलावा है।

अब मैं कुछ ऐसी बातों पर आता हूं जिन्हें, मैं आशा करता हूं, हमारे माननीय वित्त मंत्री, जिन्हें हम एक युवक और एक नए वित्त मंत्री के रूप में जानते हैं, जानना चाहेंगे। सभा राजस्व-

की स्वीकृति तो देती है परन्तु वह राजस्व राजकोष को नहीं मिलता। उन्हें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। श्रीमान् इनके पूर्ववर्ती ख्यातिलब्ध मंत्री महोदय भी यहां हैं और उनके सामने कुछ बातें याद करना सुविधाजनक होगा। 1980 के बाद कांग्रेस सरकार का पहला बजट 18 जून, 1980 को उन्होंने ही इस सभा में पेश किया था। उसमें आयकर अधिनियम की धारा 80-जे के सम्बन्ध में एक कानूनी उपबन्ध रखा गया था जिसका कारण यह था कि न्यायालय के आदेशाधीन धन की वापसी की अपेक्षाओं अथवा कर दाताओं से धन की वसूली न करने की अपेक्षाओं के कारण पिछले 7-8 वर्ष में काफी धनराशि अन्तर्ग्रस्त हो गई थी। तब एक कानूनी समस्या थी। इस कमी को पूरा करने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने धारा 80-जे में 1980 में एक संशोधन रखा था। श्रीमान् मैं कुछ कहूं इससे पहले मैंने वित्त मंत्री से प्रश्न किया था कि 80-जे धारा के अन्तर्गत देय राशि का कितना अनुमान है और तीन मदों में—आपका, खाद्य तेलों के सम्बन्ध में जिस पर उन्होंने शुल्क लगाया था और अखबारी कागज के सम्बन्ध में जिसे हमने पिछले वर्ष के बजट में पास किया था देय धनराशि का कितना अनुमान है। इन तीनों पर न्यायालयों ने रोकादेश लगाए हैं। अब स्थिति यह है कि 80-जे धारा का संशोधन 18 जून, 1980 को पेश किया गया था और मामला अभी उच्चतम न्यायालय में पड़ा हुआ है। 1982 में हमारा तीसरा बजट पेश हुआ है और अभी तक हमें यह मालूम नहीं हो सका कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार हमारा कानून सही है या गलत। पिछले वर्ष हम न्यूजप्रिंट शुल्क अधिनियम लाए तो तुरन्त एक रोकादेश ले लिया गया। माननीय वित्त मंत्री ने यथामूल्य शुल्क को विशिष्ट शुल्क में बदलने के कदम उठाए हैं। उन्होने 27 फरवरी को इस बात का प्रस्ताव किया था और क्या हुआ ? अभी सभा में इस पर चर्चा होनी है। मैं 7 मार्च के फाइनेंसियल एक्सप्रेस से एक कटिंग में से पढ़कर सुनाता हूं :—

> "28 फरवरी को सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने रोकादेश दे दिया, जिसमें आयातित अखबारी कागज पर शुल्क लगाने की व्यवस्था की गई है। जो अखबारी कागज के पत्तन पर बने मूल्य पर आधारित है।"

श्रीमान्, हम आज प्रस्ताव रखते हैं और दूसरे दिन ही करदाता न्यायालय में पहुंच जाता है और अगला बजट आने तक भी यह पता नहीं चलता कि वह कानून सही है या नहीं। हम इसे यूं ही वसूल नहीं कर सकते और हमें जनता तथा प्रेस की इस आलोचना का सामना करना पड़ता है कि सरकार ने कर लगा दिए हैं। वे यह महसूस नहीं करते कि प्रस्तावित धन राजकोष तक पहुंचा भी है या नहीं। श्रीमान् मैं सम्मानपूर्वक वित्त मंत्री के विचारार्थ एक बात पेश करता हूं बल्कि मन्त्रिमण्डल तथा सरकार से भी मेरी प्रार्थना है कि क्या ऐसा करना उचित है कि सरकार इस सभा में, इस संसद् में, जो कि देश के वित्तीय मामलों में उच्चतम संस्था है, कोई प्रस्ताव लाए और वह कानून बन जाए और उसके जरिए सरकार को राजस्व की वसूली करने का प्राधिकार मिल जाए और वह वसूली कभी भी न हो ?

श्रीमन् मेरा धन्धा वकालत का है, मैं अदालतों के माहौल में पला हूं और मैंने अदालतों से रोजी-रोटी पाई है अतः विधि न्यायालयों के प्रति सम्मान प्रकट करने के मामले में मैं किसी से पीछे नहीं हूं। परन्तु मुझे इजाजत दें कि भारत सरकार के स्थायी किसी परामर्शदाता के नाते मैं अपना कुछ अनुभव इसमें मिला दूं और वित्त मंत्री के लाभ के लिए मैं यह प्रश्न पूछता हूं। मैं

अपना प्रश्न पढ़कर सुनाऊंगा ताकि वित्त मंत्री महोदय इस मामले को उठा सकें क्योंकि यह कानूनी मामला है।

यह मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या 1133 है जिसका उत्तर 26 फरवरी को दिया गया था :—

"(क) गत दो वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 80-जे को दी गई अनिर्णीत कानूनी चुनौती तथा इस सम्बन्ध में न्यायालयों द्वारा जारी किए गए विभिन्न आंतरिक आदेशों के कारण कुल कितनी धनराशि की वसूली सम्भव नहीं हो पाई है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान गैर-सरकारी व्यापारियों को न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत जिस अखबारी कागज और खाद्य तेलों का आयात करने की अनुमति दी गई थी उस पर लगा आयात शुल्क कुल कितनी धनराशि का था जिसकी वैधता को न्यायालयों में चुनौती दी गई है।"

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : क्या यह मामला उच्चतम न्यायालय के सामने है ?

श्री मगन भाई बरोट : कुछ मामले उच्चतम न्यायालय के सामने हैं और कुछ उच्च न्यायालयों में हैं।

"गत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि के वसूल किए जाने का अनुमान था और वास्तव में कुल कितनी धनराशि की वसूली हुई ?

इसका उत्तर है :

"सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दी जाएगी।"

अधिकारी लोग यहां है। मैं जानता हूं कि वे कितने क्रियाशील हैं, उनकी कितनी क्षमता है और वे कितने सजग हैं। परन्तु मैं वित्त मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि वकालत में जैसा मेरा अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जब एक बार कोई शुल्क लगता है और कोई करदाता अदालत में जाकर रोकादेश प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद रोकादेशों की झड़ी लग जाती है। रोकादेशों को हटाया नहीं जाता, इसलिए नहीं कि उसके लिए कोशिश नहीं होती—मैं ऐसा नहीं कहता—बल्कि इसलिए कि विधि की व्यवस्था ऐसी है कि आप इस मामले में कुछ नहीं कर सकते।

सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं परन्तु मैंने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में वकालत करने वाले अपने मित्रों से आंकडे एकत्र करने की कोशिश की है। मैंने यह जानने की कोशिश की है कि पिछले दो वर्ष में करों के प्रस्ताव लाए गए, जिन पर इस सभा से स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राप्त हुआ और जिन्हें सरकार कानून की दृष्टि से वसूल कर सकती है परन्तु जिन्हें वसूल न करने योग्य बना दिया गया है, उनके सम्बन्ध में अन्य न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में जो मामले लम्बित हैं उनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है। पिछले दो वर्षों में जो अस्थायी रोकादेश आए हैं उन्हें देखते हुए यह राशि आज निश्चय ही 533 करोड़ रुपये से अधिक होगी।

वित्त मंत्री महोदय इस बात में बिल्कुल ठीक हैं कि वे लोगों से कहते हैं कि टैक्स दो। परन्तु यदि पिछले वर्ष की राशि बकाया हो तो कानूनी स्थिति ऐसी है कि सरकारी विभाग वसूली नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है। खाद्य तेलों के मामले में कुछ व्यापारियों ने अदालत में जाकर और उस समय तक मूल्य दुगने हो चुके थे। इसलिए हमने उस पर शुल्क लगाया। मेरी जानकारी के अनुसार किसी ने भी इसे अदा नहीं किया है। केवल खाद्य तेलों पर ही व्यापारियों की ओर बकाया शुल्क की राशि 100 करोड़ रुपये से कम नहीं है, जिसे हम वसूल करने में असमर्थ हैं।

मेरा यह कहना है कि हम जल्दी-जल्दी सुनवाई नहीं कर सकते। मैं सम्मानपूर्वक यह कहना चाहता हूं : कृपया हमें सर्वोच्च न्यायालय के पास जाने दीजिए अर्थात् धारा 143 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की ओर से सर्वोच्च न्यायालय को मामला भेजना—यदि बजटीय व्यवस्था करके कानूनी अस्तित्व को स्वीकार करती है, यदि संसद् द्वारा कर की अनुमति दी जाती है और इसे स्वीकार किया गया है, और बजट पास होने के पश्चात् हम पूरे वर्ष के लिए राजस्व की वसूली नहीं कर सकते तो कृपया हमें इस बारे में सलाह दें कि हम क्या करें।

मैं यह सुझाव देता हूं संविधान के अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को आन्तरिक आदेश देने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को आनुषंगिक अधिकार दिए गए हैं : तो मैं न्यायालयों के प्रति पूरे सम्मान के साथ कहता हूं कि किसी ऐसे संशोधन की आवश्यकता है जिससे कम से कम संसद् द्वारा पास किए गए कानूनों के अन्तर्गत उचित समय के भीतर करदाताओं से वसूलियां की जा सकें। बजाए इसके कि राज्य अपना राजस्व खोए कर दाताओं को अदायगी करनी चाहिए। और फिर राज्य पुनः अदायगी करेगा मेरा विश्वास है कि यह संशोधन सीमित प्रयोजन के लिए होगा अर्थात् यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसद् द्वारा पास किए गए कानून का उचित समय के भीतर पालन किया जाए। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि यदि वित्त मंत्री इसे संसद् के समक्ष लाते हैं तो सदन इससे सहमत होगा। मैं यह कहूंगा कि यह राजस्व संग्रह में रुकावट है और मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें। (व्यवधान) यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विपक्ष ने कोई ठोस सुझाव नहीं दिया है। मैं यह कहूंगा कि कुछ ऐसे उपाय हैं जिन पर वित्त मंत्री विचार कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय वे अकेले प्रभारी हैं; किन्तु मैं उनसे दिवेदन करूंगा कि वे कुछ लम्बित मामलों को भी देखें।

सड़कों पर, हमारे रास्ते में कई पैट्रोल पम्प आते हैं जिन पर हम बोर्ड देखते हैं जिन पर यह लिखा होता है 'तेल कीमती है; इसकी प्रत्येक बूंद बचाओ।' नेक काम की शुरूआत घर से होती। प्रसंगवश, एक प्रतिनिधि मण्डल मुझसे बंगलौर में मिलने आया यह तेल शोधक कारखानों के संघ का प्रतिनिधि मण्डल था। उनका यह कहना था कि प्रयोग किया हुआ तेल पुनः शोधित और साफ किया जा सकता है और अन्य खनिजों की ही भान्ति एक खनिज होने के कारण इसे शुद्ध करने के पश्चात् फिर से प्रयोग किया जा सकता है। एक समय भारत सरकार ने सुझाव दिया था कि केवल उन्हीं को इस तेल को पुनः शोधित करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिनके पास भारतीय मानक संस्था (आई० एस० आई०) का प्रमाण-पत्र है। सरकार इस तेल का लगभग दो तिहाई भाग प्रयोग करती है। यदि यह बेईमान लोगों के हाथों में चला जाता है जिनके पास

आई० एस० आई० का प्रमाण-पत्र नहीं है तो इसमें मिलावट की सम्भावना है। इन संघों का यह कहना है कि एक बैरल शुद्ध तेल के लिए 66 बैरल जूड की आवश्यकता पड़ती है, प्रयोग किए गए $2\frac{1}{2}$ बैरल तेल को इतने ही शुद्ध तेल में बदला जा सकता है। यह उनका अनुमान है, शायद अतिश्योक्तिपूर्ण ही, और 500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की भी बचत की जा सकती है। यह यह मामला पैट्रोलियम मंत्रालय के पास लम्बित पड़ा है। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें।

समापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : यह सुझाव हमारे वैज्ञानिकों का है।

श्री मगन भाई बरोट : मांग यह है कि यदि हम तेल के पुनः शोधन का कार्य केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रखें जिनके पास आई० एस० आई० का प्रमाण-पत्र है तो आप कुल इतना तेल साफ कर सकेंगे जिससे 500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी—यह उनका दावा है। मैं इसमें 50 प्रतिशत तक कमी करने के लिए तैयार हूँ। यदि हम 250 करोड़ रुपये की भी बचत करें तो वह हमारे भुगतान शेष की बचत न होकर 250 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह पैट्रोलियम मंत्री जिनके पास यह आवेदन लम्बित पड़ा है, के परामर्श से, इस मामले की जांच करेंगे तथा आवश्यक कार्यवाही करेंगे जिससे हम पैट्रोल पम्प पर लिखे 'तेल कीमती है इसकी प्रत्येक बूंद की रक्षा करें' को सार्थक कर सकें। यह बूंद का प्रश्न नहीं है, हम कई बैरल तेल की बचत कर सकते हैं। मैं इसे सरकार के समक्ष एक ठोस सुझाव के रूप में प्रस्तुत करता हूं।

विपक्ष की ओर से मेरे मित्र सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। ये वही मित्र हैं जिन्होंने बचत योजना की भी आलोचना की है। जिन मित्रों ने पिछली बार धारक बांडों की इसलिए आलोचना की थी कि इससे बेईमानी से कमाए गए धन को बढ़ावा मिलेगा, अब इसका विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान) वे स्थायी मित्र हैं। पिछली बार उन्होंने धारक बांडों का यह कह कर विरोध किया था कि इससे काले धन को बढ़ावा मिलेगा। इस बार हमने पूंजी बांड शुरू किए हैं जिसके लिए धन ईमानदारी पूर्वक स्रोतों से प्राप्त हो रहा है और उस धन का हिसाब किताब है, वे तब भी इसका विरोध कर रहे हैं। मेरा विचार है कि वे अपने विपक्ष नाम को सार्थक करने के लिए विरोध करते हैं। वे कुछ और कर भी नहीं सकते। ये पूंजी बांड और अल्प बचत प्रतिभूति स्कीमें वे हैं जिनसे लघु और बड़ी बचतों को बढ़ावा मिलता है; यह बचत, धन को समानान्तर अर्थव्यवस्था में जाने से रोकती है जिसके बारे में श्री जार्ज फर्नान्डीस इतने चिन्तित हैं।

धन के स्रोत जिस पर हम काबू नहीं कर पाए हैं वह है कृषि धन। मैं इस प्रकार से कृषि कर लगाने का सुझाव नहीं दे रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि कृषकों के पास धन है किन्तु वे इस धन को उद्योगों में लगाने से डरते हैं। क्योंकि वे सोचते हैं कि वे आयकर के जाल में फंस जाएंगे। हमें इसका मूल्यांकन करना चाहिए। नतीजा यह है कि हम इस पर बिल्कुल काबू नहीं पा सके है। इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए और इस प्रकार कुछ किया जा सकता है। मैंने माननीय वित्त मंत्री से एक अतारांकित प्रश्न पूछा है। मैंने यह प्रश्न पूछा है कि कम्पनियों की प्रतिभूतियों में धन का निवेश किस प्रकार किया जाता है अथवा हमें इससे कितना आयकर प्राप्त होता है। जवाब इस प्रकार है : पिछले दो वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं। वर्ष 1979-80 और

1980-81 के लिए यह क्रमशः 16.39 करोड़ और 16.18 करोड़ था मैं अतारांकित प्रश्न सख्या 3086 से उद्धृत कर रहा हूं।

1981-82 के लिए प्रतिभूतियों पर कर के रूप में संग्रहीत कर का अनुमान 17.90 करोड़ रुपये है।

अर्थात् लगभग 18 करोड़ रुपये। मैं सविनय निवेदन करता हूं कि यदि आप कृषि की तमाम आय को उद्योग अथवा अन्य किसी प्राथमिकता क्षेत्र में लगाना चाहते हैं तो हमें यह जोखिम उठाना पड़ेगा और इसे आयकर प्रतिभूतियों के रूप में जाने दें और 18 करोड़ रुपये के नुकसान से क्या फर्क पड़ता है, हम कृषि क्षेत्र से सैकड़ों करोड़ रुपये पा सकेंगे। एक बार यदि हम कह दें कि आप उद्योग अथवा किसी भी प्राथमिकता क्षेत्र में निवेश कीजिए, और हम आयकर में छूट देते हैं। अर्थात् प्रतिभूतियों से होने वाली आय जिस पर आयकर नहीं लगेगा, तो कृषि आय और अन्य आयों के बीच भेदभाव का प्रश्न उठेगा। इसलिए मैं कहता हूं यदि हम जोखिम लें और कृषि पर होने वाली आय के 18 करोड़ रुपये जाने दें और इसे उद्योग में लगा दें तो हम इन्हें उद्योगों में लगा सकते हैं। यही एक आसान सा तरीका है जिससे हम आरंभ कर सकते हैं अर्थात् उनके आयकर के जाल में फंसने के डर को उनके मन से निकाल कर उनकी कृषि आय का भी लाभ उठा सकते हैं। मेरा विश्वास है कि यह ठोस सुझाव है और वित्त मंत्री रचनात्मक सुझावों की भावना के साथ ही ग्रहण करेंगे।

अन्त में एक दो वायदे हैं जो उन्हें पूरे करने चाहिएं थे क्योंकि बजट एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मेरे मित्र पूछते हैं "तुमने क्या दिया है?" वे भूल जाते हैं कि 1980 में उनके बजट के तुरन्त बाद 18 जून, 1980 का बजट आया। उनकी आशाओं के विपरीत, क्योंकि हरेक को विश्वास था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी संसद् का स्थान जीत कर विधान सभाओं के चुनाव जीत कर भारी कर लगाएंगी, मेरे 1980 के वरिष्ठ वित्त मंत्री, जो यहां उपस्थित हैं, ने कर लगाने के बजाए रियायतें देकर विपक्ष को हैरान किया और राष्ट्र को प्रसन्न कर दिया।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : वसूलियां पहले ही कर ली गई थीं।

श्री मगन भाई बरोट : गृहणियों की रैली के विपरीत एक व्यंग चित्र आया जिसमें एक गृहणी तत्कालीन वित्त मंत्री का चुम्बन लेती दिखाई गई थी (व्यवधान) इसलिए दी गई रियायतें (व्यवधान) हमने लोगों को रियायतें दीं।

एक माननीय सदस्य : आप कैसे जानते हैं कि यह सुखद था ?

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : वह ऐसा घर की याद में कह रहे हैं।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : आपको इसे मजाक में लेना चाहिए।

श्री मगन भाई बरोट : कामरेड मैत्रा किसी को भी याद नहीं रखते हैं।

उस वर्ष आयकर में छूट दी गई। इसकी सीमा 8,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई। अब आय 2750 रुपये प्रतिमास पाने वाले किसी भी वेतनभोगी व्यक्ति को लें, वह आयकर की

सीमा से बाहर है बशर्ते वह बीमा, यूनिट ट्रस्ट, मानक कटौतियों आदि में निवेश करे। यह देश के लिए कुछ हो सकता है किन्तु उनको इसमें कुछ नजर नहीं आता।

मै तो केवल यही कह सकता हूं कि हम नौ ग्रहों के संयोग से बच निकले हैं ; जो नाश के भविष्य वक्ता थे उन्होंने सोचा संसार का अन्त आ रहा है। इसका विपक्ष के लिए अन्त हो रहा होगा, राष्ट्र के लिए वह दिन बीत गया है। राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है राष्ट्र, प्रधान मंत्री के नेतृत्व में प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। धन्यवाद।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सभापति महोदय, इस समय सदन 27 फरवरी, 1982 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए केन्द्रीय बजट पर बहस कर रहा है। इससे पहले, सदन के दोनों पक्षों के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया। उनमें से बहुत से सदस्यों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र और राज्यों से सम्बन्धी शिकायतों को सामने रखा है कुछ सदस्यों ने अर्थव्यवस्था सम्बन्धी आम समस्याओं पर प्रकाश डाला है।

इससे पहले कि मैं अपने से पहले वक्ता, श्री मगन भाई बरोट द्वारा इस बजट पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रभाव के सम्बन्ध में फिर से उठाए गए विवाद का उल्लेख करूं, मैं सदन में बजट बनाने, पेश करने और उस पर चर्चा करने के सम्बन्ध में कुछ आम टिप्पणियां करना चाहूंगा।

यह कोई नई बात नहीं है कि यह बजट एक नौजवान वित्त मंत्री, श्री प्रणव कुमार मुखर्जी द्वारा पेश किया गया है। केन्द्र सरकार का यह 62वां बजट है। पहला बजट 1 मार्च, 1921 को पेश किया गया था जो कि केवल 129.5 करोड़ रुपये का था।

आजादी के बाद, सरकार के कार्य की मात्रा और क्षेत्र में इतना विस्तार हुआ है कि 1947 से अनुपूरक मांगें या अतिरिक्त मांगें भारत सरकार के प्रारम्भिक बजट की तुलना में बहुत ज्यादा होती हैं परन्तु सरकारी वित्त पर विधानमण्डलों का जो नियंत्रण और संतुलन या संवीक्षा या नियंत्रण 1947 से पूर्व या 1952 तक था; वह नियंत्रण अब नहीं है।

प्रथम, मैं इस बात पर कड़ी आपत्ति करता हूं क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत उस समय चल रही सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह आने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय का एक अनुमानित लेखा उसी दिन पेश करे। यह अनिवार्य आवश्यकता है। परन्तु मैं गत दो तीन वर्षों विशेषकर 1980 के बाद से देख रहा हूं, कि बजट की गरिमा का पालन नहीं किया गया है। केवल एक-आध क्षेत्र में बजट की गरिमा का पालन किया जा रहा है जैसे, बजट 28 फरवरी सायं 5 बजे पेश किया जाता है, यदि उस दिन रविवार है, तो 27 फरवरी को पेश किया जाता है परन्तु इसे 1 मार्च को पेश नहीं किया जा सकता। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि गत दो वर्षों के दौरान, बजट के साथ जुड़ी हुई गरिमा को वर्ष भर थोड़ी-थोड़ी देर बाद लेवी और शुल्क लगाकर निष्प्रभावी और कलुषित किया गया। यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो 2½ वर्षों के दौरान, बजट के क्षेत्र से बाहर अतिरिक्त बजट सम्बन्धी लेवियों के रूप में उपभोक्ता पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये लगाए गए हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है और मैं इस पर कड़ी आपत्ति करता हूं।

इतना ही नहीं। हम इस बात को भली-भांति जानते हैं कि सरकारी खर्च और इस बजट पर संसद् का कितना नियंत्रण है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि सरकारी व्यय पर संसद् का वित्तीय नियंत्रण बहुत कम होता जा रहा है। मैंने इस बात को पहले भी कहा है। और संक्षेप में मैं इस बात पर दुबारा बल देना चाहता हूं कि संसद् के प्रति वित्तीय जवाबदेही में कमी होना बहुत ही गम्भीर मामला है। इसके सिवाए कि हम 16 घण्टे की आम बहस करते हैं, विनियोग विधेयक पर एक घण्टा और वित्त विधेयक पर 15 घण्टे की चर्चा करेंगे और बाकी सारा कार्य पहले से सम्पन्न मान लिया जाता है। सदन को योजना आबंटन, योजना आबंटन में परिवर्तन या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, उनकी लाभदेयता, उनके लाभ या सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान, कृषि सम्बन्धी या ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्यों से कुछ लेना-देना नहीं है। इस अवस्था में बिल्कुल कुछ नहीं किया जा सकता और संसद् को पहले से सम्पन्न कार्य की स्थिति का सामना करना होता है। मैं भूतपूर्व वित्त मंत्री द्वारा गत वर्ष संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो की संगोष्ठी में की गई टिप्पणियों से सहमत हूं जिसमें उन्होंने इन सब बातों की समीक्षा के लिए एक स्थायी वित्तीय समिति की सिफारिश की थी। यह पद्धति ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा में शुरू की गई है। इस देश में, जब तक हम प्रत्येक विभाग के लिए और सरकारी उपक्रमों के लिए भी स्थायी समितियां नहीं बनाते, केवल चर्चा करने से, कुछ आरोप और प्रत्यारोप लगाने से कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकलेंगे। इसलिए, मैं इस बात की पुरजोर सिफारिश करूंगा कि सरकार इस प्रश्न पर विचार करे और भूतपूर्व वित्त मंत्री सरकार को, अपनी निजी मान्यताओं के अनुसार, रजामंद करे कि इन बातों पर नियंत्रण रखने के लिए और अधिक सांविधिक स्थायी समितियां होनी चाहिएं।

बजट बनाने की प्रक्रिया, हमारे उद्देश्यों और हमारी राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। परन्तु, मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि यह केवल एक ही व्यक्ति का कार्य होता है, जो एक ही व्यक्ति के पूर्वाग्रहों पर आधारित होता है। मैं शुरू से ही इसके खिलाफ, और मैं अब भी इसका विरोध करता हूं। संसद् को किसी भी समय प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता।

हम छठी योजना के बारे में बात कर रहे हैं। यह छठी योजना, जो इस बजट का आधार है, और जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी गई सहायता के आधार पर है, क्या इस सदन में इस विषय पर कभी चर्चा हुई है ? हम किसी भी प्रकार से इससे सम्बद्ध नहीं हैं। सरकार प्रतिपक्ष से सहयोग की बात करती है, परन्तु हमने सभा में छठी योजना के दस्तावेज पर कभी भी चर्चा नहीं की और न ही इसे कभी संसद् का अनुमोदन मिला।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : मैंने यह सवाल उठाया था।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं आपकी बात से सहमत हूं। सभी बुद्धिमान व्यक्ति एक जैसा सोचते हैं।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि, यद्यपि छठी योजना का यह तीसरा वर्ष चल रहा है, तथापि अब तक उस दस्तावेज पर सदन में चर्चा नहीं हुई। सदन ने इस दस्तावेज को अनुमोदित नहीं किया है, यद्यपि यह दस्तावेज सभी क्षेत्रों का आधार है।

ऋणों के सम्बन्ध में, संसद् को कभी भी विश्वास में नहीं लिया गया। आप जितनी रकम चाहें उधार ले सकते हैं। हमारे आंतरिक ऋणों में गत 10 वर्षों के दौरान 23 गुणा अर्थात्

2300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं उन सभी आंकड़ों का अध्ययन करना नहीं चाहता। मैं सम्बद्ध मंत्री महोदय को आंकड़ों के बारे में सन्तुष्ट कर सकता हूं। सम्पूर्ण प्रश्न यह है : यह स्थिति हमें किस दिशा में ले जाएगी ? यदि कार्यपालिका पर संसद् का नियंत्रण कम हो जाता है, तब, मैं खेद के साथ कहता हूं कि हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकेंगे और इस संसद् की वही स्थिति होगी।

राजस्व स्रोत के तरीकों और व्यय के साधनों की पूरी तरह से और समग्र रूप से जांच होनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं किया गया। इस सदन में आम बहस में यह जांच नहीं की जा सकती, यह जांच केवल समितियों में की जा सकती है जहां सदस्य निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। सदन में उनको बजट का पक्ष लेना पड़ता है। यद्यपि वे इस बजट की आलोचना कर रहे हों लेकिन यह आलोचना सुझावों के रूप में होगी। मैंने श्री राजीव गांधी के भाषण को सुना। चाहे उन्होंने रचनात्मक आलोचना की, परन्तु इन्होंने यह आलोचना सुझावों के रूप में की। परन्तु हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम प्रतिपक्ष वाले सरकार की गलतियां बताते हैं। हमारा कार्य लेखा-परीक्षक के कार्य जैसा है। हमारा कार्य बजट की प्रशंसा करना और यह कहना नहीं है कि सब ठीक-ठाक है। समीक्षा करने का हमारा तरीका बिल्कुल ही भिन्न है।

जब हमें ऐसी स्थिति का सामना करना होता है कि समय की कमी है, तो हम भोजनकाल को भी समाप्त कर देते हैं। क्यों ? क्या हम लम्बी बहस नहीं कर सकते ? आप अनन्तिम का संग्रहण अधिनियम के उपबन्धों में संशोधन क्यों नहीं करते और 75 दिनों की बजाए, 90 दिनों की व्यवस्था क्यों नहीं करते ? हम इसी समय में काम चला रहे हैं। मैंने यह सुझाव कार्य मंत्रणा समिति में भी दिया था। अब हम आमतौर पर ऐसा करते हैं, हम भोजनकाल को भी समाप्त कर देते हैं, हम सारा कार्य जल्दी से करते हैं, उसका परिणाम यह होता है कि कुछ मांगों पर कभी भी चर्चा नहीं हो पाती, उनका गिलोटीन कर दिया जाता है। कुछ विभागों के कार्य पर कभी भी चर्चा नहीं हुई, जो बहुत ही चिन्तनीय स्थिति है।

ऋणों का ही मामला लीजिए। सरकार कितना भी ऋण ले सकती है। सदन को विश्वास में बिल्कुल नहीं लिया जाता और इस मामले पर सदन में भी कभी चर्चा नहीं हुई। आखिरकार, हमें कुछ सीमाएं निश्चित करनी हैं। उदाहरणस्वरूप, आपने हमारे देश को हमारी भावी पीढ़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास बन्धक बना दिया है। आपका कोई और दृष्टिकोण है हमारा कुछ और है। परन्तु इन-पर विरोध पक्ष के साथ कभी बातचीत नहीं की गई। प्रतिपक्ष को कभी विश्वास में नहीं लिया गया। वित्त मंत्री उद्योगपतियों से मिलते हैं वे उद्योग और वाणिज्य मण्डलों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि उन्होंने प्रतिपक्ष के किसी सदस्य को बातचीत के लिए कभी आमंत्रित नहीं किया, कि आबंटन के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र, कर ढांचा, राष्ट्रीयकरण, सरलीकरण, स्रोत बढ़ाने इत्यादि के सम्बन्ध में उनके क्या सुझाव हैं ?

वे हमें कभी विश्वास में नहीं लेते। वे केवल सहयोग चाहते हैं। जब राष्ट्र के हित का मामला होता है तो हम निश्चय ही सहयोग देते हैं। युद्ध के मामले में हम आपको सहयोग देते हैं, जब राष्ट्र पर विपत्ति आती है, हम आपको सहयोग देते हैं। परन्तु, यह सहयोग एक तरफ नहीं हो सकता। आखिरकार, सरकार हमसे सहयोग नहीं करती, सरकार हमारा सहयोग नहीं

चाहती। वे हमारा सहयोग भी चाहती हैं, और इसके साथ-साथ, वे निन्दा भी करते हैं। इन दृष्टिकोण से कोई लाभ नहीं होता।

जहां तक इस संसद् का सम्बन्ध है, बजट के सम्बन्ध में मैं वार्षिक आवंटनों का जिक्र करूंगा, जिनके बारे में श्री जार्ज फर्नान्डीस ने और अन्य सदस्यों ने भी शिकायत की थी। मैं विशेष उदाहरणों का उल्लेख करना नहीं चाहता, परन्तु विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए आवंटनों में कमी की गई है, उदाहरण के तौर पर, ग्रामीण क्षेत्र में।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए राशि आवंटन में 62 प्रतिशत कटौती हुई है, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए राशि आवंटन में 3.2 प्रतिशत, मैं ब्यौरों में नहीं जाना चाहता लेकिन इन सब मामलों पर दलगत भावना से ऊपर उठकर बैठक में चर्चा की जा सकती है।

यही स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में और कजर्ट जैसे अन्य मुख्य निर्णयों के बारे में है। उदाहरणार्थ, अपने होटल कर अधिनियम निरस्त कर दिया है। किसं प्राधिकार और किसके परामर्श से? भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री वेंकटरामन महोदय ने पिछले वर्ष होटल कर अधिनियम लागू किया था इस सरकार का नीति क्या है? मैं आर० वेंकटरामन महोदय बनाम प्रणव कुमार मुखर्जी महोदय के दो या तीनो उदाहरण दूंगा। नीति का आधार क्या है? श्री वेंकटरामन महोदय, मेरे पास एक बहुत बड़ी समाचार की करतन है। इसमें फोटों के साथ शीर्षक है। इसने क्या कहा गया गया है? शीर्षक है "कृषि आय पर कर लगाने की सम्भावना।" और मैंने उनका 1977-78 का भाषण भी पढ़ा है जिसमें उन्होने कहा है कि "15 प्रतिशत लोगों का 60 प्रतिशत भूमि पर कब्जा है, इसलिए उन्होंने कृषि आय पर कर के रूप में उगाही को उचित बताया। पिछले वर्ष ऐसा नहीं किया गया। यह तो उनकी नीति थी। वह 1977 से लगातार अपने इस मत पर दृढ़ रहे। वह जनता पार्टी के सत्ता में होने पर इस बात की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने स्वयं वित्त मंत्री होने पर इसका संकेत किया था। लेकिन अब प्रणव मुखर्जी महोदय ने बागानों पर से धन-कर उठा लिया है। मुझे उनसे इस पर विवाद नहीं करना है। लेकिन यह नीति कैसी है? क्या मन्त्रों के बदलने से नीति भी बदल जाती है? हुआ क्या? उन्होंने पिछले वर्ष कर लागू किया और बड़ी-बड़ी बातें कहीं आलीशान होटल हैं—जो इन आलीशान होटलों में ठहरने का 1000 रु० देते है और वहां अनाप-शनाप खर्च होता है अतः सरकार को इसका कुछ अंश मिलना चाहिए। उस नीति का क्या हुआ? आपने होटल कर उठा लिया, होटल कर-विधेयक सदन ने प्रगति किया था। इसे सरकार ने लागू करना था और इसे सरकार द्वारा लागू भी किया जाना था। इसलिए किस आधार या प्राधिकार से संशोधन के रूप में सदन के समक्ष लाए बिना वर्तमान वित्त मंत्री इसका प्रवर्तन समाप्त किया? इस विधेयक का प्रवर्तन रोक दिया गया है। अब मैं इस बारे पूछना चाहता हूं, कि बागानों के मामले में धन-कर हटा दिया गया है, मैं इस समय इसकी पैरवी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक ही दल के दो वित्त मंत्रियों की उद्घोषित व प्रतिपादित नीति की तुलना कर रहा हूं। इस सदन में पिछले वर्ष वेंकटरामन महोदय ने घोषणा की थी कि जहां मूल्य बढ़ रहे हैं वहां सहकारी पलैट प्राप्त करने के लिए विधेयक पारित किया जाना चाहिए, वह विधेयक पिछले वर्ष पारित कर दिया गया और उस समय आप अध्यक्ष के स्थान पर थे, वह आय कर (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया गया, उसका क्या हुआ? इस

पर अब तक अधिसूचना जारी नहीं की गई और विधेयक लागू नहीं हो सका तथा बम्बई में एक भी सम्पति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। मूल्य 1000 रु० प्रति वर्ग मीटर से बढ़कर 10,000 रु० वर्ग मीटर हो चुके हैं। 10 लाख रु० की लागत वाला फ्लैट 40 लाख रु० में बेचा जा रहा है। तो फिर नीति क्या रही ? श्री रंगा···मैं तो इस सरकार से पूछता हूं, जो गरीबों की पैरवी करती है, मैं इस समय इस बात की पैरवी नहीं कर रहा हूं कि धन-कर लगाया जाए या नहीं पर कर्नाटक चाटें में ये 10 अग्रणी धन-कर निर्धारिती है। यह सरकारी दस्तावेज है जिसका अब मैं जिक्र कर रहा हूं। आपने ऐसे लोगों के लिए धन-कर समाप्त किया है और क्या यही वे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं ? आपने कितनी छूट दे रखी है और उनका निवल धन-कर क्या है। उनका कुल धन इस प्रकार है - मैं कर्नाक और गोआ के आय-कर के पृष्ट 21 में से निम्नलिखित उद्धत कर रहा हूं—

निर्धारिती का नाम	कुल धन (रुपयों में)
1. श्री एन० के० गनपैया	41, 49, 300
2. श्रीमती यू० के० पुट्टया	34, 69, 500

इसी तरह जहां तक उनकी कृषि आय या धन का सम्बन्ध है, दस अग्रणी कृषि धन-कर निर्धारिती के पास 22 लाख रु० से अधिक धन है। आपने धन-कर समाप्त कर दिया है। क्यों ?

अध्यक्ष महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : 22 लाख रुपये ?

श्री सतीश अग्रवाल : 22 लाख रुपये से भी अधिक, एक के पास तो 41 लाख रु० है। क्यों ? क्योंकि कॉफी क्षेत्र, रबड़ चाय और इलायची क्षेत्रधारी दक्षिण में—आन्ध्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के एक भाग में है। आन्ध्र, कर्नाटक और केरल में शीघ्र चुनाव होने वाले हैं और आप चाहते है कि ये लोग आपका बचाव करे इसीलिए बागानों पर धन-कर की समाप्ति किसी आर्थिक उद्देश्य पर आधारित नहीं है। आप सदन को यह कहकर धोखा दे रहे हैं कि उगाही के माल एक करोड़ होने के कारण आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। यदि इसके पीछे आज वित्त मंत्री की यही नीति काम कर रही है तो पिछले वित्त यंत्री की स्थिति भी यही रही होगी क्योंकि योग्यता में वह वर्तमान वित्त मंत्री से कुछ काम नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

पर इस तरह की कोई नीति नहीं है। इसी कारण मैं सदन से निवेदन कर रहा हूं कि केन्द्र और राज्य से मिले विनत सबकों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय नीति के मूल आर्थिक लक्ष्य के सम्बन्ध में आवतियों व व्यय के सैकड़ों शीर्षों में प्रत्येक का मदवार विश्लेषण होना चाहिए। अगर हमने ऐसा न किया तो हमारी स्थिति कुछ भी न रहेगी।

संक्षेप में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आप कर लगा रहे हैं। श्री मगन भाई बारोट ने श्री वेंकटरामन की इसलिए प्रशंसा की कि उन्होंने विदेश में लाखों कर निर्धारितियों को 146 करोड़ रुपये की छूट दे दी। वर्तमान वित्त मंत्री ने यही किया—कि अतिरिक्त कर से अप्रत्यक्ष करों और आयकर में वृद्धि कर ही पर कितनी ? दो करोड़ रुपये। उन्होंने स्लैब

60,000 रु० से 70,000 और 85,000 से एक लाख कर दिया। ऐसा किस लिए ? मात्र 2 करोड़ रुपये के लिए उन्होंने यह सब किया। मेरा नम्र निवेदन यह है कि सरकार को इस सम्बन्ध में किसी निश्चित नीति का आश्रय लेना चाहिए। यह हम विश्व मुद्राकोष की चर्चा कर रहे हैं। श्री मगन भाई बारोट ने विवाद को आज फिर से उठा दिया है।

जहां तक अन्य मुद्दों का सम्बन्ध है मैं अपने इन सहयोगियों का समर्थन करता हूँ; जिन्होंने अर्थपूर्ण वक्तव्य दिए श्री रवीन्द्र वर्मा और आज श्री जार्ज फर्नान्डीस और पहले श्री सुनील मैत्री एक दिन पहले श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा। मैं उन तथ्यों और आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आप इसमें शर्म क्यों मसूस करते जब हम यह कहते हैं कि इस बजट में विश्व मुद्राकोष की मुहर है ? वस्तुतः विपक्ष से ऐसा प्रमाण-पत्र मिलना बहुत कठिन है। अब यदि आपने हमसे यह प्रमाण-पत्र पा ही लिया है तो आपके लिए विश्व मुद्राकोष अधिकारियों के पास जाना और उन्हें समझाना आसान हो गया है। आप उनसे कह सकते है कि "देखिए, समूचा विपक्ष कह रहा है कि इस बजट पर विश्व मुद्राकोष की मुहर है।" आपको और क्या चाहिए? वे संतुष्ट हो जायेंगे। वे आपसे और प्रश्न ही नहीं करेंगे। आपका कहना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको इससे अधिक सहयोग क्या चाहिए ? हमारी आलोचना ही आपकी मदद करेगी। विश्व मुद्राकोष अधिकारियों से यह कहना बहुत सासान रहेगा।

श्री आर० वेंकटरामन : हम इस तरह के बाहरी तर्क नहीं सुनना चाहते। हम सच्चाई चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : इसे सिद्ध कौन करेगा ? या तो हम यह कहें कि देश को इसे स्वीकार करना चाहिए या जो कुछ इसके विद्वानों ने कहा है उसे स्वीकार करना चाहिए। श्री रीगन क्या कहते हैं ? बजट पर उनकी राय क्या है ? इस वर्ष की आपकी नीति क्या कहती है। मैं वास्तव में वर्तमान वित्त मंत्री की स्थिति समझा हूँ और उन पर मुझे दया आती है। मैं आने वाले वित्त मंत्रियों पर भी ऐसा ही दया भाव रखूंगा क्योंकि (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : स्वयं पर भी

श्री सतीश अग्रवाल : क्योंकि अब वेंकटरामन महोदय, आपने सारी बातें एक दूसरे से मिला दी हैं। सारे मामले की एक-एक कड़ी सी जुड़ गई है। यह परोक्ष नियन्त्रण है। आने वाले किसी भी वित्त मन्त्री के पास इन लीकों पर चलने के अलावा कोई चारा नही है यह एक तरह का जाल है यह ब्रांड गेज या मीटर गेज की तरह है, अगर आप मीटर गेज में हैं तो आपको मीटर गेज पर ही चलना पड़ेगा, यह नैरो गेज है, नैरो गेज में आपको चलना हैं। आपको इसी नैरो गेज में 1982-83, 1983-84 और 1984-85 और यहां तक कि इससे आगे भी चलना पड़ेगा, और जैसा कि आप इससे संतुष्ट नहीं है आप इन सब जानकारियों को छिपा रहे हैं। मुझे विस्तार में बताने का समय नहीं है। परन्तु जहां तक आपने विश्व मुद्राकोष प्राधिकारियों का सम्बन्ध है आपने गलत जानकारी दी है। आपने उन्हें जानकारी दी है। मेरे पास वे कागजात हैं, इसमें विश्व मुद्राकोष व कर्मचारी वर्ग द्वारा किया गया मूल्यांकन भी है। आपने जो जानकारी उन्हें दी है उससे सदा को अवगत कराया है, मैं इस पर उपयुक्त समय पर व्यक्त करूंगा।

मेरे मित्र श्री मगन भाई बारोट कुछ कह रहे थे, बात वह कही है जो वे कह रहे थे। बात वह नहीं है जो आप कहते हैं। बात यह है कि ऋणदाता क्या महसूस करते हैं। उनका मूल्यांकन

क्या है? वे इन रियायतों के बारे में क्या कहते हैं—चाहें आय कर हो या पूंजी निवेश के मामले हों या आपकी सामाजिक सुरक्षा योजना या उत्पाद कर छूट हो इत्यादि। उनका मूल्यांकन क्या हैं? अब उन्हे अपना अधिपत्य जमाकर प्रसन्न होना चाहिए और हमने आपका काम हल्का कर दिया है।

यह राष्ट्रपति निक्सन से प्राप्त संदेश है।

महोदय, इस सन्देश में क्या कहा गया है? बजट भारत सरकार के पिछले बजट में निर्धारित नीतियों को जारी रखने की बात कहीं गई है। वे हैं—मुद्रा स्फीति नियंत्रण पर जोर देना, संसाधन जुटाना, मूलभूत व उर्जा उत्पादन में निवेश को बरीयता देना जो पिछलें वर्ष भारत को किए गए 5 करोड़ एस० डी० आर० ई० एफ० एफ० के संरचनात्मक सहयोजन कार्यक्रम से निकट रूप से सम्बद्ध हैं।

महोदय, इसके आगे यह दूसरा पैरा है—निर्यात आधार का विस्तार करना व अधिक निर्यात की स्थिति उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन देना। गैर-मुद्रा स्फीति कर तरीके से देशी संसाधन जुटाना। सार्वजनिक क्षेत्र निगमों के व्यवहृत वाणिज्यिक कार्यचालन के लिए उपरी प्रशासित मूल्य समायोजित करना। विदेशों से सहायता राशि के अधिक प्रवाह आकर्षित करने के लिए सुविधाओं में सुधार लाना। पेट्रोलियम व इसके उत्पादों उर्वरक इस्पात खाद्य तेल और अलोह धातुओं का देशी उत्पादन वढ़ाना। नवम्बर, 1981 में भारत को दी गई ऋण की एस० डी० आर० 5 करोड़ रुपयों की लाइन से मध्यवर्ती काल के सभायोग्य कार्यक्रम का एक अंश।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रपति रीगन के संदेश में उल्लिखित ये कदम उठाए हैं। आप वाशिंगटन के दौरे में जाने पर उनसे इसकी परख कर सकते है। ये कदम इस प्रकार हैं—

10 वर्षीय कर-मुक्त बचत प्रमाणपत्र, 7% कर मुक्त पूंजी निवेश ब्रांड दीर्घावधि बचत में 100% की और बाद में 50% की कटौती के लिए राशि 5,000 रु० से बढ़कर 6,000 करना। बैंक जमा राशि व कम्पनी ऋणपत्नों के ब्याज से कर-राहत प्राप्त आय पर प्रतिवंध 3,000 रु० से 4,000 रुपये करना। यूनिट ट्रस्ट के निवेश से प्राप्त ब्याज में छूट 2,000 रु० से बढाकर 3,000 करना। 1-3-82 से बैंक जमा राशि पर अत्यावधि और दीर्घावधि ब्याज दरें भी संशोधित कर 0.5% और 1.5% कर दी गई हैं।

निगमित क्षेत्र में पूंजी-निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई गैर-सरकारी कम्पनियों में पूंजी निवेश की सीमा को दुगना कर दिया गया है। डाक टैरिफ को 26 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। ब्रैकटों में इस बात का उल्लेख किया गया है क्यों? डाक सेवाओं में राज-सहायता को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। टैरिफ की 38 मदों पर उत्पादन शुल्क में 20 प्रतिशत अतिरिक्त रियायत दी गई है। आवंटन के बारे में अन्त में वे कहते हैं कि खाद्य, उर्वरक और निर्यात संवर्धन के सम्बन्ध में 1693 करोड़ रुपये तक की राज-सहायता दी गई है, जो वर्ष 1981-81 में 1975 करोड़ रुपये की दी गई थी।

यह एक मूल्यांकन है और यह वह सन्देश है जो आपके अर्थ-शास्त्रियों ने तैयार किया है। वे अत्यधिक प्रसन्न हैं। यदि आप चाहते हैं, तो आप वाशिंगटन जा सकते हैं और 'अंकल सैम'

से यह बात मालूम कर सकते हैं कि क्या यह आपका मूल्यांकन है अथवा नहीं। हम विवाद में क्यों पड़े ? आखिरकार यही स्थिति है। जहां तक हमारी आलोचना का सम्बन्ध है, उसके लिए केवल हम ही फिक्र करे। हम ऋण लेने का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम हो उसकी शर्तों का विरोध कर रहे हैं। हम भारत की अर्थ-व्यवस्था को बन्धक अर्थ-व्यवस्था बनाने के विरोध करते हैं। क्योंकि हम यह अनुभव करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की शर्तें हमारी गरिमा और इज्जत को धक्का पहुंचाती हैं। यह हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता के विरुद्ध है। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ सोने का परित्याग कर सकता हूँ, लेकिन आपके आदेश पर नहीं। आपको ऐसा कौन कहता है ? हम उन नीतियों का पालन करेंगी जो राष्ट्र के हित में होगी। सरकार केवल उन नीतियों का पालन करेंगी, जो संसद् द्वारा पारित की जाती है, न कि किसी विशेष व्यक्ति द्वारा दिए गए निर्देशों का।

हमने आपात-काल के दौरान घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्यों ? इसलिए नहीं कि हमें 20-सूत्री कार्यक्रम पसन्द नहीं थे अथवा जिन योजनाओं पर विचार किया गया था, वे हमें पसन्द नहीं थीं, बल्कि इसका कारण यह था कि वह जेल से रिहाई के लिए एक प्रकार का आत्म-समर्पण था। इसी लिए हमने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हमने उसका विरोध नहीं किया था। जरा सा भी नहीं। हमने हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए कि उस विशेष समय के दौरान हस्ताक्षर करने का अभिप्राय उस व्यवस्था के समक्ष आत्मसमर्पण करना था। अतः मैं शर्तें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

अतः महोदय, इस विशेष मामले में मैं यह चाहूँगा कि बहुत ही संक्षेप में वित्त मंत्री जी इस सभा को उन करों के बारे में बता दें, जो उनके विचाराधीन हैं। मैं श्री मगन भाई बारोट से यह जानता चाहूँगा, उसका सम्बन्ध इस मामले से नहीं है। मैं उस मामले के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, जब आप बैंकिंग विभाग में राज्य मंत्री थे वर्ष 1980 के दौरान बम्बई के एक निर्यात गृह मिस्टर जयन्ती लाल अमर चन्द एण्ड कम्पनी को बम्बई से 15 करोड़ रुपये मूल्य के सामान का निर्यात करने का आर्डर कैसे प्राप्त हुआ। यद्यपि वह सभी बैंकों से अनुरोध कर रहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन सभी बैंकों ने इस विशेष सज्जन को पैसा देने के लिए मना कर दिया था। लेकिन अक्तूबर, नवम्बर या दिसम्बर की यह बात है, कि इस सज्जन को साइकिलों बाइसकिलों, कपास, कपड़े आदि के 15 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात की यह सुविधा प्रदान कर दी गई। भगवान जाने कैसे। इस मामले में केवल ईश्वर ही जानता है। यह जांच का विषय है। भूतपूर्व वित्त मंत्री जी इस विषय में अवश्य जानते होंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस रहस्य पर से पर्दा उठाएं कि बैंक द्वारा उस व्यक्ति को मंजूरी दिलाने के लिए किसे 10 प्रतिशत कमीशन दिया गया जिसे बैंकों ने मंजूरी देने के लिए पहले मनाकर दिया था। अक्तूबर और दिसम्बर के बीच यह कैसे किया गया और 10 प्रतिशत का भुगतान किसे किया गया ? यह जांच का विषय है। देखें, वे क्या जांच करते है।

अब, मैं सरकार से यह जानता चाहता हूँ कि आय-कर, धन-कर, उपहार-कर और संपदा शुल्क की बकाया धनराशियों की वसूली के लिए वह क्या कर रही है ? कुल कितनी धनराशि बकाया है ? वह प्रति वर्ष कर लगाती जाती है। लेकिन इस दिशा में उनके प्रयास क्या है ? वह सदन को इसके बारे में सूचित क्यों नहीं करती ? वर्ष 1980-81 से सम्बन्धित लेखा-परीक्षा

रिपोर्ट भी संसद् सदस्यों को अब तक प्राप्त नहीं हुई है। हमें नवीनतम स्थिति की यह जानकारी नहीं है कि आय-कर, धन-कर उपहार-कर और सम्पदा शुल्क की कितनी-कितनी धनराशि बकाया हैं। इन मदों की 1400 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि बकाया है।

धन-कर क्या है और यह किन पर लगाया जाता है ? इसे क्यों शुरू किया गया था ? इसे असमानता का नियन्त्रण में रखने के लिए शुरू किया गया था। इसे समाजवादी ढांचे के प्रयोजन से शुरू किया गया था। इसे अमीर और गरीब के बीच के अन्तर को बढ़ाने के लिए शुरू नहीं किया गया था। विधेयक में उसका यही लक्ष्य बताया गया था। लेकिन आज क्या स्थिति है ? मैं श्री कमलनाथ को बता देना चाहता हूं कि धन-कर के अन्तर्गत आने वाले कुल वर्गों में से ऐसे लोग, जिनकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है, जिनका कुछ धन 5 लाख रुपये से अधिक है, ऐसे कर निर्धारितियों की संख्या धन-कर देने वाले लोगों की संख्या का केवल 5 प्रतिशत भाग है तथा यह कर देने वाले 95 प्रतिशत लोग ऐसे संवर्ग से सम्बन्ध रखते हैं, जिनका धन 5 लाख रुपये से कम है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल कमलनाथ ही क्यों ?

श्री सतीश अग्रवाल : क्योंकि वे इस शब्दावली को बेहतर रूप से समझते हैं; वे इसे सराह सकते हैं। मैं अपने निष्कर्षों के बारे में श्री भगवान देव अथवा अन्य किसी व्यक्ति को निर्देश नहीं दे सकता।

यह धन-कर से सम्बन्धित स्थिति है। धन-कर की उगाही की क्या स्थिति है ? धन कर की 70 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। और धन-कर के बकाया की राशि 210 करोड़ रुपये है। वे इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं। धन-कर के बकाया की राशि धन-कर वसूली की राशि से तीन गुणी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आयकर विभाग द्वारा एक अध्ययन एक सर्वेक्षण किया गया है, जिससे यह पता चला है कि जहां तक धन-कर निर्धारण का सम्बन्ध है, इस देश का बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित निजी धन वास्तविक रूप से कम हुआ है।

अब मैं उनके द्वारा दी गई रियायतों के बारे में कुछ बताता हूँ। इसमें एक रियायत निर्धारण वर्ष 1978-79 से छुट्टी के बदले नगद धनराशि का भुगतान करने से सम्बन्धित है। उन्होंने यह बताया है कि यह रियायत उन सभी लोगों के लिए वैद्य होगी जो वर्ष 1982-83 से इस रियायत को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। इसे वर्ष 1978-79 में मंजूर किया गया था। अदालतों में मामले बढ़ते जा रहे हैं तथा सरकारी कर्मचारी इस लाभ का दावा कर रहे हैं। मद्रास ट्रिब्यूनल ने यह निर्णय दिया है कि छुट्टी के बदले नगद धनराशि के भुगतान पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता। विभाग ने उच्च न्यायालय में इसकी अपील कर रखी है। यदि वे यह लाभ देना चाहते हैं, तो उन्हें इसे पहले से अर्थात् वर्ष 1978-79 से दे देना चाहिए, ताकि यह विवाद ही समाप्त हो जाए।

फिर वित्त मंत्री जी ने अनुमोदित बचतों की सीमा को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये तथा 30,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया है लेकिन अधिकतम सीमा वही है। आपको अधिक मिल सकता है, लेकिन 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा की शर्त के साथ। इसका क्या मतलब हुआ ? उन्होंने सार रूप में सीमा को बढ़ा दिया है। लेकिन अधिकतम सीमा

वही पुरानी वाली रखी है। अतः यह लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बच्चों को दी जाने वाली चूसने की गोली के समान है। ये वास्तविक रियायतें नहीं है। इससे लोगों में विश्वास उत्पन्न नहीं होता।

संक्षेप में इस बजट का पूरे का पूरा दर्शन यह है कि एक तरफ तो आप ऐसे लोगों पर से होटल कर हटाते हैं, जो एक ही रात में एक हजार रुपये से भी अधिक की धनराशि खर्च कर सकते हैं और यह धनराशि सड़क पर एक सामान्य आदमी की प्रति व्यक्ति आय से भी अधिक है, तथा दूसरी ओर आप डाक सेवाओं की दर में वृद्धि करते हैं। इस बजट के ये दो विपरीत छोर हैं। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि यह सुखद स्थिति नहीं है।

हम घाटे को कुल घाटे के अर्थों में देखते हैं। तुलना करने का गलत तरीका है।

उनके राजस्व खाते की स्थिति क्या है? राजस्व सम्बन्धी आय और राजस्व सम्बन्धी व्यय क्या-क्या है? पूंजी सम्बन्धी आय और पूंजी सम्बन्धी व्यय को शामिल न कीजिए, क्योंकि फिर घाटा कम हो जाएगा। घाटा देश में से उगाहे गए ऋणों के कारण कम हो जाएगा। गत पांच-सात वर्षों की तुलना में यह सरकार अब देश में उगाहे जाने वाले ऋणों पर 23 गुणा अधिक निर्भर कर रही है। मैं इस सम्बन्ध में आपको आंकड़े दे सकता हूं।

जहां तक चालू खाते में घाटे का सम्बन्ध है, वह एक चिन्ताजनक स्थिति है। आप विवाह के लिए उधार ले सकते हैं। आप मकान बनाने के लिए उधार ले सकते हैं। लेकिन यदि आप दूध खरीदने के लिए उधार लेंगे, छोटे-मोटे खर्चों के लिए उधार लेंगे, तो यह एक भारी चिन्ता की बात होगी, लेकिन यह सरकार इस प्रकार के ऋण प्राप्त कर रही है, राजस्व खाते में घाटा दिखा रही है और यह घाटा 626 करोड़ रुपये का है। यह प्रपंच वर्ष 1980-81 से जारी है। गत तीन-चार वर्षों से, राजस्व खाते का यह घाटा बढ़ रहा है। एक वर्ष को छोड़कर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। यह काफी चिन्ताजनक बात हैं और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

अब एक बात मुझे और कहनी है। आप तमिलनाडु से सम्बन्धित हैं। उत्पादन-शुल्क में हिस्सा बटाने का राज्यों को अधिकार है। क्या आपको सीमा-शुल्क में हिस्सा बटाने का अधिकार है? पहले तत्सम्बन्धी शुल्कों का ढांचा इस प्रकार था—25 प्रतिशत प्रत्यक्ष-कर, 25 प्रतिशत सीमा-शुल्क और लगभग 50 प्रतिशत उत्पादन-शुल्क। अब उनकी प्रतिशतता क्या-क्या है? सीमा-शुल्क को दो वर्ष पहले 3,300 करोड़ रुपये से बढ़ा दिया गया है। यह अब बढ़ कर 4,600 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। और सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क का अंश व्यावहारिक रूप में बराबर सा है। अब राज्यों को सीमा-शुल्क में से हिस्सा नहीं मिलता और इस सरकार ने इस सम्बन्ध में एक नई बात शुरू की है कि उत्पादन-शुल्क और अन्य ऐसे करों को जिनमें राज्यों को हिस्सा मिलता है, बढ़ाने की बजाए, वे सीमा-शुल्क बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यह उनकी अपनी मिल्कियत है। यह विभिन्न आयों के स्रोतों पर वास्तव में एक बाधा है। यह हमारी संघीय नीति की भावना के विरुद्ध है और मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न की बारीकी से जांच करे।

अब एक या दो प्रश्न और हैं। निवर्तमान वित्त मंत्री, जो अब रक्षा मंत्री हैं अर्थात् श्री आर० वेंकटरामन जी, क्या आपको याद है कि आपने दो वर्ष पहले इस सभा में यह घोषणा

की थी कि आप 'कस्टमस एण्ड एक्साइज क्लासिफिकेशन ट्रिब्यूनल' का गठन करेंगे ? उस पूर्व-घोषणा का क्या हुआ ? क्या उसे कार्यान्वित किया गया ? क्या उक्त ट्रिब्यूनल का गठन कर लिया गया है ?

मद्रास में एक बैंक हुआ करता था। कृपया आप याद करने का प्रयास कीजिए। आपको उस बैंक से वंचित रखा जा रहा है। आपके लिए उच्चतम न्यायालय की पीठ तो नहीं होगी, लेकिन आपके यहां 'कस्टम्स एण्ड एक्साइज ड्यूटीज ट्रिब्यूनल' की बेंच अवश्य होगी। दो वर्ष पहले इस आशय की घोषणा वित्त मंत्री जी ने की थी। लेकिन अब इस विचार को त्याग दिया गया है। इसका अब तक कुछ भी नहीं बना है।

आयकर संशोधन अधिनियम का क्या हुआ ? वे इस सभा में यह तर्क बड़े जोश-खरोश से दे रहे थे 'कृपया आप मुझे और शक्तियां दें। मैं सहकारी बैंक के लिए यह संशोधन करना चाहता हूं ताकि सरकार इसका अधिग्रहण कर सके।' इस सम्बन्ध में अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

गैर-योजना व्यय बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक व्यय बढ़ता जा रहा है लेकिन विकास-व्यय घट रहा है। इसी प्रकार, सरकारी क्षेत्र की दक्षता में शोचनीय कमी हो रही है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है ये वर्ष 1980-81 में 168 थे और कर से पूर्व इनका मुनाफा 82 रुपये था और कर के बाद यह मुनाफा केवल 39 करोड़ था।

सरकारी क्षेत्र के दस उपक्रमों को वर्ष 1980-81 में 495.92 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। ये उपक्रम हैं—भारतीय उर्वरक निगम, ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स, हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, दिल्ली परिवहन निगम, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, नैशनल फर्टिलाइजर्स, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन, भारत एल्यूमीनियम और एयर इंडिया।

घाटे में चल रहे इन 10 बड़े उपक्रमों को कितनी हानि हुई है ? यह घाटा वर्ष 1980-81 में केवल 495 करोड़ रुपये का है। वित्त मंत्री महोदय हमने इन्हें 21,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश दिया हुआ है।

हम यह कह रहे हैं कि हमारा सरकारी क्षेत्र अर्थ-व्यवस्था में सम्मानजनक प्रगति कर लेगा। 21,000 करोड़ रुपये के इस पूंजी निवेश से यदि आप इस राशि को बैंक में रखें तो आपको दस प्रतिशत ब्याज मिलेगा। मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें सामाजिक लाभ है। लेकिन इस सीमा तक नहीं। प्रतिलाभ क्या है। हम क्या प्रतिलाभ प्राप्त कर रहे हैं ? दस वर्षों के दौरान वर्ष 1971-72 में 3,992 करोड़ रुपये से इनकी बिक्री बढ़ कर 21,645 करोड़ रुपये हो गई है। यदि आप इस नये पूंजी निवेश पर दस प्रतिशत, जैसा कि एक आम व्यापारी को मिलता है। लाभ प्राप्त करते हैं तो हम 2,800 करोड़ रुपये की बचत करते हैं।

यदि हम दस प्रतिशत तक गैर-विकासीय व्यय में कटौती कर सकते हैं तो हमें 2,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि प्राप्त होगी और यदि हम कर अपवंचन को रोक सकते हैं तो हमें 2,500 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। कर अपवंचन अत्यन्त प्रचलित है और मैं इस बारे में वित्त मंत्री को एक अत्यन्त ठोस सुझाव देना चाहता हूं। और वह सुझाव यह है। कुल 140 वस्तुएं हैं और

आपको 8,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि प्राप्त हो रही है। इस समय 45 वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर उत्पादन शुल्क का राजस्व इस प्रकार है : मैथोल 46 लाख रुपये; अलौह धातुएं, लीड अनराट, 89 लाख रुपये, फ्लैक्स फैबरीक्स और रेमी फैबरीक्स 41 लाख रुपये; टेक्सटाइल फैबरीक्स इम्परीग्नेटेड 26 लाख रुपये; लिनोलियम 50 लाख रुपये और फ्लेक्स यार्न रेमी यार्न 4 लाख रुपये।

यदि आप इन 45 वस्तुओं को हटा दें तो आपको उत्पादन शुल्क से केवल 94 करोड़ रुपये की हानि होगी। यदि आप इन 45 वस्तुओं को हटा सकते हैं तो शेष वस्तुओं पर आप बेहतर ध्यान रख सकते हैं और कर अपवंचन को रोक सकते हैं और इन वस्तुओं से प्राप्त हो रहे राजस्व की तुलना में आप सौ गुना अधिक राजस्व प्राप्त कर सकेंगे। यह मेरा विचार है। कर अपवंचन 25 प्रतिशत से कम नहीं है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस विशेष मामले पर इस सन्दर्भ में विचार किया जाएं।

हम निर्यात राज-सहायता किस प्रकार दे रहे हैं? कुल निर्यात राज-सहायता कितनी है जो टंडन समिति के प्रतिवेदन में दी गई है? वर्ष 1971-72 में अनुमानित सरकारी लागत 110 करोड़ रुपये थी जो वर्ष 1978-79 में बढ़कर 525 रुपये हो गई थी और यह अभी तक बढ़ रही है। आपको यह तस्वीर बदलनी है। यदि आप निर्यात में वृद्धि करना चाहते हैं तो सभी निर्यात आपको आयकर से मुक्त रखा जाये। लेकिन आप उन्हें 133 प्रतिशत की दर से विपणन विकास भत्ता दे रहे हैं। वे 10 लाख रुपये खर्च करते और 15 लाख रुपये का ऋण प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति बाहर से बाहर घूम रहा है क्योंकि उन्हें 15 लाख रुपये मिलते हैं—अनावश्यक रूप से 5 लाख रुपये अधिक जिससे विदेशी मुद्रा गंवाई जा रही है। आप कह सकते हैं। 'ऐसा नहीं होगा और दो से तीन वर्ष की अवधि के लिए यह आयकर से पूरी तरह मुक्त होगा।' निर्यात संवर्धन के बारे में आपकी कुछ नई नीतियां हैं। इन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरह आप कर रहे हैं। इन सभी मामलों में बहुत सी गड़बड़ियां और बहुत अधिक राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब तक हम इन सभी बातों पर और सरकारी खर्च पर नियन्त्रण नहीं कर सकते तब तक हम सफल नहीं सकते।

गृह कर प्रयोजनों के लिए मद्रास में और जयपुर में एक निर्धारण विभाग है। आयकर प्रयोजनों के लिए एक पृथक् कर निर्धारण विभाग है। धन-कर प्रयोजनों के लिए एक पृथक् निर्धारण का मानदण्ड है। सम्पदा शुल्क के लिए एक पृथक् निर्धारण का स्तर है। पूरे देश में इन सभी करों के लिए भारत सरकार द्वारा एक निर्धारण एजेंसी स्थापित की जानी चाहिए जिसका सम्पत्तियों के बारे में निर्धारण नगर निगम के प्राधिकारियों, आयकर प्राधिकारियों, धन-कर प्राधिकारियों और सम्बन्धित प्रत्येक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। अन्ततः सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि विकास के मामले में पारस्परिक और आन्तरिक असंतुलन न हो और संतुलित विकास हो। सरकार को प्रोत्साहन देने का प्रयास करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण जो श्री संजय गांधी को अत्यधिक प्रिय थी और जो श्रीमती इन्दिरा गांधी और हम सभी को अत्यन्त प्रिय है, के लिए प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। मैंने श्री सतपाल मित्तल को लिखा है क्योंकि मैं इस मामले में आपके साथ हूं। जाति, अथवा धर्म पर विचार न करते हुए कुछ प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। सरकार को ऐसा प्रस्ताव तैयार करना चाहिए जिसमें तीन बच्चों से अधिक और

अब तथा इसके बाद दो बच्चों से अधिक रखने वाले व्यक्ति को विधानसभा अथवा संसद्, राज्य सभा, पंचायत अथवा नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया जाएगा। मैं यह बात अपनी पार्टी, बी० जे० पी० और शायद समस्त विपक्ष की ओर से कह रहा हूं। (व्यवधान) हम इस बारे में निर्णय कर लें। जिन व्यक्तियों के तीन से अधिक बच्चे हैं, उन्हें पार्टी टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। अब राज्य सभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इन सूचियों की जांच करें और देखें कि ऐसे व्यक्ति कौन-कौन से हैं। आपका वायदा सबके लिए होना चाहिए। आप केवल नारे दे रहे हैं और कुछ नहीं। यदि आप वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण को और परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू करना चाहते हैं तो स्वभावतः आपको यह करना पड़ेगा। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री जिसके आठ बच्चे हों वह किसी विश्वास की प्रेरणा नहीं दे सकता है। खराब रिकार्ड रखने वाला वित्त मंत्री किसी विश्वास की प्रेरणा नहीं दे सकता है। ऋण देने के लिए कमीशन लेने वाला मंत्री किसी विश्वास की प्रेरणा नहीं दे सकता है। केवल शेर और शायरी की बातचीत करने वाला मंत्री देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। अतः इसमें एक अच्छी टीम होनी चाहिए। श्री वेंकटरामन, इस सरकार में अच्छे लोग हैं और इस पूरे समूह में प्रतिभावान व्यक्ति भी हैं लेकिन उन्हें विश्वास प्राप्त नहीं है। मुझे विश्वास है कि प्रतिभाओं का उपयोग किया जाएगा। हम इस सरकार की सफलता की कामना करते हैं। हम उथल-पुथल नहीं चाहते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि सरकार संकट में पड़े और समय से पूर्व गिर जाए। श्री वेंकटरामन आपने इस कोष की सुविधा से वर्ष 1980 में इस प्रक्रिया को शुरू किया था। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शर्तों पर दिया गया ऋण है। यह हमें 1980 में ले जाता है जब आपने तारीख और अन्य सभी बातें तय की थीं और आने वाले सभी वित्त मंत्रियों को इसका फल भुगतना पड़ेगा। आने वाले हमारे वित्त मंत्रियों के लिए यह एक अत्यन्त कठिन कार्य है।

मैं अपने हृदय में विचार कर रहा था क्योंकि श्री प्रणव मुखर्जी को वर्ष 1979-80 याद है। उन्हें याद है क्योंकि वह उस बंगले में रह रहे हैं जो मेरे पास था। हम सदैव वर्ष 1979-80 को याद करते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि वह एक युवा व्यक्ति हैं। मैं उन्हें सफलता की कामना करता हूं। वह एक व्यावसायिक व्यक्ति हैं। जैसा श्री राजीव गांधी ने कहा है व्यावसायिक व्यक्ति अच्छा बजट बनाते हैं। श्री वेंकटरामन ने एक अच्छा बजट बनाया था। वह गैर-राजनीतिक व्यक्ति हैं। श्री प्रणव मुखर्जी ने एक अच्छा बजट बनाया है—वह गैर-राजनीतिक व्यक्ति हैं। श्री एच० एम० पटेल ने एक अच्छा बजट बनाया था—वह गैर-राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं। श्री देशमुख और श्री मथाई ने एक अच्छा बजट बनाया था—वे गैर-राजनीतिक व्यक्ति थे। श्री यशवन्तराव ने ऐसा बजट बनाया था जो एक असंगत बजट था। इन राजनीतिज्ञ व्यक्तियों को बजट बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अन्य क्षेत्रों में वे बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन बजट बनाने के बारे में नहीं।

यदि आप राष्ट्रीय प्रयासों में ईमानदारी से हमारा सहयोग लें तो यह सदैव उपलब्ध होगा। जहां तक इस बजट का सम्बन्ध है मैं खेद के साथ कहता हूं कि यह न तो गरीबी को और न ही बेरोजगारी को हटा सकेगा और न ही आप में असमानताओं को दूर कर सकेगा जहां तक इस गरीब देश का सम्बन्ध है। गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों को आपने छठी योजना में कोई

प्राथमिकता नहीं दी है । आपने केवल बहुराष्ट्रिक कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों को प्राथमिकताएं दी हैं ।

आपका अत्यन्त धन्यवाद ।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : निराशा में समस्त विपक्ष वाकआउट कर रहा है क्योंकि वे कोई कार्य नहीं कर सके । जब बजट पर चर्चा की गई थी और इससे पहले भी इस पर इस सदन में चर्चा की गई थी तो इसी प्रकार के भाषण विरोधी दल के नेताओं द्वारा दिए गए थे । मैं जानता हूं कि वे राष्ट्र को प्रेरणा नहीं दे सकते हैं अपितु वे इस सदन में ऐसी हरकतें कर सकते हैं ताकि उन्हें सस्ती लोकप्रियता और प्रचार मिल सके ।

गरीबी के उन्मूलन और राष्ट्र निर्माण तथा हमारी अर्थव्यवस्था के निर्माण के बारे में विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच कोई मतभेद नहीं है । विपक्ष द्वारा दिए गए ये सभी उपदेश हैं । आजकल एकमात्र बात जो हम देखते हैं वह है कि विपक्ष लड़खड़ा रहा है । क्या विभाजित विचारधारा वाला लड़खड़ाता हुआ विपक्ष इस राष्ट्र को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए कोई मूल्यवान सुझाव दे सकता है ? मैं अत्यन्त दुःख महसूस करता हूं कि आजकल समस्त विपक्ष न केवल विभाजित है अपितु विचारधाराओं और सिद्धान्तों के मतभेद से मनोविकृति और कमजोरियों से भी पीड़ित है ।

मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नाण्डीस और श्री सतीश अग्रवाल विपक्ष के अत्यन्त मुख्य सदस्य हैं और उन्होंने आंकड़ों का खेल दिखाया है जो पहले भी उन्हीं तथ्यों को दर्शाते थे । मैं धीमी अर्थव्यवस्था को जानता हूं और औद्योगिक विकास की धीमी गति इन दो वर्षों में उत्पन्न हुई थी जब श्री जार्ज फर्नाण्डीस उद्योग मंत्री थे और श्री सतीश अग्रवाल वित्त मंत्री थे—मैं जानता हूं कि न उन्होंने कुछ अन्य गलत बातें की थीं अपितु तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई उनकी नीतियों और कार्यक्रमों से असहमत थे और अन्ततः उस समय बजट बनाते समय विचारों में टकराव उत्पन्न हो गया था । उस समय मैं विपक्ष में था और मैंने इसकी कड़ी आलोचना की थी ।

महोदय, 1982-83 का बजट सबसे अधिक संतुलित बजट है और जब बजट प्रस्तुत किया गया था तब मैंने कुछ बातें की थीं । यह न केवल संतुलित बजट है और जहां तक देश की आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है इस बजट में न केवल भविष्य का अपितु वर्तमान का भी ध्यान रखा गया है । इसलिए मैं न केवल अपने देश के महान् अर्थशास्त्रियों को अपितु वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को भी बधाई देता हूं । हम कोई फरिश्ते नहीं हैं । हमारे मन में उनके प्रति कोई बैरभाव नहीं है । जब विपक्ष ने, जब वे सत्ता में आए थे, बजट प्रस्तुत किया था । हमने इसकी प्रशंसा की थी । वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री मुखर्जी और भूतपूर्व वित्त मंत्री ने पिछले दो वर्षों में संसाधन को जुटाने और आर्थिक स्थिति का समाधान खोजने में सफल रहे और उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को पुनः ठीक हालत में रखा । परन्तु उन लोगों ने ढाई वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया । उन्होंने देश का सोना बेच दिया और इस प्रकार अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया । यह बात इस सभा में बार-बार कही गई है । मुझे उस पर अधिक कुछ नहीं कहना है । मैं उसी बात को बार-बार दोहराना नहीं चाहता । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि

स्वर्ण नीलामी के सम्बन्ध में नियुक्त जांच समिति ने जो कुछ उस समय हुआ उसका रहस्योद्घाटन किया है। उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। इसको जनता सरकार ने तहस-ग्रहस किया। एक अर्थशास्त्री ने बजट के बारे में कहा है :—

"यह बजट घाटे का बजट है और वह इसे टाल सकते थे।"

यह बजट सबसे कम घाटे का बजट है। उन्होंने इतना सुन्दर बजट प्रस्तुत किया है। कोई भी अन्य वित्त मंत्री इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ कर सकता है। मैं एक बड़े अर्थशास्त्री का कथन उद्धृत करूंगा। मैं समझता हूं कि इस समय विपक्षी सदस्यों को उपस्थित रहना चाहिए था।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैं उपस्थित हूं।

श्री के० लक्कप्पा : आप भी उपस्थित हैं। महोदय, उन्होंने बताया है कि रक्षा के प्रति वचनबद्धता है। विपक्षी दल उस पर आक्रमण कर रहे थे। इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि वह इस बजट में बचत और पूंजी निवेश को बढ़ावा देकर संसाधन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 4-5 वर्षों की तुलना में 1982-83 में घाटे का बजट सबसे कम है। श्री फर्नाण्डीस और श्री सतीश अग्रवाल ने स्थिति की वास्तविकता को नहीं समझा है। उन्होंने उनकी प्रशंसा नहीं की है। उदाहरण के तौर पर सीमेंट और चीनी के सम्बन्ध में दोहरी नीति को लीजिए। बजट प्रस्तुत करते समय जब आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं थीं, आज काला बाजार में सीमेंट और चीनी का मूल्य गिर गया है। यदि आप बम्बई या देश के अन्य भागों में जाएं तो यह पाएंगे कि सीमेंट का मूल्य गिर गया है। परन्तु विपक्ष ने इस सम्बन्ध में सरकार की कार्यवाही की प्रशंसा नहीं की है। बजट में न केवल भविष्य की योजनाओं, परिव्यय का ब्यौरा है अपितु जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का सम्बन्ध है इससे अर्थव्यवस्था में आगे और विकास हुआ है। उदाहरण के तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि को ही लें। बजट में इसके लिए प्रावधान बढ़ाया गया है। इसने एक निश्चित दिशा भी दी है। मेरे मित्र बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए आवंटन को भूल गए हैं। सभी के लिए योजना परिव्यय में वृद्धि हुई है। केन्द्र, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए कुल 3,658 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। 1982-83 का योजना आवंटन देखिए। यहां तक कि योजना की मुख्य बातें बजट में दी गई हैं, पैट्रोलियम क्षेत्र, सिंचाई क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, कोयला, बिजली एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के लिए परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि की गई है। श्री फर्नान्डीस ने यह आलोचना की है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है जहां केवल ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हो रही है और अर्थव्यवस्था बरबाद हो गई है। परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि उस अवधि में योजना आवंटन न केवल सबसे कम था परन्तु ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों को वह प्राथमिकता नहीं दी गई तो उन्हें दी जानी चाहिए थी।

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 3,452 करोड़ रुपये से बढ़ाकर लगभग 4,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। कुल योजना परिव्यय 9,771 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,345 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

महोदय, श्री जार्ज फर्नाण्डीस ने रक्षा व्यय की आलोचना की है। देश की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए और युद्ध के बादल जो हमारे सीमा क्षेत्रों में मंडरा रहे हैं उससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें भारत को न केवल आन्तरिक शान्ति अपितु बाहरी शान्ति भी दिखानी चाहिए। देश की रक्षा पर किए जाने वाले व्यय की आलोचना नहीं की जा सकती और किसी सदस्य के लिए देश की रक्षा नीति की आलोचना करना कुछ असाधारण बात है, यह बताना है कि विपक्ष कितना खोखला है। भारत सरकार ने देश की रक्षा तैयारी के सम्बन्ध में जो नीति अपनाई है उससे भारत एक सार्वभौमिक राष्ट्र के रूप में उभरा है। यही एक कारण है जिसकी वजह से अन्तर्राष्ट्रीय विश्व और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में हमारी विश्वसनीयता है।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक ऐसा सस्ता हथकण्डा है जिसका विपक्षी सरकार की आलोचना करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके मन में राष्ट्रीय विकास के लिए कोई आदर नहीं है और उनके मन में अर्थव्यवस्था और इस राष्ट्र के निर्माण के लिए कोई भावना नहीं है।

महोदय, हम विपक्षी द्वारा दिए गए सुझावों का विश्लेषण करें। श्री जार्ज फर्नाण्डीस ने इतने आंकड़े दिए हैं परन्तु कोई सुझाव नहीं दिया है। क्या उन्होंने देश के विकास के लिए अथवा योजना तैयार करने के लिए अथवा रक्षा नीति बनाने अथवा सिंचाई साधनों का विकास करने के लिए कोई सुझाव दिए हैं। वह केवल चरित्र हनन करते हैं और बेवजह सरकार की आलोचना करते हैं। यह विपक्ष अस्थिरता की स्थिति में हैं, उनके पास कोई दिशानिर्देश नहीं है। उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। उनके पास कोई नीति नहीं है और वे आपस में बंटे हुए हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या है जो हम इस बजट में दिखाना चाहते हैं। क्या हमें इसमें चरण सिंह अथवा अटल बिहारी वाजपेयी अथवा श्री जार्ज फर्नाण्डीस को नकारात्मक रवैये को दिखाना है। श्री जार्ज फर्नाण्डीस ने पुलिस व्यय को बढ़ाने पर आपत्ति की है परन्तु उन्हें जानना चाहिए कि विपक्षी समस्त विरोधी तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या वह बड़ोदा डायनामाइट केस को और अपने विनाशकारी रवैये के अन्य उदाहरणों को भूल गए हैं। उन्होंने बताया है कि जहां पुलिस व्यय बढ़ा है वहां कृषि क्षेत्र के लिए कोई वृद्धि नहीं की गई है। महोदय, कृषि क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। पुलिस विभाग भी यह सुनिश्चित करने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है कि सभ्य लोगों की गुंडों से रक्षा हो सके जो विपक्ष के माध्यम से काम करते हैं। आज विश्व में बहुत संतोष है। आप विश्व के प्रत्येक देश में यह बात पाते हैं। औद्योगिक देशों में भारत का स्थान पांचवां है। इसका पता अभी प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़ों से लगाना है। मैं अपने आंकड़े नहीं अपितु अभी प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़ों से उद्धृत कर रहा हूं विपक्ष ने प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं कहा है। देश में बेरोजगारी की समस्या है। हमने बजट में बेरोजगारी कम करने का प्रावधान रखा है। देश में बेरोजगारी दूर करने के लिए करोड़ों रुपये निर्धारित किए गए हैं। हमारा 20-सूत्री कार्यक्रम समूचे देश के लिए रामबाण औषधि है। इसका उद्देश्य निर्धन लोगों की सहायता करना है। मैं जानना चाहता हूं कि जब वे सत्ता में थे जब उन्होंने क्या किया? क्या उनके मन में कोई वास्तविक सहानुभूति थी? जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने इनके लिए काम क्यों नहीं किया? अब वे निर्धन लोगों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने निर्धन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने देश को नीलाम कर दिया। जब जनता पार्टी सत्ता

में थी तब उन्होंने निर्धनों के लिए आंसू की एक बूंद भी नहीं गिरायी। श्री रवीन्द्र वर्मा ने कहा था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते हैं। आप हर तरह का वक्तव्य, घोषणाएं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने सरकार अच्छी तरह चलाई और यह सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है और जनता को दिए गए वचन का पालन नहीं कर रही है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : वास्तव में जोरदार भाषण है।

श्री के० लकप्पा : मैं समझता हूं। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में बीस-सूत्री कार्यक्रम की किस प्रकार उपेक्षा की गई है। मेरे मित्र ऐसा बता रहे थे। हम जानते है कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। वह राष्ट्रीय विकास परिषद् में इस पर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं थे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, जब आप विरोधी पक्ष में थे तब आप के बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कहा था। अब आप सत्ता में है, क्या अब आप उनको देंगे ?

श्री के० लकप्पा : महोदय, जहां तक बेरोजगारी सम्बन्धी समस्याओं का मामला है, हमारे पास इनके कुछ समाधान हैं। परन्तु उनके पास क्या समाधान हैं ? उनके क्या सुझाव हैं ? उन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में क्या कहा है ? मेरे मित्र श्री उन्नीकृष्णन, श्री यादव व श्री वाजपेयी यह बैठे हैं। वे संयुक्त विरोधी पक्ष, विरोधी पक्ष की एकता आदि की बाते करते हैं। परन्तु वे आपस में लड़ते रहते हैं। उनके आपसी मतभेद बढ़ रहे हैं। वे सब कुछ बर्बाद करने में लगे है। इस प्रकार लड़खड़ाते हुए ये दल इस बजट में से किसी बात को पकड़कर हमारी आलोचना करने चले है। परन्तु मुझे विश्वास है वे कुछ नहीं कर सकते। उन्हें स्थिति को अभी या बाद में समझ लेना होगा कि जनता उनके साथ नहीं है। लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है। जनता को पता चल गया है कि इन्होंने शासन को कैसे चलाया था। लोगों ने विरोधी पक्ष की एकता का नमूना देख लिया है। उन्होंने विरोधी पक्ष के कार्य निष्पादन और दिशा निर्देश को देख लिया है। लोग जानते हैं कि इस देश पर उनके शासन काल में क्या हुआ था। इसलिए अब वे किस भुलावे में न रहें कि वे सत्ता में आ जायेंगे। यदि वे निर्वाचित भी हो गये तो उनका सौभाग्य होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : संयोगवश।

श्री के० लकप्पा : देखें, चुनाव आ रहे है ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : वे तो यह भी कहेंगे कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के लिए भी विरोधी पक्ष ही जिम्मेदार है।

श्री के० लकप्पा : जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के लिए भी हमारे पास समाधान है। हमने विचारगोष्ठी में भी भाग लिया हैं। मेरे विचार में उनके दल ने भी भाग लिया था। इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राजनीति नहीं लानी चाहिए। जनसंख्या सम्बन्धी कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राजनीति नहीं लानी चाहिए, ऐसी स्थिति पैदा न होने दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के ही अनेक वक्त अभी शेष हैं। माननीय महिला सदस्य बोलने के लिए प्रतीक्षा कर रही है।

श्री के० लकप्पा : देश की आवश्कता, औद्योगिक प्रगति और कृषि सम्बन्धी प्रगति को ध्यान रखते हुए मैं वित्त मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

गत 30 वर्षों से दफ्तरशाही का कार्य संतोषजनक नहीं रहा और उसमें सुधार किया जाना चाहिए । दफ्तरशाह बाधाएं पैदा करते है, जिन्हें दूर करना होगा । उनको राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों में सहयोग देना चाहिए । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । महोदय, यह एक आम विचार है कि सरकारी प्रशासन की स्थिति ईमानदारी और कार्यकुशलता दोनों की दृष्टि से बिगड़ गई है और आगे भी बिगाड़ हो ही रहा है । प्रशासन की आलोचना के मुख्य कारण संक्षेप में ये है (एक) निर्णय करने में अनुचित विलम्ब और कष्टप्रद प्रक्रिया, और (दो) उदासीनता की भावना और जनता के साथ अभद्र व्यवहार । सरकारी प्रशासन में विलम्ब के मूल कारण राजनीतिक तथा अन्य सामान्य कारणों के इलावा पुराने उपकरण और पद्धतियां हैं । जबकि टेलेक्स और काम्पयूटरों आदि आधुनिक उपकरणों का कुछ उपयोग किया रहा है, उनका कारगर ढंग से उपयोग करने के लिए मूल संगठनात्मक व्यवस्था नहीं है, टेलीफोन अभी तक केवल स्तर का प्रतीक समझा जाता है उपयोगिता का साधन नहीं माना जाता । प्रभावी कार्यकरण के लिए समेकित और समन्वित संगठनात्मक ढांचे का होना अपेक्षित है ।

सरकार को प्रशासन की समस्याओं काफी समय से जानकारी है । उनके प्रशासन सुधार आयोगों, प्रशासन प्रशिक्षण संस्थानों और सरकार द्वारा प्रायोजित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना इन समस्याओं के प्रति जागरूकता का प्रमाण है, प्रत्येक विभाग विधिवत अध्ययन और उनकी कार्यकुशलता और क्षतता में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है । ढांचे के पुनर्गठन व आधुनिक प्रबन्ध व्यवस्था के काम को बिना आमूल परिवर्तन किए आरम्भ किया जा सकता है । इसलिए मेरे विचार में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है कि 20-सूत्री कार्यक्रम को समूचे देश में लागू किया जाय । इस देश की जनता ने 20-सूत्री कार्यक्रम को बहुत सराहा है और अब हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि योजनाओं के लाभ देश की आम जनता तक पहुंचे । लाभ निम्नतम स्तर के लोगों को होना चाहिए । इस अवसर पर मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह राष्ट्रीय स्तर पर एक तन्त्र अथवा आविधिक निकाय बनाए जो इस बात को सुनिश्चित कर सके कि प्रशासन का काम सुचारू रूप से चले और विभिन्न कार्यक्रमों के लाभ आम जनता तक पहुंचे । वह दफ्तरशाही के कार्यनिष्पादन और पिछड़े क्षेत्रों आदि के विकास के बारे में उनके दृष्टिकोण पर निगाह रख सकता है ।

देश की प्रगति के लिए इस्पात एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कच्चो सामग्री है, इसमें जन क्रांति हुई थी तब उनके महान नेता श्री लेनिन ने आग्रह किया था कि नई उद्योगों के विकास के लिए ऊनी और इस्पात की मूलभूत आवश्यकता होती है, इस आकार के देश के लिए इस्पात संयंत्रों को ठीक ढंग से काम करना चाहिए । इस्पात उद्योगों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि देश के विकास के सम्बन्ध में कही कोई असंतुलन न हो । विभिन्न राज्यों में उपलब्ध इस देश की खनिज सम्पदा के संसाधनों को किसी क्षेत्र विशेष सक्षम इस्पात संयंत्र लगाते समय ध्यान रखना चाहिए । इस समय इस्पात उद्योग केवल एक ही क्षेत्र में स्थित है मानो इस्पात उद्योग केवल दक्षिण के लिए ही हो । देश के आकार को ध्यान में रखते हुए यहां पर इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत विश्व भर

से कम है। अतः मैं वित्त मंत्री महोदय को सुझाव देता हूं, जो पहले इस्पात मंत्रालय के मंत्री भी रह चुके हैं, कि उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के औद्योगिक विकास, कृषि विकास और रोजगार की क्षमताओं को विभिन्न राज्यों में उपलब्ध संसाधनों और खनिज सम्पदा से बढ़ाया जाए। मेरा प्रश्न यह है कि परादीप को उच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई है और विजय नगर इस्पात संयंत्र को अन्तिम स्थान प्राप्त हुआ है जबकि विजय नगर इस्पात संयंत्र का परियोजना प्रतिवेदन पूरा हो चुका है और परादीप के मामले में अभी यह स्थिति नहीं आई है। इसलिए कर्नाटक की जनता को भारत सरकार से आग्रह करने का अधिकार है कि विभिन्न भागों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के काम में इस असंतुलन को दूर किया जाए। जबकि सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, विभिन्न स्थानों में उचित विकास किया गया है, रेल, भूमि, खनिज सम्पदा, प्रशासन और अन्य बातों की उचित व्यवस्था की गई है इसका क्या कारण है कि इस सम्बन्ध में अनुकूल दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है? इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह करूंगा कि कम-से-कम विजय नगर इस्पात संयंत्र को परादीप इस्पात संयंत्र के समान दर्जा दिया जाय।

महोदय, मेरे मित्र ने सुझाव दिया था कि इस सरकारी उपक्रम घाटे पर चल रहे हैं और उनके कार्यकरण की जांच की जानी चाहिए ताकि उनको बेहतर ढंग से चलाया जा सके। महोदय, इन सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदन और तुलना-पत्रों पर सभा में चर्चा की जा रही है और हम उनके कार्यकरण को छानबीन करते है। परन्तु गैर-सरकारी उद्योगों को जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बीमा और बैंकों सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते हैं, करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके तुलनापत्रों की छानबीन क्यों नहीं की जाती और इस सभा में चर्चा नहीं की जाती। हम ने इस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। हमने सहकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र बनाए है। अतः इन सभी क्षेत्रों को इस सभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। संसद् की उनके तुलनपत्रों की जांच करने और उनके कार्यनिष्पादन पर चर्चा करने और उनको मार्गदर्शी निर्देश जारी करने का अधिकार है।

अंतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर भी ध्यान दें और सुनिश्चित करे कि उसे क्रियान्वित भी किया जाए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : (बड़ागरा) उपाध्यक्ष महोदय, यह वाद-विवाद लगभग समाप्त होने जा रहा है और मैं इस बजट में दर्शायी गई नीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के सम्बन्ध में दो कुछ बातें कहता चाहूंगा। मैं पहले बातों को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है और मेरे मित्रों श्री जार्ज फर्नाण्डीस और श्री सतीश अग्रवाल ने काफी बातें कह दी है।

बजट का अर्थ रस्मी ढंग से, प्रतिवर्ष राजस्व और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना नहीं है। न ही बजट वित्त मंत्री को कोई ऐसा अवसर प्रदान करता है कि वह इस सभा में आकर अपने कार्यकलाप दिखाए निश्चय सी यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने का और यह देखने का अवसर है कि विषमताओं ही कम करने व असंतुलन को दूर करने के लिए बजट और वित्तीय साधनों का उपयोग कहां तक किया गया है—जिन्हें हम सब अपना अन्तिम लक्ष्य स्वीकार करते हैं। इस सन्दर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि यह सरकार इस उद्देश्य के लिए क्या नीतियां

अपनाना चाहती है ? नीतिया, न केवल मूल्यों और मुद्रास्फीति के सम्बन्धी में, बल्कि यदि सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी कोई नीतियां तथा विचार हो तो वे क्या हैं। इस सन्दर्भ में भी बजट को समझना और आंकना होगा। मैंने अपने अच्छे मित्र श्री प्रणव मुखर्जी के बजट पर इस दृष्टि से विचार किया है और मुझे खेद है कि इससे मुझे बहुत निराशा हुई है। किसी व्यक्ति ने इसकी बनिए का बजट कहा है। मैं इन सब बातों की ओर बाद में आऊंगा।

बजट से पूर्व सभा पटल पर एक आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाता है और जो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता हैं। जब आर्थिक सर्वेक्षण में ही एक ही अवधि के लिए प्रति वर्ष के आंकड़े भिन्न भिन्न हों तो आंकड़ों के सम्बन्ध में सावधानी बर्तनी पड़ती है।

उदाहरण के लिए वर्ष 1930-81 आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि अप्रैल-दिसम्बर 1980 में 4 पहियों वाले वैगनों में इस्पात संयंत्रों के लिए कोयले के लदान की प्रतिदिन की औसत 1450 वैगन थी। हम देखते है कि वर्ष 1981-82 के सर्वेक्षण में, उसी अवधि के लिए दैनिक लदान दर 2222 वैगन दिखाई गई है।

1980-81 में सर्वेक्षणों से पता चला था कि 1979-80 में आयातों में प्रतिशतता परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में 21.1 था जबकि 1981-82 में की उसी अवधि में परिवर्तन 32.4 प्रतिशत था।

1979-80 और 1980-81 के आर्थिक सर्वेक्षणों में बिजली के उत्पादन में 1976-77 की तुलना में 1977-78 में प्रतिशतता में परिवर्तन में 4.4 का उल्लेख था परन्तु उसी अवधि के लिए 1981-82 के सर्वेक्षण में कहा गया कि प्रतिशतता परिवर्तन 3.4 था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय बताएं कि कौन से आंकड़े सही हैं।

जब तक आर्थिक सर्वेक्षण जैसे मूल दस्तावेज में सत्तारूढ़ दल के तर्क के अनुसार तथ्यों में हेरा-फेरी की जाए तो हम अर्थव्यवस्था के निष्पादन का मूल्यांकन किस प्रकार से भर सकते हैं ? क्या एक दल के स्थान पर दूसरे दल के शासन संभाल लेने पर आंकड़ों को बदल दिया जाएगा ?

वित्त मंत्री का दावा है कि 1981-82 के दौरान मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 4.9% थी जबकि पिछले वर्ष की दर 15.9 प्रतिशत थी। इस प्रकार के दावे किया जाना सामाजिक दृष्टि से झिजूल की बात है।

जनता तथा इस सभा के लिए बहुत चिन्ता की बात यह हैं कि यदि समग्र स्तर पर मुद्रास्फीति में गिरावट आई है तो क्या यह थोक एवं खुदरा मूल्यों में प्रतिलक्षित हुई है।

अतः थोक मूल्य सूचकांक की तुलना जीवन ज्ञापन लागत से की जानी होगी। यदि आप इस ओर देखेंगे तो आप पायेंगे कि थोक मूल्य सूचकांक में जबकि (9 जनवरी, 1982 को समाप्त वर्ष में) 6.9 प्रतिशत वृद्धि हुई दूसरी ओर औद्योगिक श्रमिकों के लिए जीवन यापन सूचकांक में 12.4 प्रतिशत वृद्धि, शारीरिक श्रम न करने वाले शहरी कर्मचारियों के लिए 11.4 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के लिए 14.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है। तब वित्त मन्त्री के दावे का क्या हुआ ?

इससे यह नग्न सत्य तथा वास्तविकता दिखाई देती है कि जन साधारण की खपत की आवश्यक वस्तुओं की कमी है और सरकार ऐसी वितरण प्रणाली की स्थापना करने में नितान्त रूप से असफल रही है जिसके द्वारा जो कुछ भी उत्पादन हो अथवा आयात किया जाए वह उपभोक्ता को प्राप्त कराया जा सके।

चाहें दालें हो अथवा खाने के तेल हो व सीमेंट व चीनी हो यह सच्चाई है। परन्तु दूसरी ओर स्वयं सरकार द्वारा इनमें से कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की गई है। मैं आर्थिक अपराधियों की उस भूमिका का उल्लेख नहीं करना चाहता जिसका उल्लेख वित्त मंत्री ने किया है क्योंकि जब शासक दल के मुख्यमंत्रियों को सीमेन्ट जैसी आवश्यक वस्तु के साथ महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में खिलवाड़ करने दिया जाएगा तो आप छोटे अथवा बड़े अपराधियों से किस प्रकार निपट सकते हैं। इस प्रकृति से जो दिखाई देता है। वह उस असावधानी तथा काम करने की इच्छा के पूरी तरह से दब जाने का परिणाम है जिसने इस सरकार को जिसने कार्य का आश्वासन दिया, जकड़ रखा है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं परन्तु मैं उनका विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहता। उदाहरण के लिए वित्त मंत्री ने अपने भाषण में दावा किया कि "आधारढांचा काम कर रहा है।" उनको रेलवे, विद्युत, बन्दरगाहों के बारे में क्या कहना है। इस बड़ी महान सरकार भी प्रधानमंत्री तो उनसे भी एक कदम आगे है। हाल ही में बी० बी० सी० के एक प्रवक्ता द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या रेलवे के कार्य का दक्षतापूर्ण होना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमन्त्री ने इसके उत्तर में कहा—मैं उद्धत करता हूं। "परन्तु भारत के लोग बस अथवा गाड़ी के आरम्भ होने से काफी समय पूर्व भी काफी यात्रा करते थे।" यह बात बी० बी० सी० को दिए गए एक हाल के साक्षात्कार में कही गई है। मेरे विचार से यह बहुत ही है सभी पूर्ण वक्तव्य है जो कि मेरी एटोनियों अथवा जारीन्न को ही शोभा दे सकता है कि महान लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को नहीं जिसके सामने रेलवे जैसी महत्वपूर्ण प्रणाली को सुधारने में नितान्त असफलता की सच्चाई हो। आप किस अन्य आधार ढांचे की बात कर रहे हैं?

हमें बजट को उनके पहले के "गरीबी हटाओ" और 20-सूत्री कार्यक्रम के आश्वासनों के सन्दर्भ में देखना चाहिए, चाहे वे समाजवाद जैसे वे पुराने अथवा नए शब्द हों जो आदत के अनुसार उनके मुंह से फिसल जाते है। मैं जानता हूं कि यह शब्द आजकल के उनके कथनों से प्रायः गुम रहता है। परन्तु परम्परा के रूप में तथा ऐतिहासिक रूप से तथ्य यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आन्दोलन इस लक्ष्य के साथ सम्बद्ध था और इसी कारण हमने इस लक्ष्य की प्राप्ति के आयोजना की प्रक्रिया का चयन किया। मुझे पता है कि ऐसे भी लोग हैं जो वित्त मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को, चाहे वे पुराने हो अथवा नए, तथा कर्मचारी अधिकारियों को, जो वास्तव में निर्णय लेते हैं, फुसला लेते है और उनके लिए इस शब्द का कोई उपयोग नहीं है। परन्तु तथ्य यह है कि इस देश की 30 करोड़ से अधिक जनता अभी भी गुजारे के स्तर से नीचे है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार आश्रयहीनों की संख्या बढ़ गई है और प्रति व्यक्ति खपत व्यय कम हो गया है। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि बम्बई जैसे नगर में ही 40,000 व्यक्ति रक्त बैंक को अपना खून बेच कर अपनी रोजी कमा रहे हैं। शिक्षित वर्ग के युवकों तक को काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। अतः मंत्री महोदय, जनता भोजन, आश्रय, कपड़े तथा काम के लिए चिंतित है। इससे अधिक चिंता की बात यह है कि इस देश में उत्पादन के ढांचा में परिवर्तन उन

लोगों की इच्छा के अनुसार किया जा रहा है। जिनको भूतकाल में विकास का लाभ मिलता रहा है। संसाधनों के अनुचित रूप से बड़े अंश का उपयोग ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है जो वस्तुएं भारतीय सन्दर्भ में उच्च आय वर्ग के लोगों के जीवन के स्तर को बनाए रखने और उसे सुधारने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक है। इस सन्दर्भ में समाजवाद की बात करना भी अपने आप को धोखा है। अतः प्रश्न यह है कि आप अपनी नीतियां किसके लिए तैयार करते हैं? एक उदाहरण देखें। मैं वित्त मंत्री के भाषण के पैराग्राफ-114-121 भाग ख की ओर निर्देश कर रहा हूं। बहुत ही अचम्भे की बात है कि उन्होंने अपने भाषण में सात पैरा में केवल एक उद्योग नकली रेशों तथा यार्न—का उल्लेख किया है। यदि वित्त मंत्री ने यह उल्लेख हथकरघा बुनकरों अथवा सूती कपड़ा उद्योग के लिए किया होता जिसके सामने आज संकट है अथवा ऊनी उद्योग लिए किया होता तो मैं उनकी बात समझ सकता था। यदि उन्होंने कपास की बात की होती.....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें आधे घंटे की चर्चा लेनी चाहिए थी। मेरे विचार से श्री जरिया सभा में उपस्थित नहीं हैं। अतः जैसा हमने सुबह निर्णय किया था हम 'बजट-सामान्य' पर चर्चा पूरी करेंगे। जो भी सदस्य बोलने के इच्छुक है वे बैठे रहे तथा उनको अवसर दिया जायेगा। हम चर्चा को पूरा करने चाहते हैं। कल 12 बजे वित्त मंत्री उत्तर देंगे।

एक माननीय सदस्य : जो बोलना चाहते केवल वही बैठे रहें तथा शेष जा सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यदि वे बैठे रहें तो उनको अवसर मिलेगा। जो यहां पर बैठे रहेंगे तथा जिनके नाम मेरे सामने हैं। उनको अवसर मिलेगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : इसी प्रकार मैं समझ सकता था यदि कपास के उत्पादकों को रियायतें दी जाती ताकि हम लगभग 70 लाख गांठों के उत्पादन के वर्तमान स्तर को 102 लाख गांठों तक बढ़ा सके अथवा यदि भेड़ पालन को प्रोत्साहन दिया होता तो समझा जा सकता था। सूती कपड़ा इस देश में औसतन 6.02 रु० प्रति मीटर के भाव पर बिकता है जबकि पोलिस्टर 25.2 रु० की दर पर बिकता है तथा उसका उत्पादन से भी सूती कपड़े के उत्पादन से 1/10वां भाग है। ये ऐसे तथ्य हैं जो मेरे प्रिय मित्र को पता हैं क्योंकि वे वाणिज्य का काम देखते रहे हैं। परन्तु अब मैं उसका उद्धरण देता हूं जो उन्होंने इस बजट में किया है। मैं उनके भाषण के पैरा 114 से 121 की ओर निर्देश करता हूं। मैं सम्पूर्ण की ओर निर्देश नहीं कर रहा। वे रियायत पर रियायत दे रहे हैं।

"1/6 भाग से अधिक परन्तु 50 प्रतिशत से कम वाले पोलिस्टर फाईबर से युक्त ऐसे मिश्रित यार्न पर जो भारतीय परिस्थितियों में अपेक्षित मिश्रण प्रतीत होते हैं, कुल कर।"

कुछ नामों के बारे में तर्क दिया गया है।

"....को प्रति किलोग्राम 22.50 रु० से घटाकर 11.25 रु० प्रति किलोग्राम करने का विचार है।"

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : इसका बिक्री कर की वसूली से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसके आगे—

"एसीटेट फिलामेंट यार्न, जिसका उपयोग विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में किया जाता है, उस पर.....

यह एक रियायत है जिसे मैं समझ सकता हूं। और वह इसे उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में सम्मिलित कर रहे हैं; जो व्याख्यात्मक ज्ञापन में मद संख्या 11 के रूप में उच्चतम प्राथमिकता के लिए एक अन्य प्रोत्साहन योजना है। परन्तु यह स्वभाविक है कि वित्त मंत्री अरविंद, लालभाई, 'फिक्की' के प्रेसीडेंट अथवा ऐसी अन्य पोलिस्टर उत्पादक जैसे बड़े लोगों के साथ में खुश हैं। उनका एक विज्ञापन इस प्रकार का है "कि महिला अपने आप को अनेक रूपों में व्यक्त करती है—विमल उनमें से एक है।" मुझे विश्वास है कि उनका अगला विज्ञापन इस प्रकार का नहीं होगा कि "विमल उनमें से एक है। बजट एक अन्य है।" अतः यह नीतियां है जो उनके लिए तैयार की जाती है। समाज के किस वर्ग के लिए ? आप किसकी सहायता करना चाहते हैं ? ये प्रस्ताव किस के हित के हैं ? यह नीतियां विदेशों अथवा विनियमों पर आधारित नहीं परन्तु प्रोत्साहनों पर निर्भर करती हैं। नीति निश्चित रूप से एक व्यवधान है। उनका निर्धारण समाज तथा अर्थव्यवस्था के वर्तमान ढांचे के द्वारा किया जाता है। अतः ऐसा समाजवाद जो नीतियों तथा उपकरणों में आधारभूत परिवर्तन की मांग नहीं करता उसे उस नाम से नहीं पुकारा जा सकता। दुर्भाग्य से यह एक ऐसी लोकप्रियता का विकल्प है जिससे लोगों को धोखा दिया जाता है। मतदान के समय धोखा दिया जाता है और जो कुछ बाद में किया जाता है उसका उस बात से कोई सम्बन्ध नहीं होता तो जो मतदाताओं को बताई गई है।

अतः उसका 20-सूत्री कार्यक्रम, जिसकी बहुत चर्चा की गई है चाहे वह नया हो अथवा पुराना, गरीबों के लिए एक प्रकार की अपरिभाषित समानुभूति रहती है। इसलिए, बार-बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि इसके लाभ कहां जाते है ? यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इसके लाभ बेहतर हालात वाले वर्गों के मिल जाते हैं। जैसा कि बजट से स्पष्ट है और जो गत वर्ष कहा गया था। यह एक प्रणाली के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था को उदार किए जाने की एक सुनियोजित चाल है—जिस पर मैं बल देना चाहता हूं—जहां संसाधनों को निजी तौर पर स्वामित्व में लिया जाता है और तब समान रूप से वितरित किया जाता है। स्वभाविक रूप से, इस प्रकार की प्रणाली में, उत्पादन केवल बाजार द्वारा की गई मांग पूरी करने के लिए अनुकूल होगा और संसाधन केवल उनके पास रहेंगे जिनके पास पहले से ही संसाधन हैं। इस प्रकार की स्थिति में यह होता है कि जो कुछ वित्त मंत्री महोदय करना चाहते हैं और जो कुछ करने की उनकी मंशा तो अर्थव्यवस्था में ऋण का मानदण्ड उसी स्तर पर होगा और उसी दिशा में होगी।

यहां पहले ही उठाए गए मुद्दों को मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं वित्त मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हम सभी चयनात्मक कार्यक्रमों से विषमताएं बढेंगी। ये नीतियां व्यापक गरीबी की समस्या को ही हल कर सकती है और न बेरोजगारी समस्या को हल कर सकती हैं। आधारभूत रूपान्तरण के बिना अर्थव्यवस्था के रूपान्तरण के सभी प्रयास प्रति उत्पादक और अवास्तविक हो जाएंगे।

सरकार अथवा उन लोगों के सामने जिन्होंने यह बजट बनाया है, साधारणतया प्रश्न यह है कि देश में उपलब्ध संसाधनों को प्रथमतः कम-से-कम काम चलाऊ जीवनयापन स्तरों के लिए आवश्यक सामान के उत्पादन और सेवाओं के लिए उपयोग में लाया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से, अफसोस यह बजट पिछले बजट जैसा ही है। मुझे यह कहते हुए अफोस हो रहा है। मुझे वित्त मंत्री महोदय से लगाव है और मैं उन्हें अपना घनिष्ठ मित्र मानता हूं यद्यपि हम अलग-अलग दलों में है। लेकिन, मुझे कहते हुए दुःख है कि इस बजट से मुद्रास्फीति और उसके परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होगी। इससे उत्पादन पद्धति और अधिक खुशहाल लोगों के पक्ष में जाएगी। 'गरीबी हटाओ' के बजाय यह गरीबी बढ़ाओ, कार्यक्रम बन जाएगा। इससे बेरोजगारी अधिक बढ़ेगी और गरीबी बढ़ेगी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ऋण पद्धति,जिसे स्वीकारना उन्होंने वरण किया है और इस बजट प्रस्तावों द्वारा उनकी शर्तों की ओर अधिक की गई तरफदारी के सन्दर्भ में, यह भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी के चक्रवात में धकेल देगा।

मैं वित्तमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को यह जानता हूं। एक समय था जब उनका दिल ठीक जगह पर था। मैं नहीं जानता अब उन्हें क्या हो गया है। अब उसमें गड़बड़ नजर आती है। जो इस बजट से स्पष्ट परिक्षित होता है। यह बजट अमीरों का है। अमीरों के लिए हैं और दुर्भाग्य से एक अमीर द्वारा तैयार किया गया है।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार (फरीदकोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फाइनांस मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देती हूं जिन्होंने बजट पेश करते वक्त हर पहलू को ध्यान में रखा और ब .ट पेश करने से पहले उन लोगों से भी मशविरा जो लोग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर या लेबर के साथ सम्बन्ध रखते थे। इन सब चीचों को देखते हुए प्रधानमन्त्री जी ने वर्ष 1982 को जो "प्रोडिक्टिव इयर" कहा है, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और नए बीस-सूत्री कार्यक्रम में दिए गए निर्देशों को यह बजट पूरा करेगा। अगर मैं इस बजट को प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बजट कहूं तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह बहुत ही अच्छी बात है और मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 1982 में प्रोडक्शन बढ़ाने में बजट अवश्य मदद करेगा। आज इस चीज की मुल्क को सख्त जरूरत है।

फाइनेंस मिनिस्टर को बजट तैयार करते वक्त रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कंट्रोल ऑफ इन्फलेशन, मीटिंग दी चैलेंजस ऑफ दी पेमेंट्स, प्रमोशन ऑफ लार्ज सेविंग्स और इकनामिक ग्रोथ, इन बातों का ध्यान रखा है।

छठी योजना का यह जो साल है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो पिछले दो सालों में काम हुआ है उसको आगे बढ़ावा देना इस साल बहुत जरूरी है। इनवैस्टमैंट करने का जो प्रोग्राम वित्तमंत्री जी ने रखा है उससे भी अगर टैम्पो बढ़ता है और जो प्लान आउट ले इन्होंने किया है 27.6 परसेंट वह राइट दिशा में कदम है और इससे मुल्क और तरक्की करेगा।

आप इरिगेशन को लें। उसके लिए पानी की सख्त जरूरत होती है। हमारे पास जो 61.32 मिलियन हैक्टर जमीन है उससे हम पूरी तरह से फायदा नहीं उठा रहे हैं पानी न होने की वजह से और 57.21 मिलियन हैक्टर से ही फायदा उठा रहे हैं। इसको ध्यान में रखकर नेशनल वाटर डिवेलेमेंट एजेंसी की जो बात बात इन्होंने की है जो इस साल स्टार्ट होगी, इससे मैं

समझती हूँ फायदा होगा। इसके जरिए पैनिनसुलर रिजर्व का सर्वे और इनवैस्टीगेशन किया जाएगा। साथ ही नेशनल परस्पैक्टिव प्लान ऑफ वाटर रिसोर्सिस है, उसकी भी मैं सराहना करती हूँ। इससे पहले हिमालयन रिवर्ज जो हैं उनको ध्यान में रखकर डैवलपमेंट किया जाएगा, पैनिनसुलर रिवर्ज का डिवेलेमेंट किया जाएगा और इसके लिए 107 करोड़ रुपया रखा गया है दस साल के लिए और शुरू में इस काम के लिए दो करोड़ इस एजेंसी को दिया गया है।

यह जो कमांड एरिया डिवेलेपमेंट प्रोग्राम है यह भी बहुत अच्छा है। इससे फील्ड चैनल्ज को और बढ़ावा मिलेगा, फील्ड ड्रेज को और बढ़ावा मिलेगा। सबसे जरूरी चीज है लैंड लेवलिंग की। अगर लैंड लैवेल न हो तो जो पानी है वह जाया हो जाता है। लैंड लैवलिंग और लैंड शेपिंग के लिए जो पैसा रखा है, उसकी भी मैं तारीफ करती हूँ। यह भी बहुत बढ़िया स्कीम है।

लोन असिस्मेन्ट जो दिया है असम गवर्नमेंट को ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के लिए उसकी सराहना करती हूं। 58 करोड़ का कुल लोन उसको मिलेगा। इसी तरह से उड़ीसा में रंगोली डैम प्राजेक्ट के लिए ब्राह्मणी रिवर पर इस साल के लिए चार करोड़ रखा गया है और 3.50 करोड़ अगले साल के लिए रखा गया है। केरल के लिए सी इरोजन कंट्रोल के लिए सात करोड़ इस साल के लिए रखा गया है। यह भी एक लांग टर्म पालिसी है जो बहुत अच्छी है। इंटरलिंकिंग आफ वैरियस रिवर्ज इन दी कंट्री के बारे में जो बात कही गई है वह भी बहुत अच्छी चीज है।

तमाम जितनी जमीन हमारे पास है उसको हम पूरी तरह से कल्टीवेट कर सकें इसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। मेरी एक प्रार्थना है। अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका भी पूरी तरह से फायदा उठाया जाना चाहिए। पंजाब में कंडी ऐरिया में डीप ट्यूवैल लगाए गए हैं। उससे हमें एरिया को डिवेलप करने में बहुत फायदा होगा। इसको और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए।

मुझे खुशी है कि इरिगेशन के लिए बहुत पैसा रखा गया है। थर्मल पावर स्टेशन से, पानी से हम बिजली लेते हैं, हाइड्रो एटमिक पावर स्टेशन हमने लगाए हैं। हमें रिन्यूएवल एण्ड सोर्सिस आफ एनर्जी की जरूरत है जिसमें सोलर, विंड टाइडल एण्ड जियो थर्मल वगैरह आ जाते हैं। इसमें कोई ज्यादा मेरे ख्याल से जोर नहीं दिया गया है रिसर्च वगैरह इसके बारे में अगर जोरशोर से किया जाए तो मैं समझती हूँ कि इसमें भी हमें कामयाबी मिल सकती है।

एनर्जी सैक्टर के लिए मैसिव इनवैस्टमेंट किया गया है जो 62 परसैंट टोटल आउटले में मौर है पिछले साल के मुकाबले में। पैट्रोलियम और कैमिकल्ज सैक्टर में 2045 करोड़ रखा गया है जिसका मतलब यह है कि इस साल नब्बे प्रतिशत ज्यादा रखा गया है। कोल के लिए 1981-82 में जहां 578 करोड़ रखा गया था इस साल 877 करोड़ रखा गया है। पावर सैक्टर के लिए जहां 1981-82 के लिए 721 करोड़ रखा गया था वहां इस साल 929 करोड़ रखा गया है। जबकि 1981-82 में 721 करोड़ था। ख्याल है इस और ज्यादा मेगावाट होंगे।

हमारे पंजाब की प्रोब्लम यह है कि बहुत से प्लान्स अभी भी गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास पड़े हैं, जिसमें आ जाता है आनन्दपुर साहब हाइडल प्रोजिक्ट । यह प्रोजिक्ट 1970 में सैन्ट्रल वाटर पावर कमीशन से मांगा था उस वक्त इसकी कीसट थी 29.19 करोड़ । फिर 1975 में वह कीस्ट बढ़कर हो गई 52,40 करोड़ । अब सितम्बर, 1980 में बढ़कर हो गई 96 करोड़ रु० । अब इनर्जी मिनिस्टर ने कह दिया कि कि इसमें कुछ टैक्नीकल पोइंट्स हैं और इंटर स्टेट इशूज हैं । जबकि इसमें कोई कांर्ड इण्टर स्टेट इसूज नहीं हैं । पंजाब सरकार कहती है कि जल्दी करो, क्योंकि वह पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और जुलाई, 1982 में कमीशन भी कर रहे हैं फर्स्ट पावर हाउस की । ऐसे ही दूसरी स्कीम है जो कि मुकरियां हाइडल प्रोजक्ट है । उसकी भी यही हालत हुई, पहले कम खर्चा था, लेकिन इस वक्त बढ़कर बहुत ज्यादा हो गया है । फिर कह दिया यह इण्टर स्टेट है । मेरा कहना है कि इण्टर स्टेट इसमें बिल्कुल नहीं है । मेरी गुजारिश है कि प्लानिंग कमीशन जल्दी से क्लीयर करे ताकि पंजाब को पावर मिल सकें ज्यादा । इसी तरह से थीयन डैम प्रोजेक्ट आपने सुना होगा । जब वहां अकाली सरकार होती है तो वह कांग्रेस को कोसते हैं और जब हम यहां आते हैं तो हम कहते हैं कि इसको जरा जल्दी करो ताकि पंजाब एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले जो कि सैन्ट्रल पूल में 60 परसेंट फूडग्रेन देता है । ऐसे ही शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट है । उसकी भी यही कंडीशन है । तो आप मेहरबानी करके इनकी ऐक्सपंडाइट करें ताकि पंजाब को ज्यादा पावर मिल सके और उससे हम इंडस्ट्री और एंग्रीकल्चर को बढ़ा सकें ।

इस दफा डिफेंस के लिए 5,100 करोड़ रु० रखा गया है जिसको माननीय फर्नाण्डीस ने क्रिटिसाइज किया है कि 500 करोड़ रु० इसमें क्यों बढ़ाया गया ? माननीय फर्नाण्डीस साहब बार्डर स्टेट में नहीं रहते जहां कि ज्यादा खतरा है । वह तो इतनी दूर बैठे हैं उनको पता ही नहीं लगता कि पंजाब के बौर्डर एरियाज वालों की क्या हालत है ? 1962, 1965 और 1971 में पाकिस्तान से लड़ाइयां हुई । उसकी रोशनी में अगर अब ।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए ।)

हिन्दुस्तान अपनी पूरी तैयारी करता है तो पंजाब, राजस्थान और रन आफ कच के लोग खुश होंगे कि कुछ न कुछ तैयारी हो रही है । ऐसी सूरत में 500 करोड़ रु० का इजाफा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो समझती हूं कि 500 करोड़ रु० से भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि मुल्क को बचाना है । जरूरी नहीं है कि लड़ाई हो, लेकिन अपनी तो पूरी तैयारी होनी चाहिए । मुझे हैरानी थी जब वह क्रिटिसाइज कर रहे थे । इण्डियन ओशन में आप देखते हैं क्या हो रहा है । चारों तरफ मुल्कों में क्या हाल हो रहा है । अगर तैयारी नहीं करेंगे तो कसूर हमारा होगा ।

वित्त मंत्री जी ने बहुत सी राहतें दी हैं । लेकिन एक बात कहना चाहती हूं कि एस्टेट ड्यूटी को ध्यान में बिल्कुल नहीं रखा । 1953 में यह ड्यूटी लगी थी, तो यह ऐक्ट बेस कर रहा था इंगलिश एस्टेट ड्यूटी ऐक्ट के ऊपर । उस वक्त उन्होंने 50,000 रखा था । इस वक्त रुपये की कीमत 22 पैसे आ गई है । तो 50,000 रु० तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है ।

श्री प्रणव मुखर्जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि सारे मुल्क में, स्पेशली बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में हाउसिंग की शार्टेज है । इतनी हमारी एजेन्सीज हैं जो एम० आई० जी०, एल० आई० जी० स्कीम के अण्डर हाउसेज बनाने की कोशिक कर रही हैं, लेकिन अभी तक हम पूरे टारगेट पर नहीं पहुंचे हैं ।

सेलरीड परसन्स जो अपनी सारी लाइफ की सेविंग्ज, प्रावीडेंड फण्ड लगाकर, लोन लेकर घर बनाते हैं, उनका हश्र देखिए क्या होता है। जिस वक्त उसकी डैथ हो जाती है तो उसके हेयर को बड़ी मुसीबत आ जाती है, उस पर बहुत ड्यूटी लगती है। आप हैरान होंगे कि प्रापर्टी की 31 मार्च, 1971 को जो कीमत थी, वैल्थ टैक्स उस पर लगता है और जो एस्टेट ड्यूटी लगती है वह आजकल के मार्केट रेट पर वैल्यूएशन करते हैं, उस पर लगती है। यह बड़ी अजीब बात है कि वैल्थ-टैक्स फर्क टाइम पर लगता है और एस्टेट ड्यूटी फर्क टाइम पर लगती है।

मेरा फाइनेन्स मिनिस्टर से निवेदन है कि वह इस बात का ध्यान रखें और सेलरीड परसन जो होते हैं, उनको एल० आई० जी०, एम० आई० जी० ग्रुप में एक घर फ्री देना चाहिए, उस पर कोई एस्टेट ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। यह मेरी जोरदार अपील है। और मैं उम्मीद करती हूं कि फाइनेन्स मिनिस्टर इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे।

बाकी उन्होंने बहुत सी चीजें दी हैं जो कि सही हैं। अगर एस्टेट ड्यूटी से एक रैजीडेंशल हाउस को एग्जम्पट कर दें तो मेरा ख्याल है कि लोग इसको बहुत वैलकम करेंगे।

एग्रीकल्चर कितना इम्पार्टेन्ट है, यह आपको पता ही है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के पास बफर स्टाक है। कोई जमाना था जब आजादी मिली थी तो लोग कहते थे कि इनके पास इतना अन्न है ही नहीं कि मुल्क के लिए पूरा कर सकें, ये बाहर से मंगवाया करेंगे। लेकिन आजकल एग्रीकल्चर में जो पंजाब व हरियाणा ने हिस्सा डाला है, वह 60 परसेंट सेंट्रल पूल को व्हीट और राइस देता है। मैं उन फार्मर्स को मुबारकबाद देती हूं।

समापति महोदय (श्री सोमनाथ चटर्जी) : आप समाप्त करें।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार : समापति महोदय, अभी तो मेरी बात पूरी नहीं हुई। जो हमारे भाई थे जार्ज फर्नाण्डीस, वह एक घण्टे बोले और इतना ऊंचे बोले कि सिर-दर्द हो गया और उसके बाद मथन भाई बरोट बोले वह भी इतना ऊंचा बोले कि उन्होंने माइक का कोई फायदा नहीं उठाया। तो इतने नायज पौल्यूशन के बाद अब थोड़ा औरतों को टाइम दें।

समापति महोदय (श्री सोमनाथ चटर्जी) : हमें आपके दल के प्रत्येक सदस्य को 10 मिनट देने हैं। मैंने पन्द्रह मिनट के पश्चात् पहली घण्टी बजाई है।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार : एग्रीकल्चर में इन्होंने बहुत अच्छा किया, 54.90 करोड़ आई० सी० ए० आर० के लिए दिया है। यह बहुत इम्पार्टेन्ट है। डैवलहमेंट आफ कमर्शियल क्राप्स, काटन-जूट, पल्सेज, आयल सीड्ज वगैरह के लिए 2.44 करोड़ रुपया दिया है। एक्सटैंडेड क्राप इंश्योरेंस स्कीम बहुत इम्पार्टेन्ट है, क्योंकि बेचारे किसान को पता नहीं होता कि कब ओले पड़ जाएंगे। वह अपने हरे खेत को लहलहाते देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक ओले जब पड़ते हैं तो क्राप ऐसे हो जाती है जैसे कैंची से काट दी हो। क्राप इंश्योरेंस स्कीम जरूर होनी चाहिए।

मुझे खुशी है कि वायो-गैस गांव-गांव में लगाने की कोशिश की है और उसके लिए 5 करोड़ रुपये रखे गए हैं । फर्टिलाइजर के लिए इन्होंने 1174.34 करोड़ रखा है, लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि कुछ स्टेट्स जैसे राजस्थान वगैरह है, इनमें सेल्स टैक्स लगता है । यह बहुत फनी बात है । यह सेल्स टैक्स उस पर लगाते है तो जो स्टेट्स पंजाब वगैरह लेते हैं, उन पर सेंट्रल टैक्स लगता है 4 परसेंट । एक ही जगह पर कुछ फर्टिलाइजर बगैर सेल्स टैक्स के बिकता है और दूसरी जगह विद-सेल्स टैक्स । मेरा सबमीशन है कि सारी स्टेट्स को फर्टिलाइजर पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए ताकि एक ही कीमत पर फर्टिलाइजर बिक सके ।

नेशनल रूरल एम्पलायमेंट प्रोग्राम सराहना के योग्य है । हाट एण्ड कोल्ड एरिड जान्ज के कुछ सिलेक्टिड एरियाज में डैवलपमेंट और प्राडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 8 करोड़ रुपये रखे गए हैं । यह बहुत इम्पार्टेन्ट है । हमारी पापुलेशन बढ़ती जा रही है और जमीन कम है । इस हालत में अगर हम जमीन से ज्यादा से ज्यादा फायदा नहीं उठाएंगे, तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा । पापुलेशन कन्ट्रोल भी होना चाहिए और जो जमीन है, उससे भी पूरा फायदा उठाना चाहिए । बजट में यह जो प्राविजन किया गया है, हम इसकी श्लाघा करते हैं । नेशनल बैंक फरर एग्रीकल्चरल एण्ड रूरल डैवलपमेंट की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का जो प्राविजन किया गया है, इसको सब लोगों ने सराहा है ।

जहां तक सीमेंट का ताल्लुक है, बिल्डिंग कम्पनियां और डिस्ट्रीब्यूटर्ज ने गवर्नमेंट द्वारा इण्ट्रोड्यूस किए गए नए सिस्टम की बहुत प्रशंसा की है । इसके लिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देती हूं । इससे बिल्डिंग एक्टिविटी और खासकर हाउस-बिल्डिंग एक्टिविटी को बहुत बढ़ावा मिलेगा । अगर फ्री सेल के कोटा को 33.5 परसेंट से बढ़ाकर 35 परसेंट कर दिया जाता, तो सीमेंट और भी सस्ता हो जाता । सीमेंट की कीमत 125 रुपये तक चढ़ गई थी, मगर इस बजट के आने के बाद वह 62 रुपये तक आ गई है ।

प्राइम मिनिस्टर ने नए-20 पावंट प्रोग्राम में लेप्रासी, टी० बी० और ब्लाइंडनेस की रोक-थाम को रखा है । ये सब क्यूरेबल डिजीजिज हैं अगर बच्चों को छोटी उम्र में पूरे विटामिन्ज और बैलैंस्ड डाइट दी जाए तो ब्लाइंडनेस का खतरा दूर हो सकता है । फैमिली प्लानिंग के बारे में मैं हैल्थ मिनिस्ट्री डिमांडज पर डिसक्शन के वक्त कुछ कहूंगी, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि इसको बिलकुल वालन्टैरी प्रोग्राम रखना चाहिए । मुझे खुशी है कि श्री सतीश अग्रवाल ने कहा है कि नैशनल इम्पार्टेन्स के मामलों में वह और उनसी पार्टी गवर्नमेंट का साथ देगी । आपोजीशन से मेरी अपील है कि वह इस प्रोग्राम में पूरा सहयोग दे, क्योंकि इसमें सारे मुल्क की बहबूदी है कि पापुलेशन को कंट्रोल किया जाए । पापुलेशन के बहुत ज्यादा बढ़ने की बजह से ही इतनी तरक्की होने के बावजूद उसका फायदा नजर नहीं आता है ।

डिपार्टमेंट आफ ओशन डैवेलमेंट नया बनाया गया है । हमारी जो टीम एण्टार्क्टिका गई थी, उसके बारे में पिक्चर को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई । इससे हमें मानसून के बारे में मिल सकेगी । हमारी टीम एनटार्क्टिका के पहाड़ों से ऐसी राक्स लाए हैं, जो साउथ पाई जाने वाली राक्स से मिलती हैं ।

सेविंरज को माप उस करने के लिए कई अच्छी स्कीमें जारी की गई हैं, जिनमें सोशल सिक्युरिटी सार्टिफिकेट और कैपिटल इनवैस्टमेंट बांड भी हैं। चूंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं उनकी डीटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। जो इण्डियन्ज दूसरे मुल्कों में रहते हैं, उनके लिए भी कई इनसेन्टिव्ज रखे गए हैं, ताकि वे अपना पैसा हिन्दुस्तान में खर्च करें और इस मुल्क से अपने प्यार को ज़ाहिर करें।

अहमदाबाद के गुप्ता साहब ने एक अखबार में लिखा है :—

"आयकर मोर्चे के सम्बन्ध में, डा० गुप्ता ने कहा। कर-मुक्त सीमा 47,800 रु० तक बढ़ गई है। यदि कोई सभी उपलब्ध कराए गए सभी लाभों का पूरा-पूरा फायदा उठा सकता हो। 15,000 की छूट सीमा के अलावा, उपबन्ध कराए गए लाभ हैं, 5,000 रुपए की मानक कटौती, 7,000 रु० की निर्दिष्ट जमा से होने वाली आय पर छूट, धारा 80 सीसी के अन्तर्गत कम्पनी शेयरों में 10,000 रु० तक का पूंजी निवेश, 6,000 रु० तक भविष्य निधि और जीवन बीमा में अंशदान, 4,800 रुपए तक मकान किराया भत्ता।"

इस तरह है टैक्स फ्री लिमिट 47,800 रु० तक हो जाती है।

मेरा ख्याल है कि यह बिल्कुल फर्स्ट क्लास बजट है। यह एक एन्टी-इनफ्लेशनरी बजट है, जिससे तो इनकम ग्रुप और गरीब आदमियों को पूरी मदद मिलेगी। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को दोबारा धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे मौका दिया।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : सभापति महोदय, इस यथार्थवादी बजट के लिए मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे आशा है। मेरे द्वारा उनको बधाई दिए जाने पर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि आप भी उसी राज्य के हैं।

सभापति महोदय : वही अकेला कारण नहीं हो सकता। मुझे इस बात पर कोई अफसोस नहीं है कि वर्तमान व्यवस्था में वह वित्त मंत्री हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : कितने नकारात्मक पहलू हैं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : विभिन्न दृष्टिकोणों से बजट पर चर्चा की गई है। बजट के अनेक आलोचनात्मक विश्लेषण किए गए हैं। यहां मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि उन्हें क्षेत्र विशेष को लेकर उसका विश्लेषण नहीं करना चाहिए और न यह कहना चाहिए कि बजट उन विरोधी अथवा राष्ट्रविरोधी है, जो कुछ वे इसके बारे में कहते हैं। यह देखने के लिए हमें बजट का समग्ररूप से विश्लेषण करना चाहिए कि क्या यह बजट रोजगार के अवसर पैदा करने और उत्पादन में वृद्धि के जरिए जनता के लिए लाभप्रद अथवा सहायक होगा।

यहां यह कहा गया था कि यह बजट सरकार की नीति को प्रतिबिम्बित नहीं करता है। लेकिन जहां तक मेरा सम्बन्ध है। मैं कहता हूं कि यह बजट सरकार की नीति को प्रतिबिम्बित करता है। हम जानते हैं और आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमने अपने संविधान में निहित

निर्देश सिद्धान्त स्वीकार किए हैं। अनेक कल्याणकारी उपाय कार्यान्वित किए जाने हैं। उन्हें कार्यान्वित किया जाना है। उस प्रयोजन के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने, हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण विकास, वानिकी, स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार कल्याण के मामले में और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों के लिए ये वे मदें हैं जिन्हें निर्देश सिद्धान्तों में शामिल किया गया है। इसलिए, मैं कह सकता हूं कि यह बजट वास्तव में सरकार की नीति को प्रतिबिम्बित करता है।

एक दूसरी महत्वपूर्ण बात ऊंचे उत्पादनों हेतु रियायतों के बारे में हैं। वर्ष 1982 की उत्पादकता वर्ष के रूप में प्रधानमंत्री की घोषणा के आधार पर वित्त मंत्री महोदय ने ज्यादा उत्पादन बड़े और छोटे उद्योगों में उत्पादकता और कार्य को बढ़ाने के लिए कर छूट अभी तथा हथकरघा क्षेत्र के परिष्कृत अथा ब्लेडेड फेब्रिक पर उत्पादन शुल्क से पूरी और तीव्र विकास के लिए कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा की है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज कल्याण कार्यो में बड़ी रुचि ली है। कुछ और महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। जिन पर वित्त मंत्री महोदय ने आम जनता की बेहतरी के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है।

इसके अलावा, ऋण पत्रों में पूंजी निवेश हेतु ब्याज की दर बढ़ा दी गई है, यह उन लोगों के लिए है जो उद्योगों में निवेश करते हैं, उन्हें ऊंची ब्याज दरें प्रदान की गई हैं इसी प्रकार बैंकों को कुछ सुविधाएं दी गई हैं। अर्थात् आरक्षित धनराशि, जो आयकर से मुक्त है, के रूप में 40 प्रतिशत का मुनाफा। भारतीय बैंक विदेशी बैंकों से सम्पर्क कर सकती हैं और विदेशों में अधिक सीमा तक अपनी जमा धनराशि का निवेश कर सकती हैं जिससे विदेशों में हमारी बैंकों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का आसानी से वित्त पोषण किया जा सके। इस क्षेत्र को और मजबूत बनाया जाना है। इस प्रकार विदेशों में हमारे वित्तीय कार्यों का और विकास होगा।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा योजना आबंटन के बारे में है। 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि योजना के लिए आवंटित की गई है। जहां तक योजना की सम्बन्ध है। मैं एक बात कहना चाहूंगा।

इन योजना प्रस्तावों का प्रारूप केन्द्र में बनाया जा रहा हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन० डी० सी०) की बैठक आयोजित की जा रही है। सभी मुख्य मंत्री बुलाए जाते हैं। चर्चाएं होती है। उसके बाद धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। विशुद्ध परिणाम है कि जल प्रयोजन विशेष के लिए धनराशि का उपयोग किया जाता है तो केन्द्र अथवा एन० डी० सी० यह जानते कि योजना विशेष के लिए खर्च होने वाली धनराशि कितनी होगी अथवा क्या निहित की धनराशि को सही ढंग से खर्च किया गया। इन बातों का विश्लेषण किया जाना है। दूसरे लिए एक निगरानी पद्धति होनी चाहिए। केवल तभी योजना के लिए आवंटित धनराशि का सही तरीके से उपयोग किया जा सकेगा। इस मामले में, मैं इस बात का सुझाव देना चाहता हूं कि योजना आवंटनों के कार्यनिष्पादन तथा राज्य सरकारों के अन्य कार्यनिष्पादनों पर निगरानी रखने के लिए सरकार को समुचित निगरानी प्रणाली बनानी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह वर्ष उत्पादकता वर्ष है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की एक प्रकार से पुनः राष्ट्रीयकरण किए जाने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को गैर-सरकारी क्षेत्र के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और केवल तभी इस वर्ष को 'उत्पादकता वर्ष' कहना सार्थक होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें जिससे वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन पर निगरानी रख सकें।

आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि—

"औद्योगिक उत्पादन 1981-82 में 8 प्रतिशत के लगभग बढ़ा है। जनवरी, 1982 के अन्त तक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 5.4 प्रतिशत तक गिरी है। खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं के सूचकांक में, थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट आई है।"

प्रो० मधु दण्डवते : और केरल सरकार भी गिरी है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : इस सप्ताह में भी, चौथे क्रमिक सप्ताह में न्यूनतम गिरावट हुई है। यह, मैं तब कहता हूं जब इसने विषम परिस्थितियों में हमने यह उपलब्धि प्राप्त की है? यदि आप दूसरे पहलुओं का खास तौर पर दूसरे क्षेत्रों में, विश्व के अन्य क्षेत्रों का अध्ययन करें, यदि आप विश्व बैंक की 1980-81 की रिपोर्ट पढ़े, इनमें बताया गया है, पृष्ठ 19 पर इस रिपोर्ट में बताया गया है—

"औद्योगिक देशों में मंदी बहुत ज्यादा है। ऊर्जा लागतों, मुद्रास्फीति, उंची ब्याज दरों, मुद्रा विनियम दरों में अस्थिर परिवर्तन। विश्व व्यापार की धीमी गति और पेट्रोलियम के अतिरिक्त अन्य प्राथमिक उत्पादों के मूल्यों में कमी से अनेक विकासशील देशों के लिए कठिनाई हो गई।"

औद्योगिक देशों की चर्चा करते हुए विश्व बैंक कहता है—

"औद्योगिक देशों के वास्तविक उत्पादन की वृद्धि 1976 से 1979 तक 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि से कम होकर 1980 में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि रह गई।

"संयुक्त राज्य अमरीका और इंग्लैंड में विकास में ह्रास आया था और कनाडा, फ्रांस तथा जर्मनी में बहुत मन्दी थी। इन देशों में आर्थिक मंदी के साथ-साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ रही थी।"

यह स्थिति औद्योगिक देशों की है।

यदि समाजवादी देशों की बात करें जिनका कि मैं उद्धरण देना चाहता हूं—इस क्षेत्र के अधिकार उच्च आय वाले देश यथा—रूमानिया और युगोस्लाविया दोनों में कुल देशी उत्पाद की खपत और निवेश की विकास दर में उल्लेखनीय गिरावट से पिछले वर्ष सामान्य मंदी हुई है। युगोस्लाविया और रूमानिया दोनों ऊर्जा संरक्षण और आयातित तेल पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं और दोनों देश कृषि निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन वृद्धि पर जोर दे रहे हैं।

यह स्थिति समाजवादी देशों की है।

आप जानते ही है कि हमारा पड़ोसी देश चीन है।

"बजट और कुल मांग तथा पूर्ति के संतुलन पर कतिपय अप्रत्याशित प्रभाव मुख्यतः निवेश में नियोजित कमी पूर्णता प्राप्त न कर पाने से लक्षित हुए हैं। 1979 और 1980 में भारी अनियोजित बजट घाटा हुआ, इसमें मुद्रास्फीति का दबाव भी था जो मूल्य नियन्त्रण प्रणाली द्वारा अंशतः कम किया जा सका।"

सरकारी तौर पर मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत बताई गई परन्तु गैर-सरकारी तौर पर यह 12 प्रतिशत बताई गई।

कल के अखबार में देखा है कि जापान में विकास की गति में 0.9 प्रतिशत गिरावट आई।

ऐसी परिस्थितियों में जब कि सम्पूर्ण विश्व में मंदी का दौर है, भारत ने निश्चित रूप से कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार—

"देश के कृषि और औद्योगिक आधार पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक और बहुआयामी हो गए हैं; खाद्यानों का आयात धीरे-धीरे बंद कर दिया गया है, हालांकि खाद्यान्नों का अच्छा खासा बंभर स्टाक रखा गया है, कुल निवेश और राष्ट्रीय बचत दरें कुल राष्ट्रीय उत्पादन की 22 प्रतिशत के प्रभावी स्तर तक पहुंचा दी गई है; और विदेशी ऋण बहुत कम है।"

इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए हम निश्चित रूप से दावा कर सकते हैं कि भारत बहुतर स्थिति में है।

यहां हमने श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर ही चर्चा नहीं की है। हमने पिछले बजट की भी चर्चा की है, जिसे जनता सरकार ने प्रस्तुत किया था। भूतपूर्व मंत्री श्री जार्ज फर्नाण्डीस ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए। कुछ सदस्यों ने इन आंकड़ों की विश्वसनीयता को चुनौती दी और उनसे झूठे तर्क न देने को कहा। उन्होंने इकानामिक सर्वे से उद्धरण दिया। मैं उसी इकानामिक सर्वे के पृष्ठ 5, सारणी 2.1 का वह अंश नीचे दे रहा हूँ—

"कृषि उत्पादन 1977-78—12.64 करोड़ टन, 1978-79—13.19 करोड़ टन; 1979-80—1.97 करोड़ टन; 1980-81—12.987 करोड़ टन।"

श्री फर्नाण्डीस ने 1980-81 के आंकड़ों जानबूझ कर छोड़ दिए।

इसी तरह मैं उर्वरक-निवासी के बारे में उद्धरण देना चाहता हूँ—

"1980-81 में 4.9 प्रतिशत वृद्धि हुई, अर्थात् 1979-80 में 52.6 लाख टन से बढ़कर 1980-81 में 55.2 लाख टन हो गया। देशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बहुत अधिक उपाय किए गए।"

कोयले के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 1977-78 में कोयला उत्पादन 890 लाख टन था जो 1980-81 में बढ़कर 1010 लाख टन हो गया।

इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में इकानामिक सर्वे के पृष्ठ 16,4.3 में बताया गया है :—

"औद्योगिक उत्पादन में 1979-80 में 1.4 प्रतिशत की कमी हुई जबकि 1980-81 में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह उन ठोस प्रयासों से सम्भव हुआ जिससे दूसरी तिमाही के बाद तेजी से सुधार लाया गया। 1980-81 के पहले तीन महीनों के दौरान 2.4 प्रतिशत कमी का तुलना में आने वाली तीन तिमाहियों में वृद्धि दर क्रमशः 2.1, 7.1 और 8.8 प्रतिशत रही।

मैं औद्योगिक उत्पादन के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। 1979-80 में यह प्रतिमास इस प्रकार था:—अप्रैल—2.1, मई—1.7, जून—0.3, जुलाई—1.3, अगस्त—1.4, सितम्बर—0.1, यदि 1980-81 को लें तो आंकड़े इस प्रकार है; जुलाई 2.3, अगस्त 0.7, सितम्बर 3.2, अक्टूबर 5.1 और 5.5।

1980-81 में भी यह रिकार्ड किया गया। औद्योगिक उत्पादन सूची के बहुत से आंकड़े हैं—1979-80—148.1 और 1980-81—160.1। मैं बहुत से आंकड़े उद्धत कर सकता हूं।

दूसरा महत्वपूर्ण मामला जिसका जिक्र हर एक ने किया—वह विश्व मुद्राकोष ऋण है। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हम इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एक प्रश्न उठता है कि क्या भारत सरकार इस ऋण को वापस करने की स्थिति में होगी या नहीं और आप क्या देश को गिरवी रखने जा रहे हैं ? मैं यहां न्यूयार्क टाइम्स का उद्धरण देना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि:—

"विशेषत: देश कोष के समक्ष तभी आते हैं जब वे गहने वित्तीय संकट में हों, जब उनकी नगद मुद्रा खत्म हो जाए और उनकी मुद्रा को अत्यधिक मूल्यह्रास का सामना करना पड़े, परन्तु भारत की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत है, इसकी गेहूं और चावल की पर्याप्त पैदावार हुई है इसलिए चार वर्षों से अन्न का आयात नहीं किया गया है। गल्फ राज्यों में बढ़ती हुई संख्या में प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि से मुद्रा संचय करने में सहायता मिली है। और भारतीय उद्योग प्रतिवर्ष अपने निर्यातों में वृद्धि कर रहा है तथा उसके देशी उत्पादों ने आयातित उपभोक्ता वस्तुओं का स्थान ले लिया है।"

यह भारत के विकास प्रयत्नों पर अमरीकी प्रैस द्वारा हाल में की गई कटुतापूर्ण टिप्पणियों से हट कर की गई टिप्पणी है। इसमें यही कहा गया है कि हमारी स्थिति सुदृढ़ है और इस बात का भय करने की कोई आवश्यकता नहीं कि क्या भारत इसे वापस कर सकेगा या नहीं।

एक अन्य महत्वपूर्ण मामला जिसके बारे में मैं कुछ शब्द शब्द कहना चाहता हूं—वह 20 सूत्री कार्यक्रम है.....

प्रो० मधु दण्डवते : 5-सूत्री कार्यक्रम का क्या हुआ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : हम 20-सूत्री कार्यक्रम का स्वागत करते हैं। सरकार ने सभापति महोदय के राज्य सहित-राज्यों को कुछ सहायता-राशि अलग से निश्चित कर दी है। परन्तु उसका उपयोग उचित ढग से—विशेष रूप से मेरे राज्य में नहीं हो रहा है। 1977 से 1980 तक इस राशि का उचित उपयोग नहीं हुआ। योजना आयोग ने विशेष क्षेत्रों के पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए शिवरामन समिति नामक एक समिति गठित की थी। इस शिवरामन समिति ने मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, इस संस्थान के निदेशक श्री सी० टी० कुरियन, राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य—को रामनाथपुरम के दो जिलों—और धर्मपुरी जिले का सर्वे करने के लिए कहा। इस सर्वे में कहा गया है—मैं सर्वे के निष्कर्ष का ही उद्धरण दे रहा हूं:—

> "समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कम के बदले अनाज कार्यक्रम और रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की दशा सुधारने सम्बन्धी बहुचर्चित क्रैस योजना रामनाड और धर्मपुरी जिलों में बुरी तरह असफल रहीं।"

संस्थान के पिछले वर्ष स्वयं केन्द्र द्वारा पिछड़े घोषित किए गए रामनाड व धर्मपुरी जिलों में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित काम के बदले अनाज जैसे कार्यक्रमों के मूल्यांकन का कार्य किया इसने राज्य सरकार के अधिकारियों की अयोग्यता भ्रष्टाचार, सत्ताधारी दल के लोगों जैसे—निहित स्वार्थों के हाथों में खेलने की भर्त्सना करते हुए इसकी बहुत खराब रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में आगे कहा है—

> "खराब किस्म, अपर्याप्त मात्रा, काम के मौसम में लोगों को इकट्ठा करने में कठिनाई, और पंचायत संगठन अधिकारियों पर स्थानीय ठेकेदारों के प्रभाव—इन सबके परिणामस्वरूप काम के बदले अनाज कार्यक्रम ठेके पर दे दिया गया और ठेकेदार इस राशि का बहुत बड़ा हिस्सा लाभ के रूप में हड़प करने में सफल हो गए।"

रिपोर्ट में बताया गया है कि रोजगार गारंटी योजना अत्यधिक असफल रही। ग्रामीण युवकों में इस कार्यक्रम के प्रति कोई जागरूकता उत्पन्न नहीं हुई। इसका ठीक से रजिस्टर नहीं रखा गया। कोई परिचयपत्र जारी नहीं किया गया। सर्वे के अनुसार किसी को भी स्थाई रोजगार नहीं दिया गया और नगद सहायता तक नहीं दी जा सकी।

यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं दो मिनट और लूंगा और कि अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा।

जहां तक राज्य के औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, केन्द्र ने राज्य सरकार को काफी विधि आवंटित कर रखी है। हमारे मुख्य मंत्री ने स्वयं केन्द्र की प्रशंसा करते हुए कहा है कि योजना के लिए केन्द्र के अपेक्षित निधि दी है। परन्तु सारी बात तो यह है। 'इकानामिक टाइम्स' ने हमारे राज्य में एक सर्वेक्षण किया है, जिसमें मेरे राज्य के बारे में यह कहा गया है। मैं उसमें से उद्धृत करता हूँ :—

> "अद्वितीय राजनैतिक स्मिरत, सक्षम प्रशासन, भली भांति विकसित बुनियादी सुविधाओं और खाद्यान्नों की लगभग 200 प्रतिशत उत्पादकता के होते हुए भी तमिलनाडु भारत के निर्धनतम राज्यों में से एक है और आगामी तीन वर्षों में इस प्रवृत्ति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने का विश्वसनीय संकेत नहीं दिखाई देता।"

अगले तीन वर्षों में राज्य में श्री रामाचन्द्रन की सरकार होगी। विकासेतर व्यय 1974-75 में 159.15 करोड़ रु० था जो कि 1979-80 में बढ़कर 279 करोड़ रु० हो गया। एक अध्ययन के अनुसार तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रोंमें निर्धनों की प्रतिशतता 78.9 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 71.7 प्रतिशत है। अशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या 1971 में 162.5 लाख थी जो बढ़कर 1981 में 251.9 लाख हो गई। पंजीकृत कारखानों की निर्धारित पूंजी के रूप में पंजाब और हरियाणा राज्यों में प्रति व्यक्ति निवेश काफी अधिक हो गया है। हमारा राज्य 1970-71 में तीसरे नम्बर पर था जो 1976-77 में छठे नम्बर पर हो गया। एक दशक पहले बिहार का ग्यारहवां नम्बर था पर अब वह भी तमिलनाडु से आगे निकल गया है। अब औद्योगिक विकास में तमिलनाडु का बारहवां नम्बर हैं।

इकानामिक टाइम्स का यही निष्कर्ष हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या हम राज्य के बजट पर विचार कर रहे हैं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती क्यों इस बात के लिए परेशान हो रहे हैं। इसलिए, मेरा यह विचार है कि मेरे राज्य में किसी अन्य राजनैतिक दल का शासन होने के कारण विकास से वंचित रखा जा रहा है। वहां कोई उद्योग नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए भारत सरकार से मेरा यह निवेदन है कि वह इस मामले की जांच करें और मेरे क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित उद्योग लगाए जाए। औद्योगिक विकास के बारे में मैं एक मुद्दा स्पष्ट करना चाहूंगा। हम काफी पहले से सलेम इस्पात सयंत्र लगाए जाने का निवेदन कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने एक काफी बड़े एकक का प्रस्ताव रखा था। परन्तु अब इसे केवल इस्पात रोलिंग मिल ही बना दिया गया है। सभापति महोदय जनता शासन के दौरान आपके राज्य पं० बंगाल में दुर्गापुर के लिए निधियों का अपवर्तन कर दिया गया था।

श्री मधु दण्डवते : उनका किसी राज्य से कोई सम्बन्ध नहीं है वह निष्पक्ष हैं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : ऐसा ही मामला सेथु नहर परियोजना का है। इसे विशेष संघटक योजना के रूप में लिया जाना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में तमिलनाडु के वलप्पराई का भी विकास किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय (श्री सोमनाथ चटर्जी) : मेरे विचार से आप काफी महत्वपूर्ण मुद्दे बता चुके हैं अब आपको वक्तव्य समाप्त करना चाहिए।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं समाप्त ही कर रहा हूं। इस परियोजना पर कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। पाक की खाड़ी में तेल की खोज हो रही है और सोवियत रूस हमारी मदद कर रहा है। इसे परियोजना के रूप में लिया जाना चाहिए।

अन्त में, मेरी सरकार से यह मांग है कि सामाजिक प्रतिभूति प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में भी कुछ किया जाना चाहिए। इसमें आयु सीमा 15 से 45 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इसे हटाना चाहिए। इसमें 5,000 रुपए की भी सीमा है। इसे भी हटाया जाना चाहिए। ऐसी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। न्यूजप्रिंट के आयात पर लगने वाले शुल्क को भी हटाया जाना चाहिए।

डाक प्रभार भी बहुत अधिक हैं मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसे कम किया जाए। कम से कम वह पोस्ट कार्ड को हटाकर उसके स्थान पर अन्तर्देशीय पत्र चलाएं और प्रति अन्तर्देशीय पत्र की कीमत 25 पैसा रखें।

कोयले पर 13 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इससे उद्योगों में वृद्धि होगी। बजट के अन्य मुद्दे प्रशंसनीय हैं और मैं उसके लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ।

सभापति महोदय : श्री नित्यानंद मिश्र

एक माननीय सदस्य : कितनी देर तक यह चलेगा ?

सभापति महोदय : मुझे नहीं मालूम क्या निश्चय किया गया है। थोड़ी देर तक तो चर्चा को और जारी रखिए। श्री मिश्र

श्री नित्यानंद मिश्र (बालासोर)—सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा सभापटल पर रखे गए बजट के समर्थन में मैं कुछ कहना चाहूँगा।

यह बड़े संतोष की बात है कि सरकार ने चालू वर्ष के दौरान अपने कार्यनिष्पादन का बहुत उत्तम विवरण दिया है जिसके बूते पर बिना किसी संदेह के यह साबित किया जा सकता है कि यह सरकार काम करने में विश्वास रखती है। पिछले ढाई वर्षों से बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को वर्तमान स्तर पर लाना एक बहुत बड़ा काम है। यह बहुत हर्ष की बात है कि अर्थव्यवस्था के हरेक महत्वपूर्ण क्षेत्र में चालू वर्ष में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं। बजट में कोयले और ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारी निवेश की व्यवस्था की गई है। इसलिए अगले वर्ष में और अधिक उत्पादन की आशा है जिसमें कि अर्थव्यवस्था को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा। रेलवे का कार्यनिष्पादन भी बेहतर रहा है। चालू वर्ष में रेलवे द्वारा माल की ढुलाई का भी एक रिकार्ड स्थापित हुआ है इससे न केवल रेलवे की वित्तीय स्थिति ही स्थिर होगी वरन हमारी अर्थव्यवस्था भी काफी मात्रा में विकसित हो जाएगी। आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं में भी काफी वृद्धि हुई है। दो वर्ष पहले इनकी स्थिति भी काफी खराब थी। उच्चतम स्तर पर ठीक से समन्वयन और निगरानी किए जाने के कारण इसके कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है और सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं जिनसे कार्यनिष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय हमने मिडिल ईस्ट से काफी मात्रा में तेल और पैट्रोलियम उत्पाद का आयात किया है जिसके लिए विदेशी मुद्रा की भारी राशि का भुगतान करना पड़ा है जिससे भुगतान संतुलन की स्थिति बिगड़ गई और हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से ऋण लेना पड़ा। हमारे विचार से तेल का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए और मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने तेल की खोज के लिए काफी मात्रा में निधियों का आवंटन किया है। महोदय, ऊर्जा की उपलब्धता पर आर्थिक विकास निर्भर करता है और इस दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को जो प्राथमिकता प्रदान की गई है वह प्रशंनीय है।

महोदय, औद्योगिक क्षेत्र में भी हमने काफी महत्वपूर्ण प्रगति की है। सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति के गम्भीरता पूर्वक क्रियान्वयन तथा उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिए जाने तथा बचत और विवेष का एक अच्छा लाभकारी वातावरण बनाने के कारण ही अधिक औद्योगिक उत्पादन सम्भव हो पाया है।

महोदय, सरकारी क्षेत्र का कार्यनिष्पादन भी बेहतर रहा है परन्तु अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध पर जो व्यक्ति तैनात हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस विशाल क्षेत्र में बहुत अधिक राष्ट्रीय संसाधनों का निवेश किया है और उन्हें सरकारी क्षेत्र में उत्पादकता और कार्यकुशलता सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें भ्रष्टाचार और पक्षपात को दूर करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त लाभ हो जिसे कि आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए दोबारा प्रयोग किया जाए।

महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था का एक और खराब पहलू है मुद्रा स्फीत का दवाब जिसे कि पैदा किया गया है। यह केवल हमारे ही देश में नहीं है वरन दुनिया के सभी देशों में ऐसा ही है चाहे वह देश विकसित हो या अल्पविकसित। उनकी अर्थव्यवस्था की भी यही स्थिति है।। हमारे देश में सौभाग्य से हमने अपनी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की दर को कम करने के लिए ठोस कार्य किया गया है। जनवरी, 1980 में मुद्रा स्फीति की दर 22 प्रतिशत थी, अगले वर्ष घटकर यह 16 प्रतिशत हो गई और वर्ष 1982 में यह घटकर 5.4 प्रतिशत हो गई। महोदय, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम मूल्य स्थिर रख सके हैं, हम मुद्रा स्फीति को रोक सके हैं। हमें इस बात का गर्व है कि जब बहुत से उन्नत और विकसित देश भी मुद्रा स्फीति को नहीं रोक सके हैं परन्तु हमारे देश में मुद्रा स्फीति की दर पहले से काफी हद तक कम हुई है और आजकल यह हमारे नियंत्रण में है।

विपक्षी दलों के हमारे मित्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से ऋण लेने की आलोचना की है। उन्होंने कोई सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव या फिर कोई विकल्प नहीं बताया है जिसे सरकार वर्तमान स्थिति में अपना सके। यदि वह यह नहीं चाहते कि तेल के निर्यात के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की जाए तो क्या होगा ? इससे हमारी अर्थव्यवस्था जड़वत हो जाएगी जिससे हम बचना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते है हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े और तीव्र प्रगति हो। यही कारण है कि हमने तेल की खपत पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। हम यूरोपीय डालर बाजार से ब्याज की ऊंची दर पर उधार नहीं ले सकते हैं। वहां ब्याज की दर 20 प्रतिशत है अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से जिस दर पर उधार लेते हैं, उससे यह दुगनी है। हमारी उधार चुकाने की क्षमता इतनी नहीं है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा दिए जाने वाले उधार के ब्याज की दर से दुगनी दर पर 5000 करोड़ रुपए की भारी रकम को उधार ले सकें। इसीलिए सरकार को यह कार्यवाही करनी ही थी।

जहां तक कृषि-क्षेत्र का सम्बन्ध है हालांकि काफी प्रगति हुई है, फिर भी इस सम्बन्ध में और बहुत कुछ किया जाना है। पिछले दो वर्षों में सिंचाई की जितनी सुविधाएं दी गई हैं कृषि उत्पादनों में उसके अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। उदाहरण के लिए यदि हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि पिछले तीन वर्षों में हमने 60 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन के लिए सिंचाई-सुविधाओं की व्यवस्था की थी। किन्तु फसलों की पैदावार में आनुपातिक दृष्टि से उतनी वृद्धि

नहीं हुई है। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के बावजूद फसलों की पैदावार में इतनी कम होने के जो कारण हैं उनका हमें मूल्यांकन और विश्लेषण करना होगा हम उन कारणों की जांच करेंगे कि सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के परिणास्वरूप अतिरिक्त पैदावार में अपेक्षित वृद्धि क्यों नहीं हुई। हमारी सिंचाई सुविधाओं को और बढ़ाया जाना चाहिए। इस समय यह सबसे ज्यादा आवश्यक है।

खेती की पैदावार में काफी अनिश्चितता है। इसका सबसे बड़ा कारण एक तो यह है कि हम मानसून पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, जो कि बहुत बड़ी अड़चन है। यदि इस अनिश्चिता को दूर करना है, तो हमें बहुत बड़े पैमाने पर सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। हमें इसे उच्चतम प्राथमिकता देनी होगी। हमें इस पर जो भारी मात्रा में धन खर्च करना है, उसे अलग रख देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए हैं। अब आप इसे समाप्त कर दीजिए।

श्री नित्यानन्द मिश्र : कृषि क्षेत्र में हमें एक बात नोट करनी चाहिए; नगरों, शहरों और उनके आस-पास के क्षेत्रों में धन का केन्द्रीयकरण ज्यादा है, संसाधनों का निवेश भी अपेक्षाकृत अधिक है और अधिकतर आर्थिक और उत्पादक कार्यकलाप भी अधिक हैं। अतः शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर होने की सम्भावना है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है और आर्थिक गतिविधियां भी बहुत कम हैं इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बहुत कम है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों की ओर भाग रहे हैं, और वे वहां पर समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप एक अकुशल मजदूर शहरी क्षेत्रों में 600 रुपए प्रतिमाह प्राप्त करते हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूर केवल 60 रुपए प्रतिमाह पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर वर्ष में खेती में केवल 4 महीने के लिए रोजगार पाते हैं और शेष 8 महीने के लिए मजदूरों को रोजगार मिलता ही नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर वर्ष में 8 महीने दिन में केवल एक बार खाना खाकर गुजारा करते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में होने वाली आय में भी बहुत अधिक अन्तर है। इसके कारण सामाजिक और राजनीतिक असंतोष फैलता है, जिससे अस्थिरता आती है।

इसीलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मामले का गहराई से अध्ययन करे और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा निवेश करे सिंचाई पर ज्यादा बल दे, क्योंकि केवल सिंचाई के माध्यम से ही हम ग्रामों के खेतिहार मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं। वर्ष एक फसल की बजाए वे दो-तीन फसलें उपज सकेंगे। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सिंचाई पर और अधिक बल दें, और ऐसा वे कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के स्थिर ही नहीं वरन् इससे सामाजिक और राजनैतिक स्थितियों पर पडने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए करें। यही कारण है जिसके लिए मैं सिंचाई को अधिकतम महत्व देने पर बल दे रहा हूं।

अब मैं केवल एक और बात का जिक्र करना चाहता हूं, वह यह कि हमारे देश में वनों का बेवजह बहुत ज्यादा नाश किया जा रहा है। सब जगह पेड़ों के काटे जाने से अनेक समस्याएं

उठ खड़ी हुई हैं और यह हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। वनों के नष्ट होने के कारण जमीन की ऊपरी सतह पर भूमिकटाव हो रहा है, जिसे प्रकृति ने प्राकृतिक प्रक्रियाओं से हजारों साल में ऊाजाऊ बनाया गया है, वही क्षरित हो रही है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह क्षरित होकर समुद्र में न चली जाए इससे राष्ट्र का बहुत भारी नुकसान है। दूसरी बात यह है कि इससे जलवायु में परिवर्तन आता है, जिससे मानसून पर प्रभाव पड़ता है। कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए हम मानसून पर निर्भर करते हैं, और दुर्भाग्यवश जलवायु में परिवर्तन आने के कारण वर्षा अनियमित होने लगी है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस प्रकार बेवजह वन को नष्ट करने से भूमिकटाव बढ़ेगा और परिणामतः नदी के तल में मिट्टी जमने से भयानक बाढ़ के कारण तबाही आएगी। इससे जान और माल दोनों का ही नुक्सान होगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि वनों के इस तरह नष्ट किए जाने से गम्भीर उलझनें पैदा हो जाएंगी। यदि हम भूमिकटाव को रोका नहीं जाएगा, तो 15 या 20 वर्षों के बाद जल-विद्युत के शलाशय, जो सिचाई सुविधाएं और बिजली प्रदान करते हैं, उनमें गाद भर जाएगी और इससे देश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को भी बहुत नुक्सान होगा। महोदय इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : नौ या दस माननीय सदस्य ऐसे हैं, जो वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं। वे सभी सत्ताधारी दल में हैं हम 8 बजे सभा स्थगित कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रत्येक माननीय सदस्य केवल पांच मिनट ही ले। माननीय सदस्यों को बोलने के लिए कई अवसर मिलेंगे, खासतौर से बजट सेशन में, विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनुदानों की मांग के सम्बन्ध में आपको बोलने का अवसर मिल सकता है। अब श्री अजीतसिह दामी बोलेंगे, अब श्री अजीतसिह दामी की बारी है। आप कृपया केवल पांच मिनट के लिए ही बोलें। यही तय रहा। मैं प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का ही समय दूंगा, क्योंकि अभी सूची में बहुत से सदस्यों का नाम लिखा हुआ है। किसी भी बात को दुहराया नहीं जाना चाहिए। आप केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में ही बात करिए। आपको कुछ अवसर अनुदान के लिए भागों पर चर्चा के समय भी दिए जाएंगे सत्ताधारी दल का समय पहले ही समाप्त हो चुका है। हम केवल आपकी मदद कर रहे हैं, अब आप अपना भाषण शुरू करिए।

श्री अजीतसिह दामी (कैरा) : महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अरुणाचलम, आप केवल पांच मिनट के लिए ही बोलिएगा। एक वक्ता के लिए केवल पांच मिनट ही हैं। आप किसी और अवसर पर बोल सकते हैं।

श्री एम० अरुणाचलम (टेंकासी) : महोदय, मैं बजट का स्वागत करता हूँ। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आर्थिक विकास और वृद्धि को तीव्रतर गति के सम्पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्रोतों को खोजने और उनका समुचित रूप से नियतन करने के लिए हर वर्ष काम करना हो तो बजट इसे वर्तमान आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्था में आपात् स्थितियों पर ध्यान देना होता है। यदि इस दृष्टि से इस वर्ष के बजट का कोई विश्लेषण करे, तो उसे वित्त मंत्री को बरबस ही बधाई देनी पड़ेगी, जिन्होंने हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत आदि देकर बड़ी ईमानदारी से उनका

ध्यान रखने का प्रयास किया है, साथ ही बचत को भी सर्वोपरि लक्ष्य बनाया है, जिसके बिना आर्थिक विकास की उच्चतर गति को बनाए रखना सम्भव नहीं है ।

महोदय, वित्तमंत्री ने बजट में घाटे की सम्भावना को कम से कम करते हुए, निम्नवर्ग और मध्यवर्ग पर निरर्थक बोझ से बचते हुए तथा बचत और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो प्रयास किए हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ ।

यदि मुद्रास्फीति के खिलाफ संघर्ष का महत् कार्य किया जाना है, तो यह लक्ष्य प्राप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह समुदाय के सभी वर्गों को नुकसान पहुँचाता है, हां, नुकसान के परिणाम में अन्तर जरूर होता है ।

महोदय, माननीय, वित्त मंत्री ने जिस व्यवहारिकता का परिचय दिया हैं, मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं क्योंकि वे मुद्रास्फीति और उसके खिलाफ संघर्ष की पद्धति के मूल तक की उन्होंने जांच की है । अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव को रोकने के लिए आमतौर पर जो समाधान बताया जाता है, वह यह है कि धनपूर्ति में कमी लायी जाए, इसके लिए जनसामान्य से धन लेकर एकत्र किया जाए, ताकि मुद्रा प्रसार कम हो सके और विभिन्न मांगों पर कम दबाव पड़े । यह तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि उत्पादन में वृद्धि से ही मुद्रा-प्रसार का अंतिम रूप से समाधान हो सकता है । माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात को भली-भांति समझा है और 1982 को उत्पादकता वर्ष, घोषित कर सराहनीय काम किया है । अंततः उत्पादन में वृद्धि से मूल्यवृद्धि में कमी आ सकती है ।

मैं बजट की प्रशंसा करता हूँ क्योंकि इस वर्ष में राष्ट्र ने जो उत्पादकता अभियान शुरू किया है, उसका समर्थन करना तर्क संगत है । निवेशों में वृद्धि से ही उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है । निवेशों में वृद्धि तभी हो पाएगी जबकि बचत की राशि में वृद्धि होगी । अतः इस बजट में बचत के लिए प्रोत्साहित किया गया है ।

बचत के लिए प्रोत्साहन का इसी बात से पता चलता है कि कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निविष्ट की जाने वाली राशि पर कर छूट की सीमा 3,000 रुपए से बढ़कर 4,000 रुपए कर दी गई है ।

धन कर अधिनियम के अंतर्गत कुछ विशिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य में 1.5 लाख तक के लिए धन कर से छूट दी गई है । वित्त विधेयक ने 1.65 लाख रुपए तक के लिए छूट देने का प्रस्ताव रखा है । ऐसी राहतें देते समय वास्तव में "वित्तीय हानि" पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, अर्थात् कुछ वर्ष पहले 1.5 लाख रुपए पर छूट दी गई थी, वह वर्तमान मुद्रास्फीति की दर के अनुसार 1.80 लाख रुपए मूल्य की हैं । किन्तु राहत 1.65 लाख रुपए पर दी गई है । कर दाता के बोझ को आंशिक रूप से ही हटाया गया है, किन्तु यदि पूरी राहत दी जानी है, तो, 1.8 लाख रुपए तक पर छूट दी जाए । बजट की एक खासियत पूंजी निवेश बांड हैं । इस प्रकार खरीदे गए बांडों पर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा । किन्तु ऐसे बांडों से 25% से 30% तक का लाभ होगा क्योंकि निवेश बांडों जितना भी निवेश किया जाएगा उससे होने वाली आय को आयकर से छूट मिलेगी । बचत की यह बहुत आकर्षक योजना है ।

इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा बांड के अंतर्गत बचत के साथ-साथ सुरक्षा भी है। एक बांड धारक जिसकी उम्र 18 और 45 वर्ष के बीच है और उसके पास 3,000 रुपये का बांड है, तो उसे 10 वर्ष के पश्चात् बांड के परिपक्व होने पर ब्याज सहित 10,000 रुपये मिलेंगे। इन बांडों का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि यदि किसी बांडधारक की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो बांड धारक को बांड की पूरी 10,000 रुपये की धनराशि का भुगतान यह मानकर किया जाएगा कि बांड धारक की दुर्घटना होने अथवा उसकी मृत्यु होने की तारीख को ही बांड परिपक्व हो गया है। अतः इस सुरक्षा बांड योजना में जीवन के जोखिम की व्यवस्था की गई है।

नये औद्योगिक उपक्रमों में साम्य पूंजी अथवा जोखिम पूंजी को प्रोत्साहन देने के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कर योग्य आय में से कटौती की राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये की जा रही है। अतः अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाने के लिए तथा अधिक उत्पादन करने के लिए बजट को बचतोन्मुख बनाया गया है, जो मुद्रास्फीति का एकमात्र निर्यात समाधान है। कार्य-निष्पादन में बढ़ोत्तरी को कर से राहत देने से इसमें होने वाले भारी घाटे को कम करके विदेशी मुद्रा कमाने में बढ़ोत्तरी होगी।

भारत से बाहर विदेशों में चलने वाली परियोजनाओं से प्राप्त लाभ तथा फायदे पर आयकर से छूट दी जाएगी। इस श्रेणी के ठेकेदार, यदि लाभ अथवा फायदे का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया है, 25 प्रतिशत आय के लिए कर से छूट पाने के हकदार होंगे। निगमित क्षेत्र द्वारा संसाधन जुटाने के लिए किए गए निवेश को छूट देकर निगमित बचत को भी प्रोत्साहन दिया गया है।

श्रीमान्, मैं मंत्री महोदय की इस बात के लिए सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने वेतन भोगी कर्मचारियों को राहत दी है। वेतन भोगी कर्मचारियों को कर लगाने योग्य आय की संगणना में मानक छूट वेतन के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत अथवा अधिक से अधिक 5,000 रुपये तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि जिनको 20,000 रुपये प्रति वर्ष तक वेतन मिलता है, उनको इससे लाभ होगा।

एक सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी अपनी जमा अर्जित छुट्टियों के बदले नकद धनराशि ले सकता है और इस प्रकार छुट्टी के बदले प्राप्त नकद धनराशि पर कर नहीं लगेगा। छह महीने की छुट्टी तक की नकद राशि अथवा 25,000 रुपये इनमें से जो भी कम हो, मिल सकता है।

मैं यहां यह सुझाव देना चाहूंगा कि अर्जित छुट्टियों के लिए नकद रुपया प्राप्त करने तथा इस राशि पर दी जाने वाली अनुवर्ती कर राहत उन मामलों में भी दी जा सकती है जिनमें कर्मचारी अपने एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी अपनाते हैं। इसको सेवानिवृत्ति से जोड़ा जाना आवश्यक नहीं है तथा इससे रोजगार की गतिशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार की किस्म में भी सुधार होगा।

उत्पादकता प्रोत्साहन : 38 उत्पादन शुल्क लगाए जाने वाले उत्पादों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क में कुछ रियायत देने का निर्णय उत्पादन बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है। निश्चित उत्पादों तथा निश्चित रियायतों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा घोषणा की जानी है।

इस सम्बन्ध में, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगा कि उत्पादन शुल्क से राहत देने के लिए 38 उत्पादन शुल्क योग्य उत्पादों में तमिलनाडु के शुष्क जिलों के लघु क्षेत्र तथा हस्तनिर्मित दियासलाई उद्योगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग के लिए कच्चे माल तथा कलपुर्जों के लिए आयात शुल्क को अब तक की ऊंची दर घटाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे जापान की तरह घरों में ट्रांजिस्टर बनाने जैसे उद्योगों का क्षेत्र बढ़ सकता है।

कृषि की ओर जितना ध्यान देने की आवश्यकता है उतना ध्यान कृषि की ओर दिया गया है। कृषि से प्राप्त आय को आयकर से मुक्त रखा गया है। चाय, काफी, रबर, इलायची सम्पदाओं को छोड़कर सभी कृषि भूमियों को धन कर से छूट दी गई है। वर्ष 1982-83 से अन्य सम्पदाओं को भी धन कर से मुक्त रखा जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति राजस्व दे सकते हैं उनसे राजस्व न लेकर सरकार ने राजस्व की हानि उठाने का प्रस्ताव क्यों रखा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की बिक्री अथवा उसके हस्तान्तरण करने से मिलने वाले पूंजी लाभ को पूंजी लाभ कर से मुक्त रखा गया है। शहरी क्षेत्रों में भूमि के कृषि के लिए उपयोग करने के लिए भी इस वर्तमान रियायत को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

कुछ उर्वरकों पर सीमा शुल्क से पूरी छूट देने से आयात लागत कम हो जाएगी तथा इससे किसानों को उचित मूल्य पर आयातित उर्वरकों की सप्लाई करने में मदद मिल सकती है।

इसी प्रकार ट्रैक्टर-टायरों तथा हैंड पम्पों पर शुल्क कम करने अथवा इसे खत्म करने से कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।

कृषि सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के लिए 4,672 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे यह पता लगता है कि कृषि तथा ग्रामीण जनता के विकास तथा सुधार में सरकार की कितनी रुचि है।

श्रीमान्, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगा कि वह बोरानी क्षेत्रों में अच्छी किस्म के बीज खरीदने तथा कुएं खोदने के लिए ऋण, छोटे किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण सुविधा के रूप में कुछ राहत देने की सम्भावनाओं का पता लगाएं। किसानों को इस प्रकार की सहायता देने से कृषि उत्पादन को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

अतः इन सभी क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए बजट तथा वित्तीय नीतियां बनाई गई हैं। अतः इस बजट से विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं, रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा हमारी जनता की अन्य महत्वाकांक्षाओं का पता लगता है। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य यह तर्क देकर बजट की आलोचना करते रहे हैं कि बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति जैसी अर्थव्यवस्था की गम्भीर समस्याओं को सुलझाने का बजट में कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस प्रश्न का मेरा उत्तर यह है कि है कि बजट एक वार्षिक कार्य है तथा इसमें बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति की गम्भीर समस्याओं को सुलझाने की दीर्घकालीन पद्धति की रूपरेखा की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी बजट में 20-सूत्री कार्यक्रम पर जोर देना एक अन्य प्रमाण है जिससे बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने करने के लिए गम्भीर प्रयास का पता लगता है।

इसी प्रकार, इस बजट में चलन में मुद्रा सप्लाई को कम करने के लिए यथासम्भव सभी प्रकार की बचतों को प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई है जिससे प्रभावी मांग में कमी हो सके। सप्लाई के लिए बजट में उत्पादकता को प्रोत्साहन दिया गया है। क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया है। केवल उत्पादन ही मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का अंततगोत्वा एक समाधान है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि योजना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार 20-सूत्री कार्यक्रम को न तो अपना रही है और न ही उसका क्रियान्वयन कर रही है। 20-सूत्री कार्यक्रम कोई नई चीज नहीं है बल्कि मसौदा योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक विशेष प्रयास है, अत: उस कार्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित कराने के लिए कुछ उपयुक्त कदम उठाना आवश्यक है। एन० आर० ई० पी० आई० आर० डी० पी० को कार्यान्वित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के एक वर्ष पहले एक संचालक समिति का गठन किया था। लेकिन सरकार ने कोई पहली बैठक बुलाने का भी प्रयास नहीं किया है।

रेलवे के लिए संसाधनों के आवंटन में 60 प्रतिशत की कमी कर दी गई है जबकि अन्य सरकारी उपक्रमों के लिए इसके 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। विशेष तौर से तमिलनाडु में विभिन्न क्षेत्रों में रेलों का जाल बिछाने के लिए कोषों के आवंटन में बहुत कटौती की गई है तथा इससे करूल डिन्डीगुल के कुछ कार्यालयों को बन्द करने के कुछ परेशानी हो सकती है और कोषों की कमी कारण डिन्डीगुल तूतीकोरन लाइनों को बदलने को भी बन्द किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। क्या मैं मंत्री महोदय से इस गम्भीर समस्या को देखने तथा तमिलनाडु में इन क्षेत्रों के लिए वित्तीय आवंटनों में वृद्धि से करने की प्रार्थना कर सकता हूँ। इस वृद्धि से देश के उन लोगों में आधारभूत ढांचों की सुविधाओं में वृद्धि होगी तथा इससे कच्चे माल उर्वरक कोयला-खाद्यान्न जो उद्योग तथा कृषि के लिए आवश्यक है, उन्हें लाने ले जाने की समस्याओं को दूर करके हमारी आदरणीय प्रधान मंत्री के उत्पादकता वर्ष का पालन करने में भी बहुत सहायता मिलेगी।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गये प्रयासों को भी नहीं अपनाया है तथा उसने पश्चिम घाट के सीवे पश्चिम ढालों में कुछ तेज को वारानी जिलों में सिंचाई के लिए पूर्व की ओर घुमाने के लिए संयुक्त परामर्शदायी तन्त्र बहने वाली नदियों बनाने को भी कार्यान्वित नहीं किया है। इसमें घिरियार नहीं भी शामिल हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार को तिरुनेलवेली तथा सूखा प्रभावित रामनद जिलों को स्थायी रूप से पुनर्वास के लिए घिरियार परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल अनुवर्ती कार्यवाही करनी चाहिए।

श्रीमन, आपने इस सामान्य बजट के सम्बन्ध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो अवसर दिया है। उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजीत सिंह बाभो (कैरा) : उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय वित्त मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष 1982-83 के बजट का समर्थन करता हूं। वर्ष 1980 में सत्ता सम्भालने के पश्चात् इस सरकार का वर्ष 1980-81 का बजट तत्कालीन वित्त मंत्री श्री वेंकटरामन द्वारा प्रस्तुत कराया था। जिसे उन्होंने प्रबन्ध संकट, जनता पार्टी के गलत शासन

द्वारा पैदा किए गए आर्थिक संकट का बजट बताया था। इसके पश्चात् श्री आर० वेंकटरामन ने जो दूसरा बजट प्रस्तुत किया था वह एक सही बजट था तथा वह बढोतरीन्मुख बजट था।

सप्लाई प्रबन्ध तथा निर्यात आर्थिक सहायता देश में उत्पादन में वृद्धि करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा वर्ष 1982-83 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है। उसे गतिशील कहा जा सकता है। किसी भी देश की उन्नति के लिए उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है। इसलिए श्री मुखर्जी ने अपने बजट में उत्पादन तथा उत्पादकता को ठीक ही अधिक प्रोत्साहन दिया है।

जिन उत्पादकों का उत्पादन आधार वर्ष अवधि में 10 प्रतिशत से अधिक रहा है। उनको उत्पादन शुल्क रियायात योजना में अधिकतम प्रोत्साहन दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कच्चा माल महत्वपूर्ण औद्योगिक आदान तथा कतिपय तैयार माल आते हैं। तथा इससे क्षमता का ज्यादा उपयोग होगा तथा इस प्रकार इससे आगे चल कर उत्पादन में वृद्धि होगी।

पूंजी निवेश बांडों पर 7 प्रतिशत ब्याज मिलता है। तथा इन पर आय कर-धन कर भी नहीं लगते हैं। इनसे भी उत्पादन में वृद्धि होती है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने किफायती लागतों के साथ लागू मूल्यों का समायोजना करने का निर्णय करने में बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया है। क्योंकि सरकारी क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की गैर-किफायती मूल्य नीति और निवेश के लिए संसाधनों की कमी होती है और इससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है।

माननीय वित्त मंत्री श्री मुखर्जी ने अपने पहले बजट में विदेशी मुद्रा के अधिक अर्जन हेतु कुछेक परिकल्पिक रियायतें दी हैं। इन्होंने उन निर्यातकों को रियायत दी है जिनका निर्यात पिछले वर्ष के निर्यात से 10 प्रतिशत बढ़ा हो। भारत से बाहर निर्माण कार्यों द्वारा अर्जित मुनाफों पर ठेकेदारों की 25 प्रतिशत छूट देने से न केवल और अधिक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा अपितु भारतीय ठेकेदारों द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली देने को भी बढ़ावा मिलेगा।

श्री मुखर्जी के बजट की विशेष बात विदेशों में भारतीय मूल के गैर-रिहायशी लोगों द्वारा भेजे गए धन को काम में लाने सम्बन्धी नए प्रस्ताव है। धन-वापसी के अधिकार के बिना निवेशित पूंजी को भारतीय नागरिकों द्वारा किए गए पूंजी-निवेश के समतुल्य आना जाना चाहिए। उन्हें भारत में स्थापित नई अथवा वर्तमान कम्पनियों में जारी पूंजी के 40 प्रतिशत तक के निवेश की भी अनुमति होगी। उनके द्वारा गैर-रिहायशी बाह्य लेखों में जमा की गई नई राशियों पर उनकी जमावधि के पश्चात् स्थानीय जमाराशियों को देय सामान्य ब्याज से 2 प्रतिशत ब्याज अधिक मिलेगा। वे 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों में 2 प्रतिशत तक का भी पूंजी निवेश कर सकते हैं तथा इन पर धनकर, दानकर तथा आयकर से भी छूट मिलेगी। श्री मुखर्जी का यह प्रस्ताव विदेशी मुद्रा काबहुत बड़ा स्रोत सिद्ध होगा विशेष रूप से जब इस समय पैट्रोल तथा पैट्रोलिम उत्पादों पर खर्च होने वाले आयात बिल में वृद्धि के कारण भुगतान सन्तुलन की स्थिति अत्यन्त गम्भीर बनी हुई है।

नियमित क्षेत्र के जो शक्तिशाली गैर-सरकारी उद्यमी निगमित करों तथा पूंजीगत लाभ ढांचे में परिवर्तन की अपेक्षा कर रहे थे, उन्हें निराशा हुई है। परन्तु हमें यह याद रखना चाहिए

कि श्री मुखर्जी के योग्य पूर्ववर्ती, श्री वेंकटरामन ने अपने बजट में अनेक प्रकार की रियायतें तथा प्रोत्साहन दिए थे। अतः श्री मुखर्जी के पास और कोई विकल्प नहीं था। फिर भी उन्होंने नए पूंजी निवेश तथा उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष निगमित क्षेत्र को बैंक-ऋण में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी से उद्योग-पतियों को जमाराशि के रूप में 600 करोड़ रुपए एकत्र करने में सहायता मिली क्योंकि श्री वेंकटरामन द्वारा जमाराशियों पर ब्याज की अधिक दरों की घोषणा की गई थी। अब श्री मुखर्जी ने 38 मदों की सूची के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों के लिए उत्पाद शुल्क में और छूट दी है। अतः निगमित क्षेत्र की शिकायत उचित नहीं है।

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर लगाने में माननीय वित्त मंत्री ने निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के छूट देने का प्रयास किया है। 5 हजार रु० की सीमा के अध्यधीन आयकर में मानक कटौती को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने से 20 हजार रु० तक की सालाना आय वाले व्यक्तियों को लाभ होगा। उच्च आय वर्ग के लिए कर की दरों में की गई वृद्धि मामूली है अतः इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। पेन्शन की निचली दरों में दी गई राहत विशेष रूप से स्वागत योग्य है। इन पेन्शन धारियों में से 85% सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिक हैं, जिन्होंने अपनी जिन्दगी के बेहतरीन वर्ष देश की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिए हैं।

कोई भी देश अपने भुगतान सन्तुलन की विषम स्थिति की अवहेलना नहीं कर सकता क्योंकि इससे मुद्रास्फीति हो जाती है, जिससे किसी भी देश की आर्थिक उपलब्धियों कम हो सकती है। अतः सरकार ने कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए पहले ही उपाय कर लिए है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से 5 बिलियन डालर का विशेष आहरण अधिकार (एस० डी० आर०) प्राप्त कर लिया है।

कुछ विपक्षी पार्टियां, विशेष रूप से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि यह बजट अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के निर्देश पर बनाया गया है। यह आरोप निराधार है तथा इसके द्वारा देश को गुमराह करने का प्रयास जानबूझकर किया गया है। मेरे वामपक्षी मित्र यह भूल गए हैं कि कम्युनिष्ट चीन भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष स्वयं वित्त पोषित संस्था है जिसे सदस्य राष्ट्रों से धनराशि प्राप्त होती है। भारत में अनेक लोगों को इस तथ्य का पता नहीं है कि भारत भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का सदस्य है तथा भारत अब तक इसमें 2 मिलियन डालर का अंशदान कर चुका है। अतः भारत अपने अंशदान कोटे का 4½ गुना ऋण लेने का हकदार है। फिलहाल भारत ने इस राशि के आधे भाग की ही मांग की है। भीख मांगने से उधार लेना अच्छा है। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष हम पर कोई उपकार नहीं कर रहा है। वास्तव में भारत यह ऋण अपने अधिकार के रूप में ले रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका कहना यह है कि उनसे परामर्श लिए बिना भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना है। यदि उनकी आज्ञा ली जाती तो वे इसकी अनुमति नहीं देते।

श्री अजीत सिंह दामी : किसी भी देश को ऋण देने से पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष आवेदक राष्ट्र का सूक्ष्म अधिक सर्वेक्षत करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह राष्ट्र ऋण को चुका पाने में सक्षम है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इस बात का दता है कि सख्त शर्तों के निर्धारण तथा उन्हें लागू करने से लेटिन अमरीका के कई देशों, मध्यपूर्व, अफ्रीका तथा एशिया में राजनीजिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई जिसके परिणामस्वरूप वे ऋण के भुगतान में अक्षम हो गए। सख्त शर्तों का निर्धारण से वे ऋण की राशि वसूल नहीं कर सके। इस नई चेतना तथा अन्य संस्थान अर्थात् विश्व बैंक की प्रतिस्पर्धा के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने अब अपना रवैया बदल लिया है तथा ऋण की शर्तों में ढ़िलाई के द्वारा अपने कठोर रुख में परिवर्तन किया है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए भारत अब एक अपरिहार्य अंग समझा जाने लगा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ब्याज-दर का भी उल्लेख कर सकते है।

श्री अजीत सिंह दामी : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा इस सुविधा के विस्तार की प्रक्रिया में उस समय बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला जब भारत को ऋण देने हेतु मतदान में अमरीका ने भाग नहीं लिया। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने सउदी अरब से अंशदान के रूप में 9 विलियन डालर की राशि प्राप्त करके सउदीय अरब अमरीका गुट को तोड़ दिया। अत: जहां तक भारत का सम्बन्ध है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से 5 बलियन डालर का विशेष आहरण अधिकार एक राजनैत्रिक विद्रोह है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक अब इस बात से सहमत हैं कि भारत ही केवल ऐसा ग्राहक है जो विश्व की सबसे बड़ी बाजार है तथा जिसके पास प्रगतिशील अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक आधारभूत ढांचा तथा कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं जिससे भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का ऋण अदा कर सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के ऋण से हम अगले कुछ वर्षों में भुगतान संतुलन को ठीक कर सकेंगे।

इससे भी भारत को राहत मिलेगी। हमारी सरकार पहले से ही समुद्र के किनारे और समुद्र से दूर स्थानों पर तेल की खोज कर रही है। तेल की खोज से यह सिद्ध हो गया है कि भविष्य में तेल का बहुत बड़ा भंडार मिल सकेगा।

यह आरोप लगाया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारत पर राजसहायता में कटौती करने के लिए दबाव डाला है। वास्तव में, राजसहायता दी जाती है। यहां तक कि खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण के मामले में भी राजसहायता दी जाती है। कुछ चुने हुए रसायानिक उर्वरकों के मामले में आयात शुल्क में कटौती करके राजसहायता दी जाती है। इसी प्रकार निर्यात प्रोत्साहन में भी राजसहायता दी जाती है।

दूसरा आरोप, जो कि निराधार है, वह यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारत से सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के उत्पादों के मूल्यों में संशोधन करने और उनमें वृद्धि करने के लिए कहा है। बजट में सरकारी उपक्रमों के उत्पादों के मूल्यों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। जहां तक सीमेंट को दोहरी मूल्य नीति के अन्तर्गत लाने का सम्बन्ध है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मद्राकोष से ऋण लेने का निश्चय करने से पहले ही भारत का ऐसा करने का विचार है।

यह आरोप भी निराधार है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारत पर आयात के लिए अपने बाजार आरम्भ करने का दबाव डाला है। इसके विपरीत देश में उत्पादन बढ़ाने तथा आयात कम करने के लिए ही बजट में अतिरिक्त सीता शुल्क तथा औसत शुल्क की व्यवस्था की गई है।

श्री मुखर्जी ने बड़ी समझदारी से 470 करोड़ रुपए के नए शुल्क लगाए हैं। उन्होंने कम आय वर्ग के उन लोगों का बोझ कम करने का भी सतत् प्रयास किया है जो कि अधिक धनी नहीं है तथा जिन पर मुद्रा स्फीति का बुरा प्रभाव पड़ता है।

कुछ लोगों ने श्री मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत उनके प्रथम बजट को संकुचित कहा है तो कुछ ने निर्जीव तथा कुछ ने इसे धीमी गति बजट कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे क्या कहते है ?

श्री अजीत सिंह दाभी : लेकिन यह इसमें से किसी भी प्रकार का नहीं है। श्री मुखर्जी का बजट वास्तव में व्यवहारिक बजट है। महोदय, श्री मुखर्जी बंगाल के रहने वाले हैं, जहां प्रचुर मात्रा में उग्रवादी और सिद्धान्तवादी लोग रहते हैं।

डॉ० सरदीश रॉय (बोलपुर) : यह पश्चिम बंगाल के नहीं हैं, अब उन्होंने गुजरात में स्थानान्तरण कर लिया है जैसा कि गुजरात की मतदाता सूची में उनके नाम से स्पष्ट है।

श्री अजीत सिंह दाभी : मैंने यह कहा है कि श्री मुखर्जी बंगाल के रहने वाले हैं जहां उग्रवादियों तथा सिद्धांतवादियों का बहुमूल्य है, लेकिन अब मुखर्जी गुजरात से चुने गए हैं जो अपनी व्यवहारिकता के लिए प्रसिद्ध है। इस बजट पर व्यवहारिकता का प्रभाव पड़ा है।

डॉ० सरदीश रॉय : वह व्यवहारिक व्यक्ति हैं और उन्हें पूरा विश्वास था कि वह पश्चिमी बंगाल से जीत नहीं सकते इसीलिए वह गुजरात आ गए हैं।

श्री अजीत सिंह दाभी : श्री मुखर्जी के बजट में अच्छी या बुरी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन उन्होंने बड़ी गंभीरता से बजट बनाया है।

इन शब्दों के साथ मैं भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी बोल सकती हैं। उनके लिए समय की कोई सीमा निश्चित नहीं हैं क्योंकि उनका सम्बन्ध कमजोर वर्ग से हैं।

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी ने जो बजट प्रतुत किया है, वह मुद्रास्फीति और सामान्य अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया है। इस बात का हमें बड़ा गर्व है। आर्थिक दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन लाने का यह महत्वपूर्ण माध्यम है जो कि हमारे सामने आया है, ऐसा मैं समझती हूं। इस बजट में मुद्रा-स्फीति को नियंत्रण में रखकर कामन मेन को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की इसमें कोशिश की गई है, उसके लिए हम शासन को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं।

हमारे जार्ज साहब जब बोले थे तो उन्होंने कहा था कि इसमें समाजवाद का नाम नहीं लिया गया है। इस बजट के विवरण से शायद उन्हें ऐसा लगता हो और शायद वे यह भी समझते हो कि केवल खून बहाने से ही क्रांति आ सकती है। शायद वे इसी क्रांति की भाषा को समझते हों। लेकिन हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पहले जो बीस-सूत्री कार्यक्रम सामने रखा था और अब फिर दुबारा बीस-सूत्री कार्यक्रम दोहराया है उससे तो हरेक को रोटी और मकान की व्यवस्था का प्रावधान है। यह हमारी सामाजिक क्रांति के लिए एक सामाजिक अभियान है। यों तो हर साल बजट शासन पेश करता है लेकिन इस साल के बजट की यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो मुद्रास्फीति की स्थिति है उसको सामने रखकर इस बजट में समाज परिवर्तन करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं समझती हूं कि हमारी प्रधानमंत्री जी ने पहले बीस-सूत्री कार्यक्रम रखा, उसके बाद जो यह बजट बनाया गया, और इसमें उसके लिए जो प्रावधान किया गया वह इस बजट की बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मूल्यांकन शायद अभी नहीं हो सके लेकिन जैसे-जैसे हमारा बीस-सूत्री कार्यक्रम पूरा होता जाएगा, वैसे-वैसे इसका मूल्यांकन होता जाएगा। बीस-सूत्री कार्यक्रम के लिए इस बजट में जो योजनाएं रखी गई हैं, उनको पूरा करने की हमारी संकल्पदृष्टि है। गुणात्मक और परिणात्मक दृष्टि से भी हमारा यह उपाय है और इस दृष्टि से भी हमारे देश की जनता और करदता इसका मूल्यांकन करेंगे।

यहां मैं भाषण देने के लिए ही नहीं खड़ी हुई हूं। मेरी एक शंका है। निजी बचत को सरकारी इस्तेमाल के लिए दो प्रकार के बचत पत्र जारी किए गए हैं, उनका मैं स्वागत करती हूं। एक सामाजिक-सुरक्षा पत्रक और दूसरा पूंजी निवेश पत्रक। इनके उद्देश्यों के बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता, सभी इनका स्वागत करेंगे, लेकिन इनके बारे में मुझे एक शंका है, मैं आशा करती हूं कि वित्तमंत्री महोदय उसको दूर करेंगे। शंका यह है कि पूंजी निवेश बांड खरीदने वाले को इन बांडों पर लगाई गई पूंजी का लेखा-जोखा देना होगा और विशेष धारक बांड जो पहले बनाए हुए थे, उनके खरीदार उन बांडों से ऋण लेकर पूंजी निवेश बांड क्या नहीं खरीदेंगे ? इसके बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहती हूं, क्योंकि विशेष धारक बांड खरीदने वालों को लेखा-जोखा देना जरूरी नहीं था। इसलिए उनका दुरुपयोग नए बांड खरीदने में हो सकता है।

इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा पत्रक पर 5000 रुपए तक पूंजी लगाई जा सकती है, लेकिन कम आमदनी वाले या मध्यमवर्ग के जो लोग हैं, वे तो 5000 रुपए की राशि नहीं डाल सकते। इसलिए इसको एक हजार या इससे कम तक रखना चाहेंगे या नहीं, इसके बारे में भी स्पष्टीकरण चाहती हूं।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि पिछड़े वर्गों पर योजनाओं के लिए प्रावधान तो हम कर देते हैं, लेकिन प्राप्ति कहां तक हुई, इसके बारे में हम सोचते हैं या नहीं ? प्रावधान हर साल बढ़ते जा रहे हैं, इस साल भी मेरे खयाल से 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। महाराष्ट्र के बारे में मैं बतलाना चाहती हूं, मुझे आशा है कि अन्य प्रदेशों में भी यही हालत होगी। मैंने वहां पर इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि बड़े-बड़े कालेजों का एक तरह से सर्वे किया और देखा कि शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन तो पूरी हो जाती है, लेकिन आदिवासियों के लिए जो

दो जगह उच्च शिक्षा के लिए आरक्षित हैं, वे पूरी नहीं हो पातीं और उनकी जगह दूसरे लोगों को एडमीशन दिया जाता है।

मेरा कहने का मतलब है कि प्रावधान कर देने से कोई फायदा नहीं होता, उसके कार्यान्वयन में कमी रही है। इस कमी के बारे में सोचना चाहिए, ताकि सही तरीके से योजनाओं का कार्यान्वयन हो सके।

इसी प्रकार महिलाओं के बारे में भी कई कदम उठाए गए, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं, लेकिन उन कदमों का भी यही होने वाला है। हम ऐसी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कैसे करें, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता हैं।

अंत में एक सुझाव देकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगी। विपक्ष ने एक आशंका व्यक्त की है कि केन्द्रीय बजट और रेल बजट से मूल्य वृद्धि होगी। इस तरह की आशंकाओं को दूर करने के लिए क्या सरकार दो-चार महीने बाद एक सर्वेक्षण नहीं करवा सकती, जिससे पता लग सके कि रेल बजट और केन्द्रीय बजट का मूल्यों पर असर पड़ा है या नहीं ? इस तरह का सर्वेक्षण करके और सारी जानकारी हम लोगों के सामने रखने से हमको यश मिल सकेगा और जिस तरह से मुद्रास्फीति रोकने में सफलता की जनता ने प्रशंसा की है, इसी तरह से इस बात की प्रशंसा होगी कि बजट का मूल्यों पर असर नहीं पड़ा है।

यहां बताया गया कि यह वर्ष उत्पादन शिखर पर पहुंचेगा और इस साल उत्पादन में कीर्तिमान रहेगा, लेकिन मेरी आशंका है कि उत्पादन अधिक होने पर भी यदि वितरण प्रणाली ठीक नहीं है तो उसका फायदा उतना नहीं होता। मूंगफली बहुत पैदा हुई, लेकिन मूंगफली का तेल मार्केट में मंहगा ही रहा। इस तरह से हम जनता को जवाब नहीं दे सकते। इसलिए उत्पादन के साथ-साथ वितरण प्रणाली और चीजों के मूल्य, इनमें संतुलन रखने की कोशिश होनी चाहिए। इतनी मेरी नम्र प्रार्थना हैं। औद्योगिक उत्पादन के लिए तो गारंटी दी जाती है लेकिन किसान का जो उत्पादन होता है उसके वास्ते कोई गारंटी उसको नहीं जाती है। उसको राहत भी मिलनी चाहिए और उसके द्वारा उत्पादित माल की कीमत की उसको गारंटी भी दे देनी चाहिए। साथ ही साथ उसको मार्किट भी अपने माल के लिए देने की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है हमारी योजनाएं यशस्वी होंगी, ऐसा मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। हमने उत्पादन बढ़ाने का जो आदर्श अपने सामने रखा है मैं नहीं समझती हूं ऐसा किए बगैर वह पूरा हो सकता है। कांग्रेस आई का जब से शासन आया है हर साल उत्पादन में वृद्धि होती रही है, छोटे से छोटे इंसान को भी राहत देने की कोशिश की गई है। लेकिन उसके साथ-साथ मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो स्ट्राइक चल रही है देश में और खास तौर से महाराष्ट्र में उससे हर रोज तीन कोटि रुपए का नुक्सान हो रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो प्रयत्नशील है ही इस समस्या को हल करने के लिए लेकिन उनके साथ-साथ केन्द्र का ध्यान भी उधर जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो हमारा बीस-सूत्री कार्यक्रम है और उत्पादन को शिखर तक पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य है वह कागजों पर ही धरा रह जाएगा। मैं यह भी चाहती हूं कि जहां जिस इलाके की जिस मामले में ज्यादा जरूरत है, जहां ज्यादा गरीब हैं, जहां देहाती किसान ज्यादा रहते हैं वहां के लिए हमको ज्यादा प्रावधान करना चाहिए। इस दृष्टि से महाराष्ट्र से तीन बड़ी प्रोजक्टस्

आपके पास आई हैं, जिनका उल्लेख मैं नहीं करती हूं, उनको आपको मंजूरी देनी चाहिए। विदर्भ से मैं आती हूं। वहां कपास सबसे ज्यादा पैदा होती है। एशियाई खण्ड में मैं समझती हूं कि विदर्भ ही सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है। वहां के किसानों की आर्थिक दृष्टि से बहुत ही बुरी हालत है। बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। वहां कोई नई रेलवे लाइन भी नहीं दी गई है। वहां कोई बड़ी इण्डस्ट्री भी नहीं है। प्लानिंग का जो इतिहास है उसमें विदर्भ की उपेक्षा हुई है। मैं आशा करती हूं कि जो डिमांड्ज आएंगी उनमें विदर्भ के लिए कुछ प्रावधान किया जाएगा, उसमें हमारे क्षेत्र का कुछ विचार किया जाएगा।

इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करती हूं और अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने योग्य और युवा वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आम बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने हमारी आदरणीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा घोषित 20-सूत्रीय कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने के लिए अधिक धन का आवंटन करने की ओर अधिक ध्यान दिया है। हाल के आंकड़ों से स्पष्ट है कि सरकारी इकाइयों के औद्योगिक उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है तथा विदेशी मुद्रा के रूप में काफी आय है। यह बहुत उत्साहवर्धक बात है कि हमारे सरकारी क्षेत्र उद्योगों को 1981-82 में लाभ हुआ है। कृषि उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हैं तथा नए क्षेत्रों की जुताई के लिए अधिक प्रोत्साहन दिया गया है।

पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, मैं अपने मूल चुनाव क्षेत्र करूर, तमिलनाडु के सम्बन्ध में भी केवल दो बातें कहना चाहता हूं। सरकार ने 2.31 लाख कठिन गांवों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने की ओर अधिक ध्यान दिया है। उनका यह कार्यक्रम नए 20-सूत्रीय कार्यक्रम के क्रमांक 8 के अन्दर आता है। 1981—90 का दशक हमारे देश के सभी समस्यात्मक गांवों को पीने का पानी प्रदान करने का दशक है। किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि वित्त की दृष्टि से कमजोर नगरपालिकाओं की पीने के पानी की समस्याओं पर वित्त मंत्री तथा योजना मंत्री को तुरन्त गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

हमारे देश में सैकड़ों नगरपालिका नगर हैं जहां वे लोगों को पीने का पानी प्रदान करने में समर्थ नहीं हैं। जब कभी वे कोई परियोजना बनाते हैं तो सरकार उनसे बार-बार पुनर्भुगतान की क्षमता के बारे में पूछती है। जिन नगरपालिकाओं के संसाधन सीमित हैं वे इस प्रयोजनार्थ लिए गए ऋण का भुगतान करने के लिए धन इकट्ठा करने में समर्थ नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, तिरूचिरापल्ली जिले में, मन्नापराई नगरपालिका ने 3.25 करोड़ रुपये की लागत पर एक परियोजना बनाई थी और राज्य सरकार से अनुदान मांगा था। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने धन की कमी के कारण इस योजना की स्वीकृति अभी तक नहीं दी है। अतः मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह कम संसाधनों वाले समस्यात्मक नगरपालिका नगरों की पीने के पानी सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए इस बजट में कुछ राशि की व्यवस्था करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें। तभी नगरपालिका नगरों अथवा गांवों के सभी लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना सम्भव हो सकेगा।

माचिस बनाने की इकाइयों को सरकार ने तीन श्रेणियों में बांट दिया है, अर्थात् कुटीर क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र और यंत्रचालित क्षेत्र। कुटीर क्षेत्रों में 1 गुर्स डिब्बियों पर, जिनमें प्रत्येक में 50 तीलियां हों, उत्पाद-शुल्क 11.60 रुपये है। मध्यम क्षेत्रों के लिए उत्पाद-शुल्क 4.50 रुपये हैं। तथा मशीनी क्षेत्रों के लिए उत्पाद-शुल्क 7.20 रुपये है। अब मध्यम क्षेत्रों ने अपने उत्पादन को किसी न किसी तरीके से यंत्रचालित कर लिया है। अतः उनके चालू रहने की कोई समस्या नहीं है। लेकिन पूर्णतः स्वचालित मशीनीकृत क्षेत्रों पर लगाया गया उत्पाद-शुल्क इतना अधिक है कि वे अपने उत्पादों को बाजार में बेच नहीं पाते। विवश होकर मशीनी क्षेत्र को अपना उत्पादन बन्द करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप करीब 10,000 श्रमिक बेरोजगार हो गए जिनकी आजीविका का यही एकमात्र साधन है। मैं, अपनी माननीय संसद् सदस्या श्रीमती बेगम आविदा अहमद द्वारा, यंत्रचालित माचिस उद्योग के श्रमिकों के प्रति व्यक्त की गई भावनाओं से पूर्ण रूप से सहमत हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करें तथा यंत्रचालित क्षेत्रों पर लगाए गए उत्पाद-शुल्क को कम करें।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह कृपया उन मुद्दों पर गम्भीरता से ध्यान दें, जिनका मैंने अपने भाषण में उल्लेख किया है।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय कम होने की वजह से आपका आदेश भी है कि बहुत कम समय में अपना भाषण समाप्त किया जाए, मैं वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूं। दोनों पक्षों से बहुत ही सारगर्भित बातें आ चुकी है। मौजूदा जो परिस्थिति है मैं समझता इस परिस्थिति में इससे अच्छा बजट कोई दूसरा नहीं पेश हो सकता, जितनी भी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी है। कुछ सैद्धान्तिक चीजों की तरफ मैं आपका और शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बजट में जो धनराशि हर विभाग के लिए अलाट की गई है उसमें जो वित्त मंत्री जी ने दिया है वह एक उदारता का परिचय दिया है, किन्तु उसमें यह दोष है कि अक्सर देखा जा रहा है कि पहले सामन्तवादी जो तत्व था तो उसके साथ कुछ अवांछनीय तत्व भी रहते थे जो साधारण लोगों को तंग करते थे। वह तो अब समाप्त हो गए। लेकिन इस समय एक ठेकेदार वर्ग का प्रादुर्भाव हो रहा है जो इतना मजबूत है कि अधिकारी से लेकर नेता तक को प्रभावी करता है। जो धनराशि जिस काम के लिए अलाट की जाती है, अगर 1 करोड़ रु० की धनराशि किसी प्लान के लिए अलाट की जाती है तो उसकी 30 परसेंट से भी अधिक धनराशि ठेकेदार की पाकेट और सम्बधित अधिकारियों की पाकेट में जाती है। एक सजैश्चन यह है कि जिस विभाग के लिए जिस मद में धनराशि जमा की गई है, उसको ठीक से उसी मद पर खर्च किया जाए। इस वक्त लाखों नौजवान बेकार हैं। मेरा कहना यह है कि ठेकेदारों से काम न करवाकर सरकारी स्तर पर काम कराया जाए। अगर कोई बंध बन रहा है तो उसका 1 करोड़ का ठेका दे दिया जाता है, उसमें से आधा खर्च होता है और आधा ठेकेदार व अधिकारियों की पाकेट में चला जाता है। जब हमारे पास साधन हैं, पैसा है, तो सरकारी स्तर पर क्यों नहीं काम लिया जाता जिससे सीधे ही मजदूरों को रोटी-रोजी मिल सके ? ठेकेदारों के माध्यम से क्यों काम लिया जाता है ? मैं मंत्री जी का ध्यान मौजूदा स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं कि उसे रोकने के लिए वह ऐसी व्यवस्था करें जिससे सीधा रुपया मजदूरों को मिले, सही काम में इस्तेमाल हो, ठेकेदारों की पाकेट में न जाए।

गांव में रहने वाले जमींदारों और राजाओं की जमींदारी समाप्त हो गई। गांव में 40, 50 एकड़ खेत जोतने वालों पन सीलिंग लगा दी गई है, लेकिन शहर में जब गांव के लोग आते हैं और देखते हैं करोड़ों रुपये की अट्टालिकाएं यहां बन रही हैं तो उन लोगों की आत्मा को चोट लगती है। क्या गुनाह किया था गांव के लोगों ने जो उनके बाप-दादाओं ने किसी तरह से 40, 50 एकड़ खेत रखा था, उस पर सीलिंग लगा दी गई ? शहर के लोगों पर क्यों नहीं कोई सीलिंग लगाई जाती जो यहां लाखों करोड़ों की सम्पत्ति लगाकर अट्टालिकाएं बनाते जा रहे हैं ? मेरा निवेदन है कि शहर में भी सम्पत्ति की सीलिंग की जाए। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था हो कि शहर में भी लोगों की आमदनी निश्चित हो।

आप जानते हैं कि गांव में रहने वाले किसान और खेतिहर मजदूर को बारहों महीने काम नहीं मिलता है। रबी और खरीफ के सीजन में 2, 3 महीने काम मिलता है, और बाकी 6, 7 महीने बेकार बैठे रहते हैं। आज भी गांव के सबसे तन्दरुस्त आदमी को 5 रुपये रोज मजदूरी बारहों महीने मिलती है। आज के युग में अगर बैंक में फिक्सड एकाउण्ट में कुछ राशि जमा करा दें तो 10, 12 परसेंट ब्याज से आमदनी होती है। अगर 15 हजार रुपये बैंक में जमा करा दें तो सालभर में उसका साढ़े 16 सौ या साढ़े 17 सौ मिलेगा। और गांव में 5 रुपये रोज पर नौजवान को सालभर रखने पर 1800 रुपये मजदूरी मिलती है। तो एक नौजवान की जिन्दगी की कीमत 15 हजार रुपये से ज्यादा नहीं है और 15 हजार रुपये में खरीद ली जाती है। दूसरा सबसे बड़ा तबका आई० ए० एस० आफिसर्स का है। उनकी तनख्वाह आखिर में चलकर 3,000 रुपये माहवार हो जाती है। साल में उसको 36 हजार रुपया मिलता है। अगर तीन लाख रुपया बैंक में जमा करते हैं तो 12 परसेंट के हिसाब से 36 हजार रुपये का ब्याज बन जाता है। इस तरह से आई० ए० एस० की जिन्दगी की कीमत तीन लाख हो जाती है। इसी तरह से पी० सी० एस० की जिन्दगी की कीमत क्योंकि उसे 2,000 रुपये मिलता है, साल भर में 24,000 हो जाता है। अगर दो लाख रुपये बैंक में जमा करा दें तो 24,000 रुपये साल का ब्याज हो जाता है। इस तरह से शहर में रहने वाले की जिन्दगी की कीमत और गांव में रहने वाले की जिन्दगी की कीमत में बहुत फर्क है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रतिदिन 3 लाख रुपये की आमदनी होती है।

मेरा कहना है कि जिनकी रोज की आमदनी 2-3 लाख रुपये हो रही है, क्या इस पर कोई हदबन्दी नहीं हो सकती है। मैं चाहता हूं कि इन पर भी हदबन्दी होनी चाहिए।

गांव से लेकर देश के विकास के लिए बिजली का उत्पादन अत्यन्त आवश्यक है। अभी हमको बताया गया कि रेणुकोट में जो बिड़ला जी का पावर हाउस है, उसमें उत्पादन 100 प्रतिशत होता है। मगर जो पावर हाउस सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, उनका उत्पादन 30, 35 परसेंट है। उन पर अरबों रुपयों का खर्चा किया गया है और वे घाटे में चल रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की फैक्टरियों और उपक्रमों की तरक्की नहीं हो रही है, तनज्जुली हो रही है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि विशेषज्ञों की एक समिति बना कर ऐसा प्रयास किया जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र के इण्डस्ट्रीज, विद्युत विभाग और रेलवे आदि में प्रगति और दक्षता आए। अगर ऐसा नहीं होगा तो समाजवाद का हमारा सपना धुंधला पड़ जाएगा।

हमारे विरोधी भाई बार-बार हमारी आलोचना करते हैं। उन्हें इस सरकार में एक भी खूबी नजर नहीं आती। कांग्रेस के शासन में जमींदारी समाप्त हुई, राजाओं के प्रीवी पर्स समाप्त हुए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। हमें याद है कि किसानों के लिए बनावटी आंसू बहाने वाले और किसानों के मसीहा कहलाने वाले चौधरी साहब ने उस वक्त निर्देश दिया कि राजाओं के प्रीवी पर्स के मामले पर कांग्रेस का समर्थन नहीं करना चाहिए, राजाओं को प्रीवी पर्स मिलना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि इन्दिरा जी को दोबारा चुनाव कराना पड़ा। वे लोग यह ठान बैठे हैं कि हमारे अच्छे से अच्छे काम की भी आलोचना करनी है। हमारे समझाने से वे नहीं समझ सकते। मुझे एक श्लोक याद आता है :—

अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराधते विशेषज्ञः
ज्ञानलो दुर्विदग्धं ब्रह्मापि तम् नरम न रंजति।

अर्थात् जो बिल्कुल अज्ञानी आदमी है, उसको तो बहुत सहज भाव से समझाया जा सकता है, विद्वान् को इशारे से समझाया जा सकता है, किन्तु अपने आपको बुद्धिमान कहने वाले को इन्सान क्या, साक्षात् ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। उनको समझाने की कोशिश करना बेकार है।

जहां तक रक्षा विभाग का सम्बन्ध है, जब तक आदमी मजबूत नहीं रहता है, तब तक वह अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। देश की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि देश को मजबूत किया जाए, अपनी शक्ति को मजबूत किया जाए, उससे दुश्मन डरेगा। जब पाकिस्तान आदि कई देश परमाणु बम बना रहे हैं, तो हमें भी अपने देश की रक्षा के लिए परमाणु बम बनाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए।

वित्त मंत्री महोदय ने बहुत बड़ी धनराशि अनुसूचित जातियों, हरिजन वर्ग और बैकवर्ड लोगों के लिए स्वीकृत की है। उसके लिए मैं उनका कोटिशः धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर तीन आदमियों को टायफायड हुआ हो और अगर तीनों भिन्न-भिन्न वर्ग के हों, तो क्या उन तीनों का इलाज नहीं किया जाएगा। क्या ऐसा करना चाहिए? बहुधा देखा जाता है कि सवर्ण कहलाने वर्ग में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, एक कट्ठा जमीन भी नहीं है और जो भुखमरी के शिकार होकर दर-दर की भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। मैं वित्तमंत्री से निवेदन करूंगा कि ऐसे भूमिहीन, अर्थहीन और हर तरह से पिछड़े हुए लोगों की तरफ भी वह ध्यान दें, जिन्होंने कथित सवर्ण जाति से जन्म लिया है। जब वे लोग भी आर्थिक कमजोरी की वजह से विपत्ति में फंसे हुए हैं, तो उन लोगों की भी आर्थिक मदद की जानी चाहिए।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, मैं तो उतना शिक्षित नहीं हूं, लेकिन देखा जाता है कि मौजूदा स्थिति में बड़े-बड़े डिग्री कालेजों आदि द्वारा केवल बेकारों की एक फौज खड़ी जा रही है। निःसंकोच कहना चाहता हूं कि आज युवक-युवतियों को केवल क्लर्क बनाकर छोड़ दिया जा रहा है और वे लोग अपने जीवन-निर्वाह के लिए कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। आप स्वयं सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति पच्चीस साल तक शिक्षा प्राप्त करेगा, क्या उसके बाद वह गांव में जाकर कुदाल चला सकता है—नहीं चला सकता है। वह कोई शारीरिक काम नहीं कर सकता।

मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो धनराशि आज तथा—कथित उच्च शिक्षा के लिए स्वीकृत की जा रही है, उसको देश भर में टैकनिकल स्कूल और कालेज खोलने के काम में लाया जाए। और वहां पर उनको रोजी-रोटी कमाने की शिक्षा दी जाए। मैं समझता हूं यह सबसे पुनीत काम होगा और गरीबी दूर करने की तरफ एक बड़ा कदम होगा।

मान्यवर, अभी-अभी मैंने सुना कि आयकर और सेल्स टैक्स का अरबों रुपया कैप्टेलिस्ट्स पर बकाया है। मैं गांव का रहने वाला हूं वहां पर किसान के ऊपर रेवेन्यु जिसको मालगुजारी कहते हैं, वह अगर दो साल के लिए भी बाकी रह जाती है तो उसके लिए किसान पर वारंट होता है, उसके घर और मवेशियों की कुर्की की जाती है तथा उसे हवालात तक जाना पड़ जाता है। देहातों में रहने वालों की संख्या 80 प्रतिशत है उनके पास अगर 100 रुपए भी रेवेन्यु बकाया रह जाती है तो हवालात जाना पड़ता है, मवेशी कुर्क होते हैं लेकिन दूसरी तरफ अरबों रुपया कैप्टेलिस्टों के पास बकाया है फिर उसकी वसूली क्यों नहीं की जाती है ? जिस तरह से गांवों में रहने वाले किसानों से मालगुजारी की वसूली की जाती है उसी प्रकार से यदि कैप्टेलिस्ट्स, कारखानेदारों से भी बकाया इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की वसूली की जाए तो सरकार के के खजाने में अरबों रुपया आ जाएगा।

मान्यवर, समय कम होने के कारण मैं आपका और अधिक समय नहीं लना चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और मैं सोचता हूं हमारे विरोधी दल के भाइयों को भी इसका समर्थन करना चाहिए।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) : मैं अपने मित्र श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का स्वागत करता हूं। अत्यन्त अल्प समय में उन्होंने उत्पादकता बजट प्रस्तुत क्रिया है।

मेरे मित्र श्री फर्नान्डीस ने एक तरफा भाषण दिया। हुमुक नेता श्री दंडपाणि ने प्रत्येक मुद्दे का उनकी उत्तर दिया तथा बताया कि उनके द्वारा बताए गए आंकड़े गलत हैं और कहा कि वह सभा का गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सही आंकड़े भी बताए। अतः मुझे उसे लेने की आवश्यकता नहीं है।

मेरे मित्र श्री पुजारी का बैंकों से सम्बन्ध है। मैं उन्हें एक सुझाव भी देना चाहता हूं। यह औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के बारे में है। यह उत्पादकता का वर्ष है। आप उत्पाद शुल्क में रियायतें दे रहे हैं। परन्तु केवल उत्पाटन शुल्क में रियायत से ही उत्पादन नहीं बढ़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण में कमी की है जिससे उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के तौर पर चीनी उद्योग को ही लें। चीनी के उत्पादन में 190 लाख टन वृद्धि करने के लिए उन्हें आवश्यक स्टाक रखने के लिए 450 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया है कि केवल 450 करोड़ रुपए ही मंजूर किए जाएंगे अन्तर इतना हैं। इस प्रकार आप उत्पाद कर कैसे बढ़ा सकते हैं। ऋणों में कमी से उत्पादकता घटेगी।

अब मैं लघु उद्योग को लेता हूं। सभी चाहते हैं कि लघु उद्योग क्षेत्र में सैकड़ों और हजारों कारखाने बनें। परन्तु मुझे पता चला है कि 2,000 लघु उद्योग एकक पहले से ही रुग्ण अवस्था में हैं। आपने सहसा 10% कटौती कर दी है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लघु

उद्योग स्थापित होंगे ? आपको इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। निःसन्देह आपने बजट में सभी पहलुओं के लिए व्यवस्था की है। इस बारे में हम दोष नहीं दे सकते। परन्तु यह छोटी सी बात है और आप इसका समाधान सरलता से कर सकते हैं।

मुझे खुसी है कि मंत्री महोदय ने सीमेंट के लिए दोहरी मूल्य नीति जारी की है। उससे पहले न तो उत्पादकों को लाभ पहुंचता था और न ही उपभोक्ताओं को केवल बिचोलिए धन कमाते थे। परन्तु इस नई नीति से कम-से-कम निर्माताओं को तो लाभ पहुंचेगा। परन्तु मैं एक बात सरकार को बताना चाहता हूं। आपको इस बात का भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि निर्माता क्या मूल्य निर्धारित करता है तथा उपभोक्ता को किस मूल्य पर माल मिल पाता है। ये ही दो बातें हैं—आप नियंत्रण किस प्रकार करते हैं—यह बात मैं आप पर ही छोड़ता हूं। परन्तु उपभोक्ता को हानि न उठानी पड़े। अतः आपको एक स्तर पर उचित पर्यवेक्षण करना चाहिए।

हर स्थान पर सीमेंट घोटाले हुए है। जिनमें हमारे मुख्य मंत्री सम्बन्धित हैं। अतः आपको एक ओर तो सीमेन्ट निर्माताओं और दूसरी ओर उपभोक्ताओं के बारे में बहुत ही सतर्क होना चाहिए। मंत्री महोदय के इस बात पर बहुत सावधानी के साथ विचार करना चाहिए।

अब मैं सीमेंट में बड़े पैमाने पर हो रही मिलावट के बारे में बताना चाहता हूं। सीमेन्ट मिलावट करना कितना खतरनाक है कि किसी भी समय सार्वजनिक उपयोग का कोई पुल अथवा बांध गिर सकता है। हर जगह सीमेन्ट में मिलावट होती है। कुछ पत्थरों का चूरा बनाया जाता है। एक बोरी सीमेन्ट में 10 बोरी पत्थर का चूरा मिलाकर बाजार में हर जगह बेचा जाता है। अतः खतरा हर समय बना रहता है कि किसी भी समय कोई भवन अथवा पुल गिर सकता है।

एक बात और है। राज्य सरकार को वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतने के लिए निदेश दिया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु के पूमपूहारे शिपिंग कार्पोरेशन ने पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के साथ 100 करोड़ की लागत पर तीन पोतों की खरीद के लिए ठेका किया है। नौवहन महानिदेशक तथा नौवहन विकास निधि समिति ने राज्य सरकारों से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने को कहा हैं। क्योंकि पोत जापान अथवा पश्चिमी कोरिया से 50% मूल्य पर प्राप्त किए जा सकते हैं। सदर्न शिपिंग कार्पोरेशन जो कि एक निजी उपक्रम है—जापान से एक पोत 22 करोड़ रुपये में खरीद कर रहा है। कहां 35 करोड़ रुपये। कहां 22 करोड़ रुपये। एक पोत पर 10 करोड़ रुपए का अन्तर है। बलगेरिया से पोत खरीदने के करार को भंग कराने से पहले ही तमिलनाडु सरकार ने देश की बदनामी की है। अफवाह थी कि इस सौदे में धन की बड़ी मात्रा में हेरा-फेरी हुई है। तथा पुनः धनराशि को बेकार नहीं किया जाना चाहिए.....

उपाध्यक्ष महोदय : भारतीय नौवहन निगम पोतों की खरीद करके उन्हें राज्य सरकारों को क्यों नहीं देता ? आप सरकार को सुझाव दे सकते है।

श्री के० टी० कोसलराम : भारतीय नौवहन निगम तथा निजी फर्में दक्षिण कोरिया और जापान से पोत खरीद रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी राज्य सरकार को पोत की आवश्यकता है तो भारतीय नौवहन निगम जापान या दक्षिण दिया अथवा किसी अन्य देश पोत खरीद कर राज्य सरकार को दे सकता है।

श्री के० टी० कोसलराम : यह बहुत अच्छा सुझाव है। मुझे उम्मीद है कि श्री पुजारी मेरे सुझाव को श्री मुखर्जी तक पहुंचा देंगे। मैं केवल तमिलनाडु सरकार की ही बात नहीं कर रहा मैं अन्य सभी राज्य सरकारों की भी बात कर रहा हूं।

भारतीय नौवहन निगम पोतों को खरीद कर राज्य सरकारों को दे सकता है। इस सुझाव के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

तमिलनाडु सरकार ने बहुत सी बिजली उत्पादन योजनाओं के प्रस्ताव दिए हैं जिनकी पूंजी लागत 2,500 करोड़ रुपए अधिक है। तमिलनाडु में बिजली का उत्पादन कम होता है। इन योजनाओं पर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक और छोटी सी बात है। हमें कृषि उत्पादन के लिए भी कुछ करना है। पानी हमारे देश का अत्यन्त मूल्यवान संसाधन है। यद्यपि 1440 एम० ए० एफ० पानी हमारे देश की नदियों में प्रतिवर्ष बहता है, 200 एम० ए० एफ० पानी का उपयोग मुश्किल से हो पा रहा है। शेष बेकार समुद्र में जाता है।

इसका अर्थ है कि देश के मूल्याकन संसाधन जल का केवल 14% भाग ही उपयोग में लाया जा रहा है। अब हम आत्म-निर्भर हो गए हैं। हमें इस बात पर गर्व है। जैसा कि मैंने पहले बताया हम अपनी जल सम्पत्ति का केवल 14% का ही उपयोग कर पाते हैं। उच्च शक्ति सम्पन्न आयोग जैसे सिंचाई, राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा राष्ट्रीय बाढ़ नियन्त्रण आयोग ने केन्द्र को इस मामले पर लगभग योजना तथा पानी के सक्षम तथा समान उपयोग के बारे में एक समान सुझाव दिए हैं।

अब मुझे पता चला है कि एक राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की स्थापना हो रही है प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्ष होंगी तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होंगे। यह एकमात्र विचारक निकाय होगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी नदी बोर्ड तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तब सभी सम्बद्ध राज्य उसके गठन पर सहमत न हो जाएं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की सिफारिशों को स्वीकार करेंगे।

चूंकि किसी भी केन्द्रीय कानून की क्रियान्वित में सभी राज्य के निष्कपट तथा वास्तविक योगदान और समर्थन की आवश्यकता है—जोकि अभी तक किसी भी राज्य से प्राप्त नहीं हुआ—मेरी मांग है कि केन्द्र को कानूनी उपबन्धों की अनिवार्य रूप से क्रियान्वित की शक्तियां ग्रहण करनी चाहिए। हम और समय नष्ट नहीं कर सकते। नदियों को राष्ट्रीय परिसम्पत्तियां घोषित किया जाना चाहिए और उनके उपयोग की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर छोड़दी जानी चाहिए। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो आप संविधान में संशोधन करके उचित शक्तियां ले सकते हैं।

श्रीमान, कुछ माननीय सदस्यों ने रक्षा के लिए किए गए आवंटनों की आलोचना की है। अमरीका, पाकिस्तान तथा चीन द्वारा हमारे क्षेत्र में की गई कार्यवाही के कारण उक्त आलोचना अनुचित है। रक्षा आवंटन की आलोचना करने का यह समय नहीं है।

कुटीर क्षेत्र के माचिस उद्योग पर उत्पाद शुल्क को सुप्रवाही बनाने के लिए 1.60 रुपए प्रति ग्रस निर्धारित करने के लिए मुझे वित्त मंत्री को अवश्य धन्यवाद देना चाहिए। छोटे एककों

के लिए 15 करोड़ रुपए की सीमा को घटा कर 12 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दुर्भाग्य से अधिसूचना संख्या 22/82 दिनांक 23-2-1982 का 19-6-1980 से प्रभावी बनाया गया है। 10-6-1980 से 31-12-1981 तक कोई अधिकतम सीमा नहीं थी। यद्यपि, अधिकांश कुटीर एकक किसी वर्ष में 1500 लाख से ऊपर नहीं बढ़े फिर भी उनमें से कुछ ने एक मास में 150 लाख से अधिक उत्पादन किया है। अधिसूचना में व्यवस्था है कि यदि किसी एकक का भी किसी महीने का उत्पादन 150 लाख से अधिक हो तो उसे 4.50 रुपए प्रति ग्रुस देना चाहिए, अतः एक मास में 150 लाख अधिक उत्पादन करने वाले एककों को 4.50 रुपए प्रति ग्रुस देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह उचित तथा न्याय संगत नहीं है। कृपया इसे भूतलक्षमी तारीख से प्रभावी न बनाएं, इसे शीघ्र सूचना की तारीख से लागू किया जाए। इसके बाद यदि वे एक मास में 150 लाख से अधिक का उत्पादन करते हैं तब उन्हें 4.50 रुपए प्रति ग्रुस देना चाहिए। वे सभी प्रधानमंत्री के संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम में आते है तथा उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री रामनाथ दुबे (बांदा) उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट का समर्थ करने के लिए खड़ा हुआ हुआ हूं और वित्तमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह आगे आने वाले भविष्य में उत्पादकता बजट सिद्ध होगा।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जैसे देश की रक्षा के लिए फौज की आवश्यकता होती है, उसी तरह पेट की रक्षा के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। दोनों ही महत्वपूर्ण मोर्चे हैं। हमारे देश में इन्सान अगर भूखा रहेगा तो वह क्रान्ति करेगा। इसलिए इन दोनों मोर्चों पर अधिक से अधिक व्यय करने की आवश्यकता है और बजट में ऐसा प्रावधान होना चाहिए, जिससे इन दोनों महत्वपूर्ण मदों में अधिक से अधिक व्यय किया जा सके। किसान अन्न पैदा करता है। उसके लिए उसको सस्ती दर पर पानी, सस्ती दर पर खाद और सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे अन्न मंहगा न हो सके। जब अन्न मंहगा होता है, तो उससे गरीब आदमी प्रभावित होता है। हमारे देश के अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं और भारत गांवों का देश है। इसलिए देहात के रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मकान की, विद्युत की, पेय जल की, सड़कों और गृह उद्योगों आदि की प्रदान की जानी चाहिए। इन चीजों के लिए बजट में अधिक राशि का प्रावधान होना चाहिए ताकि ग्रेटैस्ट गुड आफ दि ग्रेटैस्ट नम्बर हो सके।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सिचाई बड़ी-बड़ी योजनाओं के साथ-साथ जिन में करोड़ों रुपए लगते हैं, लघु सिचाई योजनाओं की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चैक डैम और छोटी-छोटी नदियों को दूसरी नदियों से मिलाई जानी चाहिए। इस तरह की योजनाओं के साथ-साथ ट्यूबवेल और दूसरे जल सींचनें के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिससे किसानों को ज्यादा लाभ मिल सकें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो आर्थिक असमानता है, जो बैकवर्ड क्षेत्र हैं, और जो आगे बढ़े हुए क्षेत्र हैं, उनमें जो असमानता है, उसको दूर करने की आवश्यकता है और गरीबों और अमीरों के बीच की खाई को कम करने की आवश्यता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20-सूत्री कार्यक्रम देश को दिया है और उसके लिए वे बधाई की पात्र हैं। हमारे विपक्ष के कुछ साथियों ने 20-सूत्री कार्यक्रम को पसन्द नहीं किया।

मैं नहीं समझता कि क्यों नहीं इसको वे ही समझ सकते हैं। इस बीस-सूत्री कार्यक्रम से देश में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन एवं क्रान्ति होगी और देश के जरूरतमन्द लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ पहुँचेगा। हमारे देश में मंहगाई बढ़ी है और इसको इन्कारा नहीं जा सकता, लेकिन जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे चावल, गेहूं, शक्कर, उनमें महंगाई एक सीमा में रही हैं जबकि अन्य वस्तुओं में महंगाई बढ़ी है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस बजट से इन सारी चीजों की महंगाई पर निश्चित तौर पर रोक लगेगी और मेरा ख्याल यह है कि आज जो देश की स्थिति है, उससे महंगाई बढ़ना बन्द हो चुका है, रोक लग चुकी है और भविष्य में इससे ज्यादा लाभ होने की आशा है। इन चीजों के साथ-साथ में कुछ सुझाव, हमारे जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उनके सामने रखना चाहूंगा। मेरा सुझाव यह है कि आज जो देश में परिस्थिति है, उसको देखते हुए, वे अनुशासन और ईमानदारी से काम करें। हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि पब्लिक सेक्टर के जो कारखाने हैं, वे घाटे में चलते हैं और जो प्राइवेट सैक्टर के कारखाने हैं, वे मुनाफे में चलते हैं और यह सही बात है। मैं इस पर और ज्यादा नहीं कहना चाहूँगा और सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज अनुशासन और ईमानदारी से काम करके देश को आगे बढ़ना है और देश को तरक्की मार्ग पर ले जाना है। इस उद्देश्य को लेकर उनको काम करना है।

मैं वित्तमंत्री जी को कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। एक सुझाव तो मेरा यह है कि नीड बैस्ड बजट होना चाहिए। बजट को थोड़ा सा संतुलित किया जाना चाहिए और जिस क्षेत्र की जैसी आवश्यकता है, उसको आधार बनाकर बजट बनाना चाहिए।

मैं उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद का प्रतिनिधत्व करता हूं। हमारा प्रदेश देश का बहुत बड़ा प्रदेश है और मेरे क्षेत्र में कृषि व्यवसाय अधिक मात्रा में होता है।

हमारे उत्तर प्रदेश में खनिज भारी मात्रा में है जिसमें बाक्साइट, सिलिका, डोडो माइट, चूना पत्थर हैं। लेकिन हमारे यहां आज तक एक भी कारखाना नहीं लगा है केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां वह कांच, एल्यूमिनिया और सीमेंट के कारखाने लगाए।

चूंकि समय बहुत हो चुका है, इसलिए मैं इन शब्दों के साथ का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर कल देंगें।

8-31 म० प०

लोकसभा मंगलवार, 16 मार्च, 1982/26 फाल्गुन, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———